

GL H 342.54
BHA



128184
LBSNAA

श्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

Academy of Administration

मुसूरी
MUSSOORIE

पुस्तकालय
LIBRARY

अवाप्ति संख्या

Accession No.

21361

वर्ग संख्या

Class No.

H
342.54

पुस्तक संख्या

Book No.

भारत

भारत का संविधान

[१ दिसम्बर, १९५७ तक यथा रूपभेदित]

THE CONSTITUTION OF INDIA

(As modified up to the 1st December, 1957)

PREFACE

The Constituent Assembly of India had by resolution authorised me to publish under my authority a Hindi Translation of the Constitution by the 26th January 1950, and translations of the Constitution in other languages as soon afterwards as I could arrange. I felt it desirable that in the translations of the Constitution in the different languages of India the same equivalents, if possible, should be used for the English terms of legal and constitutional import that occur in that document. I, therefore, called a conference of language experts to evolve as far as possible a common terminology which could be used for the translations of the Constitution in the various languages and ultimately also in all official administrative, legal and judicial work of the country. It met under the Chairmanship of the Honourable Shri Ghanshyam Singh Gupta, Speaker, Central Provinces' Assembly. It had on it representatives of all the languages specified in the Eighth Schedule. The Conference prepared a glossary of the terms used in the Constitution and the Expert Translation Committee which had been entrusted with the work of translating the Constitution in Hindi has made use of these terms alone in preparing this translation.

Some of the terms used in this translation of the Constitution may appear at present to be rather new to some people. But it must be remembered that these terms have been found to be acceptable to the majority of the languages of India and as such will either command today or in the near future the greatest measure of intelligibility. Some words may also be found to be used in a sense in which they are not ordinarily used in Hindi. Thus the word '*jamin*' has been used to indicate 'bail' whereas its ordinary significance in Hindi is "the person who offers 'bail' ". But this difference in the meaning of the term has been found to be necessary because the term '*jamin*' is used for 'bail' in the majority of the Indian languages. Some of the new terms that may be found in the translation of the Constitution have come in as a result of the decision of the Language Conference which considered terms of different languages for the purpose of fixing equivalents of the English terms. The term '*pamcata*', for example is used in Kashmiri language for 'award' and it was found to be acceptable to the members of the Conference and consequently the term 'award' has been translated in this translation as '*pamcata*'. It may be hoped that the terms used in this translation would become the standard Hindi terms for official use when Hindi begins to be used for official purposes in the Union and the States.

NEW DELHI:

24th January, 1950.

RAJENDRA PRASAD

प्राक्कथन

भारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं, अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान का हिन्दी अनुवाद, २६ जनवरी, १९५० ई० तक, तथा, उस के बाद यथाशीघ्र अन्य भाषाओं में भी इस के अनुवाद प्रकाशित करा दूं। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार किये जायें उन सब में, अगर सम्भव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के लिये जिन का कि विशेष संविधानिक या कानूनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाये जायें। इस लिये मैंने भाषा-विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया कि वह, जहां तक सम्भव हो, ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करे जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिन को हम विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुक्त कर सकें और अन्ततोगत्वा जिनको हम अन्य सरकारी, कानूनी, अदालती और शासन सम्बन्धी कामों में भी प्रयुक्त कर सकें। यह सम्मेलन मध्य प्रांतीय विधान-सभा के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंह गुप्त के सभापतित्व में सम्भवेत हुआ। इस में अनुसूची ८ में दी हुई सभी भाषाओं के प्रख्यात विद्वान प्रतिनिधि स्वरूप सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन ने संविधान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का एक कोष तैयार किया और अनुवाद-समिति ने, जिसे कि संविधान के हिन्दी रूपांतर का काम सौंपा गया था, हिन्दी अनुवाद तैयार करने में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है।

संविधान के इस अनुवाद में प्रयुक्त कई शब्द, संभव है, कुछ लोगों को फिलहाल बिल्कुल नये से प्रतीत हों। पर इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य हैं और इस लिये देश के अधिकांश लोगों को या तो अभी या निकट भविष्य में अवश्य बोधगम्य हो जायेंगे। कुछ शब्द इस में ऐसे भी मिलेंगे जिन का प्रयोग उस से कुछ भिन्न अर्थ में हुआ है जिस में कि आमतौर पर इनका प्रयोग हिन्दी में हुआ करता है। मसलन 'जामिन' शब्द इस में 'bail' के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है किन्तु हिन्दी में 'जामिन, से साधारणतः वह व्यक्ति समझा जाता है जो किसी की जमानत के लिये खड़ा हो। किन्तु यहां इस शब्द को भिन्न अर्थ में रखना इस लिये जरूरी समझा गया कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में 'जामिन' शब्द 'bail' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत अनुवाद में आने वाले नये शब्दों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो भाषा-सम्मेलन के निर्णय के फल स्वरूप, जिस ने कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के पर्याय निश्चित करने के लिये विभिन्न भाषाओं के शब्दों पर विचार किया, यहां लिये गये हैं। उदाहरण के लिये 'पंचाट' शब्द काश्मीरी जुवान में 'award' के लिये प्रयोग में आता है और चूंकि यह शब्द सम्मेलन के सदस्यों को मान्य हुआ इस लिये इस अनुवाद में 'award' का अनुवाद 'पंचाट' किया गया है। आशा है कि जब भारतीय संघ और उस के अंगभूत राज्यों में सरकारी कामों के लिये हिन्दी बरती जाने लगेगी तो ये शब्द, जिन का कि इस अनुवाद में प्रयोग हुआ है, सरकारी कामों के लिये प्रामाणिक हिन्दी शब्द माने जायेंगे।

नई दिल्ली:

२४ जनवरी, १९५०.

राजेन्द्र प्रसाद

THE CONSTITUTION OF INDIA

The following Acts have been reproduced in the Appendix:—

1. The Constitution (First Amendment) Act, 1951.
2. The Constitution (Second Amendment) Act, 1952.
3. The Constitution (Third Amendment) Act, 1954.
4. The Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955.
5. The Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955.
6. The Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956.
7. The Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.

NOTE.—The Constitution of India has been applied to the State of Jammu and Kashmir by the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 (C.O. 48, dated the 14th May, 1954) with certain exceptions and modifications and such exceptions and modifications are given in footnotes to appropriate Parts, articles and clauses.

भारत का संविधान

परिशिष्ट में निम्नलिखित अधिनियम दिये गये हैं :—

१. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१
२. संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२
३. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५४
४. संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५
५. संविधान (पंचम संशोधन) अधिनियम, १९५५
६. संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६
७. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६

टिप्पणी—भारत का संविधान कुछ अपवादों और रूपभेदों के साथ संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश, १९५४ (सी० ओ० ४८, तारीख १४ मई, १९५४) द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू कर दिया गया है। ऐसे अपवाद और रूपभेद समन्वित भागों, अनच्छेदों और खंडों की पाठ टिप्पणियों में दिये गये हैं।

Right to Equality

14. Equality before law	6
15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.	6
16. Equality of opportunity in matters of public employment	7
17. Abolition of Untouchability	7
18. Abolition of titles.	8

Right to Freedom

19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.	8
20. Protection in respect of conviction for offences	9
21. Protection of life and personal liberty	9
22. Protection against arrest and detention in certain cases	10

Right against Exploitation

23. Prohibition of traffic in human beings and forced labour.	11
24. Prohibition of employment of children in factories, etc.	11

Right to Freedom of Religion

25. Freedom of conscience and free professions, practice and propagation of religion	11
26. Freedom to manage religious affairs	11
27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion	12
28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions	12

Cultural and Educational Rights

29. Protection of interests of minorities	12
30. Right of minorities to establish and administer educational institutions	12

Right to Property

31. Compulsory acquisition of property	12
31A. Saving of laws providing for acquisition of estates, etc.	14
31B. Validation of certain Acts and Regulations	15

समता-अधिकार

१४	विधि के समक्ष समता	६
१५	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध	६
१६	राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता	७
१७	अस्पृश्यता का अन्त	७
१८	खिताबों का अन्त	८

स्वातन्त्र्य-अधिकार

१९	वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण	८
२०	अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण	९
२१	प्राण और देहिक स्वाधीनता का संरक्षण	९
२२	कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण और निरोध से संरक्षण	१०

शोषण के विरुद्ध अधिकार

२३	मानव के पण्य और बलात्कृत का प्रतिषेध	११
२४	कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध	११

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

२५	अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता	११
२६	धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता	११
२७	किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में स्वतन्त्रता	१२
२८	कुछ शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता	१२

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

२९	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण	१२
३०	शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार	१२

सम्पत्ति का अधिकार

३१	सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन	१२
३१क	सम्पदाओं आदि के अर्जन के लिये उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	१४
३१ख	कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण	१५

Right to Constitutional Remedies

32.	Remedies for enforcement of rights conferred by this Part	16
33.	Power to Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces	16
34.	Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.	16
35.	Legislation to give effect to the provisions of this Part	17

PART IV**DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY**

36.	Definition	19
37.	Application of the principles contained in this Part	19
38.	State to secure a social order for the promotion of welfare of the people	19
39.	Certain principles of policy to be followed by the State	19
40.	Organisation of village panchayats	19
41.	Right to work, to education and to public assistance in certain cases	20
42.	Provision for just and humane conditions of work and maternity relief	20
43.	Living wage, etc., for workers	20
44.	Uniform civil code for the citizens	20
45.	Provision for free and compulsory education for children	20
46.	Promotion of educational and economic interests of Schedule Castes, Schedule Tribes and other weaker sections	20
47.	Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health	20
48.	Organisation of agriculture and animal husbandry	20
49.	Protection of monuments and places and objects of national importance	20
50.	Separation of judiciary from executive	21
51.	Promotion of international peace and security	21

PART V**THE UNION****CHAPTER I—THE EXECUTIVE***The President and Vice-President*

52.	The President of India	22
53.	Executive power of the Union	22
54.	Election of President	22

सांविधानिक उपचारों के अधिकार

३२	इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के उपचार	१६
३३	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयुक्ति की अवस्था में, रूपभेद करने की संसद् की शक्ति	१६
३४	जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों पर निर्बन्धन	१६
३५	इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान	१७

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व

३६	परिभाषा	१६
३७	इस भाग में वर्णित तत्त्वों की प्रयुक्ति	१६
३८	लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा	१६
३९	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्त्व	१६
४०	ग्राम-पंचायतों का संघटन	१६
४१	कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पान का अधिकार	२०
४२	काम की न्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रमूति-सहायता का उपबन्ध	२०
४३	श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि	२०
४४	नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता	२०
४५	बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध	२०
४६	अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति	२०
४७	आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य	२०
४८	कृषि और पशुपालन का संघटन	२०
४९	राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण	२०
५०	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण	२१
५१	अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति	२१

भाग ५

संघ

अध्याय १—कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

५२	भारत का राष्ट्रपति	२२
५३	संघ की कार्यपालिका शक्ति	२२
५४	राष्ट्रपति का निर्वाचन	२२

ARTICLE	PAGE
55. Manner of election of President	22
56. Term of office of President	23
57. Eligibility for re-election	23
58. Qualifications for election as President	23
59. Conditions of President's office	24
60. Oath or affirmation by the President	24
61. Procedure for impeachment of the President	24
62. Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.	25
63. The Vice-President of India	25
64. The Vice-President to be <i>ex-officio</i> Chairman of the Council of States	25
65. The Vice-President to act as President or to discharge his func- tions during casual vacancies in the office, or during the absence, of President	26
66. Election of Vice-President	26
67. Term of office of Vice-President	26
68. Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice- President and the term of office of person elected to fill casual vacancy	27
69. Oath or affirmation by the Vice-President	27
70. Discharge of President's functions in other contingencies	27
71. Matters relating to or connected with the election of a President or Vice-President	27
72. Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases	28
73. Extent of executive power of the Union	28
<i>Council of Ministers</i>	
74. Council of Ministers to aid and advise President	29
75. Other provisions as to Ministers	29
<i>The Attorney-General for India</i>	
76. Attorney-General for India	29
<i>Conduct of Government Business</i>	
77. Conduct of business of the Government of India	30
78. Duties of Prime Minister as respects the furnishing of informa- tion to the President, etc.	30

अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
५५ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति	२२
५६ राष्ट्रपति की पदावधि	२३
५७ पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता	२३
५८ राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएं	२३
५९ राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें	२४
६० राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	२४
६१ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया	२४
६२ राष्ट्रपति-पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि	२५
६३ भारत का उपराष्ट्रपति	२५
६४ उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-सभा का सभापति होना	२५
६५ राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन	२६
६६ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	२६
६७ उपराष्ट्रपति की पदावधि	२६
६८ उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि	२७
६९ उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	२७
७० अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन	२७
७१ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय	२७
७२ क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघु-करण करने की राष्ट्रपति की शक्ति	२८
७३ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	२८
मंत्रि-परिषद्	
७४ राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्	२९
७५ मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध	२९
भारत का महान्यायवादी	
७६ भारत का महान्यायवादी	२९
सरकारी कार्य का संचालन	
७७ भारत सरकार के कार्य का संचालन	३०
७८ राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधान मंत्री के कर्तव्य	३०

CHAPTER II—PARLIAMENT

General

79.	Constitution of Parliament	30
80.	Composition of the Council of States	30
81.	Composition of the House of the People	31
82.	Readjustment after each census	32
83.	Duration of Houses of Parliament	32
84.	Qualification for membership of Parliament	32
85.	Sessions of Parliament, prorogation and dissolution	33
86.	Right of President to address and send messages to Houses	33
87.	Special address by the President	33
88.	Rights of Ministers and Attorney-General as respects Houses	33

Officers of Parliament

89.	The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States	33
90.	Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman	34
91.	Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman	34
92.	The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.	34
93.	The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People	34
94.	Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker	35
95.	Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker	35
96.	The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration	35
97.	Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker	36
98.	Secretariat of Parliament	36

Conduct of Business

99.	Oath or affirmation by members	36
100.	Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum	

अध्याय २—संसद्

साधारण

७६	संसद् का गठन	३०
८०	राज्य-सभा की रचना	३०
८१	लोक-सभा की रचना	३१
८२	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन	३२
८३	संसद् के सदनों की अवधि	३२
८४	संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता	३२
८५	संसद् के सत्त, सत्तावसान और विघटन	३३
८६	सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार	३३
८७	संसद् के प्रत्येक सत्तारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण	३३
८८	सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार	३३

संसद् के पदाधिकारी

८९	राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति	३३
९०	उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना	३४
९१	उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति	३४
९२	जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा	३४
९३	लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	३४
९४	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना	३५
९५	अध्यक्ष-पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	३५
९६	जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा	३५
९७	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते	३६
९८	संसद् का सचिवालय	३६

कार्य-संचालन

९९	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	३६
१००	सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति	३६

ARTICLE	PAGE
<i>Disqualifications of Members</i>	
101. Vacation of seats	37
102. Disqualifications for membership	38
103. Decision on questions as to disqualifications of members	38
104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified	38
<i>Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members</i>	
105. Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof	38
106. Salaries and allowances of members	39
<i>Legislative Procedure</i>	
107. Provisions as to introduction and passing of Bills	39
108. Joint sitting of both Houses in certain cases	39
109. Special procedure in respect of Money Bills	40
110. Definition of "Money Bills"	41
111. Assent to Bill	42
<i>Procedure in Financial Matters</i>	
112. Annual financial statement	42
113. Procedure in Parliament with respect to estimates	43
114. Appropriation Bills	43
115. Supplementry, additional or excess grants	44
116. Votes on account, votes of credit and exceptional grants	44
117. Special provisions as to financial Bills	45
<i>Procedure Generally</i>	
118. Rules of procedure	45
119. Regulation by law of procedure in Parliament in relation to financial business	46
120. Language to be used in Parliament	46
121. Restriction on discussion in Parliament	46
122. Courts not to inquire into proceedings of Parliament	46

सदस्यों की अनर्हताएं

१०१	स्थानों की रिक्तता	३७
१०२	सदस्यता के लिये अनर्हताएं	३८
१०३	सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन	३८
१०४	अनुच्छेद ६६ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने, और मत देने के लिये दंड	३८

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

१०५	संसद् के सदस्यों की तथा उस के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि	३८
१०६	सदस्यों के वेतन और भत्ते	३९

विधान-प्रक्रिया

१०७	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध	३९
१०८	किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	३९
१०९	धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया	४०
११०	धन-विधेयकों की परिभाषा	४१
१११	विधेयकों पर अनुमति	४२

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

११२	वार्षिक-वित्त-विवरण	४२
११३	संसद् में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया	४३
११४	विनियोग-विधेयक	४३
११५	अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान	४४
११६	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	४४
११७	वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध	४५

साधारणतया प्रक्रिया

११८	प्रक्रिया के नियम	४५
११९	संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	४६
१२०	संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा	४६
१२१	संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन	४६
१२२	न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे	४६

ARTICLE	PAGE
CHAPTER III—LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT	
123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament	46
CHAPTER IV—THE UNION JUDICIARY	
124. Establishment and constitution of Supreme Court	47
125. Salaries, etc., of Judges	48
126. Appointment of acting Chief Justice	48
127. Appointment of <i>ad hoc</i> Judges	48
128. Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court	49
129. Supreme Court to be a Court of record	49
130. Seat of Supreme Court	49
131. Original jurisdiction of the Supreme Court	49
132. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases	50
133. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters	50
134. Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters	51
135. Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court	51
136. Special leave to appeal by the Supreme Court	51
137. Review of judgments or orders by the Supreme Court	52
138. Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court	52
139. Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs	52
140. Ancillary powers of Supreme Court	52
141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts	52
142. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc.	52
143. Power of President to consult Supreme Court	53
144. Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court	53
145. Rules of Court, etc.	53
146. Officers and servants and the expenses of the Supreme Court	54
147. Interpretation	55

अध्याय ३—राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां

१२३	संसद् के विश्रान्ति-काल में राष्ट्रपति की अघ्यादेश प्रख्यापन शक्ति	४६
-----	--	----

अध्याय ४—संघ की न्यायपालिका

१२४	उच्चतमन्यायालय की स्थापना और गठन	४७
१२५	न्यायाधीशों के वेतन आदि	४८
१२६	कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति	४८
१२७	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति	४८
१२८	सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायालय की बैठकों में उपस्थिति	४९
१२९	उच्चतमन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा	४९
१३०	उच्चतमन्यायालय का स्थान	४९
१३१	उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार	४९
१३२	किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार	५०
१३३	उच्चन्यायालयों से व्यवहार-विषयों के बारे की, अपीलों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार	५०
१३४	दंड-विषयों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार	५१
१३५	वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना	५१
१३६	अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत	५१
१३७	निर्णयों या आदेशों पर उच्चतमन्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन	५२
१३८	उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि	५२
१३९	कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायालय को प्रदान	५२
१४०	उच्चतमन्यायालय की सहायक शक्तियां	५२
१४१	उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी	५२
१४२	उच्चतमन्यायालय की आज्ञाप्तियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना तथा प्रकटन आदि के आदेश	५२
१४३	उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति	५३
१४४	प्रसैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे	५३
१४५	न्यायालय के नियम आदि	५३
१४६	उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय	५४
१४७	निर्वचन	५५

ARTICLE	PAGE
CHAPTER V—COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA	
148. Comptroller and Auditor-General of India	55
149. Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General	56
150. Power of Comptroller and Auditor-General to give directions as to accounts	56
151. Audit reports	56
 PART VI 	
THE STATES	
 CHAPTER I—GENERAL 	
152. Definition	57
 CHAPTER II—THE EXECUTIVE 	
<i>The Governor</i>	
153. Governors of States	57
154. Executive power of State	57
155. Appointment of Governor	57
156. Term of office of Governor	57
157. Qualifications for appointment as Governor	58
158. Conditions of Governor's office	58
159. Oath or affirmation by the Governor	58
160. Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies	58
161. Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases	59
162. Extent of executive power of State	59
 <i>Council of Ministers</i> 	
163. Council of Ministers to aid and advise Governor	59
164. Other provisions as to Ministers	59
 <i>The Advocats-General for the State</i> 	
165. Advocate-General for the State	60

अध्याय ५— भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

१४८	भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक	५५
१४९	नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां	५६
१५०	लेखे के विषय में निदेश देने की नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति	५६
१५१	लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	५६

भाग ६

राज्य

अध्याय १—साधारण

१५२	परिभाषा	५७
-----	-------------------	----

अध्याय २—कार्यपालिका

राज्यपाल

१५३	राज्यों के राज्यपाल	५७
१५४	राज्य की कार्यपालिका शक्ति	५७
१५५	राज्यपाल की नियुक्ति	५७
१५६	राज्यपाल की पदावधि	५७
१५७	राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हता	५८
१५८	राज्यपाल-पद के लिये शर्तें	५८
१५९	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	५८
१६०	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन	५८
१६१	क्षमा की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण करने की राज्यपाल की शक्ति	५९
१६२	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	५९

मंत्रि-परिषद्

१६३	राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिषद्	५९
१६४	मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध	५९

राज्य का महाधिवक्ता

१६५	राज्य का महाधिवक्ता	६०
-----	-------------------------------	----

ARTICLE	PAGE
<i>Conduct of Government Business</i>	
166. Conduct of business of the Government of a State	60
167. Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc.	60
CHAPTER III—THE STATE LEGISLATURE	
<i>General</i>	
168. Constitution of Legislatures in States	61
169. Abolition or creation of Legislative Councils in States	61
170. Composition of the Legislative Assemblies	61
171. Composition of the Legislative Councils	62
172. Duration of State Legislatures	63
173. Qualification for membership of the State Legislature	64
174. Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution	64
175. Right of Governor to address and send messages to the House or Houses	64
176. Special address by the Governor	64
177. Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses	65
<i>Officers of the State Legislature</i>	
178. The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly	65
179. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker	65
180. Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker	65
181. The Speaker and the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration	66
182. The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council	66
183. Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman	66
184. Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chairman	66
185. The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration	67
186. Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman	67
187. Secretariat of State Legislature	67

सरकारी कार्य का संचालन

१६६	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	६०
१६७	राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य	६०

अध्याय ३—राज्य का विधान-मण्डल

साधारण

१६८	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन	६१
१६९	राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन या सृजन	६१
१७०	विधान-सभाओं की रचना	६१
१७१	विधान-परिषदों की रचना	६२
१७२	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि	६३
१७३	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता	६४
१७४	राज्य के विधान-मंडल के सत्, सत्तावसान और विघटन	६४
१७५	सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार	६४
१७६	प्रत्येक सत्तारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण	६४
१७७	सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार	६५

राज्य के विधान-मण्डल के पदाधिकारी

१७८	विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	६५
१७९	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना	६५
१८०	अध्यक्ष-पद के कर्तव्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	६५
१८१	जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकें में पीठासीन न होगा	६६
१८२	विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति	६६
१८३	सभापति और उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना	६६
१८४	उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति	६६
१८५	जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा	६७
१८६	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते	६७
१८७	राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय	६७

ARTICLE	PAGE
<i>Conduct of Business</i>	
188. Oath or affirmation by members	67
189. Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum	68
<i>Disqualifications of Members</i>	
190. Vacation of seats	68
191. Disqualifications for membership	69
192. Decision on questions as to disqualifications of members	69
193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified	69
<i>Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members</i>	
194. Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof	69
195. Salaries and allowances of members	70
<i>Legislative Procedure</i>	
196. Provisions as to introduction and passing of Bills	70
197. Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bills	71
198. Special procedure in respect of Money Bills	71
199. Definition of "Money Bills"	72
200. Assent to Bills	73
201. Bills reserved for consideration	73
<i>Procedure in Financial Matters</i>	
202. Annual financial statement	73
203. Procedure in Legislature with respect to estimates	74
204. Appropriation Bills	74
205. Supplementary, additional or excess grants	75
206. Votes on account, votes of credit and exceptional grants	75
207. Special provisions as to financial Bills	76

काय-सचालन

१८८	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	६७
१८९	सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुये भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति	६८

सदस्यों की अनर्हताएं

१९०	स्थानों की रिक्तता	६८
१९१	सदस्यता के लिये अनर्हताएं	६९
१९२	सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन	६९
१९३	अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने और मत देने के लिये दंड	६९

राज्य के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

१९४	विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि	६९
१९५	सदस्यों के वेतन और भत्ते	७०

विधान-प्रक्रिया

१९६	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध	७०
१९७	धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिषद् की शक्तियों का निर्बन्धन	७१
१९८	धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया	७१
१९९	धन-विधेयकों की परिभाषा	७२
२००	विधेयकों पर अनुमति	७३
२०१	विचारार्थ रक्षित विधेयक	७३

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

२०२	वार्षिक-वित्त-विवरण	७३
२०३	विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया	७४
२०४	विनियोग विधेयक	७४
२०५	अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान	७५
२०६	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	७५
२०७	वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध	७६

ARTICLE	PAGE
<i>Procedure Generally</i>	
208. Rules of Procedure	76
209. Regulation by law of procedure in the Legislature of the State in relation to financial business	77
210. Language to be used in the Legislature	77
211. Restriction on discussion in the Legislature	77
212. Courts not to inquire into proceedings of the Legislature	77

CHAPTER IV—LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR

213. Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature	77
--	----

CHAPTER V—THE HIGH COURTS IN THE STATES

214. High Courts for States	78
215. High Courts to be courts of record	79
216. Constitution of High Courts	79
217. Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court	79
218. Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts	80
219. Oath or affirmation by Judges of High Courts	80
220. Restriction on practice after being a permanent Judge	80
221. Salaries, etc., of Judges	80
222. Transfer of a Judge from one High Court to another	81
223. Appointment of acting Chief Justice	81
224. Appointment of additional and acting judges	81
225. Jurisdiction of existing High Court	81
226. Power of High Courts to issue certain writs	82
227. Power of superintendence over all courts by the High Courts	82
228. Transfer of certain cases to High Court	82
229. Officers and servants and the expenses of High Courts	83
230. Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories	83
231. Establishment of a common High Court for two or more States	83

साधारणतया प्रक्रिया

२०८	प्रक्रिया के नियम	७६
२०९	राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	७७
२१०	विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा	७७
२११	विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन	७७
२१२	न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे	७७

अध्याय ४—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ

२१३	विधान-मंडल के विश्रान्ति-काल में राज्यपाल की अध्यादेश-प्रस्थापन शक्ति	७७
-----	---	----

अध्याय ५—राज्यों के उच्चन्यायालय

२१४	राज्यों के लिये उच्चन्यायालय	७८
२१५	उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे	७९
२१६	उच्चन्यायालयों का गठन	७९
२१७	उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें	७९
२१८	उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालयों को लागू होना	८०
२१९	उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	८०
२२०	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि वृत्ति पर निर्बन्धन	८०
२२१	न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि	८०
२२२	एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण	८१
२२३	कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति	८१
२२४	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति	८१
२२५	वर्तमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार	८१
२२६	कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति	८२
२२७	सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति	८२
२२८	विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण	८२
२२९	उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय	८३
२३०	उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का संघ राज्य-क्षेत्रों में विस्तार	८३
२३१	दो या अधिक राज्यों के लिये एक उच्चन्यायालय की स्थापना	८३

ARTICLE	PAGE
CHAPTER VI—SUBORDINATE COURTS	
233. Appointment of district judges	84
234. Recruitment of persons other than district judges to the judicial service	84
235. Control over subordinate courts	84
236. Interpretation	85
237. Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates	85
PART VII	
THE STATES IN PART B OF THE FIRST SCHEDULE	
233. [<i>Repealed.</i>]	86
PART VIII	
THE UNION TERRITORIES	
239. Administration of Union territories	87
240. Power of President to make regulations for certain Union territories	87
241. High Courts for Union territories	87
242. [<i>Repealed.</i>]	88
PART IX	
THE TERRITORIES IN PART D OF THE FIRST SCHEDULE AND OTHER TERRITORIES NOT SPECIFIED IN THAT SCHEDULE	
243. [<i>Repealed.</i>]	89
PART X	
THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS	
244. Administration of Scheduled Areas and tribal areas	90
PART XI	
RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES	
CHAPTER I—LEGISLATIVE RELATIONS	
<i>Distribution of Legislative Powers</i>	
245. Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States	91
246. Subject-matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States	91
247. Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts	91

अध्याय ६—अधीन न्यायालय

२३३	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	८४
२३४	न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती	८४
२३५	अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण	८४
२३६	निर्वाचन	८५
२३७	कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना	८५

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

२३८	[निरसित]	८६
-----	--------------------	----

भाग ८

संघ राज्य-क्षेत्र

२३९	संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन	८७
२४०	कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति	८७
२४१	संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए उच्चन्यायालय	८७
२४२	[निरसित]	८८

भाग ९

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

२४३	[निरसित]	८९
-----	--------------------	----

भाग १०

अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्र

२४४	अनुसूचित और आदिमजाति क्षेत्रों का प्रशासन	९०
-----	---	----

भाग ११

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का वितरण

२४५	संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार	९१
२४६	संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के विषय	९१
२४७	किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति	९१

ARTICLE	PAGE
248. Residuary powers of legislation	92
249. Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest	92
250. Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a Proclamation of Emergency is in operation	92
251. Inconsistency between laws made by Parliament under articles 249 and 250 and laws made by the Legislatures of States	93
252. Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State	93
253. Legislation for giving effect to international agreements	93
254. Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States	94
255. Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only	94

CHAPTER II—ADMINISTRATIVE RELATIONS

General

256. Obligation of States and the Union	95
257. Control of the Union over States in certain cases	95
258. Power of the Union to confer powers, etc., on States in certain cases	96
258A. Power of the States to entrust functions to the Union	96
259. [<i>Repealed.</i>]	96
260. Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India	96
261. Public acts, records and judicial proceedings	96

Disputes relating to Waters

262. Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys	97
---	----

Co-ordination between States

263. Provisions with respect to an inter-State Council	97
--	----

PART XII

FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS

CHAPTER I—FINANCE

General

264. Interpretation	98
265. Taxes not to be imposed save by authority of law	98
266. Consolidated Funds and public accounts of India and of the States	98
267. Contingency Fund	98

अनुच्छेद

पृष्ठ संख्या

२४८	अवशिष्ट विधान-शक्तियां	६२
२४९	राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	६२
२५०	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	६२
२५१	अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	६३
२५२	दो या अधिक राज्यों के लिये उनकी सम्मति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना	६३
२५३	अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान	६३
२५४	संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	६४
२५५	सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना	६४

अध्याय २—प्रशासन-सम्बन्ध

साधारण

२५६	संघ और राज्यों के आभार	६५
२५७	किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण	६५
२५८	कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आवि देने की संघ की शक्ति	६६
२५८क	संघ को कृत्य मौपने की राज्यों की शक्ति	६६
२५९	[निरसित]	६६
२६०	भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार	६६
२६१	सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां	६६

जल सम्बन्धी विवाद

२६२	अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्यायनिर्णयन	६७
-----	--	----

राज्यों के बीच समन्वय

२६३	अन्तर्राज्यिक परिषद् विषयक उपबन्ध	६७
-----	-----------------------------------	----

भाग १२

वित्त, सम्पत्ति, संबिदाएं और व्यवहार-वाद

अध्याय १—वित्त

साधारण

२६४	निबंधन	६८
२६५	विधि-प्राधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना	६८
२६६	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक-लेखे	६८
२६७	आकस्मिकता-निधि	६८

ARTICLE	PAGE
<i>Distribution of Revenues between the Union and the States</i>	
268. Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States	99
269. Taxes levied and collected by the Union but assigned to the States	99
270. Taxes levied and collected by the Union and distributed between the Union and the States	100
271. Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union	101
272. Taxes which are levied and collected by the Union and may be distributed between the Union and the States	101
273. Grants in lieu of export duty on jute and jute products	101
274. Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested	101
275. Grants from the Union to certain States	102
276. Taxes on professions, trades, callings and employments	102
277. Savings	103
278. [<i>Repealed.</i>]	103
279. Calculation of "net proceeds", etc.	103
280. Finance Commission	104
281. Recommendations of the Finance Commission	104
<i>Miscellaneous Financial Provisions</i>	
282. Expenditure defrayable by the Union of a State out of its revenues	104
283. Custody, etc., of Consolidated Funds, Contingency Funds and moneys credited to the public accounts	104
284. Custody of suitors' deposits and other moneys received by public servants and courts	105
285. Exemption of property of the Union from States taxation	105
286. Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods	105
287. Exemption from taxes on electricity	106
288. Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases	106
289. Exemption of property and income of a State from Union taxation	107
290. Adjustment in respect of certain expenses and pensions	107
290A. Annual payment to certain Devaswom Funds	108
291. Privy purse sums of Rulers	108

संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण

२६८	संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क	६६
२६९	संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले कर	६६
२७०	संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित कर	१००
२७१	संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार	१०१
२७२	कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे	१०१
२७३	पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में अनुदान	१०१
२७४	राज्यों के हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिये राष्ट्र-पति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा	१०१
२७५	कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान	१०२
२७६	वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर	१०२
२७७	व्यावृत्ति	१०३
२७८	[निरसित]	१०३
२७९	शुद्ध आगम की गणना	१०३
२८०	वित्त-आयोग	१०४
२८१	वित्त-आयोग की सिपारिशें	१०४

प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध

२८२	संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय	१०४
२८३	संचित निधियों की, आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि	१०४
२८४	लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य धन की अभिरक्षा	१०५
२८५	संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति	१०५
२८६	वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन	१०५
२८७	विद्युत् पर करों से विमुक्ति	१०६
२८८	पानी या विद्युत् के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुछ अवस्थाओं में विमुक्ति	१०६
२८९	संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विमुक्ति	१०७
२९०	कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन	१०७
२९०क	कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक देनगी	१०८
२९१	खासकों की निजी बैली की राशि	१०८

ARTICLE		PAGE
CHAPTER II—BORROWING		
292.	Borrowing by the Government of India	108
293.	Borrowing by States	108
CHAPTER III—PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS		
294.	Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases	109
295.	Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases	109
296.	Property accruing by escheat or lapse or as <i>bona vacantia</i>	110
297.	Things of value lying within territorial waters to vest in the Union	110
298.	Power to carry on trade, etc.	110
299.	Contracts	111
300.	Suits and proceedings	111
PART XIII		
TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA		
301.	Freedom of trade, commerce and intercourse	112
302.	Power of Parliament to impose restrictions on trade, com- merce and intercourse	112
303.	Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce	112
304.	Restrictions on trade, commerce and intercourse among States	112
305.	Saving of existing laws and laws providing for State monopolies	113
306.	[<i>Repealed.</i>]	113
307.	Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304	113
PART XIV		
SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES		
CHAPTER I—SERVICES		
308.	Interpretation	114
309.	Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State	114
310.	Tenure of office of persons serving the Union or a State	114

अध्याय २—उधार लेना

२६२	भारत सरकार द्वारा उधार लेना	१०८
२६३	राज्यों द्वारा उधार लेना	१०८
अध्याय ३—सम्पत्ति, संबिदा, अधिकार, दायित्व, आभार और व्यवहार-वाद		
२६४	कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार	१०९
२६५	अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार	१०९
२६६	राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति	११०
२६७	जलप्रांगण में स्थित मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी	११०
२६८	व्यापार आदि करने की शक्ति	११०
२६९	संबिदाएं	१११
३००	व्यवहार-वाद और कार्यवाहियां	१११

भाग १३

भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

३०१	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता	११२
३०२	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबन्धन लगाने की संसद् की शक्ति	११२
३०३	व्यापार और वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी शक्तियों पर निबन्धन	११२
३०४	राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबन्धन	११२
३०५	वर्तमान विधियों और राज्य एकाधिपत्यों के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	११३
३०६	[निरसित].	११३
३०७	अनुच्छेद ३०१ और ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति	११३

भाग १४

संघ और राज्यों के अर्धीन सेवाएं

अध्याय १—सेवाएं

३०८	निबन्धन	११४
३०९	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें	११४
३१०	संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि	११४

ARTICLE	PAGE
311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State	115
312. All-India services	115
313. Transitional provisions	115
314. Provision for protection of existing officers of certain services	116

CHAPTER II—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

315. Public Service Commissions for the Union and for the States	116
316. Appointment and term of office of members	116
317. Removal and suspension of a member of a Public Service Commission	117
318. Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission	118
319. Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members	118
320. Functions of Public Service Commissions	118
321. Power to extend functions of Public Service Commissions	120
322. Expenses of Public Service Commissions	120
323. Reports of Public Service Commissions	120

PART XV

ELECTIONS

324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission	121
325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex	122
326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage	122
327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures	122
328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.	122
329. Bar to interference by courts in electoral matters	122

PART XVI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People	123
331. Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People	123
332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States	123

३११	संघ या राज्य के अधीन असैनिक हूसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना	११५
३१२	अखिल भारतीय सेवार्यो	११५
३१३	अन्तर्कालीन उपबन्ध	११५
३१४	कतिपय सेवार्यो के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध	११६

अध्याय २—लोकसेवा-आयोग

३१५	संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा-आयोग	११६
३१६	सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि	११६
३१७	लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना	११७
३१८	आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवार्यो की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति	११८
३१९	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रतिषेध	११८
३२०	लोकसेवा-आयोगों के कृत्य	११८
३२१	लोकसेवा-आयोगों के कृत्यों के विस्तार की शक्ति	१२०
३२२	लोकसेवा-आयोगों के व्यय	१२०
३२३	लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन	१२०

भाग १५

निर्वाचन

३२४	निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन-आयोग में निहित होंगे	१२१
३२५	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा	१२२
३२६	लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभार्यो के लिये निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना	१२२
३२७	विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति	१२२
३२८	किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति	१२२
३२९	निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक	१२२

भाग १६

कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

३३०	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक-सभा में स्थानों का रक्षण	१२३
३३१	लोक-सभा में अंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	१२३
३३२	राज्यों की विधान-सभार्यो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण	१२३

ARTICLE	PAGE
333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States	124
334. Reservation of seats and special representation to cease after ten years	124
335. Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts	124
336. Special provision for Anglo-Indian community in certain services	125
337. Special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian community	125
338. Special Officer for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc	125
339. Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes	126
340. Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes	126
341. Scheduled Castes	127
342. Scheduled Tribes	127

PART XVII

OFFICIAL LANGUAGE

CHAPTER I—LANGUAGE OF THE UNION

343. Official language of the Union	128
344. Commission and Committee of Parliament on official language	128

CHAPTER II—REGIONAL LANGUAGES

345. Official language or languages of a State	129
346. Official language for communication between one State and another or between a State and the Union	129
347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State	129

CHAPTER III—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, HIGH COURTS, ETC.

348. Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.	130
349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language	130

CHAPTER IV—SPECIAL DIRECTIVES

350. Language to be used in representations for redress of grievances	131
350 A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage	131
350 B. Special Officer for linguistic minorities	131
351. Directive for development of the Hindi language	131

अनुच्छेद		पृष्ठ संख्या
३३३	राज्यों की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	१२४
३३४	स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात् न रहेगा	१२४
३३५	सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के दावे	१२४
३३६	कतिपय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध	१२५
३३७	आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष उपबन्ध	१२५
३३८	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी	१२५
३३९	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण	१२६
३४०	पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की नियुक्ति	१२६
३४१	अनुसूचित जातियां	१२७
३४२	अनुसूचित आदिमजातियां	१२७

भाग १७

राजभाषा

अध्याय १—संघ की भाषा

३४३	संघ की राजभाषा	१२८
३४४	राजभाषा के लिये आयोग और संसद् की समिति	१२८

अध्याय २—प्रादेशिक भाषाएं

३४५	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं	१२९
३४६	एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा	१२९
३४७	किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	१२९

अध्याय ३—उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा

३४८	उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा	१३०
३४९	भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया	१३०

अध्याय ४—विशेष निवेश

३५०	व्यथा के निवारण के लिये अभ्यावेदन में प्रयोक्तव्य भाषा	१३१
३५०क	प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएं	१३१
३५०ख	भाषाजात अल्प संख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी	१३१
३५१	हिन्दी भाषा के विकास के लिये निवेश	१३१

PART XVIII**EMERGENCY PROVISIONS**

352.	Proclamation of Emergency	132
353.	Effect of Proclamation of Emergency	132
354.	Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation	133
355.	Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance	133
356.	Provisions in case of failure of constitutional machinery in States	133
357.	Exercise of legislative powers under Proclamation issued under article 356	134
358.	Suspension of provisions of article 19 during emergencies	135
359.	Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies	135
360.	Provisions as to financial emergency	135

PART XIX**MISCELLANEOUS**

361.	Protection of President and Governors and Rajpramukhs	137
362.	Rights and privileges of Rulers of Indian States	138
363.	Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc.	138
364.	Special provisions as to major ports and aerodromes	138
365.	Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union	139
366.	Definitions	139
367.	Interpretation	141

PART XX**AMENDMENT OF THE CONSTITUTION**

368.	Procedure for amendment of the Constitution	143
------	---	-----

PART XXI**TEMPORARY AND TRANSITIONAL PROVISIONS**

369.	Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List	144
370.	Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir	144
371.	Special provision with respect to the State of Andhra Pradesh, Punjab and Bombay	145

भाग १८

आपात-उपबन्ध

३५२	आपात की उद्घोषणा	१३२
३५३	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव	१३२
३५४	आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उप-बन्धों की प्रयुक्ति	१३३
३५५	बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य	१३३
३५६	राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध	१३३
३५७	अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी शक्तियों का प्रयोग	१३४
३५८	आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन	१३५
३५९	आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन	१३५
३६०	विस्तीय-आपात के बारे में उपबन्ध	१३५

भाग १९

प्रकीर्ण

३६१	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण	१३७
३६२	देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार	१३८
३६३	कतिपय संधियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन	१३८
३६४	महा-पत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध	१३८
३६५	संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुवर्तन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव	१३९
३६६	परिभाषाएं	१३९
३६७	निर्वाचन	१४१

भाग २०

संविधान का संशोधन

३६८	संविधान के संशोधन के लिये क्रिया	१४३
-----	----------------------------------	-----

भाग २१

अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध

३६९	राज्य-सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं	१४४
३७०	जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध	१४४
३७१	आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और मुम्बई राज्यों के विषय में विशेष उपबन्ध	१४५

ARTICLE	PAGE
372. Continuance in force of existing laws and their adaptation	146
372A. Power of the President to adapt laws	147
373. Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in certain cases	148
374. Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court or before His Majesty in Council	148
375. Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution	149
376. Provisions as to Judges of High Courts	149
377. Provisions as to Comptroller and Auditor General of India	149
378. Provisions as to Public Service Commissions	150
378A. Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly	150
379—391. [<i>Repealed.</i>]	150
392. Power of the President to remove difficulties.	150

PART XXII

SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND REPEALS

393. Short title	151
394. Commencement	151
395. Repeals	151

SCHEDULES

FIRST SCHEDULE—The States and the territories of India	152
SECOND SCHEDULE—	
PART A.—Provisions as to the President and the Governors of States	154
PART B.—[<i>Repealed.</i>]	154
PART C.—Provisions as to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People and the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of State	154
PART D.—Provisions as to the Judges of the Supreme Court and of the High Courts	155
PART E.—Provisions as to the Comptroller and Auditor-General of India	158
THIRD SCHEDULE—Forms of Oaths or Affirmations	159

अनुच्छेद		पृष्ठ संख्या
३७२	वर्तमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना तथा उनका अनुकूलन	१४६
३७२क	विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति	१४७
३७३	निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओं में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति	१४८
३७४	फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों के, तथा फेडरलन्यायालय में अथवा सपरिषद् सम्राट के, समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के बारे में उपबन्ध	१४८
३७५	संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना	१४९
३७६	उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध	१४९
३७७	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबन्ध	१४९
३७८	लोकसेवा-आयोग के बारे में उपबन्ध	१५०
३७८क	आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की अस्तित्वावधि के बारे में उपबन्ध	१५०
३७९—३९१	[निरसित]	१५०
३९२	कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति	१५०

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

३९३	संक्षिप्त नाम	१५१
३९४	प्रारम्भ	१५१
३९५	निरसन	१५१

अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची—	भारत के राज्य और राज्य-क्षेत्र	१५२
द्वितीय अनुसूची—		
	भाग (क) राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध	१५४
	भाग (ख)—[निरसित]	१५४
	भाग (ग)—लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध	१५४
	भाग (घ)—उच्चतमन्यायालय तथा उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध	१५५
	भाग (ङ)—भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध	१५८
तृतीय अनुसूची—	शापथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र	१५९

	PAGES
FOURTH SCHEDULE—Allocation of seats in the Council of States	161
FIFTH SCHEDULE—Provisions as to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes	162
PART A.—General	162
PART B.—Administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes	162
PART C.—Scheduled Areas	163
PART D.—Amendment of the Schedule	164
SIXTH SCHEDULE—Provisions as to the administration of Tribal Areas in Assam	165
SEVENTH SCHEDULE—	
LIST I—Union List	175
LIST II—State List	180
LIST III—Concurrent Lis.	184
EIGHTH SCHEDULE—Languages	187
NINTH SCHEDULE—Validation of certain Acts and Regulations	188

	पृष्ठ संख्या
चतुर्थ अनुसूची—राज्य-सभा में के स्थानों का बंटवारा	१६१
पंचम अनुसूची—अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध	१६२
भाग (क)—साधारण	१६२
भाग (ख)—अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन और नियंत्रण	१६२
भाग (ग)—अनुसूचित क्षेत्र	१६३
भाग (घ)—अनुसूची का संशोधन	१६४
षष्ठ अनुसूची—आसाम में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध	१६५
सप्तम अनुसूची—	
सूची १.—संघ सूची	१७५
सूची २.—राज्य सूची	१८०
सूची ३.—समवर्ती सूची	१८४
अष्टम अनुसूची—भाषाएं	१८७
नवम अनुसूची—कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण	१८८

THE CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के समस्त नागरिकों को :

प्रस्तावना

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा
में आज तारीख २६ नवम्बर, १९४९ ई० (मिति
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी)
को एतद्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित
और अात्मार्पित करते हैं ।

PART I

THE UNION AND ITS TERRITORY

- Name and territory of the Union.** 1. (1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.
- ¹[(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.]
- (3) The territory of India shall comprise—
- (a) the territories of the States;
- ²[(b) the Union territories specified in the First Schedule; and]
- (c) such other territories as may be acquired.
- Admission or establishment of new States.** 2. Parliament may by law admit into the Union, or establish new States on such terms and conditions as it thinks fit.
- Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.** 3. Parliament may by law—
- (a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State ;
- (b) increase the area of any State ;
- (c) diminish the area of any State ;
- (d) alter the boundaries of any State ;
- (e) alter the name of any State ;

³[Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States * * * the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired.]⁵

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 2, for the original cl. (2).

²Subs. for the original sub-clause (b), *ibid.*

³Subs. by the Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955, for the original proviso.

⁴The words and letter "specified in part A or part B of the first Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

⁵In its application to the State of Jammu and Kashmir the following further proviso shall be added to art. 3:—

"Provided further that no bill providing for increasing or diminishing the area of the State of Jammu and Kashmir or altering that name or boundary of that State shall be introduced in Parliament without the consent of the Legislature of that State."

भाग १

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

१. (१) भारत, अर्थात् इण्डिया, राज्यों का संघ होगा।

संघ का नाम और

१[(२) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में राज्य-क्षेत्र उल्लिखित हैं]

(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में—

(क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र,

२[(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य-क्षेत्र, तथा]

(ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अर्जित किये जायें,

समाविष्ट होंगे।

२. संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

नये राज्यों का प्रवेश, या स्थापना

३. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी ;

नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी,

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी,

(ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी,

३[परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना तथा जहाँ विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव * * * राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता हो वहाँ जब तक कि उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी कालावधि के अन्दर, जैसी कि निर्देश में उल्लिखित की जाये या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अन्दर, जैसी कि राष्ट्रपति समनुज्ञात करे, प्रकट किये जाने के लिये राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित न कर दिया गया हो और उस प्रकार उल्लिखित या समनुज्ञात कालावधि समाप्त न हो गयी हो संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायेगा।]६

१संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा मूल खंड (२) के स्थान पर रखा गया।

२उपरोक्त के ही द्वारा मूल उपखंड (ख) के स्थान पर रखा गया।

३संविधान (पंचम संशोधन) अधिनियम, १९५६ द्वारा मूल परन्तुक के स्थान पर रखा गया।

४“प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित” शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

५जम्मू तथा कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३ में निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ दिया जायेगा अर्थात् —

“परन्तु यह और भी कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने या उस राज्य के नाम या सीमा को बदलने के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक उस राज्य के विधान मंडल की सम्पत्ति के बिना संसद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा।”

Part I.—The Union and its Territory.—Art. 4.

Laws made under articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters.

4. (1) Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provisions for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to representation in Parliament and in the Legislature or Legislatures of the State or States affected by such law) as Parliament may deem necessary.

(2) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

भाग १—संघ और उसका राज्य-क्षेत्र—अनु० ४

४. (१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और अतुल्यगिक उपबन्ध (जिन के अन्तर्गत ऐसी विधि स प्रभाविन राज्य या राज्यों के, संसद् या विधान-मंडल या विधान-मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध भी हैं) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद् आवश्यक समझे ।

प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, प्रासंगिक और अतुल्यगिक विधियों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधियां

(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी ।

PART II

CITIZENSHIP

Citizenship at the commencement of the Constitution.

5. At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and—

- (a) who was born in the territory of India ; or
- (b) either of whose parents was born in the territory of India ; or
- (c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement,

shall be a citizen of India.

Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.

6. Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if—

- (a) he or either of his parents or any of his grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted) ; and
- (b)(i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or
- (ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:

Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.

7. Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India :

¹This Part shall be deemed to have been applicable in relation to the State of Jammu and Kashmir as from the 26th day of January, 1950.

भाग २^१

नागरिकता

५. इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है, तथा—

- (क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, अथवा
- (ख) जिस के जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, अथवा
- (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

६. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा—

(क) यदि वह अथवा उस के जनकों में से कोई अथवा उस के महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधिनियम, १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा

(ख) (१) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथवा

(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन्, १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन या उस के पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहिले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छः महीने भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो वह इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा।

७. अनुच्छेद ५ और ६ में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा।

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में यह भाग २६ जनवरी, १९५० से लागू समझा जायेगा।

इस संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर आये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों में से कुछ के नागरिकता के अधिकार

Part II.—Citizenship.—Arts. 7—11.

Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July, 1948.¹

Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.

8. Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens.

9. No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Continuance of the rights of citizenship.

10. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Parliament to regulate the right of citizenship by law.

11. Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir the following further proviso shall be added to art. 7 :—

“Provided further that nothing in this article shall apply to a permanent resident of the State of Jammu and Kashmir who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, returns to the territory of that State under a permit for resettlement in that State or permanent return issued by or under the authority of any law made by the Legislature of that State and every such person shall be deemed to be a citizen of India.”

भाग २—नागरिकता—अनु० ७—११

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिये किसी विधि के प्राधिकार के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्य-क्षेत्र को १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन के पश्चात् प्रव्रजन करने वाला समझा जायेगा।¹

८. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति, जो या जिस के जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधिनियम, १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारंभ से पहिले या बाद दिये जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है।

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

९. यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक न होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।

विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति नागरिक न होंगे

१०. प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जो संसद् द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा।

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

११. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

संसद् विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी

¹ जम्मू तथा काश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ७ में निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू तथा काश्मीर राज्य के ऐसे स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात् उस राज्य के राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिये उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के प्राधिकार के द्वारा या अधीन दी गयी है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जायेगा।”

PART III

FUNDAMENTAL RIGHTS

General

Definition.

12. In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights.

13. (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.

(3) In this article, unless the context otherwise requires,—

(a) "law" includes any Ordinance, order, byelaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law;

(b) "laws in force" includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas.

Right to Equality

Equality before law.

14. The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

15. (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to—

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment ; or

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 13, references to the commencement of Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, i. e., the 14th day of May, 1954.

भाग ३

मूल अधिकार

साधारण

१२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, भी हैं।

परिभाषा

१३. (१) इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में—

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अघ्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रुढ़ि अथवा प्रथा "विधि" के अन्तर्गत होगी ;

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में न भी हो, "प्रवृत्त विधियों" के अन्तर्गत होगी।

समता-अधिकार

१४. भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा।

विधि के समक्ष समता

१५. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधारपर विभेद का प्रतिषेध

* (२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक—

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के, अथवा

^१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद १३ में संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जायेगा मानो कि वे संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के प्रारंभ अर्थात् १४ मई, १९५४ के प्रति निर्देश हैं।

THE CONSTITUTION OF INDIA

Part III.— Fundamental Rights.—Arts. 15—17.

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

¹[(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.]²

Equality of opportunity in matters of public employment.

16. (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

³(3) Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office ⁴[under the Government of, or any local or other authority within, a State or Union territory, any requirement as to residence within that State or Union territory] prior to such employment or appointment.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.

(5) Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination.

Abolition of Untouchability.

17. "Untouchability" is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of "Untouchability" shall be an offence punishable in accordance with law.

¹Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 2.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, reference to Scheduled Tribes in cl. (4) of art. 15 shall be omitted.

³In cl. (3) of art. 16, the reference to the State shall be construed as not including a reference to the State of Jammu and Kashmir.

⁴Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "under any State specified in the First Schedule or any local or other authority within its territory, any requirement as to residence within that State".

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० १५-१७

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुम्भों, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बन्धन अथवा शर्त के अधीन न होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।

¹[(४) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद २६ के खंड (२) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिभजातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी]²

१६. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।

राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

³(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो ⁴[किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी या पद पर नियुक्ति के विषय में बैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के अंदर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।]

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन संघागों में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।

१७. “अस्पृश्यता” का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अन्त आचरण निषिद्ध किया जाता है। “अस्पृश्यता” से उपजी किसी नियोग्यता को लागू अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

¹संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा २, द्वारा अन्तःस्थापित।

²जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद १५ के खंड (४) में अनुसूचित आदिभजातियों के प्रति निर्देश लुप्त कर दिया जायेगा।

³अनुच्छेद १६ के खंड (३) में राज्य के प्रति निर्देश का ऐसे प्रर्थ किया जायेगा मानो कि उसके अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश न हो।

⁴संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा “प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उसके राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में बैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अंदर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो” शब्दों के स्थान पर रखे गये।

Part III.—Fundamental Rights.—Arts. 18—19.

Abolition of titles.

18. (1) No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State.

(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.

(3) No person, who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State.

(4) No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State.

Right to Freedom

Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

19. (1) All citizens shall have the right—

- (a) to freedom of speech and expression ;
- (b) to assemble peaceably and without arms ;
- (c) to form associations or unions ;
- (d) to move freely throughout the territory of India ;
- (e) to reside and settle in any part of the territory of India ;
- (f) to acquire, hold and dispose of property ; and
- (g) to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

²[(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.]

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, for a period of five years from the 14th May, 1954 art. 19 shall be subject to the following modifications :—

- “(i) in clauses (3) and (4), after the words “in the interests of”, the words “the security of the State or” shall be inserted;
- (ii) in clause (5), for the words “or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe”, the words “or in the interests of the security of the State” shall be substituted; and
- (iii) the following new clause shall be added, namely:—

“(7) The words “reasonable restrictions” occurring in clauses (2), (3), (4) and (5) shall be construed as meaning such restrictions as the appropriate Legislature deems reasonable.”

²Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 3, for the original cl. (2) with retrospective effect.

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० १८-१९

१८. (१) सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य खिताबों का अन्त प्रदान नहीं करेगा।

(२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा।

(३) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा।

(४) राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या के अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा।

स्वातन्त्र्य-अधिकार

१९. (१) सब नागरिकों को—

- (क) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का,
- (ख) शान्ति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,
- (ग) संस्था या संघ बनाने का,
- (घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,
- (ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का,
- (च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा
- (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,

वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

अधिकार होगा।

२[(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मंत्रौपूण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में या न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य को लिये कोई रुकावट, न डालेगी।]

३जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में १४ मई, १९५४ से पांच वर्ष की कालावधि के लिये अनुच्छेद १९ निम्नलिखित रूपभेदों के अध्यधीन होगा, अर्थात्—

- “(१) खंड (३) और (४) में, “अधिकार के प्रयोग पर” शब्दों के पर्याय “राज्य की सुरक्षा या” शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे,
- (२) खंड (५) में, “के अथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति के हितों के संरक्षण के लिये” शब्दों के स्थान पर “अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों में” शब्द रख दिये जायेंगे, और
- (३) निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

(७) खंड (२), (३), (४) और (५) में आने वाले “युक्तियुक्त निर्बंधन” शब्दों का अर्थ ऐसे किया जायेगा कि वे ऐसे निर्बंधन हैं जैसे कि समुचित विधान-मंडल युक्तियुक्त समझता है।”

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ३ द्वारा मूल खंड (२) के स्थान पर (भूतलक्षी प्रभाव से) रखा गया।

Part III.—Fundamental Rights.—Arts. 19—21.

(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.

(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause.

(5) Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.

(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, [nothing in the said sub-clause, shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—

- (i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
- (ii) the carrying on by the State or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.]

Protection in respect of conviction for offences.

20. (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.

(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.

(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.

Protection of life and personal liberty.

21. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

भारत का संविधान

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० १६—२१

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बंधन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी ; तथा विशेषतः^१[उक्त उपखंड की कोई बात - -

- (१) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक अर्हताओं में, या
- (२) राज्य के द्वारा अथवा राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन बाल निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या आंशिक अपवर्जन करके या अन्यथा चलाने में,

जहां तक कोई वर्तमान विधि संबंध रखती है वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिए रुकावट, न डालेगी]

२०. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।

(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित न किया जायेगा।

(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेगा।

२१. किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार दंडित न किया जायेगा।

अपराधों के लिये दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण

प्राण और दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण

^१संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ३ द्वारा कुछ मूल शब्दों के स्थान पर रखा गया।

Part III.—Fundamental Rights.—Art. 22.

Protection against arrest and detention in certain cases.

22. (1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—

(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or

(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

¹(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—

(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention;

Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7) ; or

(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under sub-clauses (a) and (b) of clause (7).

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.

(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.

¹(7) Parliament may by law prescribe—

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in cls. (4) and (7) of art. 22 for the word 'Parliament', substitute 'the Legislature of the State'.

भाग ३—मूल धारा १ कार—अनु० २२

२२. (१) कोई व्यक्ति, जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा।

कुछ प्रवस्थाओं में बन्दीकरण और निरोध से संरक्षण

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरण से चौबीस घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा।

(३) खंड (१) और (२) में की कोई बात—

(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्वदेशीय है उसको, अथवा

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको,

लागू न होगी।

¹(४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों में, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की ग्रहंता रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी राय में पर्याप्त कारण हैं :

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (७) के उपखंड (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है ; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है।

(५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है उन को बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीघ्राति-शीघ्र अवसर देगा।

(६) खंड (५) की किसी बात से ऐसा आदेश, जसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है, देने वाले प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन का कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

¹(७) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि—

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा ;

¹जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २२ के खंड (४) में "संसद्" शब्द के स्थान पर "राज्य विधान-मंडल" शब्द रख दीजिये।

Part III—Fundamental Rights.—Arts. 22—26.

- (b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and
- (c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

Right against Exploitation

Prohibition of traffic in human beings and forced labour.

23. (1) Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.

Prohibition of employment of children in factories, etc.

24. No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.

Right to Freedom of Religion

Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.

25. (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—

- (a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;
- (b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

Explanation I.—The wearing and carrying of *kirpans* shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.

Explanation II.—In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

Freedom to manage religious affairs.

26. Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—

- (a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;
- (b) to manage its own affairs in matters of religion;
- (c) to own and acquire movable and immovable property; and
- (d) to administer such property in accordance with law.

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २२—२६

- (ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा ; तथा
- (ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी ।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

२३. (१) मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

मानव के पण्य और बलातश्रम का प्रतिषेध

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी । ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इन में से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा ।

२४. चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा ।

कारखानों आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध

धर्म-स्वातंत्र्य का अधिकार

२५. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों की, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा ।

अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो—

- (क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो ;
- (ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती हो ।

व्याख्या १.—कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा ।

व्याख्या २.—खंड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू धर्म-संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूल ही किया जायेगा ।

२६. सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उस के किसी विभाग को—

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

- (क) धार्मिक और पूर्त-प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,
- (ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करने का,
- (ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, तथा
- (घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का,

अधिकार होगा ।

Part III.—Fundamental Rights.—Arts. 27—31.

Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion.

27. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions.

28. (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.

(3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

Cultural and Educational Rights

Protection of interests of minorities.

29. (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Right of minorities to establish and administer educational institutions.

30. (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

Right to Property

Compulsory acquisition of property.

31. (1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 31, cls. (3), (4) and (6) shall be omitted and for cl. (5) the following clause shall be substituted, namely:—

“(5) Nothing in clause (2) shall affect—

(a) the provisions of any existing law; or

(b) the provisions of any law which the State may hereafter make—

(i) for the purpose of imposing or levying any tax or penalty; or

(ii) for the promotion of public health or the prevention of danger to life or property; or

(iii) with respect to property declared by law to be evacuee property.”

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २७—३१

२७. कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा जिनका प्रागम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हों।

किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में स्वतंत्रता

२८. (१) राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी।

कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता

(२) खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा-संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी ऐसे धर्म-स्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो तो उस के संरक्षक ने, इसके लिये अपनी सम्मति न दे दी हो।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

२९. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसका किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा।

३०. (१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी हचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

सम्पत्ति का अधिकार

३१. (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन

'जम्मू और काश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३१ में खंड (३), (४) और (६) लप्त कर दिये जायेंगे और खंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्—

“(५) खंड (२) की किसी बात से—

(क) किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, या

(ख) एतत्पश्चात् राज्य जो कोई विधि—

(१) किसी कर या अर्थदण्ड के उद्ग्रहण या आरोपण के प्रयोजन के लिए, या

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति या प्राण या सम्पत्ति के संकट निवारण के लिए,

(३) उस सम्पत्ति के लिए, जो विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई है

बनाए उसके उपबन्धों पर,

प्रभाव नहीं होगा।”

Part III.—Fundamental Rights.—Art. 31.

¹[(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given; and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate.

(2A) Where a law does not provide for the transfer of the ownership or right to possession of any property to the State or to a corporation owned or controlled by the State, it shall not be deemed to provide for the compulsory acquisition or requisitioning of property, notwithstanding that it deprives any person of his property.]

(3) No such law as is referred to in clause (2) made by the Legislature of a State shall have effect unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

(4) If any Bill pending at the commencement of this Constitution in the Legislature of a State has, after it has been passed by such Legislature, been reserved for the consideration of the President and has received his assent, then, notwithstanding anything in this Constitution, the law so assented to shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2).

(5) Nothing in clause (2) shall affect—

(a) the provisions of any existing law other than a law to which the provisions of clause (6) apply, or

(b) the provisions of any law which the State may hereafter make—

(i) for the purpose of imposing or levying any tax or penalty, or

(ii) for the promotion of public health or the prevention of danger to life or property, or

(iii) in pursuance of any agreement entered into between the Government of the Dominion of India or the Government of India and the Government of any other country, or otherwise, with respect to property declared by law to be evacuee property.

¹Subs. by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955.

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० ३१

¹[(२) कोई सम्पत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के सिवाय, और ऐसी किसी विधि के, जो इस प्रकार अर्जित या अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर के लिये उपबन्ध करती है और या तो प्रतिकर की राशि को नियत करती है या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख करती है जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है, प्राधिकार के सिवाय अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत न की जाएगी ; और किसी ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उस विधि द्वारा उपबन्धित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है।

(२क) जहां किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के या कब्जा रखने के अधिकार का हस्तान्तरण राज्य या ऐसे किसी निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, करने के लिये उपबन्ध विधि नहीं करती है वहां इस बात के होते हुए भी कि वह किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित करती है उसकी बाबत यह न समझा जायेगा कि वह सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिये उपबन्ध करती है।]

(३) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जैसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उस की अनुमति न मिल गई हो।

(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधान-मंडल के सामने किसी लम्बित-विधेयक को, ऐसे विधान मंडल द्वारा पारित किये जाने के पश्चात्, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किया जाता है तथा उस की अनुमति मिल जाती है तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार अनुमत विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है।

(५) खंड (२) की किसी बात से—

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर, जिस पर कि खंड (६) के उपबन्ध लागू होते हैं, किसी अन्य वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा

(ख) एतत्पश्चात् राज्य जो कोई विधि—

(१) किसी कर या अर्थ-दण्ड के आरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोग जन के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण के लिये बनाये गये उस के उपबन्धों पर, अथवा

(३) भारत डोमोनियन की अथवा भारत की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच किये गये करार के अनुसरण में, अथवा अन्यथा, उस सम्पत्ति के लिये बनाये जो विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस के उपबन्धों पर,

भाव नहीं होगा।

¹संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५, धारा २ द्वारा प्रस्थापित किया गया।

Part III.—Fundamental Rights.—Arts. 31—31A.

(6) Any law of the State enacted not more than eighteen months before the commencement of this Constitution may within three months from such commencement be submitted to the President for his certification; and thereupon, if the President by public notification so certifies, it shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2) of this article or has contravened the provisions of sub-section (2) of section 299 of the Government of India Act, 1935.

Saving of laws providing for acquisition of estates, etc.

¹[31A. ²(1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—

- (a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or
- (b) the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or
- (c) the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations, or
- (d) the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or
- (e) the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence,

shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14, article 19 or article 31:

Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.]

¹Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951 s. 4 (with retrospective effect).

²Subs. by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 3 (with retrospective effect).

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० ३१—३१क

(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से अठारह महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि लोक-अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता है तो किसी न्यायालय में उस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन-अधिनियम, १९३५ की धारा २६६ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन कर चुकी है।

१[३१क. २[(१) अनुच्छेद १३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

- (क) किसी सम्पदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या रूपभेदन के लिए, या
- (ख) किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध या तो लोक हित में या उस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा मर्यादित कालावधि के लिये ले लिये जाने के लिये, या
- (ग) दो या अधिक निगमों को या तो लोक हित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से समामेलित करने के लिए, या
- (घ) निगमों के प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों, निदेशकों या प्रबन्धकों के किन्हीं अधिकारों के या अंशधारियों के किन्हीं मतदान अधिकारों को निर्वापन या रूपभेदन के लिए, या
- (ङ) किसी खनिज या खनिज तैल को खोजने या लब्ध करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के बल पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या रूपभेदन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पूर्व पर्यवस्त करने या प्रतिसंहृत करने के लिए,

सम्पदाओं आदि के अर्जन के लिये उप-बन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

उपबन्ध करने वाली विधि की बाबत इस कारण कि वह अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १९ या अनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसको छीनती या न्यून करती है यह न समझा जायेगा कि वह शून्य है ;

परन्तु जहां कि ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि है वहां जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो गई हो, इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस विधि के संबंध में लागू नहीं होंगे।]

^१संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ४ द्वारा (भूतलसी प्रभाव के अन्तःस्थापित किया गया।

^२संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५, धारा ३ द्वारा (भूतलसी प्रभाव से) प्रतिस्थापित किया गया।

Part III.—Fundamental Rights.—Arts. 31A—31B.

(2) In this article,—

¹[(a) the expression “estate” shall, in relation to any local area, have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area, and shall also include any *jagir*, *inam* or *muafi* or other similar grant ²[and in the States of Madras and ³[Kerala], any *janmam* right] ;

(b) the expression “rights”, in relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure-holder ²[*raiyat*, *under-raiyat*] or other intermediary and any rights or privileges in respect of land revenue.]

Validation of certain Acts and Regulations.

⁴[31B. Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.]

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, the proviso to cl. (1) of art. 31A shall be omitted; and for sub-clause (a) of cl. (2) thereof, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(a) “estate” shall mean land which is occupied or has been let for agricultural purposes or for purposes subservient to agriculture or for pasture, and includes—

(i) sites of buildings and other structures on such land ;

(ii) trees standing on such land;

(iii) forest land and wooded waste ;

(iv) area covered by or fields floating over water;

(v) sites of *jandars* and *gharats*;

(vi) any *jagir*, *inam*, *muafi* or *mukarrari* or other similar grant, but does not include—

(i) the site of any building in any town, or town area or village *abadi* or any land appurtenant to any such building or site ;

(ii) any land which is occupied as the site of a town or village ; or

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० ३१क—३२ख

(२) इस अनुच्छेद में—

^१[(क) "सम्पदा" पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो कि उस या उसकी स्थानीय समतुल्य अभिव्यक्ति का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों से सम्बद्ध वस्तुमान विधि में है और उसके अन्तर्गत कोई जागीर, इनाम या मुआफ़ी अथवा अन्य समान प्रकार का अनुदान ^२[और मद्रास और ^३केरल] राज्यों में कोई जनमम अधिकार भी होगा]

(ख) "अधिकार" पद के अन्तर्गत किसी सम्पदा के संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अपर स्वत्वधारी भूधृतिधारी, रय्यत, अवर-रय्यत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के बारे में कोई अधिकार या विशेषाधिकार भी होंगे।]

^४[३१ख. अनुच्छेद ३१ क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न तो नवम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों में से और न उनके उपबन्धों में से किसी की बाबत इस कारण कि ऐसा अधिनियम, विनियम या उपबन्ध इस भाग के किन्हीं उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसको छीन लेता है या न्यून करता है यह न समझा जायेगा कि वह शून्य है या कभी शून्य हो गया था और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, आज्ञापित या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान-मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, निरन्तर प्रवृत्त रहेगा।]

कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण

^१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३१ क के खंड (१) का परन्तुक लुप्त कर दिया जाएगा; और उसके खंड (२) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाएगा, अर्थात्—

“(क) “सम्पदा” से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषिक प्रयोजनों के लिये या कृषि साध्य प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए पट्टे पर दी गयी है या दखलकृत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्—

- (१) भवनों के आस्थान और ऐसी भूमि पर अन्य निर्माण,
- (२) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष,
- (३) वन भूमि और बन्य बंजर भूमि,
- (४) जलाच्छादित क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत,
- (५) जंड़ेर और घरात स्थान,
- (६) कोई जागीर, इनाम, मुआफ़ी या मुकररी या इसी प्रकार का अन्य अनुदान, किन्तु—

- (१) किसी नगर, या नगर क्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन आस्थान या किसी ऐसे भवन या आस्थान से अनुलग्न कोई भूमि,
- (२) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के लिए आस्थान के रूप में दखलकृत है, या

Part III.—Fundamental Rights.—Arts. 32—34.

Right to Constitutional Remedies

Remedies for enforcement of rights conferred by this Part.

32. (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.

⁵(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).

(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

Power to Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to forces.

33. Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to the members of the Armed Forces or the Forces charged with the maintenance of public order, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.

Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.

34. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

(iii) any land reserved for building purposes in a municipality or notified area or cantonment or town area or any area for which a town planning scheme is sanctioned.

⁶Ins. by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 3 (with retrospective effect).

⁷Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "Travancore Cochin".

⁸Ins. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 5.

⁹In its application to the State of Jammu and Kashmir, cl. (3) of art. 32 shall be omitted and after cl. (2), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(2A) Without prejudice to the powers conferred by clauses (1) and (2), the High Court shall have power throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government within those territories, directions or orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part."

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० ३२-३४

सांविधानिक उपचारों के अधिकार

३२. (१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये इस भाग द्वारा उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित प्रत्याभूत किया जाता है।

(२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बन्दी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हों, निकालने की शक्ति होगी।

^१(३) उच्चतमन्यायालय को खंड (१) और (२) द्वारा दी गई शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, संसद् विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतमन्यायालय द्वारा खंड (२) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी।

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित न किया जायेगा।

३३. संसद् विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सहाय्य बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाये ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना मुनिश्चित रहे।

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों के लिये प्रयुक्ति को अवस्था में, रूप-भेद करने की संसद् की शक्ति जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों पर निर्बन्धन

३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा मंच या राज्य की सेवा में के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उसने भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सेना-विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थापन के संबंध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी दिये गये दंडादेश, किये गये दंड, आदेश की हुई जल्दी, अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी।

(३) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या कटक या नगरक्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर रचना योजना मंजूर है, भवन निर्माण प्रयोजनों के लिये रक्षित कोई भूमि,

इसके अन्तर्गत नहीं है।^१

^१संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५, धारा ३ द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव ने) अन्तःस्थापित किया गया।

^२संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा "तिरुवांकुर कोचीन" के स्थान पर रखा गया।

^३संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ५ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

^४जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३२ का खंड (३) लुप्त कर दिया जाएगा; और खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(२क) खंड (१) और (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च-न्यायालय को ऐसे राज्य-क्षेत्रों में, जिन के संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित अवस्थाओं में, जिसके अन्तर्गत उन राज्य-क्षेत्रों के अन्दर कोई सरकार भी है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किन्हीं के प्रवर्तित कराने के लिए, निदेश या आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत बन्दी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण-लेख के समान लेख भी है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी।”

Part III.—Fundamental Rights.—Art. 35.

Legislation to give effect to the provisions of this part.

135. Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws—

(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament ; and

(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part ;

and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in sub-clause (ii) ;

(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 35—

(i) references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 (14th May, 1954);

(ii) in cl. (a) (i), the words, figures and brackets "clause (3) of article 16, clause (3) of article 32" shall be omitted; and

(iii) after cl. (b), the following clause shall be added, namely:—

"(c) no law with respect to preventive detention made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir, whether before or after the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, shall be void on the ground that it is inconsistent with any of the provisions of this Part, but any such law shall, to the extent of such inconsistency, cease to have effect on the expiration of five years from the commencement of the said Order except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof".

भाग ३—मूल अधिकार—अनु०—३५

¹ ३५. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

इस भाग के उप-
बन्धों को प्रभावी
करने के लिये
विधान

(क) संसद् को शक्ति होगी तथा किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति न होगी कि वह—

(i) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३) अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिये, तथा

(ii) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दंड विहित करने के लिये,

विधि बनाये तथा संसद् इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिये, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिये विधि बनायेगी ।

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये दंड का उपबन्ध करने वाली, कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत राज्य-क्षेत्र में इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी, उस में दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये गये किन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि वह संसद् द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न की जाये ।

¹ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३५ में—

(१) संविधान के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि वे संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के प्रारम्भ (१४ मई, १९५४) के प्रति निर्देश हैं,

(२) खंड (क) (i) में “अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३२ के खंड (३)” शब्द, अंक और कोष्ठक लुप्त कर दिये जायेंगे, और

(३) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्—

“(ग) जम्मू और कश्मीर के विधान-मंडल द्वारा चाहे संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के पूर्व या पश्चात् निर्मित निवारक निरोध के बारे में कोई विधि केवल इस कारण कि वह इस भाग के उपबन्धों में से किसी से असंगत है शून्य नहीं होगी, किन्तु ऐसी कोई विधि ऐसी असंगति की सीमा तक, उक्त आदेश के प्रारम्भ से पांच वर्ष के अवसान पर अपने अवसान से पूर्व की गयी या न की गयी बातों के संबंध में के सिवाय प्रभाव न रखेगी ।”

Part III.—Fundamental Rights.—Art. 35.

Explanation.—In this article, the expression “law in force” has the same meaning as in article 372.¹

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, after art. 35, the following new article shall be inserted, namely:—

Saving of laws with respect to permanent residents and their rights. “35A. Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State,—

- (a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir, or
- (b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—
 - (i) employment under the State Government;
 - (ii) acquisition of immovable property in the State;
 - (iii) settlement in the State; or
 - (iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,

shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or bridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this Part.”

भाग ३—मूल अधिकार—अनु०—३५.

व्याख्या.—“प्रवृत्त विधि” पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के अनुच्छेद ३७२ में है वही इस अनुच्छेद में भी होगा।¹

¹जम्मू और कश्मीर राज्य को इसके लागू होने में अनुच्छेद ३५ के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“३५क. इस संविधान में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जम्मू और कश्मीर राज्य में—

- (क) उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करने वाली, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं, या होंगे, या
- (ख) (i) राज्य सरकार के अधीन नौकरी,
(ii) राज्य में स्थावर सम्पत्ति के अर्जन,
(iii) राज्य में बस जाने, या
(iv) छात्र वृत्तियों और, ऐसे अन्य रूपों की सहायता के, जैसे कि राज्य सरकार उपबन्धित करे, अधिकार

स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों विषयक विधियों की व्यावृत्ति

विषयक कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार ऐसे स्थायी निवासियों को प्रदत्त करने या कोई निबन्धन अन्य व्यक्तियों पर अधिरोपित करने वाली,

कोई वर्तमान प्रवृत्त विधि या राज्य के विधान मंडल द्वारा एतत्पश्चात् अधिनियमित कोई विधि इस आधार पर शून्य न होगी कि जो कोई अधिकारी भारत के अन्य नागरिकों को इस भाग के किसी उपबन्ध द्वारा प्रदत्त है, वह उन से असंगत है या उन को छीनती है या न्यून करती है।”

PART IV¹

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY

- Definition.** 36. In this Part, unless the context otherwise requires, 'the State' has the same meaning as in Part III.
- Application of the principles contained in this part.** 37. The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
- State to secure a social order for the promotion of welfare of the people.** 38. The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.
- Certain principles of policy to be followed by the State.** 39. The State shall, in particular, direct its policy towards securing—
- (a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;
 - (b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ;
 - (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;
 - (d) that there is equal pay for equal work for both men and women ;
 - (e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength ;
 - (f) that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.
- Organisation of village panchayats.** 40. The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.
- Right to work, to education and to public assistance in certain cases.** 41. The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.
- Provision for just and humane conditions of work and maternity relief.** 42. The State shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है ।

३७. इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इनमें दिये हुए तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा ।

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।

३९. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

- (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;
- (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;
- (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो ;
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो ;
- (ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश हो कर नागरिकों को ऐसे रेजिगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों ;
- (च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो ।

४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अप्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों ।

४१. राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और भ्रंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा ।

४२. राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबन्ध करेगा ।

परिभाषा

इस भाग में बर्णित तत्त्वों की प्रयुक्ति

लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा

राज्य द्वारा अनु-सरणीय कुछ नीति-तत्व

ग्राम-पंचायतों का संघटन

कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार

काम की न्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति-सहायता का उपबन्ध

जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा ।

*Part. IV—Directive Principles of State Policy.—
Arts. 43—49.*

Living wage, etc.
for workers.

43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

Uniform civil code
for the citizens.

44. The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Provision for free
and compulsory
education for
children.

45. The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

Promotion of edu-
cational and
economic inter-
ests of Scheduled
Castes, Schedul-
ed Tribes and
other weaker
sections.

46. The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

Duty of the State
to raise the level
of nutrition and
the standard of
living and to
improve public
health.

47. The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

Organisation of
agriculture and
animal husband-
ry.

48. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

Protection of
monuments and
places of
national
importance.

49. It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, ¹[declared by or under law made by Parliament] to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law".

भाग ४—राज्य की नीति के निदेशक तत्व—अनु० ४३—४६

४३. उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि

४४. भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा :

नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता

४५. राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।

बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध

४६. राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा ।

अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति

४७. राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर ओषधियों के ओषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।

आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

४८. राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उनके बंध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा ।

कृषि और पशुपालन का संघटन

४९. ^१ [संसद् द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित] कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या चीज का यथास्थिति लुठान, विरूपण, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का प्रभार होगा ।

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण

^१संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६ द्वारा २७ द्वारा "संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित" के स्थान पर रखे गये ।

*Part IV.—Directive Principles of State Policy.—
Arts. 50—51.*

Separation of judiciary from executive.

50. The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.

Promotion of international peace and security.

51. The State shall endeavour to—

- (a) promote international peace and security ;
- (b) maintain just and honourable relations between nations ;
- (c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another ; and
- (d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

भाग ४—राज्य की नीति के निबेशक तत्त्व—अनु० ५०—५१.

५०. राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिये राज्य अप्रसर होगा ।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

५१. राज्य—

अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति

- (क) अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का,
- (ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तराष्ट्रीय विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का, तथा
- (घ) अन्तराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का,

प्रयास करेगा ।

PART V

THE UNION

CHAPTER I.—THE EXECUTIVE

The President and Vice-President

The President
India.

52. There shall be a President of India.

Executive power
of the Union.

53. (1) The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.

(3) Nothing in this article shall—

- (a) be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the Government of any State or other authority ; or
- (b) prevent Parliament from conferring by law functions on authorities other than the President.

Election
President. of

¹54. The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—

- (a) the elected members of both Houses of Parliament ; and
- (b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

Manner of elec-
tion of President.

¹55. (1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

(2) For the purpose of securing such uniformity among the States *inter se* as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner :—

- (a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of the State by the total number of the elected members of the Assembly ;

¹In their application to the State of Jammu and Kashmir, in arts. 54 and 55, references to the elected members of the House of the People and to each such member shall include references to the representatives of the State of Jammu and Kashmir in that House; and the population of the State shall be deemed to be forty-four lakhs and ten thousand.

भाग ५

संघ

अध्याय १ — कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

५२. भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।

भारत का
राष्ट्रपति

५३. (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा ।

संघ की कार्य-
पालिका शक्ति

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले संघ के प्रतिरक्षा-बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से विनियमित होगा ।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य की सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे ; अथवा

(ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् को बाध नहीं होगी ।

५४. राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें—

राष्ट्रपति का
निर्वाचन

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तथा

(ख) राज्यों की विधान-सभओं के निर्वाचित सदस्य, होंगे ।

५५. (१) जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एकसे मापमान से होगा ।

राष्ट्रपति के
निर्वाचन की
रीति

(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसद् तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हक्कदार है उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार से निर्धारित की जायेगी—

(क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की जन संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये ;

¹ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ५४ और ५५ में लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति और प्रत्येक ऐसे सदस्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत उस सदन में जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रतिनिधियों के प्रति निर्देश होंगे ; और राज्य की जनसंख्या चवालीस लाख दस हजार समझी जायेगी ।

Part V.—The Union.—Arts. 55—58.

- (b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one ;
- (c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding one-half being counted as one and other fractions being disregarded.

(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

Explanation.—In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.

Term of office of President.

56. (1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office :

Provided that—

- (a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office ;
- (b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61 ;
- (c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
- (2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

Eligibility for re-election.

57. A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

Qualifications for election as President.

58. (1) No person shall be eligible for election as President unless he—

- (a) is a citizen of India,
- (b) has completed the age of thirty-five years, and
- (c) is qualified for election as a member of the House of the People.

भाग ५—संघ—अनु० ५५—५८.

- (ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो उपखंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा,
- (ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नो की उपेक्षा की जायेगी।

(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में “जनसंख्या” से, ऐसी अन्तिम पूर्वगत जन-गणना में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।

५६. (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

राष्ट्रपति की पदावधि

परन्तु—

- (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;
- (ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद ६१ में उप-बन्धित रीति से किये गये महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा ;
- (ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

(२) खंड (१) के परन्तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी।

५७. कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है अथवा कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पद के लिये पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा :

पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता

५८. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएं

- (क) भारत का नागरिक न हो,
- (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा
- (ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो।

Part V.—The Union.—Arts. 58—61.

(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor * * * of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

Conditions of President's office.

59. (1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.

(2) The President shall not hold any other office of profit.

(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

(4) The emoluments and allowances of the President shall not be diminished during his term of office.

Oath or affirmation by the President.

60. Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the seniormost Judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say—

“I, A. B., do swear in the name of God
solemnly affirm

that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.”

Procedure for impeachment of the President.

61. (1) When a President is to be impeached for violation of the Constitution, the charge shall be preferred by either House of Parliament.

*The words “or Rajpramukh or Uparajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग ५—संघ—अनु० ५८—६१.

(२) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल ^{1***} है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

५६. (१) राष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें

(२) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा।

(३) राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद्-निमित्त विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा।

(४) राष्ट्रपति को उपलब्धियां और भत्ते उसके पद की अवधि में घटायें नहीं जायेंगे।

६०. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उस की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

“मैं, अमुक, . . . ईश्वर की शपथ लेता हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।”

६१. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद् का कोई सदन दोषारोप करेगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया

¹“या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधि-नियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part V.—The Union.— Arts. 61—64.

(2) No such charge shall be preferred unless—

(a) the proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least fourteen days' notice in writing signed by not less than one fourth of the total number of members of the House has been given of their intention to move the resolution, and

(b) such resolution has been passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House.

(3) When a charge has been so preferred by either House of Parliament, the other House shall investigate the charge or cause the charge to be investigated and the President shall have the right to appear and to be represented at such investigation.

(4) If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the President from his office as from the date on which the resolution is so passed.

Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.

62. (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

The Vice-President of India.

63. There shall be a Vice-President of India.

The Vice-President to be *ex-officio* Chairman of the Council of States.

64. The Vice-President shall be *ex-officio* Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit :

Provided that during any period when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under article 97.

भाग ५—संघ—अनु० ६१—६४

(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना किसी संकल्प में न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कर के, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा

(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो।

(३) जब दोषारोप संसद् के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा सदन उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा तथा इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

(४) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप के अनुसंधान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसकी पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से हटाया जाना होगा।

६२. (१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और हर अवस्था में छः मास बीतने के पहिले किया जायेगा, तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का हकदार होगा।

६३. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

६४. उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-सभा का सभापति होगा तथा अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा :

परन्तु जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब वह राज्य-सभा के सभापति-पद के कर्तव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ६७ के अधीन राज्य-सभा के सभापति को दिये जाने वाले किसी वेतन अथवा भत्ते का हक न होगा।

राष्ट्रपति पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

भारत का उप-राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-सभा का सभापति होना

The Vice-President to act as President or to discharge his functions during casual vacancies in the office, or during the absence, of President.

65. (1) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President by reason of his death, resignation or removal, or otherwise, the Vice-President shall act as President until the date on which a new President elected in accordance with the provisions of this Chapter to fill such vacancy enters upon his office.

(2) When the President is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Vice-President shall discharge his functions until the date on which the President resumes his duties.

(3) The Vice-President shall, during, and in respect of, the period while he is so acting as, or discharging the functions of, President, have all the powers and immunities of the President and be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

Election of Vice-President.

66. (1) The Vice-President shall be elected by the members of both Houses of Parliament assembled at a joint meeting in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected Vice-President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice-President.

(3) No person shall be eligible for election as Vice-President unless he—

(a) is a citizen of India;

(b) has completed the age of thirty-five years ; and

(c) is qualified for election as a member of the Council of States.

(4) A person shall not be eligible for election as Vice-President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor^{1***} of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

Term of office of Vice-President.

67. The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office ;

¹The words "or Rajpramukh or Uprajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग ५—संघ—अनु० ६५—६७

६५. (१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से उस के पद में हुई रिक्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को इस अध्याय के ऐसी रिक्तता-पूर्ति संबंधी उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है ।

राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उस की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन

(२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति उस के कृत्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जिस तारीख को कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभाले ।

(३) उपराष्ट्रपति को उस कालावधि में और उस कालावधि के संबंध में, जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य करता है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ और जन्मुक्तियाँ होंगी तथा उसे ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा ।

६६. (१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद् के दोनों मदनों के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा ।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(२) उपराष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ; तथा

(ग) राज्य-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो ।

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा ।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुये केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल * * * अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है ।

६७. उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

उपराष्ट्रपति की पदावधि

¹“या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये ।

Part V.—The Union.— Arts. 67—71.

Provided that—

- (a) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
- (b) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People ; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution ;
- (c) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill casual vacancy.

68. (1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the term.

(2) An election to fill a vacancy in the office of Vice-President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 67, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

Oath or affirmation by the Vice-President.

69. Every Vice-President shall, before entering upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the following form, that is to say—

“J. A. B., do swear in the name of God
solemnly affirm

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

Discharge of President's functions in other contingencies

70. Parliament may make such provision as it thinks fit for the discharge of the functions of the President in any contingency not provided for in this Chapter.

Matters relating to or connected with the election of a President or Vice-President.

71. (1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

(2) If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice-President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.

परन्तु—

- (क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा ;
- (ख) उपराष्ट्रपति, राज्य-सभा के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो ;
- किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गई हो ;
- (ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा ।

६८. (१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(२) उपराष्ट्रपति को मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किया जायेगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का हक्कदार होगा ।

६९. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

“मैं, अमुक, . . . ईश्वर की शपथ लेता हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उस के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।”

७०. इस अध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये संसद् जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध बना सकेगी ।

७१. (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतमन्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(२) यदि उच्चतमन्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या से पूर्व किये गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जायेंगे ।

उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय

Part V.—The Union.—Arts. 71—73.

(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice-President.

Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.

72. (1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence—

- (a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial ;
- (b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends ;
- (c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial.

(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor * * * of a State under any law for the time being in force.

Extent of executive power of the Union.

73. (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend—

- (a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws ; and
- (b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement :

Provided that the executive power referred to in sub-clause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State * * * to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s. 29 and Sch.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, in the proviso to cl. (1) of art. 73 the words "or in any law made by parliament" shall be omitted.

³The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch.

भाग ५—संघ—अनु० ७१—७३

(३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी।

७२. (१) किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति को—

- (क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय ने दिया हो,
- (ख) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,
- (ग) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंडादेश मृत्यु का हो,

शक्ति होगी।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की विधि द्वारा दी गई शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल * * * द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

७३. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—

- (क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है, उन तक, तथा
- (ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक,

होगा :

परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में, स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार * * * किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

¹ "या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

² जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ७३ के खंड (१) के परन्तुक में "अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे।

³ "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part V.—The Union.—Arts. 73—76.

(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.

Council of Ministers

Council of Ministers to aid and advise President.

74. (1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions.

(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.

Other provisions as to Ministers.

75. (1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.

(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

(6) The salaries and allowances of Ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine and, until Parliament so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

The Attorney-General for India

Attorney-General for India.

76. (1) The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of the Supreme Court to be Attorney-General for India.

(2) It shall be the duty of the Attorney-General to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the President, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.

(3) In the performance of his duties the Attorney-General shall have right of audience in all courts in the territory of India.

(4) The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President, and shall receive such remuneration as the President may determine.

भाग ५—संघ—अनु० ७३—७६

(२) जब तक संसद् अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उसका पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले कर सकता था ।

मन्त्रि-परिषद्

७४. (१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधान-मंत्री होगा ।

राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिषद्

(२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी ।

७५. (१) प्रधान-मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर करेगा ।

मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे ।

(३) मन्त्रि-परिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।

(४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले राष्ट्रपति उस से तृतीय अनुसूची में इस के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथ करायेगा ।

(५) कोई मंत्री जो निरन्तर छः मास की किसी कालावधि तक संसद् के किसी सदन का सदस्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा ।

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे, जैसे, समय समय पर, संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं ।

भारत का महान्यायवादी

७६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा ।

भारत का महान्यायवादी

(२) महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों ।

(३) अपने कर्तव्यों के पालन के लिये महान्यायवादी को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा ।

(४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे ।

*Part V.—The Union.—Arts. 77—80.**Conduct of Government Business*

Conduct of business of the Government of India. **77.** (1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.

(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President.

(3) The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.

Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc.

78. It shall be the duty of the Prime Minister—

- (a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation ;
- (b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and
- (c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

CHAPTER II.—PARLIAMENT

General

Constitution of Parliament. **79.** There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

Composition of the Council States. **80.** (1) The Council of States shall consist of—

- (a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and
- (b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States ²[and of the Union territories].

(2) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States ²[and of the Union territories] shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule.

¹See Notification No. S. R. O. 167, dated the 19th June, 1950, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 173, as amended from time to time.

²Added by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3.

भाग ५—संघ—अनु० ७७—६०

सरकारी कार्य का संचालन

७७. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी।

भारत सरकार के कार्य का संचालन

(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उस रीति से किया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के बंटवारे के लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा।

७८. प्रधान-मंत्री का—

राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधान-मंत्री के कर्तव्य

- (क) संघ कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुंचाने का,
- (ख) संघ कार्यों के प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे उस को देने का, तथा
- (ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का,

कर्तव्य होगा।

अध्याय २—संसद्

साधारण

७९. संघ के लिये एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य-सभा और लोक-सभा होंगे।

संसद् का गठन

८०. (१) राज्य-सभा—

राज्य सभा की रचना

- (क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों से, तथा
- (ख) राज्यों के ^३[और संघ राज्य-क्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधियों से,

मिल कर बनेगी।

(२) राज्य-सभा में राज्यों के ^३[और संघ राज्य-क्षेत्रों के] प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विष्ट तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार होगा।

^३देखिये अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६७, तारीख १६ जून, १९५०, भारत का गजट भाग २, अनुभाग ३, पृष्ठ १७३, यथा समय समय पर संशोधित।

^३संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा ३ द्वारा जोड़े गये।

Part V.—The Union.—Arts. 80—81.

(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art and social service.

(4) The representatives of each State ¹* * * in the Council of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The representatives of the ²[Union territories] in the Council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.

Composition of
the House of the
People.

³[† 81. (1) Subject to the provisions of article 331, the House of the People shall consist of—

(a) not more than five hundred members chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and

(b) not more than twenty members to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.

(2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1)—

(a) there shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States; and

(b) each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is, so far as practicable, the same throughout the State.

(3) In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.

¹The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 3.

²Subs. for “States specified in Part C of the First Schedule”, *ibid.*

³Subs. by s. 4, *ibid.*, for arts. 81 and 82.

†NOTE.—Paragraph 2 of the Constitution (Removal of Difficulties) Order No. VIII provides as follows:—

For the period during which the tribal areas specified in Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution or any parts thereof are administered by the President by virtue of sub-paragraph, (a) of paragraph 18 of the said Schedule, the Constitution of India shall have effect subject to the following adaptations:—

भाग ५—संघ—अनु० ८०—८१

(३) खंड १ के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा ।

(४) राज्य-सभा के लिये * * * प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

(५) राज्य-सभा के लिये ३[संघ राज्य-क्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि संसद् विधि द्वारा विहित करे ।

†[८१. (१) अनुच्छेद ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा—

लोक-सभा ३१
रचना

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक सदस्यों, और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये ऐसी रीति में, जैसी कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, चुने हुए बीस से अनधिक सदस्यों

से मिल कर बनगी ।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिये—

(क) प्रत्येक राज्य के लिये लोकसभा में स्थानों की संख्या की बाट ऐसी रीति में होगी कि उस संख्या से राज्य की जन संख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिये यथासाध्य एक ही होगा, और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस को आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही होगा ।

(३) इस अनुच्छेद में “जन संख्या” पद से ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है ।

“प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित” शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा ३ द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

“प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों” के स्थान पर उपरोक्त के ही द्वारा रखे गये ।

अनुच्छेद ८१ और ८२ के स्थान पर उपरोक्त की ही धारा ४ द्वारा रखे गये ।

†टिप्पणी :—संविधान (कठिनाइयां दूर करना) आदेश संख्या ८ की कंडिका २ में निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है—

संविधान की षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) या उसके किन्हीं भागों में उल्लिखित आदिमजाति क्षेत्रों का जिस कालावधि के लिये उक्त अनुसूची की कंडिका १८ की उपकंडिका (२) के बल पर राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन किया जाता है, उक्त के दौरान भारत का संविधान निम्नलिखित अनुकूलनों के अध्याधीन प्रभावी होगा, अर्थात्—

Part V.—The Union.—Arts. 82—84.

Re adjustment
after each census.

82. Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:

Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House.]

Duration of
Houses of Parli-
ament.

83. (1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

(2) The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the House :

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

Qualification for
membership of
Parliament.

84. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he—

(a) is a citizen of India;

(b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

In Article 81,—

(a) in sub-clause (b) of cl. (1), after the words "Union territories", the words, letter and figures "and the tribal areas specified in Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule" shall be inserted; and

(b) to cl. (2), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the constituencies into which the State of Assam is divided shall not comprise the tribal areas specified in Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule."

Art. 81 shall apply to the State of Jammu and Kashmir subject to the modification that the representatives of that State in the House of the People shall be appointed by the President on the recommendation of the Legislature of the State.

भाग ५—संघ—अनु० ८२—८४

८२. प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे ;

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये ।]

८३. (१) राज्य-सभा का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद्-निर्मित विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे ।

संसद् के सदस्यों की अवधि

(२) लोक-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद्, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी ।

८४. कोई व्यक्ति संसद् में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि —

संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता

(क) वह भारत का नागरिक न हो ;

(ख) राज्य-सभा के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, न हो ; तथा

(ग) ऐसी अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ।

(१) अनुच्छेद ८१ में,—

(क) खंड (१) के उपखंड (ख) में “संघ राज्य क्षेत्रों” शब्दों के पश्चात् “और षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति क्षेत्रों” शब्द, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, और

(ख) खंड (२) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु आसाम राज्य जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाए उनमें षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति क्षेत्र समाविष्ट न होंगे ।”

अनुच्छेद ८१ जम्मू और कश्मीर राज्य को इस रूपभेद के अधीन रह कर लागू होगा कि लोकसभा में उस राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य के विधान-मंडल की सिपारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे ।

Part V.—The Union.—Arts. 85—89.

Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.

85. (1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The President may from time to time—

(a) prorogue the Houses or either House;

(b) dissolve the House of the People.]

Right of President to address and send messages to Houses.

86. (1) The President may address either House of Parliament or both Houses assembled together, and for that purpose require the attendance of members.

(2) The President may send messages to either House of Parliament, whether with respect to a Bill then pending in Parliament or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

Special address by the President.

87. (1) At the commencement of ²[the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of each year] the President shall address both Houses of Parliament assembled together and inform Parliament of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address ³* * *.

Rights of Ministers and Attorney-General as respects Houses.

88. Every Minister and the Attorney-General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote.

Officers of Parliament

The Chairman and Deputy Chairman of the Council of States.

89. (1) The Vice-President of India shall be *ex-officio* Chairman of the Council of States.

(2) The Council of States shall, as soon as may be, choose a member of the Council to be Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Deputy Chairman thereof.

¹Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 6, for the original art.

²Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 7 for "every session".

³The words "and for the precedence of such discussion over other business of the House" were omitted, *ibid.*

भाग ५—संघ—अनु० ८५—८६

1[८५. (१) राष्ट्रपति समय समय पर संसद् के प्रत्येक सदन को, ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अंतर न होगा।

संसद् के सत्र सत्रावसान और विघटन

(२) राष्ट्रपति समय समय पर—

- (क) सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा,
(ख) लोक-सभा का विघटन कर सकेगा।]

८६. (१) संसद् के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

(२) राष्ट्रपति संसद् में उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथामुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।

८७. (१) 2[लोक-सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में] साथ समवेत संसद् के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद् को उस के आह्वान का कारण बतायेगा।

संसद् के प्रत्येक सत्रावसर्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभि-भाषण

(२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे प्रभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये 3* * * उपबन्ध किया जायेगा।

८८. भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में, तथा संसद् की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधारे पर उसको मत देने का हक्क न होगा।

सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद् के पदाधिकारी

८९. (१) भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-सभा का सभापति होगा।

राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति

(२) राज्य - सभा यथासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

1संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ६ द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर रखा गया।

2संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ७ द्वारा "प्रत्येक सत्र के आरम्भ में" के स्थान पर रखे गये।

3"तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये" शब्द उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part V.—The Union.—Arts. 90—93.

Vacation and resignation of, and removal from, the office of Deputy Chairman.

90. A member holding office as Deputy Chairman of the Council of States—

- (a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
- (b) may at any time, by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his office; and
- (c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council;

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office or to act as, Chairman.

91. (1) While the office of Chairman is vacant, or during any period when the Vice-President is acting as, or discharging the functions of, President, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman, or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council of States as the President may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council of States the Deputy Chairman, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.

92. (1) At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman, or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.

(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Council of States while any resolution for the removal of the Vice-President from his office is under consideration in the Council, but, notwithstanding anything in article 100, shall not be entitled to vote at all on such resolution or on any other matter during such proceedings.

The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.

93. The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

भाग ५—संघ—अनु० ६०—६३

६०. राज्य-सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

- (क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;
- (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा; तथा
- (ग) सभा के तत्कालीन समयस्त सदस्यों के बहुमत से पारित सभा के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

६१. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो राज्य-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) राज्य-सभा की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

६२. (१) राज्य-सभा की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ६१ के खंड (२) के उपबन्ध उन्हीं रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।

(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प राज्य-सभा में विचाराधीन हो तब सभापति को सभा में बोलने तथा दूसरी प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हक्क न होगा।

६३. लोक-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

उपसभापति की पदरिक्तता, पद-त्याग तथा पद से हटाया जाना

उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति

जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा

लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.

94. A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People:—

- (a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People;
- (b) may at any time, by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker resign his office; and
- (c) may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House:

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided further that, whenever the House of the People is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution.

Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.

95. (1) While the office of Speaker is vacant, the duties, of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the House of the People as the President may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Speaker from any sitting of the House of the People the Deputy Speaker or, if he is also absent such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the House, shall act as Speaker.

The Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.

96. (1) At any sitting of the House of the People, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

(2) The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the House of the People while any resolution for his removal from office is under consideration in the House and shall, notwithstanding anything in article 100, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

भाग ५—संघ—अनु० ६४-६६

६४. लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य-

- (क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा ;
 (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा तथा.
 (ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा ;

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गयी हो ;

परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोक-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा।

६५. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोक-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(२) लोक-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अथवा यदि वह भी अनुपस्थिति हो तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थिति नहीं हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

६६. (१) लोक-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ६५ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिसमें कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं ।

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोक-सभा में विचाराधीन हो तब उसको लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत देन का हक होगा किन्तु मत साम्य होने की दशा में न होगा ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना

अध्यक्ष-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा

Salaries and allowances of the Chairman and Deputy Chairman and the Speaker and Deputy Speaker.

97. There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Secretariat of Parliament.

98. (1) Each House of Parliament shall have a separate secretarial staff ;

Provided that nothing in this clause shall be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of Parliament.

(2) Parliament may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of either House of Parliament.

(3) Until provision is made by Parliament under clause (2), the President may, after consultation with the Speaker of the House of the People or the Chairman of the Council of States, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House of the People or the Council of States, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause.

Conduct of Business

Oath or affirmation by members.

99. Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Voting in Houses, power of Houses to act notwithstanding vacancies and quorum.

100. (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or person acting as Chairman or Speaker.

The Chairman or Speaker, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(2) Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

भाग ५—संघ—अनु० ६७-१००

६७. राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति को, तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः संसद् विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उसके लिये उपबन्ध इस प्रकार न बनें तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित ह, दिये जायेंगे ।

सभापति और उप-सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

६८. (१) संसद् के प्रत्येक सदन का अपना पृथक् साचविक कर्मचारी-बृन्द होगा :

संसद् का सचिवालय

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है ।

(२) संसद् विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के साचविक कर्मचारी-बृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी ।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद् उपबन्ध नहीं करती तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य-सभा के सभापति से परामर्श कर के लोक-सभा के या राज्य-सभा के साचविक कर्मचारी-बृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे ।

कार्य-संचालन

६९. संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

१००. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति अथवा अध्यक्ष रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा ।

सदनों में मत-दान रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों को कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति

सभापति या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद् के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा करने का हुक्म न था, कार्यबाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद् में की गई कार्यवाही मान्य होगी ।

Part V.—The Union.—Articles 100—101

(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House.

(4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

*Disqualifications of Members***Vacation of seats**

101. (1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(2) No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State ¹* * *, and if a person is chosen a member both of Parliament and of a House of the Legislature of ²[a State], then, at the expiration of such period as may be specified in ³rules made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of the State.

(3) If a member of either House of Parliament—

- (a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, or
- (b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Chairman or the Speaker, as the case may be,

his seat shall thereupon become vacant.

(4) If for a period of sixty days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

¹The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch., for "such a State".

³See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950, published with the Ministry of Law Notification No. F.46/50-C dated the 26th January, 1950, Gazette of India Extraordinary p. 678.

भाग ५—संसद—अनु० १००-१०१

(३) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करें तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी।

(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।

सदस्यों की अनहंताएं

१०१. (१) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये संसद् विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी। स्थानों की रिक्तता

(२) कोई व्यक्ति संसद् तथा 1* * * किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा 2* * * किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये 3नियमों में उल्लिखित हो, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।

(३) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

- (क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनहंताओं में से किसी का भागी हो जाता है, अथवा
- (ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(४) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।

¹“प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित” शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

²“ऐसे” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिया गया।

³देखिये, विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या एफ० ४६/५०—सी, तारीख २६ जनवरी, १९५०, के साथ भारत के आसाधारण गजट के पृष्ठ ६७८ पर प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम १९५०।

Part V.—The Union.—Arts. 102—105.

Disqualifications
for memberships

102. (1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament—

- (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder ;
- (b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court ;
- (c) if he is an undischarged insolvent ;
- (d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State ;
- (e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

(2) For the purposes of this article a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

Decision on questions as to disqualifications of members.

103. (1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified.

104. If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members

Powers privileges etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof.

105. (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.

(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings.

भाग ५—संघ—अनु० १०२—१०५

१०२. (१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

- (क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है ;
- (ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
- (ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;
- (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति का अभिस्वीकार किये हुए है;
- (ङ) यदि वह संसद्-निमित्त किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है ।

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

१०३. (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

१०४. यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में अनुच्छेद ६६ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हूँ अथवा अनर्ह कर दिया गया हूँ अथवा संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा ।

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

१०५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद् की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद् में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा ।

(२) संसद् में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी ।

सदस्यता के लिये अनर्हताएं

सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन

अनुच्छेद ६६ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने, और मत देने के लिये दंड

संसद् के सदस्यों की तथा उस के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि

Part V.—The Union.—Arts. 105—108.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution.

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of Parliament.

Salaries and allowances of members.

106. Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India.

Legislative Procedure

Provisions as to introduction and passing of Bills.

107. (1) Subject to the provisions of articles 109 and 117 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of Parliament.

(2) Subject to the provisions of articles 108 and 109, a Bill shall not be deemed to have been passed by the Houses of Parliament unless it has been agreed to by both Houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both Houses.

(3) A Bill pending in Parliament shall not lapse by reason of the prorogation of the Houses.

(4) A Bill pending in the Council of States which has not been passed by the House of the People shall not lapse on a dissolution of the House of the People.

(5) A Bill which is pending in the House of the People, or which having been passed by the House of the People is pending in the Council of States, shall, subject to the provisions of article 108, lapse on a dissolution of the House of the People.

Joint sitting of both Houses in certain cases.

108. (1) If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House—

- (a) the Bill is rejected by the other House ; or
- (b) the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill ; or
- (c) more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it,

भाग ५—संघ—अनु० १०५—१०८

(३) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ़ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन अथवा उसकी किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

१०६. संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों को, जिन्हें संसद्, विधि द्वारा, समय समय पर, निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि भारत डोमिनियन की संविधान-सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

सदस्यों के वेतन और भत्ते।

विधान प्रक्रिया

१०७. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १०६ और ११७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के किसी सदन में प्रारम्भ हो सकेगा।

विधेयकों के पुरः-स्थापन और पारण विषयक उपबन्ध

(२) अनुच्छेद १०८ और १०९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि, या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) संसद् में लम्बित विधेयक सदनों के सत्तावसान के कारण व्यपगत न होगा।

(४) राज्य-सभा में लम्बित विधेयक, जिसको लोक-सभा ने पारित नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा।

(५) कोई विधेयक, जो लोक-सभा में लम्बित है, अथवा जो लोक-सभा से पारित होकर राज्य-सभा में लम्बित है, अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।

१०८. (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है, अथवा

(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं, अथवा

(ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, बिना इसके पारित किये, दूसरे सदन को छः मास से अधिक बीत चुके हैं,

Part V.—The Union.—Arts. 108—109.

the President may, unless the Bill has lapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the Houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill ;

Provided that nothing in this clause shall apply to a Money Bill.

(2) In reckoning any such period of six months as is referred to in clause (1), no account shall be taken of any period during which the House referred to in sub-clause (c) of that clause is prorogued or adjourned for more than four consecutive days.

(3) Where the President has under clause (1) notified his intention of summoning the Houses to meet in a joint sitting, neither House shall proceed further with the Bill, but the President may at any time after the date of his notification summon the Houses to meet in a joint sitting for the purpose specified in the notification and, if he does so, the Houses shall meet accordingly.

(4) If at the joint sitting of the two Houses the Bill, with such amendments, if any, as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of the total number of members of both Houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this Constitution to have been passed by both Houses :

Provided that at a joint sitting—

(a) if the Bill, having been passed by one House, has not been passed by the other House with amendments and returned to the House in which it originated, no amendment shall be proposed to the Bill other than such amendments (if any) as are made necessary by the delay in the passage of the Bill ;

(b) if the Bill has been so passed and returned, only such amendments as aforesaid shall be proposed to the Bill and such other amendments as are relevant to the matters with respect to which the Houses have not agreed ;

and the decision of the person presiding as to the amendments which are admissible under this clause shall be final.

(5) A joint sitting may be held under this article and a Bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the Houses to meet therein.

109. (1) A Money Bill shall not be introduced in the Council of States.

(2) After a Money Bill has been passed by the House of the People it shall be transmitted to the Council of States for its recommendations and the Council of States shall within a period of fourteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the House of the People with its recommendations and the House of the People may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Council of States.

Special procedure in respect of Money Bills.

भाग ५—संघ—अनु० १०८-१०६

तो लोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत देने के प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये भ्रातृ करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक-अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा :

परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी घन-विधेयक को लागू न होगी ।

(२) ऐसी किसी छः मास की कालावधि की संगणना में, जो कि खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहता है ।

(३) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये भ्रातृ करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो, तो कोई सदन विधेयक पर अपने कार्यवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी समय सदनों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये भ्रातृ कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो मदन तदनुसार अधिवेशित होंगे ।

(४) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा :

परन्तु संयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है तथा उम सदन को, जिसमें वह आरम्भित हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों के सिवाय (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किया जायेगा ;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, जैसे कि उपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ;

और पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा ।

(५) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये भ्रातृ करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात्, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका है तो भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उसमें विधेयक पारित हो सकेगा ।

१०६. (१) राज्य-सभा में घन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा ।

(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, घन-विधेयक, राज्य-सभा को, उसकी सिफारिशों के लिये पहुंचाया जायेगा तथा राज्य-सभा, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर, विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर लोक-सभा राज्य-सभा की सिफारिशों में से सबको या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी ।

घन-विधेयकों विष-
यक विशेष प्रक्रिया

Part V.—The Union.—Arts. 109—110.

(3) If the House of the People accepts any of the recommendations of the Council of States, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses with the amendments recommended by the Council of States and accepted by the House of the People.

(4) If the House of the People does not accept any of the recommendations of the Council of States, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by the House of the People without any of the amendments recommended by the Council of States.

(5) If a Money Bill passed by the House of the People and transmitted to the Council of States for its recommendations is not returned to the House of the People within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the House of the People.

Definition of
"Money Bills".

110. (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—

- (a) the imposition, abolition remission, alteration or regulation of any tax ;
- (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India ;
- (c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund ;
- (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India ;
- (e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure ;
- (f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State ; or
- (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) If any question arises whether a Bill is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the House of the People thereon shall be final.

भाग ५—संघ—अनु० १०६-११०

(३) यदि राज्य-सभा की सिफारिशों में से किसी को लोक-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।

(४) यदि राज्य-सभा की सिफारिशों में से किसी को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों में से किसी के बिना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-सभा को उसको सिफारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें लोक-सभा ने उसको पारित किया था।

११०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्—

धन-विधेयकों की परिभाषा

- (क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन;
- (ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि का संशोधन;
- (ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकस्मिकतानिधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना;
- (घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;
- (ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारत व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;
- (च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेखाग्रों का लेखा-परीक्षण; अथवा
- (छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य ग्रथ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

Part V.—The Union.—Arts. 110—112.

(4) There shall be endorsed on every Money Bill when it is transmitted to the Council of States under article 109, and when it is presented to the President for assent under article 111, the certificate of the Speaker of the House of the People signed by him that it is a Money Bill.

Assent to Bills.

III. When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom :

Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom.

Procedure in Financial Matters

Annual financial statement.

112. (1) The President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

- (a) the sums required to meet expenditure described by this Constitution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of India; and
- (b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India,

and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of India—

- (a) the emoluments and allowances of the President and other expenditure relating to his office;
- (b) the salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People;
- (c) debt charges for which the Government of India is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt;
- (d) (i) the salaries, allowances and pensions payable to or in respect of Judges of the Supreme Court;
- (ii) the pensions payable to or in respect of Judges of the Federal Court;

भाग ५—संघ—अनु० ११०—११२

(४) अनुच्छेद १०६ के अधीन जब धन-विधेयक राज्य-सभा को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद १११ के अधीन अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर लोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।

१११. जब संसद् के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है : विधेयकों पर अनु-मति

परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् पथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों को संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे उस विधेयक पर अथवा उसके किसी उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की बांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न रोकेगा।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

११२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" नाम से निर्दिष्ट किया गया है। वार्षिक-वित्त-विवरण

(२) वार्षिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय के प्राक्कलनों में—

- (क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारत व्यय के रूप में वर्णित है उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, तथा
- (ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां,

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

(३) निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारत व्यय होगा—

- (क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;
- (ख) राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;
- (ग) ऐसे ऋण-भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं;
- (घ) (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन;

(२) फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन;

Part V.—The Union.—Arts. 112—114.

- (iii) the pensions payable to or in respect of Judges of any High Court which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India or which at any time before the commencement of this Constitution exercised jurisdiction in relation to any area included in ¹[a Governor's Province of the Dominion of India];
- (e) the salary, allowances and pension payable to or in respect of the Comptroller and Auditor-General of India ;
- (f) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal ;
- (g) any other expenditure declared by this Constitution or by Parliament by law to be so charged.

Procedure in Parliament with respect to estimates.

113. (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of those estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the People, and the House of the People shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President.

Appropriation Bills.

114. (1) As soon as may be after the grants under article 113 have been made by the House of the People, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of India of all moneys required to meet—

- (a) the grants so made by the House of the People; and
- (b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of India but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before Parliament.

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in either House of Parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for "a Province corresponding to a State specified in Part A of the First Schedule".

भाग ५—संघ—अनु० ११२—११४

- (३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो ^१[भारत डोमोनियन के राज्यपाल के प्रान्त] में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था उसके न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन;
- (४) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, या के बारे में दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन;
- (च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञापित या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियाँ;
- (छ) इस संविधान द्वारा, अथवा संसद् से विधि द्वारा इस प्रकार भारत घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

११३. (१) भारत की संचित निधि पर भारत व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलन संसद् में प्राक्कलनों संसद् में मतदान के लिये न रखे जायेंगे, किन्तु इस खंड की किमी धात का यह अर्थ के विषय में न किया जायेगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा प्रक्रिया को रोकती है।

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितने अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक-सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जायेंगे तथा लोक-सभा को शक्ति होगी कि किमी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किमी मांग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे।

(३) राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

११४. (१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान किये जायें विनियोग-विधेयक के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से—

- (क) लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; तथा
- (ख) भारत की संचित निधि पर भारत, किन्तु संसद् के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय की,

पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर, संसद् के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

^१. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा "प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रान्त" के स्थान पर रखे गये।

Part V.—The Union.—Arts. 114—116.

(3) Subject to the provisions of articles 115 and 116, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

Supplementary,
additional or
excess grants.

115. (1) The President shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provisions of articles 112, 113 and 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or grant.

Votes on account,
votes of credit
and exceptional
grants.

116. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power—

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 114 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement;

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year ;

and Parliament shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of India for the purposes for which the said grants are made.

भाग ५—संघ—अनु० ११४—११६

(३) अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।

११५. (१) यदि—

- (क) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा
- (ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान

तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में, तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग के बारे में, अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के संघ में भी, अनुच्छेद ११२, ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण तथा उस में वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

११६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोक-सभा को—

- (क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिये भतदान करने के लिये अनुच्छेद ११३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति के लम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की,
- (ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण की गई मांग वैसे व्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्त-विवरण में साधारणतया दिया जाता है तब भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की,
- (ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की,

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उन के लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद को होगी।

Part V.—The Union.—Arts. 116—118.

(2) The provisions of articles 113 and 114 shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure.

Special provisions
as to financial
Bills.

117. (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States :

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill.

Procedure Generally

Rules of proce-
dure.

118. (1) Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

(2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature of the Dominion of India shall have effect in relation to Parliament subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be.

(3) The President, after consultation with the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People may make rules as to the procedure with respect to joint sittings of, and communications between, the two Houses.

(4) At a joint sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under clause (3), shall preside.

भाग ५—संघ—अनु० ११६—११८

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद ११३ और ११४ के उपबन्ध बैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

११७. (१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (घ) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थापित न किया जायेगा; वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उप-बन्ध

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिफारिश की अपेक्षा न होगी।

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो।

साधारणतया प्रक्रिया

११८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा। प्रक्रिया के नियम

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-सभा का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष करे, संसद् के संबंध में प्रभावी होंगे।

(३) राज्य-सभा के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों सम्बन्धी, तथा उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (३) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धारण हो।

Part V.—The Union.—Arts. 119—123.

Regulation by law of procedure in parliament in relation to financial business.

119. Parliament may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, each House of Parliament in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by a House of Parliament under clause (1) of article 118 or with any rule or standing order having effect in relation to Parliament under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

Language to be used in Parliament.

120. (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English :

Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother tongue.

(2) Unless Parliament by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom.

Restriction on discussion in Parliament.

121. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties except upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the Judge as hereinafter provided.

Courts not to inquire into proceedings of Parliament.

122. (1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No officer or member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

CHAPTER III.—LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT

Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.

123. (1) If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require.

(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of Parliament, but every such Ordinance—

(a) shall be laid before both Houses of Parliament and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of Parliament, or, if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of those resolutions; and

भाग ५—संघ—अनु० ११६—१२३

११६. वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से संसद् विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से, सम्बन्धित संसद् के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगी, तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबन्ध अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन संसद् के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

१२०. (१) भाग (१७) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा :

संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा

परन्तु यथास्थिति राज्य-सभा का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सभ्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं।

१२१. उच्चतमन्यायालय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद् में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगी।

संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन

१२२. (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार पर संसद् की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।

न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जांच न करेगे

(२) संसद् का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन संसद् में प्रक्रिया को, या कार्यसंचालन को विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की, शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

अध्याय ३.—राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां

१२३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्त में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।

संसद् के विश्रान्ति-काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापन-शक्ति

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तथा संसद् के पुनः समबल होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा, यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस के निरनुमोदन के संकल्प पार कर देते हैं तो, इन में से दूसरे संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा ; तथा

Part V.—The Union.—Arts. 123—124.

(b) may be withdrawn at any time by the President.

Explanation.—Where the Houses of Parliament are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause.

(3) If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which Parliament would not under this Constitution be competent to enact, it shall be void.

CHAPTER IV.—THE UNION JUDICIARY

Establishment
and constitution
of Supreme
Court.

124. (1) There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges.

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of sixty-five years :

Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted :

Provided further that—

(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office ;

(b) a Judge may be removed from his office in the manner provided in clause (4).

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and—

(a) has been for at least five years a Judge of a High Court or of two or more such Courts in succession ; or

(b) has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession ; or

(c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.

Explanation I.—In this clause “High Court” means a High Court which exercises, or which at any time before the commencement of this Constitution exercised, jurisdiction in any part of the territory of India.

भाग ५—संघ—अनु० १२३-१२४

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा।

व्याख्या.—जब संसद् के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होन के लिये ग्राह्य किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छः सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद् इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वह शून्य होगा।

अध्याय ४.—संघ की न्यायपालिका

१२४. (१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जब तक संसद् विधि द्वारा और अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा।

उच्चतमन्यायालय की स्थापना और गठन

(२) उच्चतमन्यायालय के, तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिन से कि इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले :

परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति क विषय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सर्वदा परामर्श किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि—

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(३) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा —

(क) किसी उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा

(ख) किसी उच्चन्यायालय का, अथवा दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो ; अथवा

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो।

व्याख्या १—इस खंड में “उच्चन्यायालय” से वह उच्चन्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी, प्रयोग करता था।

Part V.—The Union.—Arts. 124—127.

Explanation II.—In computing for the purpose of this clause the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included.

(4) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

(5) Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of a Judge under clause (4).

(6) Every person appointed to be a Judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

(7) No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.

Salaries, etc., of Judges.

125. (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as are specified in the Second Schedule.

(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule :

Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

Appointment of acting Chief Justice.

126. When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Appointment of *ad hoc* Judges.

127. (1) If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the Court, as an *ad hoc* Judge, for such period as may be necessary, of a Judge of a High Court duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India.

भाग ५—संघ—अनु० १२४-१२७

व्याख्या २.—इस खंड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की कालावधि की संगणना में वह कालावधि भी अन्तर्गत होगी जिस में कि उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसे न्यायिक पद को, जो जिला-न्यायाधीश के पद से छोटा नहीं है, धारण किया हो।

(४) उच्चतमन्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्त में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।

(५) खंड (४) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की, तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की, प्रक्रिया का संसद् विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

(६) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(७) कोई व्यक्ति, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

१२५. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

न्यायाधीशों के वेतन आदि

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का, तथा अनु-पस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों, और अधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक होगा।

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न भत्तों में और न अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

१२६. जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति

१२७. (१) यदि किसी समय उच्चतमन्यायालय के सत्त को करने या चालू रखने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्य न हो तो राष्ट्रपति की पूर्ण सम्मति से तथा सम्बद्ध उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये यथारोति अर्ह है तथा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधिपति नामोद्दिष्ट करे, न्यायालय की ठकों में इतनी कालावधि के लिये, जितनी आवश्यक हो, तदर्थन्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

Part V.—The Union.—Arts. 127—131.

(2) It shall be the duty of the Judge who has been so designated, in priority to other duties of his office, to attend the sittings of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, powers and privileges, and shall discharge the duties, of a judge of the Supreme Court.

Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court.

128. Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court :

Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.

Supreme Court to be a court of record.

129. The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Seat of Supreme Court.

130. The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.

Original jurisdiction of the Supreme Court.

131. Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute—

- (a) between the Government of India and one or more States ; or
- (b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other ; or
- (c) between two or more States,

if and in so far as the dispute involves any question (whether of law or fact) on which the existence or extent of a legal right depends :

¹[Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this Constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute.]

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 5, for the original proviso.

भाग ५—संघ—अनु० १२७—१३१

(२) इस प्रकार नामोद्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्ववर्तिता देकर उच्चतमन्यायालय की बैठकों में, उस समय, तथा उस कालावधि के लिये, जिसके लिये उस की उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, तथा जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उस को उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

१२८. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्ण सम्मति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के या फेडरलन्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्राप्ति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्क होगा किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा :

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी।

१२९. उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियाँ होंगी।

१३०. उच्चतमन्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बैठेगा।

१३१. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

- (क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के, अथवा
- (ख) एक और भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के, अथवा
- (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के,

किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्गत है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहाँ तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन कर के उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा :

¹[परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, बचनबंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत से, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गयी या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है, या जो उपबन्ध करती है कि वैसे क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर न होगा, पैदा हुआ है।]

¹संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ५ द्वारा मूल परन्तुक के स्थान पर रखा गया।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति

उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा

उच्चतमन्यायालय का स्थान

उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

Part V.—The Union.—Arts. 132-133.

Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases.

132. (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution.

(2) Where the High Court has refused to give such a certificate, the Supreme Court may, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution, grant special leave to appeal from such judgment, decree or final order.

(3) Where such a certificate is given, or such leave is granted, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided and with the leave of the Supreme Court, on any other ground.

Explanation.—For the purposes of this article, the expression “final order” includes an order deciding an issue which, if decided in favour of the appellant, would be sufficient for the final disposal of the case.

Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters.

133. (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court certifies—

(a) that the amount or value of the subject-matter of the dispute in the court of first instance and still in dispute on appeal was and is not less than twenty thousand rupees or such other sum as may be specified in that behalf by Parliament by law; or

(b) that the judgment, decree or final order involves directly or indirectly some claim or question respecting property of the like amount or value; or

(c) that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court; and where the judgment, decree or final order appealed from affirms the decision of the court immediately below in any case other than a case referred to in sub-clause (c), if the High Court further certifies that the appeal involves some substantial question of law.

(2) Notwithstanding anything in article 132, any party appealing to the Supreme Court under clause (1) may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided.

(3) Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one Judge of a High Court.

भाग ५—संघ—अनु० १३२-१३३

१३२. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दण्डिक चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, आज्ञापति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्त है ।

(२) जहां कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वाचन का सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्त है तो, वह ऐसे निर्णय, आज्ञापति या अन्तिम आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा ।

(३) जहां ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी गई हो वहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रश्न के अस्तुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर, तथा उच्चतमन्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतमन्यायालय में अपील कर सकेगा ।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "अन्तिम आदेश" पदावलि के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद का विनिश्चयात्मक आदेश भी है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस मामले के अन्तिम निबटारे के लिये पर्याप्त होगा ।

१३३. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के उच्चन्यायालय की व्यवहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय, आज्ञापति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में होगी यदि उच्चन्यायालय प्रमाणित करे—

- (क) कि विवाद-विषय की राशि या मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस हजार रुपये से या ऐसी अन्य राशि से, जो इस बारे में संसद् से विधि द्वारा उल्लिखित की जाये, कम न थी और अपीलगत विवाद में भी उससे कम नहीं है; अथवा
- (ख) कि निर्णय, आज्ञापति या अन्तिम आदेश में उतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अन्तर्ग्त है; अथवा
- (ग) कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील के लायक है;

तथा जहां कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञापति या अन्तिम आदेश उपखंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में विनान्तर नीचे के न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता है वहां यदि उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपील में कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्त है ।

(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय में अपील करने वाला कोई पक्ष ऐसी अपील के कारणों में यह कारण भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वाचन के सारवान विधि-प्रश्न का अस्तुद्ध विनिश्चय किया गया है ।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञापति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में न होगी जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे ।

किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

उच्चन्यायालयों से व्यवहार विषयों के बारे की अपीलों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

Part V.—The Union.—Arts. 134—136.

Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters.

134. (1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court—

- (a) has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death; or
- (b) has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death; or
- (c) certifies that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court:

Provided that an appeal under sub-clause (c) shall lie subject to such provisions as may be made in that behalf under clause (1) of article 145 and to such conditions as the High Court may establish or require.

(2) Parliament may by law confer on the Supreme Court any further powers to entertain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India subject to such conditions and limitations as may be specified in such law.

Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court.

135. Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisions of article 133 or article 134 do not apply if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by the Federal Court immediately before the commencement of this Constitution under any existing law.

Special leave to appeal by the Supreme Court.

136. (1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India.

(2) Nothing in clause (1) shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 134, cl. (2), after the words "Parliament may", the words "on the request of the Legislature of the State" shall be inserted.

²Arts. 135 and 136 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग ५—संघ—अनु० १३४-१३६

१३४. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के किसी दंड-कार्यवाही में दिये हुए निर्णय, अन्तिम आदेश या दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील होगी यदि—

दंड विषयों सम्बन्धी उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

- (क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्यु-दंडादेश दिया है; अथवा
- (ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय में किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पाम मंगा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को मित्र-दोष ठहराया है और मृत्यु-दंडादेश दिया है; अथवा
- (ग) उच्चन्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील किये जाने लायक है :

परन्तु उपखंड (ग) के अधीन होने वाली अपील ऐसी उपबन्धों के अधीन रह कर, जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के अधीन उस लिये बनाये जायें तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहकर जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित की जायें, ही होगी ।

(२) संसद् विधि द्वारा ऐसी शर्तों और परिमीमाओं के अधीन, जो ऐसी विधि में उल्लिखित की जायें, उच्चतमन्यायालय को भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के दंडकार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश की अपील लेने और मुनने की और भी शक्ति दे सकेगी ।

१३५. जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतमन्यायालय को भी किसी विषय के बारे में, जिस पर अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबन्ध लागू नहीं होते, क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन क्षेत्राधिकार और शक्तियां फेडरलन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं ।

वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना अपील के लिये उच्चतमन्यायालय को विशेष इजाजत

१३६. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतमन्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय, आज्ञा, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा ।

(२) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी निर्णय, निर्धारण, दंडादेश या आदेश को खंड (१) की कोई बात लागू न होगी ।

¹ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद १३४, खंड (२) में "संसद्" शब्द के पदचात "राज्य के विधान मंडल की प्रार्थना पर" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे ।

अनुच्छेद १३५ और १३६ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे ।

Review of judgments or orders by the Supreme Court. **137.** Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

----- of the jurisdiction of Supreme Court. **138.** (1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer.

(2) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matter as the Government of India and the Government of any State may by special agreement confer, if Parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court.

Conferral on the Supreme Court of powers to issue certain writs. **139.** Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause (2) of article 32.

Ancillary powers of Supreme Court. **140.** Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the Court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution.

Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. **141.** The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India.

Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc. **142.** (1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order^a prescribe.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself.

^aArt. 139 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

^bSee the Supreme Court (Decrees and Orders) Enforcement Order, 1954, published with Ministry of Law Notification No. C. O. 47, dated the 14th January, 1954, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, sec 3, P. 75.

भाग ५—संघ - अनु० १३७-१४२

१३७. संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के, अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा।

१३८. (१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जमे संसद् विधि द्वारा प्रदान करे।

(२) यदि संसद् न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे।

१३९. अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिनके अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इन में से किसी को, निकालने की शक्ति संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान कर सकेगी।

१४०. ऐसी अनुपूरक शक्तियों को, जो इस संविधान के उपबन्धों में से किसी से असंगत न हों, संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान करने के लिये उपबन्ध कर सकेगी, जैसी कि उस न्यायालय को इस संविधान के द्वारा या अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक कार्य-माध्यम रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक था बांछनीय प्रतीत हों।

१४१. उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी।

१४२. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय ऐसी आज्ञापति या ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि उसके समक्ष लम्बित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो तथा इस प्रकार ही हुई आज्ञापति या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जैसी कि संसद् किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित करे, तथा, जब तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, ऐसी रीति से, जैसी कि राष्ट्रपति^१ आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।

(२) संसद् द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दंड देने के, प्रयोजन के लिये कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्यक्ष शक्ति होगी।

निर्णयों या आदेशों पर उच्चतमन्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन

उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि

कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायालय को प्रदान

उच्चतमन्यायालय की सहायक शक्तियां

उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी

उच्चतमन्यायालय की आज्ञापतियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना तथा प्रकटन आदि के आदेश

^१ अनुच्छेद १३९ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

^२ विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या सी० ओ० ४७, तारीख १४ जनवरी, १९५०, के साथ भारत सरकार के असाधारण गजट अनुभाग ३, पृष्ठ ७५ में प्रकाशित उच्चतमन्यायालय (आज्ञापितियां और आदेश) प्रवर्तन आदेश १९५४ देखिये।

THE CONSTITUTION OF INDIA

Part V.—The Union.—Arts. 143—145.

Power of President to consult Supreme Court.

143. (1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

(2) The President may, notwithstanding anything in ¹the proviso to article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the ²[said proviso] to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court.

144. All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court.

Rules of Court, etc.

145. (1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including—

- (a) rules as to the persons practising before the Court;
- (b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;
- (c) rules as to the proceedings in the Court for the enforcement of any of the rights conferred by Part III;
- (d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (e) of clause (1) of the article 134;
- (e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;
- (f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;

¹The words "clause (i) of" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s.29 and Sch.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, 29 and Sch., for "said clause".

भाग ५—संघ—अनु० १४३—१४५

१४३. (१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे साबजनिक महत्त्व का है कि उस पर उच्चतमन्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

(२) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३१ के परन्तुक १ * * में किसी बात के होते हुए भी उक्त परन्तुक^२ में वर्णित प्रकार के विवाद को उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा उच्चतमन्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।

१४४. भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असेनिक और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम-न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

असेनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे

१४५. (१) मसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के माध्यम विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिनके अन्तर्गत—

न्यायालय के नियम आदि

- (क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम,
- (ख) अपीलें सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों सम्बन्धी अन्य विषयों के, जिनके अन्तर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलों न्यायालय में दाखिल की जानी हैं, बारे में नियम,
- (ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम,
- (घ) अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों के लिये जाने के बारे में नियम,
- (ङ) उस न्यायालय द्वारा मुनाया गया कोई निर्णय अथवा दिया गया आदेश जिन शर्तों के अधीन रद्द कर पुनर्विलोकित किया जा सकेगा उनके बारे में, तथा ऐसे पुनर्विलोकन के लिये प्रक्रिया के बारे में, जिसके अन्तर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने हैं, नियम,
- (च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों में के और तत्प्रासंगिक खर्च के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों के बारे में, नियम,

^१ "के खंड (१)" शब्द संविधान, (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

^२ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा "खंड" के स्थान पर रखा गया।

Part V.—The Union.—Arts. 145-146.

- (g) rules as to the granting of bail;
- (h) rules as to stay of proceedings;
- (i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;
- (j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.

(2) Subject to the provisions of clause (3), rules made under this article may fix the minimum number of Judges who are to sit for any purpose, and may provide for the powers of single Judges and Division Courts.

(3) The minimum number of Judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be five:

Provided that, where the Court hearing an appeal under any of the provisions of this Chapter other than article 132 consists of less than five Judges and in the course of the hearing of the appeal the Court is satisfied that the appeal involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the appeal, such Court shall refer the question for opinion to a Court constituted as required by this clause for the purpose of deciding any case involving such a question and shall on receipt of the opinion dispose of the appeal in conformity with such opinion.

(4) No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open Court, and no report shall be made under article 143 save in accordance with an opinion also delivered in open Court.

(5) No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of a majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.

Officers and servants and the expenses of the Supreme Court.

146. (1) Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct:

Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.

भाग ५—संघ—अनु० १४५-१४६

- (छ) जाभिन की भंजूरी के बारे में नियम,
 (ज) कार्यवाहि ों के रोकने के बारे में नियम,
 (झ) ऐसी अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली
 अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती है उसके
 संक्षेपतः निर्धारण के लिये उपबन्ध करने वाले नियम,
 (ञ) अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) में निर्दिष्ट जांचों के लिये प्रक्रिया
 के बारे में नियम,

भी हैं।

(२) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन बने नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिये बैठेंगे तथा, अकेले न्यायाधीशों और खंड-न्यायालयों की शक्ति के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(३) इस संविधान के निर्वाचन का कोई सारवान् विधि प्रश्न जिस मामले में अन्तर्ग्रस्त है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन सौंपे गये प्रश्न सुनने के प्रयोजन के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी :

परन्तु जहां इन अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न उपबन्धों के अधीन अपील सुनने वाला न्यायालय पांच न्यायाधीशों से कम से मिल कर बना है तथा अपील सुनने के दौरान में उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वाचन का ऐसा सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिसका निर्धारण अपील के निबटारे के लिये आवश्यक है, वहां वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अन्तर्ग्रस्त रखने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिये इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, उसकी राय के लिये सौंपेगा तथा राय की प्राप्ति पर उस अपील को वही राय के अनुसार निबटायेंगा।

(४) उच्चतमन्यायालय कोई निर्णय खुले न्यायालय में के सिवाय नहीं सुनायेगा; तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई प्रतिवेदन खुले न्यायालय में ही सुनाई गई राय से अन्यथा न दिया जायेगा;

(५) कोई निर्णय और ऐसी कोई राय उच्चतमन्यायालय द्वारा, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों में के बहुसंख्यक की सहमति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्तु इस खंड की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेंगी।

१४६. (१) उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा :

उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा अन्य

परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संसक्त किसी पद पर, संबन्धित-सेवा-आयोग से परामर्श किये बिना, नियुक्त न किया जायेगा।

Part V.—The Union.—Arts. 146—148.

(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose:

Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.

(3) The administrative expenses of the Supreme Court including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Interpretation.

147. In this Chapter and in Chapter V of Part VI, references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947, or of any order made thereunder.

CHAPTER V.—COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA

Comptroller and Auditor-General of India.

148. (1) There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule:

Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.

(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.

भाग ५—संघ—अनु० १४६—१४८

(२) संसद् द्वारा निमित्त विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतम-न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्त ऐसी होंगी जैसी कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे :

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बन्धित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

(३) उच्चतमन्यायालय के प्रशासन-व्यय, जिनके अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसों और अन्य धन उस निधि का भाग होंगे ।

१४७. इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ में इस संविधान के निर्वचन के मागवान् विधि-प्रश्न के बारे में जो निर्देश हैं उनका अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो उनके अन्तर्गत भारत-शासन-अधिनियम, १९३५ के (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम को संशोधित या अनुपूरित करने वाली कोई अधिनियमित भी है) अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी परिषदादेश या आदेश के, अथवा भारतीय स्वतन्त्रता-अधिनियम, १९४७ के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी आदेश के, निर्वचन के मागवान् विधि-प्रश्न के निर्देश भी हैं ।

निर्वचन

अध्याय ५—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

१४८. (१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिस को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है ।

भारत का नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसी होंगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं :

परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न उस की अनुपस्थिति-छुट्टी, निवृत्ति-वेतन या निवृत्ति-व्यय सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा ।

(४) अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् नियंत्रक महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा ।

Part V.—The Union.—Arts. 148—151.

(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.

(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including salaries, allowances, and pensions payable to or in respect of all persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General.

¹149. The Comptroller and Auditor-General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively.

Power of Comptroller and Auditor-General to give directions as to accounts.

¹150. The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the Comptroller and Auditor-General of India may, with the approval of the President, prescribe.

Audit reports.

¹151. (1) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.

²(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor * * * of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.

¹In arts. 149 and 150 references to States shall be construed as not including the State of Jammu and Kashmir.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir in art. 151, cl. (2) shall be omitted.

³The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग ५—संघ—अनु० १४८—१५१

(५) इस संविधान के तथा संसद्-निमित्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनीय शक्तियाँ ऐसी होंगी जैसी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।

(६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासन-व्यय, जिनके अन्तर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को, या के बारे में, देय सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संविधि पर भारत होंगे।

१४९. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि संसद्-निमित्त विधि के द्वारा या अधीन विहित किये जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ

१५०. संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे

लेखाओं के विषय में निर्देश देने की नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की शक्ति

१५१. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघलेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उन को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

(२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल * * * के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।

१ अनुच्छेद १४९ और १५० में राज्यों के प्रति निर्देशों का अर्थ ऐसे किया जाएगा मानो कि उनके अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है।

२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद १५१ में खंड (२) लुप्त कर दिया जाएगा।

३ “या राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

PART VI

THE STATES ¹* * *

CHAPTER I.—GENERAL

Definition. **152.** In this part, unless the context otherwise requires, the expression "State" ²[does not include the State of Jammu and Kashmir].

CHAPTER II.—THE EXECUTIVE

The Governor

Governor: of States. **153.** There shall be a Governor for each State:

³[Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.]

Executive power of State. **154.** (1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.

(2) Nothing in this article shall—

(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or

(b) prevent Parliament or the Legislature of the state from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.

Appointment of Governor. **155.** The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

Term of office of Governor. **156.** (1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.

(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.

(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office :

Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

¹The words "IN PART A OF THE FIRST SCHEDULE" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²Subs., *ibid.*, for "means a State specified in Part A of the First Schedule".

³Added by s. 6, *ibid.*

अध्याय १.— साधारण

१५२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में परिभाषा "राज्य" पद ^२[के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर राज्य नहीं है।]

अध्याय २.—कार्यपालिका

राज्यपाल

१५३. प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा।

राज्यों के राज्यपाल

^३[परन्तु इस अनुच्छेद में की कोई बात एक ही व्यक्ति को दोया अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त करने से नहीं रोकेंगी।]

१५४. (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राज्यपाल को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे; अथवा

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् अथवा राज्य के विधानमंडल को बाधा न होगी।

१५५. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति

१५६. (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा।

राज्यपाल की पदावधि

(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

^१ "प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

^२ उपरोक्त के ही द्वारा "का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य है" के स्थान पर रद्द दिये गये।

^३ उपरोक्त की ही धारा ६ द्वारा जोड़ा गया।

Part VI.—The State.—Arts. 157—160.

Qualifications for appointment as Governor.

157. No person shall be eligible for appointment as Governor unless he is a citizen of India and has completed the age of thirty-five years.

Conditions of Governor's office.

158. (1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

(2) The Governor shall not hold any other office of profit.

(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.

¹[(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.]

(4) The emoluments and allowances of the Governor shall not be diminished during his term of office.

Oath or affirmation by the Governor.

159. Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the senior most Judge of that Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say—

‘I, A.B., do swear in the name of God
solemnly affirm

that I will faithfully execute the office of Governor
(or discharge the functions of the Governor) of
_____ (name of the State) and
will to the best of my ability preserve, protect and defend
the Constitution and the law and that I will devote
myself to the service and well-being of the people of
_____ (name of the State).”

Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies.

160. The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.

¹ Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 7.

भाग ६—राज्य—अनु० १५७—१६०

१५७. कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएं

१५८. (१) राज्यपाल न तो मंसूद के किमी मदन का, और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किमी राज्य के विधानमंडल के किमी मदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद के किमी मदन का, अथवा ऐसे किमी राज्य के विधानमंडल के किमी मदन का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने उस मदन में अपना स्थान राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

राज्यपाल के पद के लिये शर्तें

(२) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा।

(३) राज्यपाल को, बिना किराया दिये, अपने पदावामों के उपयोग का हक्क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो मंसूद निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा।

1[(३क) जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांटे किये जायेंगे जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।]

(४) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद की अवधि में घटायें नहीं जायेंगे।

१५९. प्रत्येक राज्यपाल, तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा अर्थात्—

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

ईश्वर की शपथ लेता हूं

“मैं,.....अमुक,.....-

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

कि मैं अर्द्धपूर्वक..... (राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं..... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।”

१६०. इस अध्याय में उपबन्ध न की हुई किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रपति जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध बना सकेगा।

कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

1संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ धारा ७ द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

Part VI.—The States.—Arts. 161—164.

Power of Governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases.

161. The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

Extent of executive power of State.

162. Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws :

Provided that in any matter with respect to which the Legislature of a State and Parliament have power to make laws, the executive power of the State shall be subject to, and limited by, the executive power expressly conferred by this Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities thereof.

Council of Ministers

Council of Ministers to aid and advise Governor.

163. (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.

(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

Other provisions as to Ministers.

164. (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor :

Provided that in the States of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.

(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.

भाग ६—राज्य—अनु० १६१—१६४

१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, या परिहार करने की, अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की उस राज्य के राज्यपाल को शक्ति होगी ।

क्षमा आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति

१६२. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है :

राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधानमंडल और संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उस में राज्य की कोई कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, अथवा संसद् निमित्त किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को स्पष्टता पूर्वक प्रदत्त शक्ति के अधीन रह कर और से परिसीमित हो कर, ही होवेगी ।

मंत्रि-परिषद्

१६३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में महायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होगा ।

राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिस के सम्बन्ध में इस संविधान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई आपत्ति न की जायेगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, या न करना, चाहिये था ।

(३) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी ।

१६४. (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे :

मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध

परन्तु उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिभजातियों के कल्याण के लिये भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा ।

(२) मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।

Part VI.—The States.—Arts. 164—167.

(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.

(4) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister.

(5) The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule.

The Advocate-General for the State

Advocate General
for the State.

165. (1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.

(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

Conduct of Government Business

Conduct of business
of the
Government of a
State.

166. (1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor.

(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

Duties of Chief
Minister as respects
the furnishing
of information
to Governor,
etc.

167. It shall be the duty of the Chief Minister of each State—

(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation.

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for ; and

भाग ६—राज्य—अनु० १६४—१६७

(३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल उम से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शर्तें करायेगा।

(४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छः मासों की किसी कालावधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य न रहे उम कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।

(५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय समय पर उम राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे तथा, जब तक उम राज्य का विधानमंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक, ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है।

राज्य का महाधिवक्ता

१६५. (१) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।

राज्य का महाधिवक्ता

(२) महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह उम राज्य की सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय समय पर भेजे या मौपें तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिये गये हों।

(३) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रमाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा।

सरकारी कार्य का संचालन

१६६. (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम में की हुई कही जायेगी।

राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

(२) राज्यपाल के नाम में दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उमी रीति में किया जायेगा जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक मुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिस के विषय में इस संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहाँ तक उक्त कार्य के बंटवारे के लिये राज्यपाल नियम बनायेगा।

१६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का—

राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य

(क) राज्यकार्यों के शासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राज्यपाल को पहुंचाने का,

(ख) राज्य कार्यों क प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान क लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगावे, उस को देने का, तथा

Part VI.—The States.—Arts. 167—170.

- (c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

CHAPTER III.—THE STATE LEGISLATURE

General

Constitution of Legislatures in States.

168. (1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and

(a) in the States of Bihar, Bombay, ¹[Madhya Pradesh], Madras, ¹[Mysore], Punjab, ²[Uttar Pradesh] and West Bengal, two Houses ;

(b) in other States, one House.

(2) Where there are two Houses of the Legislature of a State, one shall be known as the Legislative Council and the other as the Legislative Assembly, and where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.

Abolition or creation of Legislative Councils in States

169. (1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

(2) Any law referred to in clause (1) shall contain such provisions for the amendment of this Constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary.

(3) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

Composition of the Legislative Assemblies.

³[**170.** (1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

¹ Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 8 (when notified).

² Subs. by the Constitution (Amendment of the First and Fourth Schedules) Order, 1950 (C. O. 3, dated the 25th January, 1950) for "the United Provinces".

³ Subs. by the Constitution (Seventh Amendment), Act, 1956, s. 9 for the original article

भाग-६—राज्य—अनु० १६७—१७०

(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्री-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का, कर्तव्य होगा।

अध्याय ३.—राज्य का विधानमंडल
साधारण

१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल राज्यों के विधान-मंडलों का गठन तथा—

(क) बिहार, मुम्बई ^१[मध्य प्रदेश], मद्रास ^१[मिसूर], पंजाब, ^२[उत्तर प्रदेश] और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में दो सदनों से,

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिल कर बनेगा।

(२) जहां किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हों वहां एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा।

१६९. (१) अनुच्छेद १६८ में किन्ही बात के होने हुए भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-परिषद् के उत्सादन के लिये अथवा वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेंगी यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो। राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन या सृजन

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, प्रामाणिक और अनुसंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।

(३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

^३[१७०. (१) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक विधान-सभाओं की राज्य की विधान-सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन रचना द्वारा चुने हुए पांच ती से अधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।

^१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ८ द्वारा अन्तःस्थापित (जब अधिसूचित हो)।

^२ संविधान (प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों का संशोधन) आदेश १९५० (सी० अ० ३, तारीख २५ जनवरी, १९५०) द्वारा "युक्त प्रान्त" के स्थान पर रखा गया।

^३ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ६ द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर रखा गया।

Part VI.—The States.—Arts. 170-171.

* (2) For the purposes of clause (1), each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the State.

Explanation.—In this clause, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.

(3) Upon the completion of each census, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine :

Provided that such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly.]

Composition of
the Legislative
Councils.

171. (1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed ¹[one-third] of the total number of members in the Legislative Assembly of that State :

Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

(2) Until Parliament by law otherwise provides, the composition of the Legislative Council of a State shall be as provided in clause (3).

(3) Of the total number of members of the Legislative Council of a State—

(a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify ;

*NOTE.— Paragraph 2 of the Constitution (Removal of Difficulties) Order No. VIII provides as follows:—

For the period during which the tribal areas specified in Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution or any parts thereof are administered by the President by virtue of sub-paragraph (2) of paragraph 18 of the said Schedule, the Constitution of India shall have effect subject to the following adaptation :—

In clause (2) of article 170, after the words, “throughout the State” the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the constituencies into which the State of Assam is divided shall not comprise the tribal areas specified in Part B of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule.”

¹ Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 10, for “one-fourth”.

भाग ६—राज्य—अनु० १७०-१७१

* (२) खंड (१) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा।

व्याख्या—इस खंड में “जनसंख्या” पद से ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है।

(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे ;

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान विधान-सभा का विघटन न हो जाये।]

१७१. (१) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक रचना [‘निहाई’] से अधिक न होगी :

परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक किसी राज्य की विधान-परिषद् की रचना खंड (३) में उपबन्धित रीति से होगी।

(३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या का—

(क) यथाशक्य तृतीयांश उम राज्य में की नगरपालिकाओं, जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा ;

*टिप्पणी—संविधान (कठिनाई निवारण) आदेश संख्या ८ की कंडिका २ में निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है—

संविधान की षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) या उसके किन्हीं भागों में उल्लिखित आदिमजाति क्षेत्रों का जिस कालावधि के लिए उक्त अनुसूची की कंडिका १८ की उपकंडिका (२) के बल पर राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन किया जाता है उसके दौरान में भारत का संविधान निम्नलिखित अनुकूलनों के अध्याधीन प्रभावी होगा, अर्थात्—

अनुच्छेद १७० के खंड (२) में “यथासाध्य एक ही होगा” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु आसाम राज्य जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाए उनमें वे आदिमजाति क्षेत्र समाविष्ट न होंगे जो कि षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित हैं।”

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १० द्वारा “चौथाई” के स्थान पर रखा गया।

Part VI.—The States.—Arts. 171-172.

- (b) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons residing in the State who have been for at least three years graduates of any university in the territory of India or have been for at least three years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university ;
- (c) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament ;
- (d) as nearly as may be, one-third shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly ;
- (e) the remainder shall be nominated by the Governor in accordance with the provisions of clause (5).

(4) The members to be elected under sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and the elections under the said sub-clauses and under sub-clause (d) of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The members to be nominated by the Governor under sub-clause (e) of clause (3) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely :—

Literature, science, art, co-operative movement and social service.

Duration of State Legislatures.

172. (1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly.

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

(2) The Legislative Council of a State shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

भाग ६—राज्य—अनु० १७१-१७२

- (ख) यथाशक्य द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत-राज्य क्षेत्र में के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से ऐसी ग्रहंताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी विश्व-विद्यालय के स्नातक की ग्रहंताओं के तुल्य विहित की गई हों ;
- (ग) यथाशक्य द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं जैसी कि संसद् निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ;
- (घ) यथाशक्य तृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं ;
- (ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उम रीति से नाम-निर्देशित होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में उपबन्धित हैं ।

(४) खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जायेंगे, जैसे कि संसद् निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा विहित किये जायें तथा उक्त खंड उपखंडों के, और उपखंड (घ) के अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

(५) खंड (३) के उपखंड (ङ) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा ।

१७२. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाय तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा :

राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि

परन्तु उक्त कालावधि को जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी

(२) राज्य की विधान-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उस के सदस्यों में से यथाशक्ति निकटतम एक तिहाई संसद् निर्मित विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे ।

Part VI.—The States.—Arts. 173—176.

Qualification for membership of the State Legislature.

173. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—

- (a) is a citizen of India ;
- (b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and
- (c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

Sessions of the State Legislature prorogation and dissolution.

¹[**174.** (1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

- (2) The Governor may from time to time—
- (a) prorogue the House or either House ;
- (b) dissolve the Legislative Assembly.]

Right of Governor to address and send messages to the House or Houses.

175. (1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members.

(2) The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the State, whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

Special address by the Governor.

176. (1) At the commencement of ²[the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year] the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address ³****.

¹ Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951 s. 8 for the original article.

² Subs. by s. 9, *ibid.*, for "every session".

³ The words "and for the precedence of such discussion over other business of the House" were omitted by the Constitution (First Amendment) Act, 1951 s. 9.

भाग ६—राज्य—अनु० १७३—१७६

१७३. कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह तब तक न होगा जब तक कि—

राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता

- (क) वह भारत का नागरिक न हो ;
- (ख) विधान-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, न हो ; तथा
- (ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ।

[१७४. (१) राज्यपाल, समय समय पर, राज्य के विधानमंडल के सदस्य या प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा किन्तु उस के एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा ।

राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

(२) राज्यपाल समय समय पर—

- (क) सदन या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा,
- (ख) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा ।]

१७५. (१) विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

सदन या सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

(२) राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लिखित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार करेगा ।

१७६. (१) [विधान-सभा के लिये प्रत्येक साधारण-निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में] विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधानमंडल को बतायेगा ।

प्रत्येक सत्रारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये * * * उपबन्ध किया जायेगा ।

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ८ द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर रखा गया ।

2 उपरोक्त की ही धारा ६ द्वारा "प्रत्येक सत्र के आरम्भ में" के स्थान पर रखे गये ।

3 "तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये" शब्द संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा ६ द्वारा सुप्त कर दिये गये ।

Part VI.—The States.—Arts. 177—180.

Rights of Ministers and Advocate-General as respects the Houses.

177. Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote.

Officers of the State Legislature

The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.

178. Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Speaker and Deputy Speaker.

179. A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly—

- (a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;
- (b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and
- (c) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly;

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution:

Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker.

180. (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker.

भाग ६—राज्य—अनु० १७७१—८०

१७७. राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक्क न होगा।

सदनों विधायक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधानमंडल के पदाधिकारी

१७८. राज्य की प्रत्येक विधान-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

१७९. विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा ; तथा

(ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा ;

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ;

परन्तु यह और भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा।

१८०. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो विधान-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

अध्यक्ष-पद के कर्तव्य-पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

(२) विधान-सभा की किसी भी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

Part VI.—The States.—Arts. 181—184.

The Speaker and the Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.

181. (1) At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 180 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be the Deputy Speaker, is absent.

(2) The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the Assembly and shall, notwithstanding anything in article 180, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council.

182. The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.

Vacation and resignation of, and removal from, the offices of Chairman and Deputy Chairman.

183. A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative Council—

- (a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Council;
- (b) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Chairman, to the Deputy Chairman, and if such member is the Deputy Chairman, to the Chairman, resign his office; and
- (c) may be removed from his office by a resolution of the Council passed by a majority of all the then members of the Council;

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution.

Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Chair-

184. (1) While the office of Chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Chairman or, if the office of Deputy Chairman is also vacant, by such member of the Council as the Governor may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Chairman from any sitting of the Council the Deputy Chairman or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Council, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Council, shall act as Chairman.

भाग ६—राज्य—अनु० १८१—१८४

१८१. (१) विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खंड (२) के उपबन्ध उमी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के संबन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं।

जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-सभा में विचाराधीन हो तब उस को सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८१ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मत साम्य होने की दशा में न होगा।

१८२. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहां ऐसी परिषद् हो, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी तथा जब जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेगी।

विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति

१८३. विधान-परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

सभापति और उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है तथा सभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा ; तथा

(ग) परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत में पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो।

१८४. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उपसभापति अथवा यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य, जिसे राज्य-पाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति

(२) विधान-परिषद् की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निर्धारित करे सभापति के रूप में कार्य करेगा।

Part VI.—The States.—Arts. 185—188.

The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration.

185. (1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 184 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman is absent.

(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Council while any resolution for his removal from office is under consideration in the Council and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman.

186. There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

Secretariat of State Legislature.

187. (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff :

Provided that nothing in this clause shall, in the case of the Legislature of a State having a Legislative Council, be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of such Legislature.

(2) The Legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State.

(3) Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause.

Conduct of Business

Oath or affirmation by members.

188. Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath of affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

भाग ६—राज्य—अनु० १८५—१८८

१८५. (१) विधान-परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।

जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा

(२) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-परिषद् में विचाराधीन हो तब उस को परिषद् में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्य-वाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८६ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक होगा किन्तु मत साम्य की दशा में न होगा।

१८६. विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते

१८७. (१) राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् साचविक कर्मचारी-बृन्द होगा :

राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय

परन्तु विधान-परिषद् वाले राज्य के विधानमंडल के बारे में इस खंड को किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधानमंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

(२) राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-बृन्द में भरती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधानमंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान-सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद् के सभापति से, परामर्श कर के सभा या परिषद् के साचविक कर्मचारी-बृन्द में भर्ती के तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार के बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

कार्य-संचालन

१८८. राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के सम, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेना या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

Part VI.—The States.—Arts. 189—190.

Voting in Houses,
power of Houses
to act notwith-
standing vacan-
cies and quorum.

189. (1) Save as otherwise provided in this Constitution, all questions at any sitting of a House of the Legislature of a State shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the Speaker or Chairman, or person acting as such.

The Speaker or Chairman, or person acting as such, shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(2) A House of the Legislature of a State shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Legislature of a State shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(3) Until the Legislature of the State by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of a House of the Legislature of a State shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the House, whichever is greater.

(4) If at any time during a meeting of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker or Chairman, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.

Disqualifications of Members

Vacation of seats.

190. (1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(2) No person shall be a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more such States, then, at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that person's seat in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States.

(3) If a member of a House of the Legislature of a State—

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191; or

(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be,

his seat shall thereupon become vacant.

(4) If for a period of sixty days a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

भाग ६—राज्य—अनु० १८६—१९०

१८६. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की किसी बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, पर मत साम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हक्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधानमंडल में की कार्यवाही मान्य होगी।

(३) जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का द्वाितीय, डम में से जो भी अधिक हो, होगी।

(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।

सदस्यों की अनर्हताएं

१९०. (१) कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा।

स्थानों की रिक्तता

(२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, ऐसे सब राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में के विधानमंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।

(३) यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है, अथवा

(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(४) यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उस के सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।

परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सप्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।

Part VI.—The States.—Arts. 191—194.

Disqualifications
for membership.

191. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

- (a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;
- (b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) if he is an undischarged insolvent;
- (d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;
- (e) if he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

(2) For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

Decision on ques-
tion: as to dis-
qualifications of
members.

192. (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

Penalty for sit-
ting and voting
before making
oath or affirma-
tion under arti-
cle 188 or when
not qualified or
when disqualified.

193. If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.

*Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures
and their Members*

Powers, privileges,
etc., of the Hou-
ses of Legisla-
tures and of the
members and
committees there-
of.

194. (1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.

भाग ६—राज्य—अनु० १६१—१६४

१६१. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

- (क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;
- (ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
- (ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है;
- (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है;
- (ङ) यदि वह संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है।

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

१६२. (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद १६१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

१६३. यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि में उसकी सदस्यता के लिये अर्ह नहीं है अथवा अनर्ह कर दिया गया है अथवा संसद् द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

राज्य के विधानमंडलों और उन के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

१६४. (१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा विधानमंडल की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक स्वातंत्र्य होगा।

सदस्यता के लिए अनर्हतायें

सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अनर्ह होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने और मत देने के लिये दण्ड

विधानमंडलों के सदस्यों की तथा उन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि

Part VI.—The States.—Arts. 194—196.

(2) No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such a Legislature of any report, paper, votes or proceedings.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution.

(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of the Legislature of a State or any committee thereof as they apply in relation to members of that Legislature.

Salaries and allowances of members.

195. Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province.

Legislative Procedure

Provisions as to introduction and passing of Bills.

196. (1) Subject to the provisions of articles 198 and 207 with respect to Money Bills and other financial Bills, a Bill may originate in either House of the Legislature of a State which has a Legislative Council.

(2) Subject to the provisions of articles 197 and 198, a Bill shall not be deemed to have been passed by the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council unless it has been agreed to by both Houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both Houses.

(3) A Bill pending in the Legislature of a State shall not lapse by reason of the prorogation of the House or Houses thereof.

(4) A Bill pending in the Legislative Council of a State which has not been passed by the Legislative Assembly shall not lapse on a dissolution of the Assembly.

भाग ६—राज्य—धनु० १९४—१९६

(२) राज्य के विधानमंडल में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में विधानमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी ।

(३) अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान-मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं ।

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधारे पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है उनके सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधानमंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं ।

१९५. राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक्क होगा ।

सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधान प्रक्रिया

१९६. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन में प्रारम्भ हो सकेगा ।

विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध

(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो ।

(३) किसी राज्य के विधानमंडल में लम्बित-विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्ताबसान के कारण व्ययगत न होगा ।

(४) किसी राज्य की विधान-परिषद् में लम्बित-विधेयक, जिसको विधान-सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के विघटन पर व्ययगत न होगा ।

(5) A Bill which is pending in the Legislative Assembly of a State, or which having been passed by the Legislative Assembly is pending in the Legislative Council, shall lapse on a dissolution of the Assembly.

Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bill.

197. (1) If after a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council and transmitted to the Legislative Council—

- (a) the Bill is rejected by the Council ; or
- (b) more than three months elapse from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it; or
- (c) the Bill is passed by the Council with amendments to which the Legislative Assembly does not agree;

the Legislative Assembly may, subject to the rules regulating its procedure, pass the Bill again in the same or in any subsequent session with or without such amendments, if any, as have been made, suggested or agreed to by the Legislative Council and then transmit the Bill as so passed to the Legislative Council.

(2) If after a Bill has been so passed for the second time by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council—

- (a) the Bill is rejected by the Council; or
- (b) more than one month elapses from the date on which the Bill is laid before the Council without the Bill being passed by it; or
- (c) the Bill is passed by the Council with amendments to which the Legislative Assembly does not agree,

the Bill shall be deemed to have been passed by the Houses of the Legislature of the State in the form in which it was passed by the Legislative Assembly for the second time with such amendments, if any, as have been made or suggested by the Legislative Council and agreed to by the Legislative Assembly.

(3) Nothing in this article shall apply to a Money Bill.

Special procedure in respect of Money Bills.

198. (1) A Money Bill shall not be introduced in a Legislative Council.

(2) After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendations, and the Legislative Council shall within a period of fourteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the Legislative Assembly with its recommendations, and the Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council.

भाग ६—राज्य—अनु० १६६--१६८

(५) कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बित है, अथवा, जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान-परिषद् में लम्बित है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।

१६७. (१) यदि विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

- (क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा
- (ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उस से विधेयक पारित हुए बिना तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा
- (ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिनसे सभा सहमत नहीं होती;

धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिषद् की शक्तियों का निबन्धन

तो विधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी आगे आने वाले सत्र में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित या बिना, यदि कोई हों, जो विधान-परिषद् ने किये हैं, सुझाये हैं या स्वीकार किये हैं, पुनः पारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान-परिषद् को पहुंचा सकेगी।

(२) यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

- (क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा
- (ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उस से विधेयक पारित हुए बिना एक मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है, अथवा
- (ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करती;

तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो कि विधान-परिषद् द्वारा किये गये या सुझाये गये हों तथा विधान-सभा ने स्वीकार कर लिये हों, दूसरी बार पारित किया गया था।

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू नहीं होगी।

१६८. (१) विधान-परिषद् में धन विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा।

धन-विधेयकों विषय-क विशेष) प्रक्रिया

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, धन-विधेयक विधान-परिषद् को, उसकी सिफारिशों के लिये पहुंचाया जायेगा तथा विधान-परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधान-सभा को सौटा देगी तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिषद् की सिफारिशों में से सब को, या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

Part VI.—The States.—Arts. 1981—99.

(3) If the Legislative Assembly accepts any of the recommendations of the Legislative Council, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses with the amendments recommended by the Legislative Council and accepted by the Legislative Assembly.

(4) If the Legislative Assembly does not accept any of the recommendations of the Legislative Council, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by the Legislative Assembly without any of the amendments recommended by the Legislative Council.

(5) If a Money Bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly.

Definition of
Money Bill.

199. (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—

- (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
- (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the State, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the State;
- (c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of the State, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
- (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State;
- (e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, or the increasing of the amount of any such expenditure;
- (f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue of such money; or
- (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

(2) A Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) If any question arises whether a Bill introduced in the Legislature of a State which has a Legislative Council is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of such State thereon shall be final.

भाग ६—राज्य—अनु० १६८—१६९

(३) यदि विधान-परिषद् की सिफारिशों में से किसी को विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक विधान-परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा

(४) यदि विधान-परिषद् की सिफारिशों में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन के बिना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह विधान-सभा द्वारा पारित समझा गया था।

(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित तथा विधान-परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान सभा ने उसको पारित किया था।

१६९. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्—

धन-विधेयकों की परिभाषा

- (क) किसी कर का आरोपण, उत्पादन, परिहार बदलना या विनियमन;
- (ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि का संशोधन;
- (ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना;
- (घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;
- (ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;
- (च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना; अथवा
- (छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का, अथवा अनुसूक्तियों के लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं के लिए फीसों की अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है अथवा, इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्पादन, परिहार बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

Part VI.—The States.—Arts. 199—202.

(4) There shall be endorsed on every Money Bill when it is transmitted to the Legislative Council under article 198, and when it is presented to the Governor for assent under article 200, the certificate of the Speaker of the Legislative Assembly signed by him that it is a Money Bill.

Assent to Bills.

200. When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President :

Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom :

Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.

Bills reserved for consideration.

201. When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom :

Provided that, where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the House or, as the case may be, the Houses of the Legislature of the State together with such a message as is mentioned in the first proviso to article 200 and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House or Houses with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration.

*Procedure in Financial Matters***Annual financial statement.**

202. (1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement."

भाग ६—राज्य—अनु० १६६-२०२

(४) अनुच्छेद १६८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अधीन अनुमति के लिये राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।

२००. जब राज्य की विधान सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा, कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लेता है :

विधेयकों पर अनुमति

परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जानें के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उस के किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार कर तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उसने अपने संदेश में सिफारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति न रोकेगा :

परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिस की पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया है, संकटापन्न हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा।

२०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मति देता है या सम्मति रोक लेता है :

विचारार्थ रक्षित विधेयक

परन्तु जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन को या सदनों को ऐसे संदेश सहित, जैसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परन्तुक में वर्णित है, लौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाये तब ऐसे संदेश के मिलने की तारीख से छः महीने की कालावधि के अंदर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार फिर से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशोधन के सहित या बिना सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

२०२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

वार्षिक-वित्त विवरण

Part VI.—The States.—Arts. 202–204.

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

- (a) the sums required to meet expenditure described by this Constitution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State; and
 - (b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the State;
- and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of each State—

- (a) the emoluments and allowances of the Governor and other expenditure relating to his office;
- (b) the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, in the case of a State having a Legislative Council, also of the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council;
- (c) debt charges for which the State is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt;
- (d) expenditure in respect of the salaries and allowances of judges of any High Court;
- (e) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal;
- (f) any other expenditure declared by this Constitution or by the Legislature of the State by law, to be so charged.

Procedure in
Legislature with
respect to esti-
mates.

203. (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and the Legislative Assembly shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor.

appropriation
ls.

204. (1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet—

- (a) the grants so made by the Assembly; and
- (b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses.

भाग ६—राज्य—अनु० २०२-२०४

- (२) वार्षिक-वित्त-विवरण व्यय के प्राक्कलन में दिये हुए—
 (क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ; तथा
 (ख) राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ;

पूयक पूयक दिखायी जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय में भेद किया जायेगा

(३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा —

- (क) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;
 (ख) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में विधान-परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन, और भत्ते;
 (ग) ऐसे ऋण-भार जिनका दायित्व राज्य पर है जिनके अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार, और मोचन-भार, उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋण मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं;
 (घ) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों विषयक व्यय;
 (ङ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय आज़ाप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियाँ;
 (च) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

२०३. (१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलन विधान-सभा में मतदान के लिये न रखे जायेंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह विधानमंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।

विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितने अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे विधान-सभा के समस्त अनुदान-मांग के रूप में रखे जायेंगे तथा विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे।

(३) राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

२०४. (१) विधान-सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से—

विनियोग-विधेशक

- (क) सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की, तथा
 (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की,

पूर्ति के लिये अपेक्षित ऋण धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.

(3) Subject to the provisions of articles 205 and 206, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.

Supplementary,
additional or
excess grants.

205. (1) The Governor shall—

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year,

cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provisions of articles 202, 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure or grant.

Votes on account,
votes of credit
and exceptional
grants.

206. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power—

(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure;

(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon the resources of the State when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement.

भाग ६—राज्य—अनु० २०४-२०६

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।

२०५. (१) यदि—

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अवैधित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई वन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल यथास्थित राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधानसभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

२०६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान-सभा को—

लेखानुदान, प्रत्य-
यानुदान और
अपवादानुदान

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति सम्बन्धित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के सम्बन्धित रहने तक, पेशगी देने की,

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे व्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्त-विवरण में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति-स्त्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की,

Part VI.—The States.—Arts. 206–208.

(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year;

and the Legislature of the State shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the State for the purposes for which the said grants are made.

(2) The provisions of articles 203 and 204 shall have effect in relation to the making of any grant made under clause (1) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State to meet such expenditure.

Special provisions
as to financial
Bills.

207. (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council :

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill.

Procedure Generally

Rules of procedure.

208. (1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

(2) Until rules are made under clause (1), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature for the corresponding Province shall have effect in relation to the Legislature of the State subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly, or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be.

(3) In a State having a Legislative Council the Governor, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the Legislative Council, may make rules as to the procedure with respect to communications between the two Houses.

भाग ६—राज्य—अनु० २०६-२०८

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा प्रापदादिक अनुदान करने की,

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में ऐसे व्यय की पुति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

२०७. (१) अनुच्छेद १६६ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा:

वित्तविधेयकों के लिये उपबन्ध

परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी।

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दण्ड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभियानना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जबतक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिपारिश न की हो।

साधारणतया प्रक्रिया

२०८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।

प्रक्रिया के नियम

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, तत्स्थानी राज्य के प्रांतीय विधानमंडल के सम्बन्ध में, जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधानमंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।

(३) विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद्, के सभापति से परामर्श करने के परचात् राज्यपाल, उनमें परस्पर संचार सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

Part VI.—The States.—Arts. 209—213.

Regulation by law of procedure in the Legislature of the State in relation to financial business.

209. The Legislature of a State may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of, and the conduct of business in, the House or Houses of the Legislature of the State in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State, and, if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by the House or either House of the Legislature of the State under clause (1) of article 208 or with any rule or standing order having effect in relation to the Legislature of the State under clause (2) of that article, such provision shall prevail.

Language to be used in the Legislature.

210. (1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English :

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother-tongue.

(2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom.

Restriction on discussion in the Legislature.

211. No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

Courts not to inquire into proceedings of the Legislature.

212. (1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No Officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

CHAPTER IV.—LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR

Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature.

213. (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require ;

Provided that the Governor shall not, without instructions from the President, promulgate any such Ordinance if—

(a) a Bill containing the same provisions would under this Constitution have required the previous sanction of the President for the introduction thereof into the Legislature; or

भाग ६—राज्य—अनु० २०६-२१३

२०६. वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहाँ तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपबन्ध अनुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये गये, नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन राज्य के विधानमंडल के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और वहाँ तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

२१०. (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा :

विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा

परन्तु यथास्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद् का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(२) जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं।

२११. उच्चतमन्यायालय या किसी उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा न होगी।

विधानमंडल में चर्चा पर निर्बन्धन

२१२. (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।

न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न करेगा

(२) राज्य के विधानमंडल का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियाँ निहित हैं उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

अध्याय ४.—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ

२१३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान-सभा, तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्त में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों :

विधानमंडल विश्रान्तिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापन शक्ति

परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित न करेगा यदि—

(ख) जैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुरःस्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी की अपेक्षा होती, अथवा।

(b) he would have deemed it necessary to reserve a Bill containing the same provisions for the consideration of the President ; or

(c) an Act of the Legislature of the State containing the same provisions would under this Constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the President, it had received the assent of the President.

(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance—

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council ; and

(b) may be withdrawn at any time by the Governor.

Explanation.—Where the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause.

(3) If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void :

Provided that, for the purposes of the provisions of this Constitution relating to the effect of an Act of the Legislature of a State which is repugnant to an Act of Parliament or an existing law with respect to a matter enumerated in the Concurrent List, an Ordinance promulgated under this article in pursuance of instructions from the President shall be deemed to be an Act of the Legislature of the State which has been reserved for the consideration of the President and assented to by him.

CHAPTER V.—THE HIGH COURTS IN THE STATES

High Courts for States.

214. 1* * * There shall be a High Court for each State.

1* * * * *

*The brackets and figure "(1)" and cls. (2) and (3) omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग ६—राज्य—अनु० २१३-२१४

- (ख) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना वह आवश्यक समझता; अथवा
- (ग) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनमति प्राप्त न हो चुकी होती।

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रस्थापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

- (क) राज्य की विधानसभा के समक्ष, तथा जहाँ राज्य में विधान-परिषद् है वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसके निरनुमोदन का संकल्प विधान-सभा से पारित, और यदि विधान-परिषद् है तो उससे स्वीकृत हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा

- (ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा।

व्याख्या—जब विधान परिषद् वाले राज्य के विधानमंडल के सदन भिन्न-भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये ग्राह्य किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छः सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा :

परन्तु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के, जो समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद् के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रस्थापित किया गया है, राज्य के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया था तथा उसके द्वारा अनुमत हो चुका है।

अध्याय ५—राज्यों के उच्च न्यायालय

२१४. * * * प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा।

राज्यों के लिये उच्च न्यायालय

¹ कोष्ठक और अंक "(१)" तथा खंड (२) और (३) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

High Courts to be courts of record. **215.** Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.

Constitution of High Courts. **216.** Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint :

* * * * *

Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court. **217.** (1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and ²[shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty years]:

Provided that—

(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office ;

(b) a Judge may be removed from his office by the President in the manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court ;

(c) ~~the~~ office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he is a citizen of India and—

(a) has for at least ten years held a judicial office in the territory of India ; or

(b) has for at least ten years been an advocate of a High Court ³* * * or of two or more such Courts in succession.

Explanation.—For the purposes of this clause—

(a) in computing the period during which a person has been an advocate of a High Court, there shall be included any period during which the person has held judicial office after he became an advocate ;

¹Proviso omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 11.

²Subs. by s. 12, *ibid.*, for "shall hold office until he attains the age of sixty years".

³The words "in any State specified in the First Schedule", omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग ६—राज्य—अनु० २१५-२१७

२१५. प्रत्येक उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियाँ होंगी।

उच्चन्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे

२१६. प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

उच्चन्यायालयों का गठन

२१७. (१) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उम राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ कर अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति की दशा में, उम राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश ^२[अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की अवस्था में अनुच्छेद २२४ में यथा उपबन्धित के अनुसार, और किसी अन्य दशा में तब तक जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न करले, पद धारण करेगा]

उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति तथा उस के पद की शर्तें

परन्तु—

- (क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा;
- (ख) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के हेतु इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;
- (ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्यक्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा।

(२) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, तथा—

- (क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; अथवा
- (ख) * * * उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजनों के लिये—

- (क) किसी उच्चन्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालावधि की संगणना के अन्तर्गत वह कोई कालावधि भी होगी जिसमें किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो;

परन्तुक संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ११ द्वारा लुप्त कर दिया गया।

उपरोक्त की ही धारा १२ द्वारा “तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले” के स्थान पर रखे गये।

“प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part VI.—The States.—Arts. 217—221.

(b) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of a High Court, there shall be included any period before the commencement of this Constitution during which he has held judicial office in any area which was comprised before the fifteenth day of August, 1947, within India as defined by the Government of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area, as the case may be.

Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts.

218. The provisions of clauses (4) and (5) of article 124 shall apply in relation to a High Court as they apply in relation to the Supreme Court with the substitution of references to the High Court for references to the Supreme Court.

Oath or affirmation by Judges of High Courts.

219. Every person appointed to be a Judge of a High Court * * * shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Restriction on practice after being a permanent Judge.

220. No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.

Explanation.—In this article, the expression “High Court” does not include a High Court for a State specified in Part B of the First Schedule as it existed before the commencement² of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.]

Salaries, etc. of Judges.

221. (1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as are specified in the Second Schedule.

(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule :

Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

¹The words “in a State”, omitted, by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 13 and Sch. for the original art. 220.

³1st November, 1956.

भाग ६—राज्य—अनु० २१७-२२१

(ख) उस कालावधि की संगणना के अंतर्गत, जिसमें कि कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की वह कोई कालावधि भी होगी जिसमें उसने किसी क्षेत्र में, जो १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व, भारत शासन-अधिनिियम, १९३५ में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, यथास्थिति न्यायिक पद धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो।

२१८. अनुच्छेद १२४ के खंड (४) और (५) के उपबन्ध जहाँ जहाँ उनमें उच्चतमन्यायालय के निर्देश हैं वहाँ वहाँ उच्चन्यायालय के निर्देश रख कर, उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्यायालय के सम्बन्ध में लागू हैं।

उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालयों को लागू होना

२१९. * * * उच्चन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के, अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

२२०. ² कोई व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ के बाद उच्चन्यायालय के स्थायी न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय या अन्य उच्चन्यायालयों के सिवाय भारत के किसी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि वृत्ति पर निर्बन्धन

ब्याख्या—इस अनुच्छेद में “उच्च न्यायालय” पदावलि के अन्तर्गत संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ से पूर्व यथा वर्तमान प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के लिए उच्च न्यायालय नहीं है।]

२२१. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतन के बारे में से अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निमित्त विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं हनक होगा।

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उसकी अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

¹ “किसी राज्य के” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

² संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १३ और अनुसूची द्वारा मूल अनुच्छेद २२० के स्थान पर रखा गया।

³ १ नवम्बर, १९५६

Part VI.—The States.—Arts. 222—225.

Transfer of a Judge from one High Court to another.

222. (1) The President may, after consultation with the Chief Justice of India, transfer a Judge from one High Court to any other High Court ¹* * *.

* * * * *

Appointment of acting Chief Justice.

223. When the office of Chief Justice of a High Court is vacant or when any such Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.

Appointment of additional and acting Judges.

³[**224.** (1) If by reason of any temporary increase in the business of a High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that the number of the Judges of that Court should be for the time being increased, the President may appoint duly qualified persons to be additional Judges of the Court for such period not exceeding two years as he may specify.

(2) When any Judge of a High Court other than the Chief Justice is by reason of absence or for any other reason unable to perform the duties of his office or is appointed to act temporarily as Chief Justice, the President may appoint a duly qualified person to act as a Judge of that Court until the permanent Judge has resumed his duties.

(3) No person appointed as an additional or acting Judge of a High Court shall hold office after attaining the age of sixty years.]

Jurisdiction of existing High Courts.

225. Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by this Constitution, the jurisdiction of, and the law administered in, any existing High Court, and the respective powers of the Judges thereof in relation to the administration of justice in the Court, including any power to make rules of Court and to regulate the sittings of the Court and of members thereof sitting alone or in Division Courts, shall be the same as immediately before the commencement of this Constitution :

Provided that any restriction to which the exercise of original jurisdiction by any of the High Courts with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered or done in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this Constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction.

¹The words "within the territory of India", omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 14.

²Cl. (2) omitted, *ibid.*

³Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 15 for the original art. 224.

भाग ६—राज्य—अनु० २२२—२२५

२२२. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के
 1* * * एक उच्चन्यायालय से किसी दूसरे उच्चन्यायालय को किसी
 न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा।

एक उच्चन्याया-
 लय से दूसरे को
 किसी न्यायाधीश
 का स्थानान्तरण

2 * * * * *

२२३. जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त
 हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों
 का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक,
 जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

कार्यकारी मुख्य
 न्यायाधिपति की
 नियुक्ति

3 [२२४. (१) यदि किसी उच्चन्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी
 वृद्धि के कारण या उसमें काम की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है
 कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय के लिये बढ़ा देना चाहिये
 तो राष्ट्रपति सम्यक् रूपेण अर्ह व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि
 के लिये, जैसी कि वह उल्लिखित करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश होने के
 लिये नियुक्त कर सकेगा।

अपर और कार्य-
 कारी न्यायाधीशों
 की नियुक्ति

(२) जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न कोई न्यायाधीश
 अनुपस्थिति के कारण से या किसी अन्य कारण के लिये अपने पद के कर्तव्यों का पालन
 करने के लिये अयोग्य है या मुख्य न्यायाधिपति के रूप में अस्थायी रूपेण कार्य करने
 के लिये नियुक्त किया जाता है तब राष्ट्रपति सम्यक् रूपेण अर्ह किसी व्यक्ति को तब
 तक के लिये उस न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त
 कर सकेगा जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पुनर्गृहीत नहीं कर लेता।

(३) उच्चन्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
 कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण न करेगा।]

२२५. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, तथा इस संविधान द्वारा
 विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई
 हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी वर्तमान उच्चन्यायालय का
 क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याया-प्रशासन के
 संबंध में उस के न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के
 नियम बनाने की तथा उस न्यायालय की बैठकों और उस के सदस्यों के अकेले
 या खंड-न्यायालयों में बैठने का विनियमन करने की कोई शक्ति भी है, वैसी ही
 रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले थीं ;

वर्तमान उच्च-
 न्यायालयों के
 क्षेत्राधिकार

परन्तु राजस्व संबंधी, अथवा उस के संगृहीत करने में आदेशित अथवा किये
 हुए किसी कार्य संबंधी विषय में उच्चन्यायालयों में से किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार
 का प्रयोग, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले था,
 वह निर्बन्धन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर आगे लागू न होगा।

1 "भारत राज्य-क्षेत्र में के" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १४

2 द्वारा सुप्त कर दिये गये।

3 खंड (२) उपरोक्त के ही द्वारा सुप्त कर दिया गया।

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १५ द्वारा मूल अनुच्छेद २२४ के स्थान पर रखा गया।

Power of High Courts to issue certain writs.

226. (1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari* or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.

(2) The power conferred on a High Court by clause (1) shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32.

Power of Superintendence over all courts by the High Court.

227. (1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the High Court may—

- (a) call for returns from such courts ;
- (b) make and issue general rules and prescribe forms for regulating the practice and proceedings of such courts ; and
- (c) prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such courts.

(3) The High Court may also settle tables of fees to be allowed to the sheriff and all clerks and officers of such courts and to attorneys, advocates and pleaders practising therein :

Provided that any rules made, forms prescribed or tables settled under clause (2) or clause (3) shall not be inconsistent with the provision of any law for the time being in force, and shall require the previous approval of the Governor.

(4) Nothing in this article shall be deemed to confer on a High Court powers of superintendence over any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

Transfer of certain cases to High Court.

228. If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case and may—

- (a) either dispose of the case itself, or
- (b) determine the said question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question, and the said court shall on receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

भाग ६—राज्य—अनु० २२६—२२८

२२६. (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को उन क्षेत्रों में सर्वत्र, जिन के संबंध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य-क्षेत्रों में से किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समूचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पूच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा उन में से किसी को निकालने की शक्ति होगी।

कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति

(२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अन्वेषण न होगा।

२२७. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य-क्षेत्रों में सर्वत्र, जिन के संबंध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा।

सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव हुए उच्चन्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा;

(ख) ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन के हेतु साधारण नियम बना और निकाल सकेगा तथा प्रपत्रों को विहित कर सकेगा; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा रखी जान वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाग्रों के प्रपत्रों को विहित कर सकेगा।

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरीफ को तथा समस्त लिपिकों को और पदाधिकारियों को तथा इन में वृत्ति करने वाले न्यायवादियों, अधिवक्ताग्रों, और बकीलों को मिल सकेंगी:

परन्तु खंड (२) या खंड (३) के अधीन बनाय हुये कोई अन्यथा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीभूत कोई सारणी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चन्यायालय को सशस्त्र बलों संबंधी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली न समझी जायेगी।

२२८. यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस के अधीन न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिस का निर्धारित होना मामले को निबटाने के लिये आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा—

विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण

(क) या तो मामले को स्वयं निबटा सकेगा; या

(ख) उक्त विधि-प्रश्न का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस मामले को उस न्यायालय को, जिस से मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तथा उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते हुये उस मामले को निबटाने के लिये भागे कार्यवाही करेगा।

Part VI.—The States.—Arts. 229—231.

Officers and servants and the expenses of High Courts.

(1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or Officer of the Court as he may direct :

Provided that the Governor of the State ¹* * * may by rule require that in such cases as may be specified in the rule no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court save after consultation with the State Public Service Commission.

(2) Subject to the provisions of any law made by the Legislature of the State, the conditions of service of officers and servants of a High Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of the Court or by some other Judge or Officer of the Court authorised by the Chief Justice to make rules for the purpose :

Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries allowances, leave or pensions, require the approval of the Governor of the State ¹* * *.

(3) The administrative expenses of a High Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of the State, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund.

Extension of jurisdiction of High Courts to Union territories.

²[230. (1) Parliament may by law extend the jurisdiction of a High Court to, or exclude the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.

(2) Where the High Court of a State exercises jurisdiction in relation to a Union territory,—

(a) nothing in this Constitution shall be construed as empowering the Legislature of the State to increase, restrict or abolish that jurisdiction ; and

(b) the reference in article 227 to the Governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts in that territory, be construed as a reference to the President.

Establishment of a common High Court for two or more States.

³231 (1) Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this Chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union territory.

¹The words "in which the High Court has its principal seat", omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 16, for the original arts. 230, 231 and 232.

भाग ६—राज्य—खण्ड ० २२६—२३१

२२६. (१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा :

उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल ^१. * * * नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं श्रवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोकसेवा-आयोग से परामर्श किये बिना नियुक्त न किया जायेगा ।

(२) राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी, जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे :

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां तक कि वे वेतनों भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध हैं, उस राज्य के राज्यपाल के * * * अनुमोदन की अपेक्षा होगी

(३) उच्चन्यायालय के प्रशासनीय व्यय, जिन के अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसों और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी ।

^२ २३०. (१) संसद् विधि द्वारा किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार अथवा किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन किसी संघ राज्य-क्षेत्र में या से कर सकेगी ।

उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का संघ राज्य-क्षेत्रों में विस्तार

(२) जहां किसी राज्य का कोई उच्चन्यायालय किसी संघ राज्य-क्षेत्र के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है वहां—

(क) इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, निर्बन्धन या उत्पादन की शक्ति प्रदान करती है, और

(ख) अनुच्छेद २२७ में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं उनका अर्थ उस राज्यक्षेत्र में के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये किन्हीं नियमों, प्रपत्रों, या सारणियों के संबंध में यह लगाया जायेगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है ।

२३१. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी संसद् विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य-क्षेत्र के लिये एक उच्चन्यायालय स्थापित कर सकेगी ।

दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना

^१ "जिसमें उच्चन्यायालय का मुख्य स्थान है" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

^२ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १६ द्वारा मूल अनुच्छेद २३०, २३१ और २३२ के स्थान पर रखे गये ।

Part VI.—The States.—Arts. 232—235.

- 2) In relation to any such High Court,—
- (a) the reference in article 217 to the Governor of the State shall be construed as a reference to the Governors of all the States in relation to which the High Court exercises jurisdiction ;
- (b) the reference in article 227 to the Governor shall, in relation to any rules, forms or tables for subordinate courts be construed as a reference to the Governor of the state in which the subordinate courts are situate ; and
- (c) the references in articles 219 and 229 to the State shall be construed as a reference to the State in which the High Court has its principal seat :

Provided that if such principal seat is in a Union territory, the references in articles 219 and 229 to the Governor, Public Service Commission, Legislature and Consolidated Fund of the State shall be construed respectively as references to the President, Union Public Service Commission, Parliament and Consolidated Fund of India.]

CHAPTER VI.—SUBORDINATE COURTS

Appointment of district judges.

233. (1) Appointments of persons to be, and the posting and promotion of, district judges in any State shall be made by the Governor of the State in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

(2) A person not already in the service of the Union or of the State shall only be eligible to be appointed a district judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment.

Recruitment of persons other than district judges to the judicial service

234. Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a State shall be made by the Governor of the State in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such State.

Control over subordinate courts.

235. The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law.

भाग ६—राज्य—अनु० २३२—२३५

(२) किसी ऐसे उच्चन्यायालय के संबंध में,—

(क) उस निर्देश का अर्थ, जो कि अनुच्छेद २१७ में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति है, यह लगाया जायेगा कि वह उन सब राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में वह उच्चन्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है,

(ख) उस निर्देश का अर्थ, जो अनुच्छेद २२७ में राज्यपाल के प्रति है, अधीनस्थ न्यायालयों के लिये किन्हीं नियमों, प्रपत्रों या सारणियों के संबंध में यह लगाया जायेगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रति है, जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय अवस्थित हैं; और

(ग) उन निर्देशों का अर्थ जो कि अनुच्छेद २१६ और २२६ में राज्य के प्रति हैं यह लगाया जायेगा कि वे उस राज्य के प्रति हैं जिसमें उस उच्चन्यायालय का मुख्य स्थान है ;

परन्तु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्य-क्षेत्र में है तो अनुच्छेद २१६ और २२६ में राज्य के राज्यपाल, लोकसेवा-आयोग, विधानमंडल और संचित निधि के प्रति जो निर्देश हैं उनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोकसेवा-आयोग, संसद् और भारत की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं ।]

अध्याय ६.—अधीन न्यायालय

२३३. (१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को नियुक्त तथा उन की पद-स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श कर के राज्य का राज्यपाल करेगा ।

जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति

(२) कोई व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहिले से ही नहीं लगा हुआ है, जिला-न्यायाधीश होने के लिये केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात से अन्ध्र वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उसकी नियुक्ति के लिये उच्चन्यायालय ने सिफारिश की है ।

२३४. जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसेवा-आयोग तथा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श के पश्चात् उस के द्वारा इस लिये बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेगी ।

न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती

२३५. जिला-न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद-स्थापना, पदोन्नति और उन को छुट्टी देने के सहित जिला-न्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्चन्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानों वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उस की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त है अथवा उच्चन्यायालय को अधिकार देती है कि वह उस की सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उस से व्यवहार करे ।

अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण

Part VI.—The States.—Arts. 236—237.

Interpretation.

236. In this Chapter—

- (a) the expression “district judge” includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions judge ;
- (b) the expression “judicial service” means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

Application of the provisions of this Chapter to certain class or classes of magistrates.

237. The Governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this Chapter and any rules made thereunder shall with effect from such date as may be fixed by him in that behalf apply in relation to any class or classes of magistrates in the State as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the State subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification.

भाग ६—राज्य—अनु० २३६-२३७

२३६. (१) इस अध्याय में—

निर्वाचन

(क) "जिला-न्यायाधीश" पदावलि के अन्तर्गत नगर-व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला-न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिला-न्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्-न्यायाधीश, अपर सत्-न्यायाधीश और सहायक सत्-न्यायाधीश भी हैं।

(ख) "न्यायिक सेवा" पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी है, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला-न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है।

२३७. राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से, जो कि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के संबंध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं।

कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना

*Part VII.—[The States in Part B of the First Schedule]. Rep.
by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.*

भाग ७—[प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य] संविधान (सप्तम संशोधन)
अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा निरस्त ।

PART VIII

¹[THE UNION TERRITORIES]

Administration of
Union territo-
ries.

²[239. (1) Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify.

(2) Notwithstanding anything contained in Part VI, the President may appoint the Governor of a State as the administrator of an adjoining Union territory, and where a Governor is so appointed he shall exercise his functions as such administrator independently of his Council of Ministers.

Power of President
to make regula-
tions for certain
Union territo-
ries.

240. (1) The President may make regulations for the peace progress and good government of the Union territory of—

- (a) the Andaman and Nicobar Islands ;
- (b) the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.

(2) Any regulation so made may repeal or amend any Act made by Parliament or any existing law which is for the time being applicable to the Union territory and, when promulgated by the President, shall have the same force and effect as an act of Parliament which applies to that territory.]

High Courts for
Union territo-

241. (1) Parliament may by law constitute a High Court for a ³[Union territory] or declare any court in any ⁴[such territory] to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution.

(2) The provisions of Chapter V of Part VI shall apply in relation to every High Court referred to in clause (1) as they apply in relation to a High Court referred to in article 214 subject to such modifications or exceptions as Parliament may by law provide.

⁵[(3) Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on the Legislature by or under this Constitution, every High Court exercising jurisdiction immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, in relation to any Union territory shall continue to exercise such jurisdiction in relation to that territory after such commencement.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 17, for the original heading "THE STATES IN PART C OF THE FIRST SCHEDULE".

²Subs., *ibid.*, for the original arts. 239 and 240.

³Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "State specified in Part C of the First Schedule".

⁴Subs., *ibid.*, for "such State".

⁵Subs. *ibid.* for the original clauses (3) and (4).

भाग ८

¹[संघ राज्य-क्षेत्र]

२ [२३६. (१) संसद् द्वारा विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा ऐसे नाम से, जैसा कि वह उल्लिखित करे, नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक के द्वारा कार्य करेगा।

संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन

(२) भाग ६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी पारबन्ध संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया गया है वहाँ वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों को अपनी मन्त्रि-परिषद् से स्वतंत्र रूपेण करेगा।

२४०. (१) राष्ट्रपति—

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीप,

(ख) लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप,

संघ राज्य-क्षेत्र की शांति, उन्नति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा।

कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति

(२) इस प्रकार बना हुआ कोई विनियम संसद् निर्मित किसी अधिनियम या किसी वर्तमान विधि का, जो उस संघ राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उसका उस राज्य-क्षेत्र में लागू संसद् निर्मित अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव होगा।]

२४१. (१) संसद् विधि द्वारा ^३[संघ राज्य-क्षेत्र] के लिये उच्चन्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ^४[ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र] में के किसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये उच्चन्यायालय घोषित कर सकेगी।

संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये उच्चन्यायालय

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के संबंध में भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे इस संविधान के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के संबंध में लागू होते हैं।

^५ [(३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के द्वारा या अधीन समुचित विधानमंडल को दी गयी शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक उच्चन्यायालय, जो संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारंभ से ठीक पहिले किसी संघ राज्य-क्षेत्र के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस राज्य-क्षेत्र के संबंध में वैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा।

१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १७ द्वारा मूल शीर्षक "प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य" के स्थान पर रखा गया।

२ उपरोक्त के ही द्वारा मूल अनुच्छेद २३६ और २४० के स्थान पर रखे गये।

३ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा "प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य" के स्थान पर रखे गये।

४ उपरोक्त के ही द्वारा "ऐसे किसी राज्य" के स्थान पर रखे गये गये।

५ उपरोक्त के ही द्वारा मूल खंड (३) और (४) के स्थानों पर रखे गये।

Part VIII.—The Union Territories.—Arts. 241-242.

(4) *Nothing in this article derogates from the power of Parliament to extend or exclude the jurisdiction of a High Court for a State to, or from, any Union territory or part thereof.]*

242. [Coorg]. *Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.*

भाग ८—संघ-राज्य-क्षेत्र—अनु० २४१-२४२

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी राज्य के किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी संघ राज्य-क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तृत करने की या उससे अपवर्जित करने की, संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती।]

२४२. [कोङ्गू] संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा निरसित।

PART IX.—[The territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule.] Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch.

भाग ६.—[प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र, जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं] संविधान (सप्तम संशोधन)/अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा निरसित ।

PART X¹
THE SCHEDULED AND TRIBAL AREAS

Administration of
Scheduled Areas
and tribal areas.

244. (1) The provisions of the Fifth Schedule shall apply to the administration and control of the Scheduled Areas and Schedule Tribes in any State ^{2*} * * * other than the State of Assam.

(2) The provisions of the Sixth Schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the State of Assam.

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

²The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule", omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1955, s. 29 and Sch.

भाग १०

अनुसूचित और आदिमजाति क्षेत्र

२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्त^{१/***} किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुसूचित और आदिमजाति क्षेत्रों का प्रशासन

(२) आसाम राज्य में के आदिमजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

^१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

^२“पंचम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

PART XI

RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATE

CHAPTER I.—LEGISLATIVE RELATIONS

Distribution of Legislative Powers

Extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.

245. (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

(2) No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation.

Subject matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States.

246. (1) Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "Union List").

(2) Notwithstanding anything in clause (3), Parliament, and, subject to clause (1), the Legislature of any State ** * * also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "Concurrent List").

(3) Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State ** * * has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the "State List").

(4) Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included ³[in a State] notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List.

Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts.

247. Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of any additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 246, the words, brackets and figures "Notwithstanding anything in clauses (2) and (3)" occurring in cl. (1), cl. (2), (3) and (4) shall be omitted.

²The words and letters "specified in Part A or Part B of the first Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

³Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. for "In Part A or Part B of the First Schedule".

भाग ११

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १— विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का वितरण

२४५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहने हुए संसद् भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।

संसद् तथा राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार

(२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि उसका राज्य-क्षेत्रांत प्रवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी।

१२४६. (१) खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में "संघ-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अतन्त्र शक्ति है।

संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, निर्मित विधियों के विषय

(२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, तथा खंड (१) के अधीन रहते हुए, ^{२***} किसी राज्य के विधानमंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस संविधान में "समवर्ती-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

(३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए ^{२***} किसी राज्य के विधानमंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की अतन्त्र शक्ति है।

(४) संसद् को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये, ^१[जो किसी राज्य] के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है चाहे फिर वह विषय "राज्य-सूची" में प्रगणित विषय क्यों न हो।

२४७. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद्-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो संघ-सूची में प्रगणित विषय के बारे में हैं, अधिक प्रच्छेद प्रशामन के लिये संसद् किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी।

किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति

^१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २४६ में खंड (१) "खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी" शब्द, कोष्ठक और अंक तथा "खंड (२), (३) और (४) लुप्त कर दिये जायेंगे।

^२"प्रथम के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और प्रथम संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

^३संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा "जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) के स्थान पर रखे गये।

Part XI.—Relations between the Union and the States.—Arts. 248—250.

Residuary powers of legislation.

¹248. (1) Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List.

(2) Such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those Lists.

Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest.

¹249. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.

(2) A resolution passed under clause (1) shall remain in force for such period not exceeding one year as may be specified therein.

Provided that, if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause (1), such resolution shall continue in force for a further period of one year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force.

(3) A law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

Power of Parliament to legislate with respect to any matter in the State List if a Proclamation of Emergency is in operation.

²250. (1) Notwithstanding anything in this Chapter, Parliament shall, while a Proclamation of Emergency is in operation, have power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to any of the matters enumerated in the State List.

(2) A law made by Parliament which Parliament would not but for the issue of a Proclamation of Emergency have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the Proclamation has ceased to operate, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

¹Arts. 248 and 249 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 250, for the words "to any of the matters enumerated in the State List", the words "also to matters not enumerated in the Union List" shall be substituted.

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध
अनु०—२४८—२५१

¹२४८. (१) संसद् को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो "समवर्ती-सूची" अथवा "राज्य-सूची" में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

अवशिष्ट विधान शक्तियाँ

(२) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के, जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं हैं, आरोपण करने के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भी है।

¹२४९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य-सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि संसद् राज्य-सूची में प्रगणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद् के लिये उस विषय के बारे में भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा।

राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

(२) खंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उस में उल्लिखित हो :

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे, जिस को कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहना, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा।

(३) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद् खंड (१) के अधीन संकल्प के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के प्रतिरिक्त प्रभावी न होगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई हैं।

²२५०. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग के लिये राज्य-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी।

यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद् आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के प्रतिरिक्त प्रवर्तनहीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई हैं।

¹अनुच्छेद २४८ और २४९ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

²जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २५० में "राज्य-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में" शब्दों के स्थान पर "संघ-सूची में प्रगणित न किये गये विषयों के बारे में भी" शब्द रख दिये जाएंगे।

Part XI.—Relations between the Union and the States.—Arts. 251—253.

Inconsistency between laws made by Parliament under articles 249 and 250 and laws made by the Legislatures of States.

¹251. Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament has under either of the said articles power to make, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of the State, shall prevail, and the law made by the Legislature of the State shall to the extent of the repugnancy, but so long only as the law made by Parliament continues to have effect, be inoperative.

Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.

252. (1) If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State.

(2) Any Act so passed by Parliament may be amended or repealed by an Act of Parliament passed or adopted in like manner but shall not, as respects any State to which it applies, be amended or repealed by an Act of the Legislature of that State.

Legislation for giving effect to international agreements.

²253. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 251, for the words and figures "article 249 and 250" the words and figures "article 250" shall be substituted, and the words "under this Constitution" shall be omitted; and, for the words "under either of the said articles", the words "under the said article" shall be substituted.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, to art. 253, the following proviso shall be added:—

"Provided that after the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, no decision affecting the disposition of the State of Jammu and Kashmir shall be made by the Government of India without the consent of the Government of that State."

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अनु०—२५१—२५३

१२५१. इस संविधान के अनुच्छेद २४६ और २५० की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल की कोई विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसे है, निर्बन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निमित्त विधि का कोई उपबन्ध, संसद् द्वारा निमित्त विधि के, जिसे संसद् उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, संसद् द्वारा निमित्त विधि अग्निभावी होगी चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा निमित्त विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो तथा राज्य के विधानमंडल द्वारा निमित्त विधि विरोध की मात्रा तक प्रवर्तन-शून्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि संसद् द्वारा निमित्त विधि प्रभावी रहे।

अनुच्छेद २४६ और २५० के अधीन संसद् द्वारा निमित्त विधियों तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निमित्त विधियों में असंगति

२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधानमंडलों की यह बाह्यतीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिन के बारे में संसद् को अनुच्छेद २४६ और २५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधानमंडलों के सब सदनों ने उम लिये संकल्पों का पारण किया है तो उम विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करता संसद् के लिये विधि संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात् अपने विधानमंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों, वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक में उम लिये पारित संकल्प द्वारा उम को अंगीकार करे, लागू होगा।

दो या अधिक राज्यों के लिये उन की सम्मति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना

(२) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति में पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम से संशोधित या निरमित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के संबंध में, जहां कि वह लागू होता है, उम राज्य के विधानमंडल के अधिनियम से संशोधित या निरमित न किया जायेगा।

२५३. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सन्धा या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है।

अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान

१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २५१ में "अनुच्छेद २४६ और २५०" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुच्छेद २५०" शब्द रख दिये जाएंगे, और "इस संविधान के अधीन" शब्द लुप्त कर दिये जाएंगे, और "उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन" शब्दों के स्थान पर "उक्त अनुच्छेद के अधीन" शब्द रख दिये जाएंगे।

२जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २५३ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के आरम्भ के पश्चात् जम्मू और कश्मीर राज्य के व्ययन को प्रभावित करने वाला कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्यों की सरकार की सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।"

Part XI.—Relations between the Union and the States.—Arts. 254—255.

Inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States.

¹254. (1) If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2), the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void.

(2) Where a law made by the Legislature of a State * * * with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or any existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State :

Provided that nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislature of the State.

Requirements as to recommendations and previous sanctions to be regarded as matters of procedure only.

²255. No Act of Parliament or of the Legislature of a State * * *, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given—

- (a) where the recommendation required was that of the Governor, either by the Governor or by the President;
- (b) where the recommendation required was that of the Rajpramukh, either by the Rajpramukh or by the President;
- (c) where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the President.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 254, the words, brackets and figure "or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List, then, subject to the provisions of clauses (2)" and the words "or as the case may be, the existing law" occurring in cl. (1) and the whole of cl. (2) shall be omitted.

²The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch.

³Art 255 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अनु०—२५४-२५५

१२५४. (१) यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् अधिनियमित करने के लिये सक्षम है, किसी उपबन्ध, अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद् द्वारा निर्मित विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति

(२) जहां ***राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो जो संसद् द्वारा पहिले निर्मित की गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उस की अनुमति मिल चुकी है :

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद् को, किसी समय उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, अधिनियमित करने में न रोकेंगी।

१२५५. यदि संसद् के, अथवा * * * किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम को—

सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना

(क) जहां राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने;

(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने;

(ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने;

अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी।

१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २५४ के खंड (१) में "किसी उपबन्ध, अथवा समवर्ती-सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो" शब्द रख दिये जायेंगे और "या वर्तमान विधि" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे और सम्पूर्ण खंड (२) लुप्त कर दिया जायेगा।

२"प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और प्रथम संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

३अनुच्छेद २५५ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

Part XI.—Relations between the Union and the States.—Arts. 256—257.

CHAPTER II.—ADMINISTRATIVE RELATIONS

General

Obligation of States and the Union.

¹256. The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

Control of the Union over States in certain cases.

257. (1) The executive power of every State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.

(2) The executive power of the Union shall also extend to the giving of directions to a State as to the construction and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national or military importance:

Provided that nothing in this clause shall be taken as restricting the power of Parliament to declare highways or waterways to be national highways or national waterways or the power of the Union with respect to the highways or waterways so declared or the power of the Union to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works.

(3) The executive power of the Union shall also extend to the giving of directions to a State as to the measures to be taken for the protection of the railways within the State.

(4) Where in carrying out any direction given to a State under clause (2) as to the construction or maintenance of any means of communication or under clause (3) as to the measures to be taken for the protection of any railway, costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the State if such direction had not been given, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of the extra costs so incurred by the State.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, art. 256 shall be renumbered as cl. (1) of that art. and the following new cl. shall be added thereto :—

“(2) The State of Jammu and Kashmir shall so exercise its executive power as to facilitate the discharge by the Union of its duties and responsibilities under the Constitution in relation to that State; and in particular, the said State shall, if so required by the Union, acquire or requisition property on behalf and at the expense of the Union, or if the property belongs to the State, transfer it to the Union on such terms as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India.”

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—
अनु० २५६-२५७

अध्याय २.—प्रशासन-सम्बन्ध
साधारण

१२५६. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिससे संसद् द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दें।

संघ और राज्यों के आभार

२५७. (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिम से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दें।

किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को किसी ऐसे संचार-साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो :

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जल-पथों को राष्ट्रीय राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद् की शक्तियों, अथवा इस प्रकार घोषित राज-पथ या जल-पथ के बारे में संघ की शक्ति को, अथवा नौ-बल, स्थल-बल, और विमान-बल कर्मशालाओं विषयक अपने कृत्यों का भाग मान कर संचार साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निर्बन्धित करने वाली न मानी जायेगी।

(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा।

(४) जहां खंड (२) के अधीन संचार-साधनों के निर्माण अथवा उनको बनाये रखने के बारे में अथवा खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश के पालन में उस से अधिक खर्च होता है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो, राज्य के मामूली कर्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २५६ को अपने खंड (१) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और उस में निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्—

“(२) जम्मू और कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का ऐसे प्रयोग करेगा जिस से कि उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो; और विशेषतया उक्त राज्य, संघ द्वारा बेंसी अपेक्षा किये जाने पर, संघ की ओर से और उस के व्यय पर सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि सम्पत्ति उस राज्य को है तो ऐसे निबन्धनों पर, जैसे कि करार पाये जाएं या करार के अभाव में जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किये जाएं, संघ को हस्तान्तरित करेगा।”

Part XI.—Relations between the Union and the States.—Arts. 258—261.

Power of the Union to confer powers, etc., on States in certain cases.

258. (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Government of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.

(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.

(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officer or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.

Power of the States to entrust functions to the Union.

[**258A.** Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.]

259. [Armed Forces in States in Part B of the First Schedule.] *Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.*

Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India.

260. The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force.

Public acts, records and judicial proceedings.

261. (1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State.

¹(2) The manner in which and the conditions under which the acts, records and proceedings referred to in clause (1) shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament.

(3) Final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within that territory according to law.

¹Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 18.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, in cl. (2) of art. 261, the words "made by Parliament" shall be omitted.

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—

अनु०—२५८—२६१

२५८. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय संबंधी कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के साथ या बिना शर्त सौंप सकेगा।

कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति

(२) ऐसे विषय से, जिस के बारे में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसद्-निर्मित विधि, जो किसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति दे सकेगी और कर्तव्य आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियाँ दिया जाना और कर्तव्य आरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

(३) जहाँ इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियाँ दी गई हैं, अथवा कर्तव्य आरोपित कर दिये गये हैं वहाँ उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

¹[२५८क. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार की सम्मति से किसी राज्य का राज्यपाल उस सरकार को या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय संबंधी कृत्य जिन पर, उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के साथ या शर्त बिना सौंप सकेगा।]

संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

२६६. [प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के मशरूफ बल] संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा निरसित।

२६०. भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेंगा और उससे शामिल होगा।

भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार

२६१. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघ की और प्रत्येक राज्य की, सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी।

सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ

²(२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेखों और कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और शर्तें तथा उन के प्रभाव का निर्धारण संसद्-निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित रीति के अनुसार होगा।

(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन योग्य होंगे।

¹संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा १८ द्वारा अन्तःस्थापित।

²जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २६१ के खंड (२) में "संसद् निर्मित" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे।

Part XI.—Relations between the Union and the States.—Arts. 262—263.

Disputes relating to Waters

Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys.

262. (1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1).

Co-ordination between States

Provisions with respect to an inter-State Council.

263. If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of—

- (a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;
- (b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or
- (c) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject,

it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure.

भाग ११—संघ और राज्यों के सम्बन्ध—

अनु० २६२-२६३

अल सम्बन्धी विवाद

२६२. (१) संसद् विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के लिये उपबन्ध कर सकेगी

अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संवन्धी वादों का न्यायनिणयन

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतमन्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

राज्यों के बीच सम्बन्ध

२६३. यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर—

अन्तर्राज्य-परिषद् विषयक उपबन्ध

- (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की जांच करने और उन पर मंत्रणा देने ;
- (ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों का अनुसंधान और चर्चा करने, अथवा
- (ग) ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे सम्बन्ध के हेतु सिपारिश करने,

का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे तथा उस परिषद् के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उसके संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे।

PART XII

FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS

CHAPTER I.—FINANCE

General

Interpretation.

¹[264. In this Part, "Finance Commission" means a Finance Commission constituted under article 280.]

Taxes not to be imposed save by authority of law.

265. No tax shall be levied or collected except by authority of law.

Consolidated Funds and public accounts of India and of the States.

²266. (1) Subject to the provisions of article 267 and to the provisions of this Chapter with respect to the assignment of the whole or part of the net proceeds of certain taxes and duties to States, all revenues received by the Government of India, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled "the Consolidated Fund of India", and all revenues received by the Government of a State, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled "the Consolidated Fund of the State".

(2) All other public moneys received by or on behalf of the Government of India or the Government of a State shall be credited to the public account of India or the public account of the State, as the case may be.

(3) No moneys out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be appropriated except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided in this Constitution.

Contingency Fund.

267. (1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled "the Contingency Fund of India" into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116.

³(2) The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled "the Contingency Fund of the State" into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for the original art. 264.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 266, references to States or State shall not be construed as references to the State of Jammu and Kashmir.

³This clause shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

¹[२६४. इस भाग में “वित्त आयोग” से इस संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग अभिप्रेत है।]

२६५. विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न संगृहीत किया जायेगा।

²२६६. (१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धों के, तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सौंपे जाने के बारे में इस अध्याय के उपबन्धों के, अधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “भारत की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो “राज्य की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी।

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, प्राप्त अन्य सब सार्वजनिक धन यथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जायेंगे।

(३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अनुसूचिता से, तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुक्त नहीं किये जायेंगे।

२६७. (१) संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में “भारत की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां, समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायेगी।

³(२) राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में “राज्य की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधीन राज्य के विधान

¹संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा मूल अनुच्छेद २६४ के स्थान पर रखा गया।

²जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद २६६ में राज्यों या राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ न किया जाएगा कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश हैं।

³यह खंड जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

निर्वचन

विधि-प्राधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना

भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक-लेखे

आकस्मिकता निधि

*Part XII.—Finance, Property, Contracts and
Suits.—Arts. 267—269.*

• • • of the State to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under article 205 or article 206.

Distribution of Revenues between the Union and the States

Duties levied by the Union, but collected and appropriated by the States.

268. (1) Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected—

- (a) in the case where such duties are leviable within any ¹[Union territory], by the Government of India, and
- (b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.

(2) The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any State shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to that State.

Taxes levied and collected by the Union but assigned to the States.

269. (1) The following duties and taxes shall be levied and collected by the Government of India but shall be assigned to the States in the manner provided in clause (2), namely:--

- (a) duties in respect of succession to property other than agricultural land;
- (b) estate duty in respect of property other than agricultural land;
- (c) terminal taxes on goods or passengers carried by railway, sea or air;
- (d) taxes on railway fares and freights;
- (e) taxes other than stamp duties on transactions in stock-exchanges and futures markets;
- (f) taxes on the sale or purchase of newspapers and on advertisements published therein;

²[(g) taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch., for "State specified in Part C of the First Schedule."

Ins. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 3.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिदाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० २६७-२६९

मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये उस को योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल ¹*** के हा में रखी जायेगी।

संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण

२६८. (१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन-शुल्क, जो संघ-सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किये जायेंगे, किन्तु—

- (क) उस अवस्था में जिसमें कि ये शुल्क ²[संघ राज्यक्षेत्र] के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार द्वारा, तथा
- (ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये जाने वाले हों, उन उन राज्यों द्वारा,

संगृहीत किये जायेंगे।

(२) जो शुल्क किसी राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हैं उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष में के अग्रिम, भारत को संचित निधि के भाग न होंगे किन्तु उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे।

२६९. (१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्—

- (क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क ;
- (ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क ;
- (ग) रेल-समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर ;
- (घ) रेल भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर ;
- (ङ) श्रेष्ठि-वत्वरों और वायदा बाजारों के सौंदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर ;
- (च) समाचारपत्रों के क्रय-विक्रय तथा उन में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।

³[(छ) समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस सूरत में कर जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्चा में हो।]

संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क

संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंप जाने वाले कर

¹“या राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

²संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा “प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों” के स्थान पर रखे गए।

³संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ३ द्वारा उत्तराधिकार ।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 269—270

(2) The net proceeds in any financial year of any such duty or tax, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to ¹[Union territories], shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to the States within which that duty or tax is leviable in that year, and shall be distributed among those States in accordance with such principles of distribution as may be formulated by Parliament by law.

²[(3) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

Taxes levied and Collected by the Union and distributed between the Union and the States.

270. (1) Taxes on income other than agricultural income shall be levied and collected by the Government of India and distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

(2) Such percentage, as may be prescribed, of the net proceeds in any financial year of any such tax, except in so far as those proceeds represent proceeds attributable to ³[Union territories] or to taxes payable in respect of Union emoluments, shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to the States within which that tax is leviable in that year, and shall be distributed among those States in such manner and from such time as may be prescribed.

(3) For the purpose of clause (2), in each financial year such percentage as may be prescribed of so much of the net proceeds of taxes on income as does not represent the net proceeds of taxes payable in respect of Union emoluments shall be deemed to represent proceeds attributable to ¹[Union territories].

(4) In this article—

(a) “taxes on income” does not include a corporation tax;

(b) “prescribed” means—

(i) until a Finance Commission has been constituted, prescribed by the President by order; and

(ii) after a Finance Commission has been constituted, prescribed by the President by order after considering the recommendations of the Finance Commission;

(c) “Union emoluments” includes all emoluments and pensions payable out of the Consolidated Fund of India in respect of which income-tax is chargeable.

¹Added by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 3.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., or “States”

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिदाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० २६६-२७०

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या कर के शुद्ध आगम, वहां तक भारत की संचित-निधि के भाग न होंगे, जहां तक कि वे आगम ¹[संघ राज्य-क्षेत्रों] से मिलने वाले माने जायें, किन्तु उन राज्यों की सौंप दिये जायेंगे जिनमें वह शुल्क या कर उस वर्ष में उद्गृहीत होना है तथा उन राज्यों में ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे कि संसद् विधि द्वारा सूत्रित करे।

²[(३) यह श्रवधारित करने के लिये कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्चा में वस्तुओं का क्रय या विक्रय कब होता है संसद् विधि द्वारा सिद्धांत सूत्रित कर सकेगी।]

२७०. (१) कृषि-आय से अतिरिक्त आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा।

संघ द्वारा
हीत और
तथा संघ और
राज्यों के बीच
वितरित कर

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम का, जहां तक वह आगम ¹[संघ राज्य-क्षेत्रों] में से अथवा संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम माना जाये वहां तक के सिवाय, ऐसा प्रतिशत भाग, जैसा विहित किया जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा।

(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम नहीं है, वह प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, ¹[संघ राज्य-क्षेत्रों] में से मिला हुआ आगम समझा जायेगा।

(४) इस अनुच्छेद में—

(क) “आय पर करों” के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हैं ;

(ख) “विहित” का अर्थ है कि —

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ; तथा

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित ;

(ग) “संघ-उपलब्धियों” के अन्तर्गत भारत की संचित निधि में से दी जाने वाली सब उपलब्धियां और निवृत्ति-वेतन, जिनके सम्बन्ध में आय-कर आरोपित किया जा सकता है, भी हैं।

¹संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा “प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों” के स्थान पर रखे गये।

²संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा ३ द्वारा जोड़ा गया।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 271—274.

Surcharge on certain duties and taxes for purposes of the Union.

271. Notwithstanding anything in articles 269 and 270 Parliament may at any time increase any of the duties or taxes referred to in those articles by a surcharge for purposes of the Union and the whole proceeds of any such surcharge shall form part of the Consolidated Fund of India.

Taxes which are levied and collected by the Union and may be distributed between the Union and the States.

272. Union duties of excise other than such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied and collected by the Government of India, but, if Parliament by law so provides, there shall be paid out of the Consolidated Fund of India to the States to which the law imposing the duty extends sums equivalent to the whole or any part of the net proceeds of that duty, and those sums shall be distributed among those States in accordance with such principles of distribution as may be formulated by such law.

Grants in lieu of export duty on jute and jute products.

273. (1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, Orissa and West Bengal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those States, such sums as may be prescribed.

(2) The sums so prescribed shall continue to be charged on the Consolidated Fund of India so long as any export duty on jute or jute products continues to be levied by the Government of India or until the expiration of ten years from the commencement of this Constitution, whichever is earlier.

(3) In this article, the expression "prescribed" has the same meaning as in article 270.

Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested.

274. (1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression "agricultural income" as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax, or which affects the principles on which under any of the foregoing provisions of this Chapter moneys are or may be distributable to States, or which imposes any such surcharge for the purposes of the Union as is mentioned in the foregoing provisions of this Chapter, shall be introduced or moved in either House of Parliament except on the recommendation of the President.

(2) In this article, the expression "tax or duty in which States are interested" means—

(a) a tax or duty the whole or part of the net proceeds whereof are assigned to any State ; or

(b) a tax or duty by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the Consolidated Fund of India to any State.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिहाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० २७१—२७४

२७१. अनुच्छेद २६६ और २७० में किसी बात के होते हुए भी संसद् उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे।

संघ के प्रयोजनों के लिये कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार

२७२. संघ सूची में वर्णित औषधीय तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और सगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह उपबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगमों के पूर्ण अथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायेगी और वे राशियां उन राज्यों के बीच ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुसार वितरित की जायेंगी जैसे की संसद् विधि द्वारा सूचित करे।

कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे

२७३. (१) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी भाग को आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों को सौंपने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जैसी कि विहित की जायें।

पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के स्थान में अनुदान

(२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात-शुल्क उद्गृहीत करती रहे अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उसके होने तक, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी।

(३) इस अनुच्छेद में "विहित" पद का वही अर्थ है जो इस संविधान के अनुच्छेद २७० में है।

२७४. (१) कोई विधेयक या संशोधन, जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उस को आरोपित या आपरिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित "कृषि-आय" पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिनसे कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को घन वितरणीय है या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में वर्णित है, राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना संसद् के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा।

राज्य हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा

(२) इस अनुच्छेद में "जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है पदावलि से अभिप्रेत है—

(क) कोई कर या शुल्क जिसका शुद्ध आगम पूर्णतः या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता है, अथवा

(ख) कोई कर या शुल्क जिसके शुद्ध आगम के निर्देश से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी राज्य को राशियां दी जानी हैं।

१ अनुच्छेद २७३, जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 275—276.

Grants from the Union to certain States.

275. (1) Such sums as Parliament may by law provide shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States:

Provided that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of a State such capital and recurring sums as may be necessary to enable that State to meet the costs of such schemes of development as may be undertaken by the State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State:

Provided further that there shall be paid out of the Consolidated Fund of India as grants-in-aid of the revenues of the State of Assam sums, capital and recurring equivalent to—

- (a) the average excess of expenditure over the revenues during the two years immediately preceding the commencement of this Constitution in respect of the administration of the tribal areas specified in Part A of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule; and
- (b) the costs of such schemes of developments as may be undertaken by that State with the approval of the Government of India for the purpose of raising the level of administration of the said areas to that of the administration of the rest of the areas of that State.

(2) Until provision is made by Parliament under clause (1), the powers conferred on Parliament under that clause shall be exercisable by the President by order and any order made by the President under this clause shall have effect subject to any provision so made by the Parliament:

Provided that after a Finance Commission has been constituted no order shall be made under this clause by the President except after considering the recommendations of the Finance Commission.

Taxes on professions, trades, callings and employments.

276. (1) Notwithstanding anything in article 246, no law of the Legislature of a State relating to taxes for the benefit of the State or of a municipality, district board, local board or other local authority therein in respect of professions, trades, callings or employments shall be invalid on the ground that it relates to a tax on income.

(2) The total amount payable in respect of any one person to the State or to any one municipality, district board, local board or other local authority in the State by way of taxes on professions, trades, callings and employments shall not exceed two hundred and fifty rupees per annum:

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिदाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० २७५-२७६

२७५. ऐसी राशियां, जो संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारत कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद् यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिये भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी :

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी जैसी कि उस राज्य को उस विकास योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिये अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हों :

परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी—

(क) जो षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से औसतन अधिक व्यय के बराबर हों ; तथा

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के खर्चों के बराबर हों ।

(२) जब तक खंड (१) के अधीन संसद् द्वारा उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक उस खंड के अधीन संसद् को प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति से आदेश द्वारा प्रयोज्य होंगी तथा इस खंड के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद् द्वारा इस प्रकार निमित्त किसी उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा :

परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिफारिशों पर विचार किये बिना इस खंड के अधीन कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा ।

२७६. (१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य वृत्तियों व्यापारों, के विधानमंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-राजीविकाओं और नौकरियों पालिका, जिला-मंडली, स्थानीय मंडली अथवा उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिये वृत्तियों, व्यापारों, राजीविकाओं या नौकरियों के बारे में पर कर लागू होती है, इस आचार पर अमान्य न होगी कि वह आय पर कर है ।

(२) राज्य को अथवा उसमें की किसी एक नगरपालिका, जिला-मंडली स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, राजीविकाओं और नौकरियों पर करों द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी :

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 276—279.

Provided that if in the financial year immediately preceding the commencement of this Constitution there was in force in the case of any State or any such municipality, board or authority a tax on professions, trades, callings or employments the rate, or the maximum rate, of which exceeded two hundred and fifty rupees per annum, such tax may continue to be levied until provision to the contrary is made by Parliament by law, and any law so made by Parliament may be made either generally or in relation to any specified States, municipalities, boards or authorities.

(3) The power of the Legislature of a State to make laws as aforesaid with respect to taxes on professions, trades, callings and employments shall not be construed as limiting in any way the power of Parliament to make laws with respect to taxes on income accruing from or arising out of professions, trades, callings and employments.

Savings.

¹277. Any taxes, duties, cesses or fees which immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, municipality, district or other local area may, notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law.

278. [Agreement with States in Part B of the First Schedule with regard to certain financial matters.] Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

Calculation of "net proceeds", etc.

279. (1) In the foregoing provisions of this Chapter, "net proceeds" means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.

(2) Subject as aforesaid, and to any other express provision of this Chapter, a law made by Parliament or an order of the President may, in any case where under this Part the proceeds of any duty or tax are, or may be, assigned to any State, provide for the manner in which the proceeds are to be calculated, for the time from or at which and the manner in which any payments are to be made, for the making of adjustments between one financial year and another, and for any other incidental or ancillary matters.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, i.e. the 14th May, 1954.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिदाएं और व्यवहार-वाद—
अनु ०२७६-२७९

परन्तु यदि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगरपालिका, मंडली या प्राधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों प्राजीविकाओं या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिसकी दर या जिस की अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक थी तो ऐसा कर उस समय तक उद्गृहीत होता रहेगा जब तक कि संसद् विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतया या किन्हीं उल्लिखित राज्यों, नगरपालिकाओं, मंडलियों या प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी

(३) वृत्तियों, व्यापारों, प्राजीविकाओं और नौकरियों पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधानमंडल की शक्ति का यह अर्थ न किया जायेगा कि वृत्तियों, व्यापारों, प्राजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या उत्पन्न आय पर करों के विषय में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है।

२७७. जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहिले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत् उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ-सूची में बर्णित होने पर भी उद्गृहीत किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे जब तक कि संसद् विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे।

व्यावृत्ति

२७८. [कतिपय वित्तीय विषयों के बारे में प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के राज्यों से करार] संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, की धारा २९ और अनुसूची द्वारा निरसित।

२७९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में 'शुद्ध आगम' से किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम से अभिप्राय है जो उसके संग्रह के खर्चों को घटाने के पश्चात् बचे, तथा उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के भीतर, अथवा उससे, मिले हुए माने जाने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।

शुद्ध आगम की गणना

(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विनियोजित किया जाता है या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध के तथा इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुये संसद्-निर्मित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, उस रीति का, जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उस समय का, जिससे या जिस में, तथा उस रीति का, जिस से कोई शोधन किये जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा।

१ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में संविधान के आरम्भ के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि वे संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के आरम्भ अर्थात् १४ मई, १९५४ के प्रति निर्देश हैं।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—280—283.

Finance Commission.

280. (1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Commission which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the President.

(2) Parliament may by law determine the qualifications which shall be requisite for appointment as members of the Commission and the manner in which they shall be selected.

(3) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

- (a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under this Chapter and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds ;
- (b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India ;

²[(c)] any other matter referred to the Commission by the President in the interests of sound finance.

(4) The Commission shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them.

Recommendations of the Finance Commission.

281. The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

Miscellaneous Financial Provisions

Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues.

282. The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws.

Custody, etc., of Consolidated Funds, Contingency Funds and moneys credited to the public accounts.

283. (1) The custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of India, their payment into the public account of India and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by Parliament, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the President.

¹Sub-clause (c) omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s 29 and Sch.

²Sub-clause (d) was relettered as (c), *ibid*.

³In its application to the State of Jammu and Kashmir, references to the 'State' shall not be construed as references to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिधाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० २८०—२८३

२८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा उस से पहिले ऐसे समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा।

वित्त-आयोग

(२) संसद् विधि द्वारा उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिसके अनुसार उनका संवरण किया जायेगा, निर्धारण कर सकेगी।

(३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह —

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम को, जो इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे के बारे में,

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में,

1* * * * *

^२[(ग)] सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में, राष्ट्रपति को सिफारिश करे।

(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

२८१. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

वित्त-आयोग की सिफारिशें

प्रकीर्ण वित्तीय उम्बन्ध

^३२८२. संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में यथास्थिति संसद् या उस राज्य का विधानमंडल, विधि बना सकता है।

संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय

२८३. (१) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना उससे धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उनका भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेखों से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संयुक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन संसद् द्वारा निमित्त विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न किया जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा।

संचित निधियों की, आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि

^१उपखंड (ग) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिया गया।

^२उपखंड (घ) उपरोक्त के ही द्वारा (ग) के रूप में पुनः अंकित किया गया।

^३जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में 'राज्य' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ न किया जायेगा कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश हैं।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 283—286.

¹(a) The custody of the Consolidated Fund of a State and the Contingency Fund of a State, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of public moneys other than those credited to such Funds received by or on behalf of the Government of the State, their payment into the public account of the State and the withdrawal of moneys from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by the Legislature of the State, and, until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the Governor ²* * * of the State.

Custody of suitors' deposits and other moneys received by public servants and courts.

³284. All moneys received by or deposited with—

(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be, or

(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter, account or persons,

shall be paid into the public account of India or the public account of the State, as the case may be.

Exemption of property of the Union from State taxation.

285. (1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.

(2) Nothing in clause (1) shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within a State from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of this Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that State.

Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods.

286. (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place—

(a) outside the State ; or

(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.

¹This clause shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

³In its application to the State of Jammu and Kashmir, references to the 'State' shall not be construed as references to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिधाएं और व्यवहार-वाक्य
अनु० २८३-२८६

१(२) राज्य की संवित निधि और राज्य की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उनसे धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा उनका राज्य के लोक लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेखों में धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या महायुक्त अन्य सब विषयों का विनियमन राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार नहीं किया जाये तब तक राज्य के राज्यपाल * * * द्वारा निर्मित नियमों से होगा ।

२८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेखों में या राज्य के लोक-लेखों में—

(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए किसी पदाधिकारी को उसकी उम्र हैमियल में, अथवा

(ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय को,

प्राप्त या निश्चित सब धन डाले जायेंगे ।

२८५. (१) जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक किसी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा, आरोपित सब करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी ।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर उद्गृहीत करने में बाधा नहीं डालेगी जिस का दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसी सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर उस राज्य में लगा रहे ।

२८६. (१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय—

(क) राज्य के बाहर, अथवा

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर निर्यात के दौरान में,

लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य धन की अभिरक्षा

संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति

वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन

होता है वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी ।

यह खंड जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा ।

² "या राजप्रमु" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

³ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में 'राज्य' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ न किया जायेगा कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश हैं ।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts.—286–288.

1* * * * *

¹[(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause (1).]

(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes or authorises the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify.]

Exemption from taxes on electricity.

287. Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity (whether produced by a Government or other persons) which is—

- (a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or
- (b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of a railway,

and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases.

288. (1) Save in so far as the President may by order otherwise provide, no law of a State in force immediately before the commencement of this Constitution shall impose, or authorise the imposition of, a tax in respect of any water or electricity stored, generated, consumed, distributed or sold by any authority established by any existing law or any law made by Parliament for regulating or developing any inter-State river or river-valley.

Explanation.—The expression “law of State in force” in this clause shall include a law of a State passed or made before the commencement of this Constitution and not previously repealed notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.

¹Explanation to cl. (1) omitted by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 4.

²Subs. *ibid.* for the original cls. (2) and (3).

भाग १२—विश्व, सम्पत्ति, संबिधाएं और व्यवहार-जाव
अनु० २८६-२८८

।*

२ (२) यह अवधारित करने के लिये कि खंड (१) में वर्णित प्रकारों में से किसी में की वस्तुओं का क्रय या विक्रय कब होता है संसद् विधि द्वारा सिद्धान्त सूचित कर सकेगी ।

(३) जहां तक कि किसी राज्य की कोई विधि, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में ऐसी वस्तुओं के, जो कि संसद् द्वारा विधि द्वारा विशेष महत्व की घोषित की गई हैं, क्रय या विक्रय पर किसी कर का आरोपण करती है या आरोपण प्राधिकृत करती है, वहां तक वह विधि उस करके उद्ग्रहण की व्यवस्था, दरों और अन्य प्रसंगतियों के सम्बन्ध में ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्वधीन होगी जैसी कि संसद् विधि द्वारा उल्लिखित कर ।]

२८७. जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या क्रय पर, जो—

विद्युत पर करों से विमुक्ति

- (क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अथवा भारत सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेची गई है; अथवा
(ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत सरकार या रेलवे समवाय द्वारा, जो उस रेलवे को चलाती है उपभुक्त है, अथवा किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को बेची गई है;

राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी तथा विद्युत के क्रय पर करारोपण करने, या करारोपित करना प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह मुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को, जैसा कि उपर्युक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये, बेची गई विद्युत का मूल्य उस मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी कि कर की राशि है ।

२८८. (१) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उसको छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि किसी पानी या विद्युत के बारे में, जो अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दुनों के विनियमन या विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गई, पंदा की गई, उपभुक्त, वितरित या बेची गई है, कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी ।

पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुछ अवस्थाओं में विमुक्ति

व्याख्या—इस अनुच्छेद में “राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि” के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों ।

¹ खंड (१) की व्याख्या संविधान (षष्ठ संशोधन), अधिनियम १९५६, धारा ४ द्वारा लुप्त कर दी गयी ।

² उपरोक्त के ही द्वारा मूल खंड (२) और (३) के स्थान पर रखे गये ।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts.—288–290.

(2) The Legislature of a State may by law impose, or authorise the imposition of, any such tax as is mentioned in clause (1), but no such law shall have any effect unless it has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent; and if any such law provides for the fixation of the rates and other incidents of such tax by means of rules or orders to be made under the law by any authority, the law shall provide for the previous consent of the President being obtained to the making of any such rule or order.

Exemption of property and income of a State from Union taxation.

289. (1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.

(a) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or authorising the imposition of, any tax to such extent, if any, as Parliament may by law provide in respect of a trade or business of any kind carried on by, or on behalf of, the Government of a State, or any operations connected therewith, or any property used or occupied for the purposes of such trade or business or any income accruing or arising in connection therewith.

(3) Nothing in clause (2) shall apply to any trade or business, or to any class of trade or business, which Parliament may by law declare to be incidental to the ordinary functions of Government.

Adjustment in respect of certain expenses and pensions.

290. Where under the provisions of this Constitution the expenses of any court or Commission, or the pension payable to or in respect of a person who has served before the commencement of this Constitution under the Crown in India or after such commencement in connection with the affairs of the Union or of a State, are charged on the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State, then, if—

- (a) in the case of a charge on the Consolidated Fund of India, the court or Commission serves any of the separate needs of a State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of a State; or
- (b) in the case of a charge on the Consolidated Fund of a State, the court or Commission serves any of the separate needs of the Union or another State, or the person has served wholly or in part in connection with the affairs of the Union or another State,

there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State or, as the case may be, the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the other State such contribution in respect of the expenses or pension as may be agreed, or as may in default of agreement be determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

¹Art. 290 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविधान और व्यवहार-बाब
अनु० २८८-२९०

(२) राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा खंड (१) में दणित कोई कर आरोपित, या आरोपित करना प्राधिकृत कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित रखे जाने के पश्चात् उसकी अनुमति न मिल गई हो, तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का उपबन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लिये जाने का उपबन्ध करेगी।

२८९. (१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विमुक्त होंगी।

संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विमुक्ति

(२) खंड (१) की किसी बात से संघ को राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, किबे जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के बारे में, अथवा उनसे सम्बन्धित किन्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उनके प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति के बारे में, अथवा उनसे प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, जिसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, आरोपित करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी।

(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू न होगी जिसे कि संसद् विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से प्रासंगिक है।

२९०. जहाँ इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत में सत्राट के अधीन, अथवा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संघ के या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा की है उसको या उसके बारे में देय निवृत्ति-वेतन भाग्य की संचित निधि अथवा राज्यों की संचित निधि पर भारित है, वहाँ यदि—

कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन

(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की किन्हीं पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो, अथवा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो, तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि पर, व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विषयक उतना अंशदान, जितना कि करार हो, अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान, जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे, भारित होगा और उस निधि से दिया जायेगा।

अनुच्छेद २९० अम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

Part. XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 290A–293.

Annual payment to certain Devaswom Funds.

¹**290A.** A sum of forty-six lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Kerala every year to the Travancore Devaswom Fund; and a sum of thirteen lakhs and fifty thousand rupees shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of the State of Madras every year to the Devaswom Fund established in that State for the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred to that State on the 1st day of November, 1956, from the State of Travancore-Cochin.]

Privy purse sums of Rulers.

²**291.** * * * Where under any covenant or agreement entered into by the Ruler of any Indian State before the commencement of this Constitution, the payment of any sums, free of tax, has been guaranteed or assured by the Government of the Dominion of India to any Ruler of such State as privy purse—

(a) such sums shall be charged on, and paid out of, the Consolidated Fund of India ; and

(b) the sums so paid to any Ruler shall be exempt from all taxes on income.

* *

CHAPTER II.—BORROWING

Borrowing by the Government of India.

292. The executive power of the Union extends to borrowing upon the security of the Consolidated Fund of India within such limits, if any, as may from time to time be fixed by Parliament by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

Borrowing by States.

293. (1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

(2) The Government of India may, subject to such conditions as may be laid down by or under any law made by Parliament, make loans to any State or, so long as any limits fixed under article 292 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any State, and any sums required for the purpose of making such loans shall be charged on the Consolidated Fund of India.

¹Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 19.

²Art. 291 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

³The brackets and figure "1" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

⁴Cl. (2) omitted, *ibid.*

भाग १२— वित्त, सम्पत्ति, संधिदाएं और व्यवहार-वाद
अनु० २६०क—२६३

¹[२६०क. छियालीस लाख पचास हजार रुपये की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर प्रत्येक वर्ष भारत होगी और उस निधि में से तिरुवांकुर देवस्वम निधि को दी जायेगी, और तेरह लाख पचास हजार रुपये की राशि मद्रास राज्य की संचित निधि पर प्रत्येक वर्ष भारत होगी और उस निधि से तिरुवांकुर कोचीन राज्य से १९५६ के नवम्बर के प्रथम दिन उस राज्य को मद्रास राज्य-क्षेत्रों में के हिन्दू मंदिरों और पवित्र स्थानों के पोषण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम निधि को दी जायेगी।

कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक देनगी

² २६१. * * * इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देशो राज्य के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी धनी के रूप में किन्हीं राशियों की कर मुक्त देनगी भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की गई है वहां—

शासकों की निजी धनी की राशि

(क) वैसी राशियां भारत की संचित निधि पर भारत होंगी तथा उस से दी जायेंगी; तथा

(ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी आय पर करों से विमुक्त होंगी।

* *

अध्याय २—उधार लेना

२६२. भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।

भारत सरकार द्वारा उधार लेना

२६३. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है।

राज्यों द्वारा उधार लेना

(२) भारत सरकार ऐसी शर्तों के साथ, जैसी कि संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान के अनुच्छेद २६२ के अन्तर्गत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गये उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, वे भारत की संचित निधि पर भारत होंगी।

¹ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा १६ द्वारा अन्तःस्थापित।

² अनुच्छेद २६१ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

³ कोष्ठक और श्रंक्ष "१" संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

* संड (२) उपरोक्त के ही द्वारा सुप्त कर दिया गया।

Part. XII.—Finance Property, Contract and Suits.—Arts. 293-295.

L. B. S. National Academy

of Administration, Mussorie
 Acc. No. 126184
 Date

(3) A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government of India or by its predecessor Government, or in respect of which a guarantee has been given by the Government of India or by its predecessor Government.

(4) A consent under clause (3) may be granted subject to such conditions, if any, as the Government of India may think fit to impose.

CHAPTER III.—PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS

Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases.

294. As from the commencement of this Constitution—

- (a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of the Dominion of India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of each Governor's Province shall vest respectively in the Union and the corresponding State, and
- (b) all rights, liabilities and obligations of the Government of the Dominion of India and of the Government of each Governor's Province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding State,

subject to any adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this Constitution of the Dominion of Pakistan or of the Provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab.

Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases.

295. (1) As from the commencement of this Constitution—

- (a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule shall vest in the Union if the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in the Union List, and

In its application to the State of Jammu and Kashmir, references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, i.e., the 14th May, 1954.

भाग १२—विध, सम्पत्ति, संबिदाएँ और व्यवहार-वाद

अनु० २६३-२६५

(३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने या उसकी पूर्वाधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके विषय में भारत सरकार ने अथवा उसकी पूर्वाधिकारी सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग देना शेष है तो वह राज्य भारत सरकार की सम्मति के बिना कोई उधार न ले सकेगा।

(४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी, जिन्हें भारत सरकार आरोपित करना उचित समझे।

**अध्याय ३.—सम्पत्ति, संबिदा, अधिकार, दायित्व, आभार
और व्यवहार-वाद**

२६४. इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर—

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियाँ भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं तथा जो सम्पत्ति और आस्तियाँ प्रत्येक राज्यपाल प्रान्त की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः संघ और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी; तथा

कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमीनियन की सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपाल प्रान्त की सरकार के थे, चाहे फिर वे किसी संबिदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः भारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगी।

¹ २६५. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर—

(क) जो सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं वे सब ऐसे करार के अधीन रह कर, जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संभूत थीं, वे तत्पश्चात् संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा

अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियाँ, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार

¹जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में संविधान के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जायेगा मानो कि वे संविधान (जम्मू और कश्मीर को लागू होना) आदेश १९५४ के प्रारम्भ अर्थात् १४ मई, १९५४ के प्रति निर्देश हैं।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 295-298.

- (b) all rights, liabilities and obligations of the Government of any Indian State corresponding to a State specified in Part B of the First Schedule, whether arising out of any contract or otherwise shall be the rights, liabilities and obligations of the Government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the Government of India relating to any of the matters enumerated in the Union List.

subject to any agreement entered into in that behalf by the Government of India with the Government of that State.

- (2) Subject as aforesaid, the Government of each State specified in Part B of the First Schedule shall, as from the commencement of this Constitution, be the successor of the Government of the corresponding Indian State as regards all property and assets and all rights, liabilities and obligations, whether arising out of any contract or otherwise, other than those referred to in clause (1).

Property accruing by escheat or lapse or as *bona vacantia*.

296. Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this Constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty or, as the case may be, to the Ruler of an Indian State by escheat or lapse; or as *bona vacantia* for want of a rightful owner, shall, if it is property situate in a State, vest in such State, and shall, in any other case, vest in the Union :

Provided that any property which at the date when it would have so accrued to His Majesty or to the Ruler of an Indian State was in the possession or under the control of the Government of India or the Government of a State shall, according as the purposes for which it was then used or held were purposes of the Union or of a State, vest in the Union or in that State.

Explanation.—In this article, the expressions “Ruler” and “Indian State” have the same meanings as in article 363.

Things of value lying within territorial waters to vest in the Union.

297. All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

Power to carry on trade, etc.

¹**298.** The executive power of the Union and of each State shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and disposal of property and the making of contracts for any purpose :

Provided that—

- (a) the said executive power of the Union shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which Parliament may make laws, be subject in each State to legislation by the State ; and

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 20, for the original art. 298.

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-बाव—
अनु० २६५-२६८

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे करार के अधीन रह कर जैसा कि उस वारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे अधिकार अर्जित किये गये थे अथवा दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत सरकार के प्रयोजन हों।

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब सम्पत्ति और आस्तियों, तथा संविदा से या अन्यथा उद्भूत सब अधिकारों, दायित्वों और आभारों के बारे में, जो खंड (१) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, तत्स्थानी देशी राज्य को इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिकारिणी होगी।

२६६. एतत्परचात् उपबन्धित के अधीन रहकर यदि यह संविधान प्रवर्तन में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत राज्य-क्षेत्र में राजगामी या व्यपगत होने में, या अधिकारयुक्त स्वामी के अभाव में स्वामिहीन-रिक्थ के रूप में यथा-स्थिति सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, वह सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य अवस्था में संघ में निहित होगी।

राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने में प्रोद्भूत सम्पत्ति

परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि उसका जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग या धारण था वे प्रयोजन संघ के थे तो वह संघ में और यदि वे प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी।

व्याख्या—इन अनुच्छेद में "शासक" और "देशी राज्य" पदों का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६२ में है।

२६७. भारत के जल-प्रांगण में, समुद्र के नीचे की सब भूमियां, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी।

जल-प्रांगण में स्थित मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी

[२६८. संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसी व्यापार या कारबार के करने और किसी प्रयोजन के लिये सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदाकरण तक विस्तृत होगी ;

व्यापार आदि करने की शक्ति

परन्तु—

(क) संघ की उक्त कार्यपालिका शक्ति, वहां तक जहां तक कि ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में संसद्-विधियां बना सकती हैं, प्रत्येक राज्य में उस राज्य द्वारा विधान के अधीन होगी, और

१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २० द्वारा मूल अनुच्छेद २६८ के स्थान पर रखा गया।

Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits.—Arts. 298-300.

- (b) the said executive power of each State shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which the State Legislature may make laws, be subject to legislation by Parliament.]

Contracts.

^{299.} (1) All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a State shall be expressed to be made by the President, or by the Governor ²* * * of the State, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the President or the Governor ²* * * by such persons and in such manner as he may direct or authorise.

(2) Neither the President nor the Governor ³* * * shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purposes of this Constitution or for the purposes of any enactment relating to the Government of India heretofore in force, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof.

Suits and proceeding.

^{300.} (1) The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted.

(2) If at the commencement of this Constitution—

- (a) any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings; and
- (b) any legal proceedings are pending to which a Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be substituted for the Province or the Indian State in those proceedings.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, references to the State or States shall not be construed as references to that State.

²The words "or the Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 92 and Sch.

³The words "nor the Rajpramukh" omitted, *ibid.*

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संबिदाएं, और व्यवहार-वाद—

अनु० २६८-३००

- (ख) प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यपालिका शक्ति, वहां तक जहां तक कि ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में उस राज्य का विधानमंडल विधियां बना सकता है, मंगद द्वारा विधान के अध्यक्षीन होगी]

१२६६. (१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब संबिदाएं, यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जायेंगी तथा वे सब संबिदाएं और सम्पत्ति-संबंधी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्ति के पालन में किये जायें राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से उस के द्वारा निर्देशित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार लिखे जायेंगे।

(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत सरकार विषयक इससे पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियमिनि के प्रयोजनों के हेतु की गई अथवा लिखी गई किसी संबिदा या हस्तान्तरण-पत्र के बारे में वैयक्तिक रूप में उत्तरदायी होगा और न वैसा कोई व्यक्ति ही इसके बारे में वैयक्तिक रूप में उत्तरदायी होगा जिसे उनमें से किसी की ओर से ऐसी संबिदा या हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो।

३००. (१) भारत संघ के नाम से, भारत सरकार व्यवहारवाद ला सकेगी अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा, तथा इस संविधान में दी हुई शक्तियों के आधार पर, संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा, जो अधिनियम बनाया जाये, उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे अपने अपने कार्यों के बारे में उसी प्रकार व्यवहार-वाद ला सकेंगे, अथवा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहारवाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीनियन और तत्स्थानी प्रान्त अथवा तत्स्थानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद ला सकते अथवा उनके विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकता, यदि इस संविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता।

व्यवहार-वाद और कार्यवाहियां

(२) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर—

- (क) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लंबित हैं जिसमें भारत डोमीनियन एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त डोमीनियम के स्थान में भारत संघ समझा जायेगा, तथा
- (ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जायेगा।

¹ जम्मू और कश्मीर राज्य को सामू होने में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ न किया जायेगा कि वे उस राज्य के प्रति निर्देश हैं।

² "या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

³ या राजप्रमुख " शब्द उपरोक्त के ही द्वारा सुप्त कर दिये गये।

PART XIII

TRADE, COMMERCE AND INTERCOURSE WITHIN THE TERRITORY OF INDIA

Freedom of trade,
commerce and
intercourse.

301. Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.

Power of Parlia-
ment to impose
restrictions on
trade, commerce
and intercourse.

302. Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one State and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest.

Restrictions on the
legislative pow-
ers of the Union
and of the States
with regard to
trade and com-
merce.

303. (1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent Parliament from making any law giving, or authorising the giving of, any preference or making, or authorising the making of, any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India.

Restrictions on
trade, commerce
and intercourse
among States.

304. Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law—

(a) impose on goods imported from other States ²[or the Union territories] any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced and

(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within the State as may be required in the public interest :

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, in cl. (1) of art. 303, the words "by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule" shall be omitted.

²Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

३०१. इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम प्रबाध होगा।

व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

३०२. संसद् विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निबन्धन आरोपित कर सकेंगी जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों।

व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबन्धन लगाने की संसद् की शक्ति

३०३. (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुये भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो संसद् को, और न राज्य के विधानमंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है।

व्यापार और वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी शक्तियों पर निबन्धन

(२) खंड (१) में की कोई बात संसद् को ऐसी कोई विधि बनाने में न रोकेंगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

३०४. का विधानमंडल

३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य द्वारा—

राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबन्धन

(क) अन्य राज्यों या [संघ राज्य-क्षेत्रों] में आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसे ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; तथा

(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे व्यक्तिगत निबन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों:

परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

¹ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३०३ के खंड (१) में ("सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे।

संविधान (सप्तम संशोधन), अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।

*Part XIII.—Trade, Commerce and Intercourse
within the Territory of India.—Arts. 305-307.*

Saving of existing laws and laws providing for State monopolies.

¹**305.** Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct ; and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, in so far as it relates to, or prevent Parliament or the Legislature of a State from making any law relating to any such matter as is referred to in sub-clause (ii) of clause (6) of article 19.]

306. [*Power of certain States in Part B of the First Schedule to impose restrictions on trade and commerce.*] *Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.*

Appointment of authority for carrying out the purposes of articles 301 to 304.

307. Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304 and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary.

भाग १३—भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और सभागत—

अनु० ३०५-३०७

३०५. अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे कोई प्रभाव न डालेगी ; और अनुच्छेद ३०१ की कोई बात संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५ के प्रारम्भ से पूर्व निर्मित किसी विधि के प्रवर्तन पर वहाँ तक जहाँ तक कि वह विधि किसी ऐसे विषय से संबद्ध है जैसा कि अनुच्छेद १९ के खंड (६) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है, कोई प्रभाव न डालेगी या ऐसे किसी विषय से संबद्ध, जैसा कि अनुच्छेद १९ के खंड (६) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है, कोई विधि बनाने से संसद् या किसी राज्य के विधानमंडल को न रोकेंगी ।]

वर्तमान विधियों और राज्य एकाधिपत्यों के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

३०६. [प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निबन्धनों के आरोपण की शक्ति] संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा निरमित ।

३०७. संसद् विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और ३०४ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित समझे तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियाँ और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेंगी जैसे कि वह आवश्यक समझे ।

अनुच्छेद ३०१ से ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति

¹ संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५, धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित ।

PART XIV

SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES

CHAPTER I.—SERVICES

Interpretation.

308. In this Part, unless the context otherwise requires, the expression "State" ¹[does not include the State of Jammu and Kashmir].

Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State.

309. Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State :

- Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor ²* * * of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to such services and posts until provision in that behalf is made by or under an Act of the appropriate Legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such Act.

Tenure of office of persons serving the Union or a State.

310. (1) Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union, holds office during the pleasure of the President, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor ³* * * of the State.

(2) Notwithstanding that a person holding a civil post under the Union or a State holds office during the pleasure of the President or, as the case may be, of the Governor ²* * * of the State, any contract under which a person, not being a member of a defence service or of an all-India service or of a civil service of the Union or a State, is appointed under this Constitution to hold such a post may, if the President or the Governor ²* * *, as the case may be, deems it necessary in order to secure the services of a person having special qualifications, provide for the payment to him of compensation, if before the expiration of an agreed period that post is abolished or he is, for reasons not connected with any misconduct on his part, required to vacate that post.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. for "means a State specified in Part A or Part B of the First Schedule".

²The words "or Rajpramukh" omitted, *ibid.*

³The words "or, as the case may be, the Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

अध्याय १.—सेवाएं

३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो "राज्य" पद निबंधन^१ के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है।

३०९. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्वित विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों में संबद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्तियों का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेंगे :

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्तियों तथा सेवा की शर्तें

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन सम्वित विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों में संबद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, तथा राज्य के कार्यों में संबद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल^२ * * * को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्तियों तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

३१०. (१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या अमैत्रिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से संबंधित किसी पद को अथवा किसी अमैत्रिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य की अमैत्रिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी अमैत्रिक पद को धारण करता है, [राज्य के राज्यपाल] के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

(२) इस बात के होने हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन अमैत्रिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल * * * के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा, जिस के अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की अमैत्रिक सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेंगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल * * * विगेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकर दिया जायेगा।

^१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत ह के स्थान पर रखे गये।

^२ "या राजप्रमुख" शब्द उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

^३ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा "यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख" शब्दों के स्थान पर रखे गये।

Part XIV.—Services under the Union and the States.—Arts. 311-313.

Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a State.

311. (1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.

(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him :

Provided that this clause shall not apply—

- (a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge ;
- (b) where an authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to give to that person an opportunity of showing cause ; or
- (c) where the President or Governor ^{1*} * *, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to give to that person such an opportunity.

(3) If any question arises whether it is reasonably practicable to give to any person an opportunity of showing cause under clause (2), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank, as the case may be, shall be final.

All-India services.

312. (1) Notwithstanding anything in Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more all-India services common to the Union and the States, and, subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to any such service.

(2) The services known at the commencement of this Constitution as the Indian Administrative Service and the Indian Police Service shall be deemed to be services created by Parliament under this article.

Transitional provisions.

313. Until other provision is made in this behalf under this constitution, all the laws in force immediately before the commencement of this Constitution and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of this Constitution, as an all-India service or as service or post under the Union or a State shall continue in force so far as consistent with the provisions of this Constitution.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—
अनु० ३११-३१२

३११. (१) जो व्यक्ति संघ की अर्सेनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की अर्सेनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा।

(२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस के बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो :

परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा—

- (क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिस के लिये दंड-दोषारोप पर वह सिद्धदोष हुआ है ;
- (ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये ; अथवा
- (ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल * * * * का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इंतकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये।

(३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खंड (२) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति-वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

३१२. (१) भाग ११ में किसी बात के होते हुये भी यदि राज्य-सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो संसद् विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिये सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी ऐसी सेवा के लिये भर्ती का तथा, नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी।

(२) इस संविधान के प्रारंभ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवायें इस अनुच्छेद के अधीन संसद् द्वारा सृजित सेवायें समझी जायेंगी।

३१३. जब तक इस संविधान के अधीन इस लिये अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते हैं, लागू हों, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक कि वे इस संविधान के उपबन्धों से संगत हों।

संघ या राज्य के अधीन असैनिक हसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पद-च्युति, पद से हटाया जाना, या पंक्ति-च्युत किया जाना

अखिल भारतीय सेवाएं

अन्तर्वर्ती उपबन्ध

* "या राजभ्रमूह" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part XIV.—Services under the Union and the States.—Arts. 314–316.

Provision for protection of existing officers of certain services.

314. Except as otherwise expressly provided by this Constitution, every person who having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India continues on and after the commencement of this Constitution to serve under the Government of India or of a State shall be entitled to receive from the Government of India and the Government of the State, which he is from time to time serving, the same conditions of service as respects remuneration, leave and pension, and the same rights as respects disciplinary matters or rights as similar thereto as changed circumstances may permit as that person was entitled to immediately before such commencement.

CHAPTER II.—PUBLIC SERVICE COMMISSIONS

Public Service Commissions for the Union and for the States.

315. (1) Subject to the provisions of this article, there shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.

(2) Two or more States may agree that there shall be one Public Service Commission for that group of States, and if a resolution to that effect is passed by the House or, where there are two Houses, by each House of the Legislature of each of those States, Parliament may by law provide for the appointment of a Joint State Public Service Commission (referred to in this Chapter as Joint Commission) to serve the needs of those States.

(3) Any such law as aforesaid may contain such incidental and consequential provisions as may be necessary or desirable for giving effect to the purposes of the law.

(4) The Public Service Commission for the Union, if requested so to do by the Governor^{1*} * * of a State, may, with the approval of the President, agree to serve all or any of the needs of the State.

(5) References in this Constitution to the Union Public Service Commission or a State Public Service Commission shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to the Commission serving the needs of the Union or, as the case may be, the State as respects the particular matter in question.

Appointment and term of office of members.

316. (1) The Chairman and other members of a Public Service Commission shall be appointed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, by the President, and in the case of a State Commission, by the Governor^{1*} * * of the State :

Provided that as nearly as may be one-half of the members of every Public Service Commission shall be persons who at the dates of their respective appointments have held office for at least ten years either under the Government of India or under the Government of a State, and in computing the said period of ten years any period before the commencement of this Constitution during which a person has held office under the Crown in India or under the Government of an Indian State shall be included.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s. 29 and Sch.

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अनु० ३१४-३१६

३१४. इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सन्नाट की किमी अमेनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् इस संविधान के प्रारंभ पर और पश्चात् भारत की या किमी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, भारत सरकार या राज्य की सरकार में, जिस की सेवा वह समय समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक छुट्टी आंग निवृत्ति-वेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्तों का, तथा अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उन के तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसा कि परिवर्तित परिस्थितियों में मभव हो, हक्क होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारंभ से ठीक पहिले हक्क था।

कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध

अध्याय २—लोक सेवा-आयोग

३१५. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा।

संघ और राज्यों के लिये लोकसेवा-आयोग

(२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोकसेवा-आयोग होगा तथा यदि उस उद्देश्य का मकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक के विधानमंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोकसेवा-आयोग (जो इस अध्याय में "संयुक्त आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है) की नियुक्ति का उपबन्ध कर सकेंगी।

(३) उपरोक्त विधि में ऐसे प्रारंभिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि उस विधि के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हों।

(४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल * * * संघ के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वह उस राज्य की सब या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य करना स्वीकार कर सकेगा।

(५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस संविधान में संघ के लोकसेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा जायेगा जो प्रस्तास्पद किसी विशेष विषय के बारे में यथास्थिति संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल * * * द्वारा की जायेगी :

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि

परन्तु प्रत्येक लोकसेवा-आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं तथा उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगणना में ऐसी कालावधि भी सम्मिलित होगी, जिस में इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व किसी व्यक्ति ने भारत के सन्नाट के अधीन या देशी राज्य के अधीन पद धारण किया है।

* "या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

Part XIV.—Services under the Union and the States.—Arts. 316-317.

(2) A member of a Public Service Commission shall hold office for a term of six years from the date on which he enters upon his office or until he attains, in the case of the Union Commission, the age of sixty-five years, and in the case of a State Commission or a Joint Commission, the age of sixty years, whichever is earlier:

Provided that—

- (a) a member of a Public Service Commission may, by writing under his hand addressed, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, to the President, and in the case of a State Commission, to the Governor ^{1*} * * * of the State, resign his office;
- (b) a member of a Public Service Commission may be removed from his office in the manner provided in clause (1) or clause (3) of article 317.

(3) A person who holds office as a member of a Public Service Commission shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for re-appointment to that office.

Removal and suspension of a member of a Public Service Commission.

317. (1) Subject to the provisions of clause (3), the Chairman or any other member of a Public Service Commission shall only be removed from his office by order of the President on the ground of misbehaviour after the Supreme Court, on reference being made to it by the President, has, on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 145, reported that the Chairman or such other member, as the case may be, ought on any such ground to be removed.

(2) The President, in the case of the Union Commission or a Joint Commission, and the Governor ^{1*} * *, in the case of a State Commission, may suspend from office the Chairman or any other member of the Commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under clause (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything in clause (1), the President may by order remove from office the Chairman or any other member of a Public Service Commission if the Chairman or such other member, as the case may be,—

- (a) is adjudged an insolvent; or
- (b) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
- (c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अनु० ३१६-३१७

(२) लोकसेवा-आयोग का सदस्य, अपने पद-ग्रहण की तारीख से छः वर्ष की अवधि तक अथवा यदि वह संघ-आयोग है तो, पैंसठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह राज्य-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण करेगा :

परन्तु—

- (क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति को, तथा यदि वह, राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल * * * को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा ;
- (ख) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य अपने पद से अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) या खंड (३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा ।

(३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये अपात्र होगा ।

३१७. (१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उस आदेश पर ही हटाया जायेगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गये इस प्रतिवेदन के पश्चात्, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया है ।

लोकसेवा - आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना

(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है, तथा राज्यपाल * * * यदि वह राज्य-आयोग है, उस को पद से तब तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे ।

(३) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति लोकसेवा-आयोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्य—

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है, अथवा
- (ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी करता है ; अथवा
- (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दौर्बल्य के कारण अपने पद पर रहे जाने के लिये अयोग्य है,

तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपने पद से हटा सकेगा ।

1 "या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये ।

Part XIV.—Services under the Union and the States.—Arts. 317-320.

(4) If the Chairman or any other member of a Public Service Commission is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission.

318. In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission the Governor ¹* * * of the State may by regulations—

- (a) determine the number of members of the Commission and their conditions of service; and
- (b) make provision with respect to the number of members of the staff of the Commission and their conditions of service :

Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Prohibition as to the holding of offices by members of Commission on ceasing to be such members.

319. On ceasing to hold office—

- (a) the Chairman of the Union Public Service Commission shall be ineligible for further employment either under the Government of India or under the Government of a State;
- (b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State ;
- (c) a member other than the Chairman of the Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman of the Union Public Service Commission or as the Chairman of a State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State ;
- (d) a member other than the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commission or as the Chairman of that or any other State Public Service Commission, but not for any other employment either under the Government of India or under the Government of a State.

Functions of Public Service Commission.

320. (1) It shall be the duty of the Union and the State Public Service Commissions to conduct examinations for appointments to the services of the Union and the services of the State respectively.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—
अनु० ३१७-३२०

(४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा, या और से की गई किसी संविदा या करार में, निगमित समवाय के सदस्य के नाते तथा उस के अन्य सदस्यों के साथ साथ के सिवाय, किसी प्रकार से भी संपृक्त या हित-सम्बद्ध है या हो जाता है अथवा किसी प्रकार से उस के लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (१) के प्रयोजनों के लिये कदाचार का अपराधी समझा जायेगा।

३१८. संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल * * * विनियमों द्वारा—

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उन की सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा ; तथा
- (ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के तथा उन की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा :

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा।

३१९. पद पर न रहने पर—

- (क) संघ लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नौकरी के लिये अपात्र होगा ;
- (ख) राज्य के लोकसेवा-आयोग का सभापति संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ;
- (ग) संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति से अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में अथवा राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ;
- (घ) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति से अनिरीक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा।

आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रति-बंध

३२०. (१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों का कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे।

लोकसेवा आयोगों के कृत्व

¹ "या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

Part XVI.—Services under the Union and the States.—Art. 320

(2) It shall also be the duty of the Union Public Service Commission, if requested by any two or more States so to do, to assist those States in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required.

(3) The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted—

- (a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts;
- (b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments, promotions or transfers;
- (c) on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India or the Government of a State in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters;
- (d) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served under the Government of India or the Government of a State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, in a civil capacity, that any costs incurred by him in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty should be paid out of the Consolidated Fund of India, or, as the case may be, out of the Consolidated Fund of the State;
- (e) on any claim for the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the Government of India or the Government of a State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, in a civil capacity, and any question as to the amount of any such award;

and it shall be the duty of a Public Service Commission to advise on any matter so referred to them and on any other matter which the President, or, as the case may be, the Governor^{1*} * * of the State, may refer to them :

Provided that the President as respects the all-India services and also as respects other services and posts in connection with the affairs of the Union, and the Governor^{2*} * *, as respects other services and posts in connection with the affairs of a State, may make regulations specifying the matters in which either generally, or in any particular class of cases or in any particular circumstances, it shall not be necessary for a Public Service Commission to be consulted.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²The words "or Rajpramukh as the case may be" omitted, *ibid.*

भाग १४—संघ और राज्यों के अर्थात् सेवाएं— अनु० ३२०

(२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उस का यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये, जिन के लिये विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करे।

(३) यथास्थिति संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग से—

- (क) अर्थात् सेवाओं में और अर्थात् पदों के लिये भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर,
- (ख) अर्थात् सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर,
- (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार की अर्थात् हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उन के सहित समस्त ऐसे अनुशासन विषयों पर,
- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अर्थात् या भारत के सम्राट के अर्थात् या देशी राज्य की सरकार के अर्थात् अर्थात् हैसियत से सेवा कर रहा है या बर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के संबंध में कृत, जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य-पालन में किये गये, या कर्तव्य-प्रति कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्यवाहियों में जो अर्थात् उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है वह यथास्थिति भारत की संचित निधि में या राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये उस दावे पर,
- (ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट के अर्थात् अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के अर्थात् अर्थात् हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर,

परामर्श किया जायेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल * * * उन से पृच्छा करे, परामर्श देने का लोकसेवा-आयोग का कर्तव्य होगा।

परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में ^१[राज्यपाल] उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

^१ "या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

^२ उपरोक्त के ही द्वारा "यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख" के स्थान पर रखा गया।

Part XIV.—Services under the Union and the States.—Arts. 320-323.

(4) Nothing in clause (3) shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause (4) of article 16 may be made or as respects the manner in which effect may be given to the provisions of article 335.

(5) All regulations made under the proviso to clause (3) by the President or the Governor ^{1*} * * of a State shall be laid for not less than fourteen days before each House of Parliament or the House or each House of the Legislature of the State, as the case may be, as soon as possible after they are made, and shall be subject to such modifications, whether by way of repeal or amendment, as both Houses of Parliament or the House or both Houses of the Legislature of the State may make during the session in which they are so laid.

Power to extend functions of Public Service Commissions.

321. An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union or the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution.

Expenses of Public Service Commissions.

322. The expenses of the Union or a State Public Service Commission, including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the members or staff of the Commission, shall be charged on the Consolidated Fund of India or, as the case may be, the Consolidated Fund of the State.

Reports of Public Service Commissions.

323. (1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.

(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor ^{1*} * * of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor ^{1*} * * of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor ^{2*} * *, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State.

¹The words "or Rajpramukh omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, S. 29 and Sch.

²The words "or Rajpramukh as the case may be" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग १४—संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—

अनु० ३२०—३२३

(४) खंड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोकसेवा-आयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिसे कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद २३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना है।

(५) खंड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल * * * द्वारा बनाये गये सब विनियम उन के बनाये जाने के पश्चात् पचास-संभव शीघ्र यथास्थिति संसद के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिये रखे जायेंगे, तथा निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जैसे कि संसद के दोनों सदन अथवा उस राज्य के विधानमंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्त में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों।

३२१. यथास्थिति संसद द्वारा निर्मित अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई अधिनियम संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के बारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा विधि द्वारा गठित अन्य निगम-निकाय अथवा किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अनिश्चित कृत्यों के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा। लोकसेवा-आयोगों के कृत्योंके विस्तार की शक्ति

३२२. संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के व्यय, जिन के अन्तर्गत लोकसेवा-आयोगों के आयोग के सदस्यों या कर्मचारी-वृन्द को, या के विषय में, दिये जाने वाले कोई वेतन, व्यय भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, यथास्थिति भारत की संविधान विधि या राज्य की संविधान विधि पर भारित होंगे।

३२३. (१) संघ-आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा लोकसेवा-आयोगों के किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्र-प्रतिवेदन पत्र उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(२) राज्य-आयोग का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल * * * को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल * * * को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इन में से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर ^१[राज्यपाल] उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवायेगा।

“या राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सन्त कर दिये गये।

^२उपरोक्त के ही द्वारा “यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख” के स्थान पर रखा गया।

PART XV
ELECTIONS

Superintendence,
direction and
control of elec-
tions to be vested
in an Election
Commission.

¹324. (1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution, including the appointment of election tribunals for the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with elections to Parliament and to the Legislatures of States shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.

(3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.

(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause (1).

(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine:

Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

(6) The President, or the Governor * * * of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).

¹Art. 324 shall apply to the State of Jammu and Kashmir only in so far as it relates to elections to Parliament and to the offices of President and Vice-President.

*The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.
. 29 and Sch.

भाग १५

निर्वाचन

३२४. (१) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, जिस के अन्तर्गत संसद् के तथा राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देशों और विवादों के विनिश्चयों के लिये निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में "निर्वाचन आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है) ।

निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे

(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन-आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और अन्य निर्वाचन-आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी ।

(३) जब कोई अन्य निर्वाचन-आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्त निर्वाचन-आयोग के सभापति के रूप में कार्य करेगा ।

(४) लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व तथा विधान-परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा तत्पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पूर्व, राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग से परामर्श करके खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे ।

(५) संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचन-आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तों और पदावधि ऐसी होगी जैसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे :

परन्तु मुख्य निर्वाचन-आयुक्त अपने पद से वैसे कारणों और वैसी रीति के बिना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस की सेवा की शर्तों में उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन न किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की तिपात्रिण के बिना पद से हटाया न जायेगा ।

(६) जब निर्वाचन-आयोग ऐसी प्रार्थना करे, तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल * * * निर्वाचन-आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी-वृन्द प्राप्य करायेगा जैसे कि खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों ।

३२४ जम्मू और कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा जहां तक कि वह संसद् के लिये और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचनों से सम्बन्धित है ।

²"या राजप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये ।

Part XV.—Elections.—Arts. 325—329.

No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. ¹**325.** There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage. ¹**326.** The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than twenty-one years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures. ¹**327.** Subject to the provisions of this Constitution, parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature. ¹**328.** Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

Bar to interference by courts in electoral matters. ¹**329.** Notwithstanding anything in this Constitution—

- (a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;
- (b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

भाग १५—निर्वाचन—अनु० ३२५—३२६

^१३२५. संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचन के हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक-नामावलि होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इन में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा अथवा ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा।

धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा।

^१३२६. लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के लिये निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अर्ह नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हक्कदार होगा।

लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये निर्वाचन का वयस्क-मताधिकार के आधार पर होना

^१३२७. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के संबंध में, जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगी।

विधानमंडलों के लिये निर्वाचनों के विषय में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति

^१३२८. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा जहां तक संसद् इसलिये उपबन्ध नहीं बनाती वहां तक, किसी राज्य का विधानमंडल, समय समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के संबंध में, जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगा।

किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति

^१३२९. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

- (क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ;
- (ख) संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के बिना कोई आपत्ति न की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो समुचित विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित है।

निर्वाचन विषयों न्यायालयों के हस्त-क्षेप पर रोक

^१अनुच्छेद ३२५, ३२६, ३२७, ३२८ और ३२९ जम्मू और कश्मीर राज्य की भाग न होंगे।

PART XVI

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

Reservation of seats for Scheduled Castes and for Scheduled Tribes in the House of the People.

¹330. (1) Seats shall be reserved in the House of the People

- (a) the Scheduled Castes ;
- (b) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes in the tribal areas of Assam; and
- (c) the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

(2) The number of seats reserved in any State ²[or Union territory] for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State ²[or Union territory] in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State ²[or Union territory] or of the Scheduled Tribes in the State ²[or Union territory] or part of the State ²[or Union territory], as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State ²[or Union territory].

Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People.

³331. Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.

³332. (1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the tribal areas of Assam, in the Legislative Assembly of every State * * * .

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 330, references to the "Scheduled Tribes" shall be omitted.

²Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s.29 and Sch.

³Arts. 331 and 332 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

⁴The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by

कतिपय वर्गों से सम्बन्ध विशेष उपबन्ध

३३०. (१) लोक-सभा में—

- (क) अनुसूचित जातियों के लिये,
- (ख) आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर आदिमजातियों के लिये,
- (ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों के लिये,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक सभा में स्थानों का रक्षण

स्थान रक्षित रहेंगे।

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों वा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी राज्य ^२[या संघ राज्यक्षेत्र] में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस राज्य ^२[या संघ राज्यक्षेत्र] को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य ^२[या संघ राज्यक्षेत्र] में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य ^२[या संघ राज्यक्षेत्र] में की या उस राज्य ^२[या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य ^२[या संघ राज्यक्षेत्र] की समस्त जनसंख्या से है।

३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुये भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा।

लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

३३२. (१) * * * प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।

राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों वा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

^१जम्मू और कश्मीर को लागू होने में अनुच्छेद ३३० में, "अनुसूचित आदिमजातियों" के प्रति निर्देश लुप्त कर दिये जाएंगे।

^२संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।

^३अनुच्छेद ३३१ और ३३२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

^४"प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part XVI.—Special Provisions relating to certain Classes.—Arts. 332—335.

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district except in the case of the constituency comprising the cantonment and municipality of Shillong.

(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district except from the constituency comprising the cantonment and municipality of Shillong.

Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.

¹333. Notwithstanding anything in article 170 the Governor ²* * * of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, nominate such number of members of the community to the Assembly as he considers appropriate.

Reservation of seats and special representation to cease after ten years.

³334. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—

- (a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States ; and
- (b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination;

shall cease to have effect on the expiration of a period of ten years from the commencement of this Constitution :

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.

⁴335. The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

¹Art. 333 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s. 29 and Sch.

³In its application to the State of Jammu and Kashmir, in arts. 334 and 335, references to the State or States shall be construed as not including references to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—
अनु० ३३२—३३५

(४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(५) शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा।

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान-सभा के लिये शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

^१३३३. अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल * * * की राय हो कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा

राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

^१३३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी, तथा

(ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी,

स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात् न रहेगा

इस संविधान के उपबन्ध, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे :

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक-सभा के या राज्य की विधान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथा-स्थिति उस समय विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विघटन न हो जाये।

^३३३५. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियों करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।

सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के दावे

^१अनुच्छेद ३३३ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

^२“या राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा सुप्त कर दिये गये।

^३जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३३४ और ३३५ में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा माना कि उनके अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

*Part XVI.—Special Provisions relating to certain
Classes.—Arts. 336—338.*

Special provision
for Anglo-Indian
community in
certain services.

336. (1) During the first two years after the commencement of this Constitution, appointments of members of the Anglo-Indian community to posts in the railway, customs, postal and telegraph services of the Union shall be made on the same basis as immediately before the fifteenth day of August, 1947.

During every succeeding period of two years, the number of posts reserved for the members of the said community in the said services shall, as nearly as possible, be less by ten per cent. than the numbers so reserved during the immediately preceding period of two years :

Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution all such reservations shall cease.

(2) Nothing in clause (1) shall bar the appointment of members of the Anglo-Indian community to posts other than, or in addition to, those reserved for the community under that clause if such members are found qualified for appointment on merit as compared with the members of other communities.

Special provision
with respect to
educational grants
for the benefit
of Anglo-Indian
community.

337. During the first three financial years after the commencement of this Constitution, the same grants, if any, shall be made by the Union and by each State * * * for the benefit of the Anglo-Indian community in respect of education as were made in the financial year ending on the thirty-first day of March, 1948.

During every succeeding period of three years the grants may be less by ten per cent. than those for the immediately preceding period of three years :

Provided that at the end of ten years from the commencement of this Constitution such grants, to the extent to which they are a special concession to the Anglo-Indian community, shall cease :

Provided further that no educational institution shall be entitled to receive any grant under this article unless at least forty per cent. of the annual admissions therein are made available to members of communities other than the Anglo-Indian community.

Special Officer
for Scheduled
Castes, Scheduled
Tribes, etc.

338. (1) There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament.

¹Art. 336 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²Art. 337 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

³The words and letter "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बन्ध विशेष उपबन्ध—

अनु० ३३६—३३८

३३६. (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में संघ की रेल, सीमासुल्क, डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां १५ अगस्त १९४७ ई० के तुरन्त पूर्व वाले आधार पर की जायेंगी।

कतिपय सेवाओं में आंग्ल - भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध

प्रत्येक अनुवर्ती दो वर्षों की कालावधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या निकट पूर्ववर्ती दो वर्षों की कालावधि में इस प्रकार रक्षित संख्या से यथासम्भव दस प्रतिशत कम होगी :

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब रक्षणों का अन्त हो जाएगा।

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये ग्रहं पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये रक्षित पदों से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात से रोकवट न होगी।

३३७. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् पहिले तीन वित्तीय वर्षों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा * * * प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च, १९४८ ई० को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे।

आंग्ल - भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण अनुदान के लिये विशेष उपबन्ध

प्रत्येक अनुवर्ती तीन वर्ष की कालावधि में, अनुदान निकट पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि की अपेक्षा दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे :

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष रियायत हैं, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षासंस्था को अनुदान पाने का तब तक हक्क न होगा जब तक कि उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न किये गये हों।

३३८. (१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा

अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम-जातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बन्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

^१अनुच्छेद ३३६ और अनुच्छेद ३३७ जम्मू और काश्मीर राज्य की लागू न होंगे।

^२“प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित” शब्द और अन्तर संविधान (संशोधन संशोधन) अधिनियम, १९५६, द्वारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part XVI.—Special Provisions relating to certain Classes.—Arts. 338—340.

(3) In this article, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community.

Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes.

339. (1) The President may at any time and shall at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States. * * *

The order may define the composition, powers and procedure of the Commission and may contain such incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable.

(2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to ²[a State] as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State.

Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes.

340. (1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

¹Art. 339 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

³Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. for "any such State".

भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—

अनु० ३३८—३४०

(३) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे, तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं।

¹३३६. (१) * * * राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ³[किसी राज्य] को उस प्रकार के निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये निर्देश में परभावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों।

३४०. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उन के अनुसंधान के लिये तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहियें तथा जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जाने चाहियें उन के बारे में, सिफारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी।

पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोगकी नियुक्ति

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिस में पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी सिफारिशों की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रख-बायेगा।

¹अनुच्छेद ३३६ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

²“प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लिखित” शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त क दिये गये।

³उपरोक्त के ही द्वारा “ऐसे किसी राज्य” के स्थान पर रखे गये।

Part XVI.—Special Provisions relating to certain Classes.—Arts. 341—342.

Scheduled Castes. **341.** (1) The President ¹[may with respect to any State ²[or Union territory], and where it is a State ³ * * *, after consultation with the Governor ⁴ * * * thereof], by public ⁵notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State ²[or Union territory, as the case may be].

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

Scheduled Tribes. **342.** (1) The President ¹[may with respect to any State ²[or Union territory], and where it is a State ³ * * *, after consultation with the Governor ⁴ * * * thereof], by public ⁵notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State ²[or Union territory, as the case may be].

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

¹Subs. by the Constitution (First Amendment) Act 1951, s. 10 for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State".

²Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

³The words and letter "Specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted *ibid.*

⁴The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s. 29 and Sch.

⁵*See* the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 published with Ministry of Law Notification No. C. O. 19, dated the 10th August, 1950, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II Sec. 3, p. 163 and the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, published with Ministry of Law Notification No. C. O. 32 dated the 20th September, 1951, Gazette of India, Pt. II Sec. 3, p. 198.

⁶Art. 342 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १६— कतिपय वर्गों से सम्बन्ध विशेष उपबन्ध—
अनु० ३४१—३४२

३४१. (१) राष्ट्रपति, ^१ [किसी राज्य ^२ [या संघ राज्यक्षेत्र] के सम्बन्ध में और जहां वह ^३ * * * कोई राज्य है उसके राज्यपाल ^४ * * * से परामर्श करने के पश्चात्] लोक-अधिसूचना ^५ द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये ^६ [यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी।

अनुसूचित जातियां

(२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

३४२. (१) राष्ट्रपति ^१ [किसी राज्य ^२ [या संघ राज्यक्षेत्र] के सम्बन्ध में और जहां वह ^३ * * * कोई राज्य है उसके राज्यपाल ^४ * * * से परामर्श करने के पश्चात्] लोक अधिसूचना ^५ द्वारा उन आदिमजातियों या आदिमजाति समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये ^६ [यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र] के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी।

अनुसूचित आदिम जातियां

(२) संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

^१संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम १९५१, धारा १० या धारा ११ द्वारा "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर रखे गये।

^२संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित

^३"प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

^४"या राजप्रमुख" शब्द उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

^५देखिये विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या सी० ए० १६ तारीख १० अगस्त, १९५० भारत का असाधारण गजट भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ १६३ द्वारा प्रकाशित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश १९५०, और विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या सी० ए० ३२ तारीख २० सितम्बर, १९५१ भारत का गजट भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ ११६८ द्वारा प्रकाशित संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश १९५१।

^६संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा "उस राज्य" के स्थान पर रखे गये।

^७अनुच्छेद ३४२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

PART XVII¹

OFFICIAL LANGUAGE

CHAPTER I.—LANGUAGE OF THE UNION

Official language
of the Union.

343. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement :

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

- (a) the English language, or
 - (b) the Devanagari form of numerals,
- for such purposes as may be specified in the law.

Commission and
Committee of
Parliament on
official language.

344. (1) The President shall, at the expiration of five year from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;
- (c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

¹The provisions of this Part shall apply to the State of Jammu and Kashmir only in so far as they relate to—

- (i) the official language of the Union;
- (ii) the official language for communication between one State and another, or between a State and the Union; and
- (iii) the language of the proceedings in the Supreme Court.

भाग १७^१

राजभाषा

अध्याय १.—संघ की भाषा

३४३. (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी । संघ की राजभाषा

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों ।

३४४. (१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा ।

राजभाषा के लिये आयोग और संसद की समिति

(२) राष्ट्रपति को—

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के;

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के,

(ग) अनुच्छेद ३४८ में बर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के,

^१इस भाग के उपबन्ध जम्मू और कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक कि वे—

(१) संघ की राजभाषा,

(२) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा किसी राज्य और संघ के बीच संचार की राजभाषा, और

(३) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा, से सम्बन्धित हैं ।

Part XVII.—Official Language.—Arts. 344—347.

- (d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;
- (e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

CHAPTER II. REGIONAL LANGUAGES

Official language or languages of a State.

345. Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State :

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.

346. The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union :

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.

347. On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may

भाग १७—राजभाषा—अनु० ३४४—३४७

- (घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के,
- (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किये हुए किसी अन्य विषय के,

बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।

(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-मेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिन में सर्वोच्च लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-सभा के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-सभा के सदस्यों द्वारा अनुप्राणी प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्तव्य होगा।

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होने हुए भी राष्ट्रपति खंड (५) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा।

अध्याय २. प्रादेशिक भाषाएं

३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अर्थान् रहने हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा :

राज्य की राजभाषा
राजभाषाएं

परन्तु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपाबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये ग्रंथेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिये इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी।

३४६. संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी :

एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह प्रयोग की जा सकेगी।

३४७. तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उस के द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसा कि वह उल्लिखित करे, राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

*Part XVII.—Official Language.—Art. 348—349.*CHAPTER III.—LANGUAGE OF THE SUPREME COURT,
HIGH COURTS, ETC.

Language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc.

348. (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

- (a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,
- (b) the authoritative texts—
 - (i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,
 - (ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor ¹* * * of a State, and
 - (iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language.

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor ¹* * * of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State :

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment decree or order passed or made by such High Court.

(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor ¹* * * of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English language published under the authority of the Governor ¹* * * of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article.

Special procedure for enactment of certain laws relating to language.

349. During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

¹The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग १७—राजभाषा—अनु० ३४८—३४९

अध्याय ३.—उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा

३४८. (१) इस भाग के पूर्वकी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—

- (क) उच्चतमन्यायालय में तथा प्रत्येक उच्चन्यायालय में सब कार्यवाहियों,
(ख) जो—

- (१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद् के प्रत्येक सदन में अथवा राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ,
(२) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल *** द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा
(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि उस संविधान के अधीन, अथवा संसद् या राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ;

अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) में किसी बात के होने हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल *** राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति में हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्चन्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु इस खंड की कोई बात जैसे उच्चन्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञापति अथवा आदेश को लागू न होगी।

(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुये भी, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने, उस विधानमंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल *** द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा में अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल *** के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिये उस का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

३४९. इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) के अधीन गठित आयोग की रिपोर्टों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा

भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया

“या राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part XVII.—Official Language.—Arts 350—351.

CHAPTER IV.—SPECIAL DIRECTIVES

Language to be used in representations for redress of grievances.

350. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.

¹**350A.** It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups ; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Special Officer for linguistic minorities.

350B. (1) There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament, and sent to the Governments of the States concerned.]

Directive for development of the Hindi language.

351. It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

भाग १७—राजभाषा—अनु० ३५०—३५१

अध्याय ४.— विशेष निर्देश

३५०. किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा

।[३५०क. प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये पर्याप्त सुविधाएँ उपबन्धित की जायें, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक या उचित सम्मजना है।

प्राथमिक प्रक्रम में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधाएँ

३५०ख. (१) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी

(२) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिये जो परिद्वाराण उस संविधान के अधीन उपबन्धित है उनमें संबद्ध सब विषयों का अनुसन्धान करना और ऐसी अनुसन्धानियों पर उन विषयों के संबंध में, जैसे कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा, और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को समस्त के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखवायेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा।

३५१. हिन्दी भाषा की प्रचार वृद्धि करना, उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात् करने हूँये तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिये सुरुतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं में शब्द ग्रहण करते हुए उन की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

हिन्दी भाषा के विकास के लिये निर्देश

PART XVIII

EMERGENCY PROVISIONS

Proclamation of Emergency. ¹352. (1) If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened whether by war or external aggression or internal disturbance, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect.

- (2) A Proclamation issued under clause (1)—
- (a) may be revoked by a subsequent Proclamation ;
 - (b) shall be laid before each House of Parliament ;
 - (c) shall cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament ;

Provided that if any such Proclamation is issued at a time when the House of the People has been dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in sub-clause (c), and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.

(3) A Proclamation of Emergency declaring that the security of India or of any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by internal disturbance may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or disturbance if the President is satisfied that there is imminent danger thereof.

Effect of Proclamation of Emergency. ²353. While a Proclamation of Emergency is in operation, then—

- (a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised ;
- (b) the power of Parliament to make laws with respect to any matter shall include power to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities of the Union as respects that matter, notwithstanding that it is one which is not enumerated in the Union List.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, the following new clause shall be added to art. 352 :—

“(4) No proclamation of Emergency made on grounds only of internal disturbance or imminent danger thereof shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir (except as respects article 354) unless it is made at the request or with the concurrence of the Government of that State.”

भाग १८

आपात-उपबन्ध

१३५२. (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि सम्भीर आपात आपात की उद्घोषणा विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति ने भारत या उस के राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा—

- (क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिबंधित की जा सकेगी ;
- (ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी ;
- (ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न कर दी जाये ;

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन उस खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-सभा द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसमें कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति का संकट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई आक्रमण या अशांति नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में है ऐसे घोषित करने वाली आपात की जा सकेगी।

३५३. जब आपात की उद्घोषणा प्रवृत्तन में है तब—

- (क) इस संविधान में किसी बात के होते हथे भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को उस विषय में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किम रीति से प्रयोग करे ;
- (ख) किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति भी होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां देती तथा कर्त्तव्य सौंपती हो अथवा शक्तियों का दिया जाना और कर्त्तव्यों का सौंपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे फिर वह विषय ऐसा हो जो संघ सूची में प्रमाणन नहीं है।

आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३५० में निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

“(४) केवल आभ्यान्तरिक अशांति या उसके सन्निकट संकट के ही आधार पर की गयी आपात की उद्घोषणा (अनुच्छेद ३५४ के विषय के सिवाय) जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक लागू न होगी जब तक कि वह उस राज्य की सरकार की प्रार्थना पर या उसकी सहमति से नहीं की गई है।”

Part XVIII.—Emergency Provisions.—Arts. 354—356.

Application of provisions relating to distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation.

354. (1) The President may, while a Proclamation of Emergency is in operation, by order direct that all or any of the provisions of articles 268 to 279 shall for such period, not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which such Proclamation ceases to operate, as may be specified in the order, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit.

(2) Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.

355. It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

Provisions in case of failure of constitutional machinery in States.

356. (1) If the President, on receipt of a report from the Governor ** * * of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by Proclamation—

- (a) assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exercisable by the Governor ** * * or anybody or authority in the State other than the Legislature of the State ;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament ;
- (c) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to any body or authority in the State ;

Provided that nothing in this clause shall authorise the President to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this Constitution relating to High Courts.

(2) Any such Proclamation may be revoked or varied by a subsequent Proclamation.

¹Art. 356 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s. 29 and Sch.

³The words "or Rajpramukh, as the case may be," omitted, *ibid.*

भाग १८--आपात-उपबन्ध--अनु० ३५४ - ३५६

३५४. (१) जब कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि उस संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७६ तक के सब या कोई उपबन्ध किसी कालाधिकार में, जैसी कि उस आदेश में उल्लिखित की जाये और जो किसी अवस्था में भी उस विनियम वर्ग की समाप्ति में आपत विद्यमान न होगी, जिसमें कि उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन प्रभावी होंगे जैसे कि वह उचित समझे।

आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयुक्ति

(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उसके दिशे जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा।

३५५. बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति में प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार उस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाने जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति में राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य

३५६. (१) यदि किसी राज्य के सरकारान्तरक * * * में प्रतिबंधित मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का सामान उस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

राज्यों में गतिविधिनिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध

(क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा [राज्यपाल] में, अथवा राज्य के विधानसभान्तर्गत को छोड़ कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या तद्द्वारा प्रयोज्य सब या कोई शक्तियां अथवा शक्ति में ले सकेगा ;

(ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानसभान्तर्गत की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोज्य होंगी ;

(ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी में संबद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आवश्यक उपबन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वाञ्छनीय दिशाई दें ;

परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्चन्यायालय में निहित या तद्द्वारा प्रयोज्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा इस संविधान के उच्चन्यायालयों से सम्बद्ध किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित कर दे।

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकेगी।

¹अनुच्छेद ३५६ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

²“या राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

³उपरोक्त के ही द्वारा “वथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख” के स्थान पर रखे गये।

Part XVIII.—Emergency Provisions.—Arts. 356—357

(3) Every Proclamation under this article shall be laid before each House of Parliament and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament :

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the House of the People is dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.

(4) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (3) :

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both Houses of Parliament, the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of six months from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to operate, but no such Proclamation shall in any case remain in force for more than three years :

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of six months and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance in force of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the continuance in force of the Proclamation has been also passed by the House of the People.

Exercise of legislative powers under Proclamation issued under article 356.

357. (1) Where by a Proclamation issued under clause (1) of article 356, it has been declared that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, it shall be competent—

(a) for Parliament to confer on the President the power of the Legislature of the State to make laws, and to authorise the President to delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any other authority to be specified by him in that behalf ;

*Art. 357 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १८—आपात-उपबन्ध - अनु० ३५६-३५७

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहत करने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां यह दो महीने की समाप्ति पर, यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा यह अनुमोदित नहीं हो जाती तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रतिसंहत करने वाली नहीं है) उस समय निराली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-सभा द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता ।

(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहत नहीं हो गई हो तो, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से छः महीने की कालावधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखने के लिये अनुमोदन करने वाला संकल्प, यदि और जितनी बार संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, और उतनी बार, वह उद्घोषणा, जब तक कि वह प्रतिसंहत न हो जाये, उस तारीख से जिसमें कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहेगी, छः महीने की और कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्षों में अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी :

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा का विघटन छः मास की किसी ऐसी कालावधि के भीतर हो जाता है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-सभा द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने के बारे में कोई संकल्प लोक-सभा द्वारा उक्त कालावधि में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को प्रवर्तन में बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता ।

३५७. (१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (५) के अधीन निराली गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोजन्य होगी वहां—

(क) राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने के लिये तथा ऐसी ही हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति, उस लिये उक्तिवित्त करने, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद् की ,

अनुच्छेद ३५६ के अधीन निराली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी शक्तियों का प्रयोग

१अनुच्छेद ३५७ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा ।

Part XVIII.—Emergency Provisions.—Arts. 357—360.

- (b) for Parliament, or for the President or other authority in whom such power to make laws is vested under sub-clause (a), to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities thereof ;
- (c) for the President to authorise when the House of the People is not in session expenditure from the Consolidated Fund of the State pending the sanction of such expenditure by Parliament.

(2) Any law made in exercise of the power of the Legislature of the State by Parliament or the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) which Parliament or the President or such other authority would not, but for the issue of a Proclamation under article 356, have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of one year after the Proclamation has ceased to operate except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period, unless the provisions which shall so cease to have effect are sooner repealed or re-enacted with or without modification by Act of the appropriate Legislature.

Suspension of provision of article 19 during emergencies.

358. While a Proclamation of Emergency is in operation, nothing in article 19 shall restrict the power of the State as defined in Part III to make any law or to take any executive action which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but any law so made shall, to the extent of the incompetency cease to have effect as soon as the Proclamation ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law so ceases to have effect.

Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies.

359. (1) Where a Proclamation of Emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by Part III as may be mentioned in the order and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the Proclamation is in force or for such shorter period as may be specified in the order.

(2) An order made as aforesaid may extend to the whole or any part of the territory of India.

(3) Every order made under clause (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

Provisions as to financial emergency.

360. (1) If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.

²Art. 360 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १८—आपात-उपबन्ध—अनु० ३५७—३६०

(ख) संघ अथवा उसके पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति देने या कर्तव्य आरोपित करने के लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना या कर्तव्यों का आरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिये, विधि बनाने की संसद् की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि बनाने की शक्ति जिसे अन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) के अधीन निहित है उसकी ,

(ग) जब लोक-सभा सत्त में न हो तब व्यय के लिये संसद् की मंजूरी लक्षित रहने तक राज्य की संघित विधि में से ऐसी व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की,

क्षमता होगी ।

(२) राज्य के विधानमंडल की शक्ति के प्रयोग में संसद् द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निमित्त कोई विधि, जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में संसद् या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये मक्षम न हाना, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक सिन्धुय उन बातों के प्रभाव में न रहेगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने में छोड़े दी गई थीं अथवा कि व उक्तप्रकार प्रभावहीन न रहेंगे, सम्बन्धित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा उस से पहिले ही या तो निर्मित और या रूपभेदों के सहित या बिना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हों ;

३५८. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद ३५७ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यवाहियां करवाने करने की भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में अनुच्छेद उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये मक्षम होता, निर्दिष्टता नहीं होगी, किन्तु उस प्रकार निर्मित कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक तुरन्त प्रभावहीन हो जायेगी तथापि उन बातों के जो विधि के उस प्रकार प्रभावहीन होने से पहिले की गई या की जाने में छोड़े दी गई थीं ।

आपातों में अनुच्छेद १६ के उपबन्धों का निलम्बन

३५९. (१) जहां कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों से स एगों को प्रवर्तित कराने के लिये, जैसे कि उस आदेश में वर्णित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये किसी न्यायालय में लेखित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के लिये, जिसमें कि उद्घोषणा लागू रहती है, अथवा उस से छोड़ी ऐसी कालावधि के लिये, जसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये, निलम्बित रहेगी ।

आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन

(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश भारत के न्यस्त राज्यक्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विन्तुत हो सकेगा ।

(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उसके दिये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

३६०. यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो भारत अथवा उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा ।

वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध

३६० जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा ।

Part XVIII.—Emergency Provisions.—Art. 360.

(2) The provisions of clause (2) of article 352 shall apply in relation to a Proclamation issued under this article as they apply in relation to a Proclamation of Emergency issued under article 352.

(3) During the period any such Proclamation as is mentioned in clause (1) is in operation, the executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the President may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything in this Constitution—

(a) any such direction may include—

(i) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of a State ;

(ii) a provision requiring all Money Bills or other Bills to which the provisions of article 207 apply to be reserved for the consideration of the President after they are passed by the Legislature of the State;

(b) it shall be competent for the President during the period any Proclamation issued under this article is in operation to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union including the Judges of the Supreme Court and the High Courts.

भाग १८—आपात-उपबन्ध—अनु० ३६०

(२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गयी उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होगे जैसे कि अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गयी आपात की उद्घोषणा के लिये लागू होते हैं।

(३) उस कालावधि में, जिसमें कि खंड (१) में वर्णित कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य का वित्तीय आँवित्त्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निर्देश देने तक, जैसे कि निर्देशों में उल्लिखित हों, तथा ऐसे अन्य निर्देश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होंगे।

(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसे किसी निर्देश के अन्तर्गत—

(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्गों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध,

(२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपबन्ध,

भी हो सकेंगे;

(ख) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गयी उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निर्देश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा।

PART XIX

MISCELLANEOUS

Protection of President and Governors and Rajpramukhs.

361. (1) The President, or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties :

Provided that the conduct of the President may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either House of Parliament for the investigation of a charge under article 61 :

Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Government of India or the Government of a State.

(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President, or the Governor * * * of a State, in any court during his term of office.

(3) No process for the arrest or imprisonment of the President, or the Governor * * * of a State, shall issue from any court during his term of office.

(4) No civil proceedings in which relief is claimed against the President, or the Governor * * * of a State shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office, as President, or as Governor * * * of such State, until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the President or the Governor * * *, as the case may be, or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefor, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, to art. 361, after cl. (4), the following clause shall be added :—

"(5) The provisions of this article shall apply in relation to the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir as they apply in relation to a Rajpramukh, but without prejudice to the provisions of the Constitution of that State."

*The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act 1956, s. 29 and Sch.

भाग १८

प्रकीर्ण

३६१. (१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पर की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कर्तव्यभंगित किये गये कार्य के लिये किसी न्यायालय की उत्तरदायी न होगा : राष्ट्रपति और राज्यपालों का राजप्रमुखों का सम्बन्ध

परन्तु अनुच्छेद ६१ के अर्थात् दोषात्मक के अन्वयगत के लिये सचिव के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामांकित किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विनिर्माण किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि उन खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा मानों कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समर्पित कार्यवाहियों के चलाने के लिये व्यक्ति के अधिकार को निश्चिन्त करती है ।

(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल * * * के खिलाफ उसकी पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू रखी जायेगी ।

(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल * * * की पदावधि में उसे बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्यायालय में कोई आदेशिकर नहीं निकलेगी ।

(४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल * * * के रूप में अपना पद ग्रहण करने में पूर्व या पश्चात्, अपने वैयक्तिक रूप में किये गये अथवा कर्तव्यभंगित किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल * * * के खिलाफ अनुतोप की मांग करने वाली कोई व्यवहार कार्यवाहियां उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेगी जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उनके लिये वाद का कारण ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, नियासस्थान तथा उससे मांग किये जाने वाले अनुतोप का वर्णन करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल * * * को दिये जाने अथवा उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो ।

१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३६१, खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

“(५) इस अनुच्छेद के उपबन्ध जम्मू और कश्मीर के सदरे रियासत के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे किसी राजप्रमुख के सम्बन्ध में लागू होते हैं किन्तु इसमें उस राज्य के संविधान के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।”

२“यह राजप्रमुख” शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

Part XIX.—Miscellaneous.—Arts. 362-364.

Rights and privileges of Rulers of Indian States.

362. In the exercise of the power of Parliament or of the Legislature of a State to make laws or in the exercise of the executive power of the Union or of a State, due regard shall be had to the guarantee or assurance given under any such covenant or agreement as is referred to in * * * article 291 with respect to the personal rights, privileges and dignities of the Ruler of an Indian State.

Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc.

363. (1) Notwithstanding anything in this Constitution, but subject to the provisions of article 135, neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in any dispute arising out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which was entered into or executed before the commencement of this Constitution by any Ruler of an Indian State and to which the Government of the Dominion of India or any of its predecessor Governments was a party and which has or has been continued in operation after such commencement, or in any dispute in respect of any right accruing under or any liability or obligation arising out of any of the provisions of this Constitution relating to any such treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument.

(2) In this article—

- (a) "Indian State" means any territory recognised before the commencement of this Constitution by His Majesty or the Government of the Dominion of India as being such a State; and
- (b) "Ruler" includes the Prince, Chief or other person recognised before such commencement by His Majesty or the Government of the Dominion of India as the Ruler of any Indian State.

Special provisions as to major ports and aerodromes.

364. (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by public notification direct that as from such date as may be specified in the notification—

- (a) any law made by Parliament or by the Legislature of a State shall not apply to any major port or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification, or
- (b) any existing law shall cease to have effect in any major port or aerodrome except as respects things done or omitted to be done before the said date, or shall in its application to such port or aerodrome have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification.

(2) In this article—

- (a) "major port" means a port declared to be a major port by or under any law made by Parliament or any existing law and includes all areas for the time being included within the limits of such port;

¹Art. 362 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²The words "clause (1) of " omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग १६—प्रकीर्ण—अनु० ३६२-३६४

३६२. संसदीय या किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के शासक के वैयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में ऐसी प्रमाणाधिकार या करार के अधीन, जैसा कि अनुच्छेद २११ * * * में विहित है, वे सभी प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्बन्ध विधान रक्षा कायेगा।

देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार

३६३. (१) इस संविधान में किसी बात के होने हए भी किन्तु अनुच्छेद १४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न तो उत्तमन्यायालय और न किसी अन्य न्यायालय का किसी मन्थि, वाजार, प्रमाणाधिकार, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य विषय में, जो इस संविधान के प्रारम्भ में पहिले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा ही रहे या निर्गमित की गयी थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या एकाधिकारपूर्वक अधिकारी कोई भी अस्कार एक पक्ष थी तथा जो एसे प्रारम्भ के पश्चात् पत्तन में है या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद में अथवा ऐसी मन्थि, वाजार, प्रमाणाधिकार, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य विषय में सम्बन्ध इस संविधान के उपबन्धों में से किसी में प्रोद्भूत किसी अधिकार, या उद्भूत किसी शासक या शासक के विषय में किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा।

कानिपय मन्थियों, करारों इत्यादि में उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का बन्धन

(२) इस अनुच्छेद में—

- (क) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई राज्य-क्षेत्र जो सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ में पहिले ऐसा राज्य अभिजात था ; तथा
- (ख) "शासक" के अन्तर्गत है, राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जो सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, एसे प्रारम्भ में पहिले किसी देशी राज्य का शासक अभिजात था।

३६४. (१) इस संविधान में किसी बात के होने हए भी सम्पूर्ण लोक अधिसूचना द्वारा निवेद दे सकेगा कि ऐसी नारीय में लेकर जैसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो—

महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध

- (क) संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि किसी महापत्तन या विमान-क्षेत्र को लागू न होगी अथवा ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसा कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, लागू होगी; अथवा
- (ख) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमान-क्षेत्र में उक्त नारीय में पहिले की हुई या विये जाने से छोड़ दी गयी बातों के सम्बन्ध में अनारिक्त अन्य बातों के लिये प्रभावी न होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमान-क्षेत्र में ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसा कि लोक अधिसूचना में उल्लिखित हों, प्रभावी होगी।

(२) इस अनुच्छेद में—

- (क) "महापत्तन" से अभिप्रेत है कोई पत्तन जो संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि या किसी वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महापत्तन घोषित किया गया है तथा उसके अन्तर्गत वह सब क्षेत्र है जो तत्समय ऐसे पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत है ;

¹अनुच्छेद ३६२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

²"के खंड (१)" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

Part XIX.—Miscellaneous.—Arts. 364—366.

- (b) “aerodrome” means aerodrome as defined for the purposes of the enactments relating to airways, aircraft and air navigation.

Effect of failure to comply with or to give effect to, directions given by the Union.

365. Where any State has failed to comply with, or to give effect to, any directions given in the exercise of the executive power of the Union under any of the provisions of this Constitution, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

Definitions.

366. In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them, that is to say:—

- (1) “agricultural income” means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax;
- (2) “an Anglo-Indian” means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only;
- (3) “article” means an article of this Constitution;
- (4) “borrow” includes the raising of money by the grant of annuities, and “loan” shall be construed accordingly;
- (5) “clause” means a clause of the article in which the expression occurs;
- (6) “corporation tax” means any tax on income, so far as that tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled:—
 - (a) that it is not chargeable in respect of agricultural income;
 - (b) that no deduction in respect of the tax paid by companies is, by any enactments which may apply to the tax, authorised to be made from dividends payable by the companies to individuals;
 - (c) that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of Indian income-tax the total income of individuals receiving such dividends, or in computing the Indian income-tax payable by, or refundable to, such individuals;
- (7) “corresponding Province”, “corresponding Indian State” or “corresponding State” means in cases of doubt such Province, Indian State or State as may be determined by the President to be the corresponding Province, the corresponding Indian State or the corresponding State, as the case may be, for the particular purpose in question;

¹Art. 365 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग १६—प्रकीर्ण—अनु० ३६४—३६६

(ख) "विमान-क्षेत्र" से अभिप्रेत है वायु-पथों, विमानों और विमान-परिवहन से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित विमान-क्षेत्र।

३६५. जहाँ इस विधान के उपबन्धों में से किसी के अर्थात् संघ की कार्यपालिका पत्रिका के प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहाँ राष्ट्रपति के लिये यह भावना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गयी है जिन में राज्य का भागन इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता।

संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुवर्तन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

३६६. जब तक प्रसंग में अल्पथा अधिभूत न हो उन संविधान में निम्नलिखित पत्रिका के वे अर्थ हैं जो क्रमशः उन को यहाँ दिये गये हैं, अर्थात्—

परिभाषाएं

- (१) "कृषि-आय" से अभिप्रेत है भारतीय आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित कृषि-आय;
- (२) "ग्रामल भारतीय" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका पिता अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहाँ साधारणतया निवास करने रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं टूटते हैं;
- (३) "अनुच्छेद" से अभिप्रेत है इस संविधान का अनुच्छेद
- (४) "उधार लेना" से अन्वय है वार्षिकियों के अनुदान द्वारा धन लेना तथा "उधार" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;
- (५) "खंड" से अभिप्रेत है उस अनुच्छेद का खंड जिन में कि वह पद आता है;
- (६) "निगम कर" से अभिप्रेत है कोई आय पर कर, वहाँ तक कि वह कर समवायों द्वारा देय है, तथा ऐसा कर है जिसे के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं
 - (क) कि वह कृषि आय के विषय में प्रभावी नहीं है;
 - (ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्हीं अधिनियमितियों में समवायों द्वारा दिये जाने वाले कर के बारे में कोई कटौती उन लाभांशों में से, जो समवायों द्वारा व्यक्तियों को देय हैं, प्राधिकृत नहीं है;
 - (ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण आय की गणना में अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय अथवा उन को लौटाये जाने वाली भारतीय आय-कर की गणना में, इस प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने का कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है;
- (७) "तत्स्थानी प्रान्त", "तत्स्थानी देशी राज्य" अथवा "तत्स्थानी राज्य" से संशयात्मक दशाओं में अभिप्रेत है ऐसा प्रान्त, देशी राज्य, या राज्य जिसे प्रस्तावित विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे;

अनुच्छेद ३६५ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

Part XIX.—Miscellaneous.—Arts. 366.

- (8) "debt" includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and "debt charges" shall be construed accordingly;
- (9) "estate duty" means a duty to be assessed on or by reference to the principal value, ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or under laws made by Parliament or the Legislature of a State relating to the duty, of all property passing upon death or deemed, under the provisions of the said laws, so to pass;
- (10) "existing law" means any law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation passed or made before the commencement of this Constitution by any Legislature, authority or person having power to make such a law, Ordinance, order, bye-law, rule or regulation;
- (11) "Federal Court" means the Federal Court constituted under the Government of India Act, 1935;
- (12) "goods" includes all materials, commodities, and articles;
- (13) "guarantee" includes any obligation undertaken before the commencement of this Constitution to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount;
- (14) "High Court" means any court which is deemed for the purposes of this Constitution to be a High Court for any State and includes—
- (a) any Court in the territory of India constituted or reconstituted under this Constitution as a High Court, and
 - (b) any other Court in the territory of India which may be declared by Parliament by law to be a High Court for all or any of the purposes of this Constitution;
- (15) "Indian State" means any territory which the Government of the Dominion of India recognised as such a State;
- (16) "Part" means a Part of this Constitution;
- (17) "pension" means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to or in respect of any person, and includes retired pay so payable, a gratuity so payable and any sum or sums so payable by way of the return, with or without interest thereon or any other addition thereto, of subscriptions to a provident fund;
- (18) "Proclamation of Emergency" means a Proclamation issued under clause (1) of article 352;
- (19) "public notification" means a notification in the Gazette of India, or, as the case may be, the Official Gazette of a State;

भाग १९—प्रकीर्ण—अनु० ३६६

- (८) "ऋण" के अन्तर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों को लौटाने के किसी आभार के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा "ऋणभारों" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;
- (९) "सम्पत्ति शुल्क" से अभिप्रेत है कोई शुल्क जो मृत्यु पर रिकथ हुई, अथवा समुद्र या राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में निर्मित विधियों के उपबन्धों के अर्थात् वैसी रिकथ हुई सम्पत्ति जाने वाली, सारी सम्पत्ति के, उक्त विधियों के द्वारा या अधीन विहित नियमों के अनुसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो;
- (१०) "वर्तमान विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम को बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित या निर्मित है;
- (११) "फेडरल न्यायालय" से अभिप्रेत है भारत भारत अधिनियम, १९३५ के अधीन गठित फेडरल न्यायालय;
- (१२) "वस्तुओं" के अन्तर्गत है सब सामग्री पण्य और पदार्थ;
- (१३) "प्रत्याभूति" के अन्तर्गत है कोई ऐसा आभार जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशि से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया गया हो;
- (१४) "उच्चन्यायालय" से अभिप्रेत है कोई न्यायालय जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता है, तथा उसके अन्तर्गत है—
- (क) इस संविधान के अधीन उच्चन्यायालय रूप में गठित या पुनर्गठित भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई न्यायालय; तथा
- (ख) भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय जो इस संविधान के सब या किसी प्रयोजनों के लिये संसद् से विधि द्वारा उच्चन्यायालय घोषित किया जाये;
- (१५) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी;
- (१६) "भाग" से अभिप्रेत है उस संविधान का भाग;
- (१७) "निवृत्ति-वेतन" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को, या के वारे में देय किसी प्रकार का निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह असादायी हो या न हो तथा इस के अन्तर्गत है उस प्रकार देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देय उपदान तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को व्याज सहित या रहित तथा उनके अन्य जोड़ सहित या रहित लौटाने के लिये देय कोई राशि या राशियां;
- (१८) "घापात की उद्घोषणा" से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन निकाली गयी हो;
- (१९) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्रेत है भारत के सूचना-पत्र में अथवा जैसी कि स्थिति हो, राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना;

Part XIX.—Miscellaneous.—Arts. 366-367.

(20) "railway" does not include—

- (a) a tramway wholly within a municipal area, or
- (b) any other line of communication wholly situate in one State and declared by Parliament by law not to be a railway;

(22) "Ruler" in relation to an Indian State means the Prince, Chief or other person by whom any such covenant or agreement as is referred to in clause (1) of article 291 was entered into and who for the time being is recognised by the President as the Ruler of the State, and includes any person who for the time being is recognised by the President as the successor of such Ruler;

(23) "Schedule" means a Schedule to this Constitution;

(24) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution;

(25) "Scheduled Tribes" means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution;

(26) "securities" includes stock;

(27) "sub-clause" means a sub-clause of the clause in which the expression occurs;

(28) "taxation" includes the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and "tax" shall be construed accordingly;

(29) "tax on income" includes a tax in the nature of an excess profits tax;

[30) "Union territory" means any Union territory specified in the First Schedule and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that Schedule.]

Interpretation.

367. (1) Unless the context otherwise requires the General Clauses Act, 1897, shall subject to any, adaptations and modifications that may be made therein under article 372, apply for the interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of an Act of the Legislature of the Dominion of India.

¹Cl. (21) omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for the original cl. (30).

भाग १६—प्रकीर्ण—अनु० ३६६-३६७

- (२०) "रेल" के अन्तर्गत नहीं है—
 (क) किसी नगर-क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे; अथवा
 (ख) संचार की कोई अन्य लोक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो
 और जिसे संसद् ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो;
 * * * * *
- (२२) "शासक" में किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई
 राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कोई प्रसविदा
 या करार, जैसा कि अनुच्छेद २६१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है,
 किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्काल
 अभिज्ञात है तथा उस के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यक्ति भी है जो
 राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्काल अभिज्ञात है;
- (२३) "अनुसूची" में अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची;
- (२४) "अनुसूचित जातियाँ" में अभिप्रेत है ऐसी जातियाँ, मूलवश या
 आदिमजातियाँ अथवा ऐसी जातियाँ, मूलवशों या, आदिम-
 जातियों के भाग या उनमें के यथा जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन
 इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियाँ समझी
 जाती हैं;
- (२५) "अनुसूचित आदिमजातियाँ" में अभिप्रेत है ऐसी आदिमजातियाँ
 या आदिमजाति-समुदाय अथवा ऐसी आदिमजातियाँ या आदिम-
 जाति-समुदायों के भाग या उनमें के यथा जो कि अनुच्छेद ३४२
 के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिम-
 जातियाँ समझी जाती हैं;
- (२६) "प्रतिभूतियों" के अन्तर्गत निविपत्र भी है;
- (२७) "उपखंड" में अभिप्रेत है उस खण्ड का उपखण्ड जिसमें कि प्र-
 पद आता है;
- (२८) "कराधान" के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ-कर का लगाना चाहे
 फिर वह साधारण या स्थानीय या विशेष हो, और "कर" का
 तदनुसार अर्थ किया जायेगा;
- (२९) "आय पर कर" के अन्तर्गत है अनिश्चित लाभ-कर के प्रकार
 का कर;
- (३०) ["संघ राज्य-क्षेत्र" में अभिप्रेत है प्रथम अनुसूची में उल्लिखित
 कोई संघ राज्य-क्षेत्र तथा इसके अन्तर्गत है भारत के राज्य-क्षेत्र
 के अन्दर समाविष्ट किन्तु उन अनुसूची में उल्लिखित कोई अन्य
 राज्य-क्षेत्र]।

३६७. (१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान निर्वचन
 के निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा-अधिनियम, १९६७ किन्हीं ऐसे अनुसूचकों और
 रूपभेदों के साथ, जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये जायें, वैसे ही लागू
 होगा जैसे कि वह भारत होमीनियम के विधान-मंडल के अधिनियम के निर्वचन के
 लिये लागू है ।

^१ खंड (२१) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा
 लुप्त कर दिया गया ।

^२ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा मूल खंड (३०) के
 स्थान पर रखा गया ।

Part XIX.—Miscellaneous.—Arts. 367.

(2) Any reference in this Constitution to Acts or laws of, or made by, Parliament, or to Acts or laws of, or made by, the Legislature of a State ¹* * *, shall be construed as including a reference to an Ordinance made by the President or, to an Ordinance made by a Governor ²* * *, as the case may be.

(3) For the purposes of this Constitution "foreign State" means any State other than India :

Provided that, subject to the provisions of any law made by Parliament, the President may by order declare any State not to be a foreign State for such purposes as may be specified in the order.³

¹The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule", omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²The words "or Rajpramukh" omitted, *ibid.*

³See the Constitution (Declaration as to Foreign States) Order, 1950, published with the Ministry of Law Order²No. C.O. 2, dated the 23rd January, 1950. Gazette of India, Extraordinary, p. 80 N.

⁴In its application to the State of Jammu and Kashmir, to art. 367, the following clause shall be added :

- "(4) For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the State of Jammu and Kashmir
- (a) references to this Constitution or to the provisions thereof shall be construed as references to the Constitution or the provisions thereof as applied in relation to the said State;
- (b) references to the Government of the said State shall be construed as including references to the Sadar-i-Riyasat acting on the advice of his Council of Ministers;
- (c) references to a High Court shall include references to the High Court of Jammu and Kashmir;
- (d) references to the Legislature or the Legislative Assembly of the said State shall be construed as including references to the Constituent Assembly of the said State;
- (e) references to the permanent residents of the said State shall be construed as meaning persons who, before the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, were recognised as State subjects under the laws in force in the State or who are recognised by any law made by the Legislature of the State as permanent residents of the State; and
- (f) references to the Rajpramukh shall be construed as references to the person for the time being recognised by the President as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir and as including references to any person for the time being recognised by the President as being competent to exercise the powers of the Sadar-i-Riyasat."

भाग १६—प्रकीर्ण—अनु० ३६७

(२) इस संविधान में संसद् के या द्वारा निमित्त अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में अथवा * * * किसी राज्य के विधान-मंडल के या द्वारा निमित्त अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश के अन्तर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल * * * द्वारा अध्यादेश का निर्देश भी समझा जायेगा ।

(३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये "विदेशी राज्य" में अभिप्रेत है भारत में भिन्न कोई राज्य :

परन्तु संसद्-निमित्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति आदेश^१ द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसा कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा ।^१

^१ "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित "शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५३, द्वारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

^२ "या राजप्रमुख" शब्द उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

^३ विधि मंत्रालय आदेश संख्या सी० यो० २, तारीख २३ जनवरी, १९५०, भारत सरकार का असाधारण गजट पृष्ठ ८० एन के साथ प्रकाशित संविधान (विदेशी राज्यों के संघ में घोषणा) आदेश १९५०, देखिये ।

^४ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होाने में अनुच्छेद ३६३ में निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्—

"(४) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये, जिन रु. में कि यह जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू होता है,—

(क) इस संविधान के या उसके उपबन्धों के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि वे उक्त राज्य के सम्बन्ध में यथा-प्रयुक्त संविधान के या उसके उपबन्धों के प्रति निर्देश हैं;

(ख) उक्त राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों या यह अर्थ किया जाएगा कि उनके अन्तर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की संरचना पर कार्य कर रहे सदरे रियासत के प्रति निर्देश हैं;

(ग) उच्चन्यायालय के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य के उच्चन्यायालय के प्रति निर्देश हैं;

(घ) उक्त राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उक्त राज्य की संविधान सभा के प्रति निर्देश हैं;

(ङ) उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि उन में वे व्यक्ति, जो संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश १९५४ के प्रारम्भ से पूर्व राज्य में प्रवृत्त विधियों के अधीन राज्य के प्रजाजनों के रूप में अभिज्ञात थे या जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा निमित्त किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में अभिज्ञात हैं, अभिप्रेत हैं; और

(च) राजप्रमुख के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के सदरे रियासत के रूप में तत्समय के लिए अभिज्ञात व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और मानो कि उन के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा सदरे रियासत की गक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में तत्समय अभिज्ञात किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी हैं ।"

PART XX

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

Procedure for amendment of the Constitution.

¹ 368. An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

Provided that if such amendment seeks to make any change in —

- (a) article 54, article 55, article 73, article 162 or article 241, or
- (b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or
- (c) any of the Lists in the Seventh Schedule, or
- (d) the representation of States in Parliament, or
- (e) the provisions of this article,

the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States * * * by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, to art. 368, the following proviso shall be added :—

“Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370.”

²The words and letters “specified in Parts A and B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

भाग २०

संविधान का संशोधन

३६८. उक्त संविधान के संशोधन का सूत्रपाल उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद् के किसी सदन में पुरस्कृत किया जा सकेगा तथा जत्र प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत में तथा उक्त सदन के उपस्थित और सत्दान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई में अत्यंत बहुमत में वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात् विधेयक के निदेशनों के अन्तर्गत संविधान संशोधित हो जायेगा :

संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन—

- (क) अनुच्छेद ५८, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १७२, या अनुच्छेद २८१ में, अथवा
- (ख) भाग ५ के अध्याय ८, भाग ७ के अध्याय ५, या भाग ११ के अध्याय १ में, अथवा
- (ग) राज्यों अनुसूची की सूचियों में में करी में, अथवा
- (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, अथवा
- (ङ) उक्त अनुच्छेद के उपबन्धों में,

कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस संशोधन के लिये * * * राज्यों में से कम से कम आधे के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों में पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा ।

जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३७० से निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया जाए ।”

*“प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित” शब्द संविधान (नवम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

PART XXI

TEMPORARY AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Temporary power to Parliament to make laws with respect to certain matters in the State List as if they were matters in the Concurrent List.

1369. Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament shall, during a period of five years from the commencement of this Constitution, have power to make laws with respect to the following matters as if they were enumerated in the Concurrent List, namely:—

- (a) trade and commerce within a State in, and the production, supply and distribution of, cotton and woolen textiles, raw cotton (including ginned cotton and unginned cotton or *kapas*), cotton seed, paper (including newspaper), foodstuffs (including edible oilseeds and oil), cattle fodder (including oil-cakes and other concentrates), coal (including coke and derivatives of coal), iron, steel and mica ;
- (b) offences against laws with respect to any of the matters mentioned in clause (a), jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of those matters, and fees in respect of any of those matters but not including fees taken in any court ;

but any law made by Parliament, which Parliament would not but for the provisions of this article have been competent to make, shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of the said period, except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof.

Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir.

2370. (1) Notwithstanding anything in this Constitution,—

- (a) the provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir ;
- (b) the power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to—
 - (i) those matters in the Union List and the Concurrent List which, in consultation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Accession governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State ; and

¹Art. 369 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²In exercise of the powers conferred by this article the President, on the recommendation of the Constituent Assembly of the State of Jammu and Kashmir, declare that, as from the 17th day of November, 1952 the said art. 370 shall be operative with the modification that for the *Explanation* in cl. (1) thereof, the following *Explanation* is substituted, namely:—

³*Explanation.*—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the *Sadar-i-Riyasat* of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office.”

(Ministry of Law Order No. C. O. 44, dated the 15th November, 1952.)

भाग २१

अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध

३६६. इस संविधान में किसी बात के होने हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ में पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् को उस प्रकार शक्ति होगी मानो कि ये सम्बन्धी सूची में प्रमाणित हैं, अर्थात्—

(क) सूची और ऊनी बस्त्रों, कच्ची सूई (जिसके अन्तर्गत धुनी हुई सूई और बिना धुनी हुई सूई कलाना है) विनीचे, कागज (जिसके अन्तर्गत समान्तरकाय का कागज है), खाद्य पदार्थ (जिसके अन्तर्गत खाद्य निरुद्धन और मत्त है), डोरों के बारे (जिसके अन्तर्गत खर्चा और अन्य गारकल के बारे हैं), कीचड़े (जिसके अन्तर्गत कोइ और पत्थर-कोयला जन्म पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात और जस्ता का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण ;

(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी में सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चनमन्यायालय ने भिन्न मंत्रव्याख्याओं का उन विषयों में से किसी के बारे में दोषार्थिकार और शक्तियाँ, तथा उन विषयों में किसी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों में अन्य फीसों ;

किन्तु संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिन इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद् सक्षम न होती, उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की माथा तक उसकी समाप्ति में पूर्व की गई या की जाने में लोड़ी गई बातों में अन्य बातोंके सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेगी।

३७०. (१) इस संविधान में किसी बात के होने हुए भी,—

(क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू न होंगे ;

(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति—

(१) संघ-सूची और सम्बन्धी सूची में के जिन विषयों को राज्य की सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति उन विषयों का तत्समस्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस राज्य के प्रवेश को शामिल करने वाली प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं जिनके बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि बना सकता है उन विषयों तक, तथा

जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

अनुच्छेद ३६६ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिपारिश पर यह घोषणा की कि १७ नवम्बर, १९५२ से उक्त अनुच्छेद इस रूपभेद के साथ प्रवर्तनीय होगा कि उसके खंड (१) में की व्याख्या के म्यान पर निम्नलिखित व्याख्या रख दी गयी है, अर्थात्—

“व्याख्या—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य की तत्समय पदारूढ मंत्रि-परिषद् की मंत्रणा पर कार्य करने वाले जम्मू और कश्मीर के सदरे रियासत के रूप में राज्य की विधान-सभा की सिपारिश पर राष्ट्रपति द्वारा तत्समय अभिज्ञात है।”

(विधि मंत्रालय आदेश संख्या सी० ओ० ४८ तारीख १५ नवम्बर, १९५२)

Part XXI.—Temporary and Transitional Provisions.—Arts. 370-371.

- (ii) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Government of the State, the President may by order specify.

Explanation.—For the purposes of this article, the Government of the State means the person for the time being recognised by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja's Proclamation dated the fifth day of March, 1948 ;

- (c) the provisions of article 1 and of this article shall apply in relation to that State ;
- (d) such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that State subject to such exceptions and modifications as the President may by order specify :

Provided that no such order which relates to the matters specified in the Instrument of Accession of the State referred to in paragraph (i) of sub-clause (b) shall be issued except in consultation with the Government of the State ;

Provided further that no such order which relates to matters other than those referred to in the last preceding proviso shall be issued except with the concurrence of that Government.

- (2) If the concurrence of the Government of the State referred to in paragraph (ii) of sub-clause (b) of clause (1) or in the second proviso to sub-clause (d) of that clause be given before the Constituent Assembly for the purpose of framing the Constitution of the State is convened, it shall be placed before such Assembly for such decision as it may take thereon.

- (3) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify :

Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification.

Special provision with respect to the States of Andhra Pradesh, Punjab and Bombay.

²[371. (1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Andhra Pradesh or Punjab, provide for the constitution and functions of regional committees of the Legislative Assembly of the State, for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of the regional committees.

¹See the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, published with the Ministry of Law Order No. C. O. 48, dated the 14 May, 1954, Gazette of India, Extraordinary, p 821.

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 22, for the original art. 371.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७०-३७१

(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक सीमित होगी।

व्याख्या—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १९७८ की मार्ले के पांचवें दिन निकाली गई महाराजा की उद्घाषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रिपरिषद् की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने वाला जम्मू और कश्मीर का महाराजा तत्समय अभिज्ञात करना है ;

(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उम राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे ;

(घ) इस संविधान के उपबन्धों में से ऐसे अन्य उपबन्ध ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ उम राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, जो उपखंड (ख) की कंडिका (१) में निर्दिष्ट राज्य के प्रवेश लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध हो राज्य की सरकार से परामर्श किये बिना न निकाला जायेगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेश, जो अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से सम्बद्ध हो, उम सरकार की सहमति के बिना न निकाला जायेगा।

(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के उपखंड (ख) की कंडिका (२) में अथवा उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट सहमति, उम राज्य के लिये संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने से पहिले दी जाये तो उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनियम के लिये रखा जायेगा जैसा कि वह उस पर ले।

(३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तनहीन, अथवा ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में होगा जैसे कि वह उल्लिखित करे :

परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहिले खंड (२) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान-सभा की सिपारिश आवश्यक होगी।

३७१. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश या पंजाब राज्य के सम्बन्ध में किये गये आदेश द्वारा राज्य की विधान-सभा की प्रादेशिक समितियों के गठन और कृत्यों, राज्य की सरकार के कार्य सम्बन्धी नियमों में और विधान-सभा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में किये जाने वाले रूपभेदों के लिये तथा प्रादेशिक समितियों की उचित कृत्यकारिता मुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल क किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिये उपबन्ध कर सकेगा।

आंध्र प्रदेश, पंजाब और मुम्बई राज्यों के विषय में विशेष उपबन्ध:

¹विधि मंत्रालय आदेश संख्या सी० ओ० ४८ तारीख १४ मई, १९५४ भारत सरकार के अनाधारण गजट के साथ पृष्ठ ८२१ पर प्रकाशित संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश १९५४ देखिए।

²संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २२ द्वारा मूल अनुच्छेद ३७१ के स्थान पर रखा गया।

Part XXI.—Temporary and Transitional Provisions.—Arts. 371-372.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to the State of Bombay, provide for any special responsibility of the Governor for—

- (a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, the rest of Maharashtra, Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly ;
- (b) the equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole ; and
- (c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole.]

Continuance in force of existing laws and their adaptation.

¹372. (1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

(2) For the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India into accord with the provisions of this Constitution, the President may by order² make such adaptations and modifications of such law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, in art. 372,—

(i) cls. (2) and (3) shall be omitted ;

(ii) references to the laws in force in the territory of India shall include references to *in laws, ahlans, ishtikars, circulars, rubkans, ishads, yastahs*, State Council Resolutions, Resolutions of the Constituent Assembly, and other instruments having the force of law in the territory of the State of Jammu and Kashmir ; and

(iii) references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, *etc.*, the 14th May, 1954.

²See the Adaptation of Laws Order, 1950 dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extraordinary, p. 449, as amended by Notification No. S.R.O. 115, dated the 5th June, 1950, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3, p. 51; Notification No. S.R.O. 370, dated the 4th November, 1950, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3, p. 903; Notification No. S.R.O. 508, dated the 4th April, 1951, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3, p. 287 ; and Notification No. S.R.O. 1140 B, dated the 2nd July, 1952, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3, p. 616 I.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७१-३७२

(२) इस संविधान में किसी बात के होने हुए भी राष्ट्रपति मुम्बई राज्य के सम्बन्ध में किये गये आदेश द्वारा—

- (क) विदर्भ, मराठवाडा, वेण महाराष्ट्र, मौराष्ट्र, कच्छ और वेण गजरात के लिए पृथक् विकास मंडलियों की, इस उपबन्ध के महिनि, कि इन मंडलियों में से प्रत्येक के कार्यचालन पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान-सभा के समक्ष प्रति वर्ष रखा जाएगा, स्थापना के लिए,
- (ख) मारे राज्य की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए उक्त क्षेत्रों पर विकास व्यय के लिए विधियों के गाम्यपूर्ण षट्कार के लिए, और
- (ग) मारे राज्य की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए सब उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, शिक्षण, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नौकरों के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध करने वाले यकिनपूर्ण प्रबन्ध के लिए,

राज्यपाल के किसी विरोध उत्तरदायित्व के लिए उपबन्ध कर सकेंगा ।

३७२. (१) अनुच्छेद ३६५ में निर्दिष्ट अधिनियमनियों का निर्गमन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी रहगी जब तक कि मक्षम विधान-मंडल या अन्य मक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली या निर्गमित या संशोधित न की जाये ।

वनेमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना तथा उन का अनु-कूलन

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों का इस संविधान के उपबन्धों में संगत करने के प्रयाजन में राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनु-कूलन और रूपभेद चाहे निर्गमन या चाहे संशोधन द्वारा कर सकेंगा जैसे कि आवश्यक या इष्टकर हों तथा उपबन्ध कर सकेंगा कि वह विधि ऐसी तारीख में बंदर, जैसा कि आदेश में उल्लिखित हो, ऐसे किये गये अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी हांगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ।

जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३७२ में—

(२) खंड (२) और (३) लुप्त कर दिये जायेंगे ।

(२) भारत के राज्य-क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत हितदायता, पेशानों, इतिहासों, परिपत्रों, संवकारों, डरशादों, याज्ञदायता, राज्य-सभा के नकलों, संविधान सभा के नकलों और जम्मू और कश्मीर राज्य के राज्य-क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली अन्य लिखतों के प्रति निर्देश भी होंगे; और

(३) संविधान के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जायेगा माना कि वे संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश १९५४ के प्रारम्भ अर्थात् १४ मई, १९५४ के प्रति निर्देश हैं ।

देखिए, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११५ तारीख १ जून, १९५० भारत का असाधारण सूचनापत्र भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ ११ द्वारा यथा संशोधित विधियों का अनुकूलन आदेश १९५० तारीख २६ जनवरी, १९५० भारत का असाधारण सूचनापत्र पृष्ठ ४४६, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८७० तारीख ४ नवम्बर, १९५० भारत का असाधारण सूचनापत्र भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ ६०३ अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५०८ तारीख ४ अगस्त, १९५१, भारत का असाधारण सूचनापत्र भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ २८७ और अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११४० बी, तारीख २ जुलाई, १९५३ भारत का असाधारण सूचनापत्र भाग २ अनुभाग ३ पृष्ठ ६१६ ।

Part XXI. - Temporary and Transitional Provisions. - Art. 372 - 372A.

- (3) Nothing in clause (2) shall be deemed—
- (a) to empower the President to make any adaptation or modification of any law after the expiration of ¹[three years] from the commencement of this Constitution ; or
- (b) to prevent any competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.

Explanation I.—The expression “law in force” in this article shall include a law passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.

Explanation II. Any law passed or made by a Legislature or other competent authority in the territory of India which immediately before the commencement of this Constitution had extra-territorial effect as well as effect in the territory of India shall, subject to any such adaptations and modifications as aforesaid, continue to have such extra-territorial effect.

Explanation III.—Nothing in this article shall be construed as continuing any temporary law in force beyond the date fixed for its expiration or the date on which it would have expired if this Constitution had not come into force.

Explanation IV.—An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under section 88 of the Government of India Act, 1935, and in force immediately before the commencement of this Constitution shall, unless withdrawn by the Governor of the corresponding State earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State functioning under clause (1) of article 382, and nothing in this article shall be construed as continuing any such Ordinance in force beyond the said period.

Power of the President to adapt laws.

²[372A. (1) For the purposes of bringing the provisions of any law in force in India or in any part thereof, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, into accord with the provisions of this Constitution as amended by that Act, the President may by order made before the 1st day of November, 1957, make such adaptations and modifications of the law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law.

¹Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 12, for “two years”.

²Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७२—३७२क

(३) खंड (२) की कोई बात—

- (क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ में [तीन वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् किसी विधि का कोई अनुकूलन या रूपभेद करने की शक्ति देने वाली, अथवा
- (ख) किसी मध्यम विधान-मंडल या अन्य मध्यम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद का कोई किसी विधि को निर्मित या संशोधित करने से रोके जाने वाली,

न समझी जायेगी।

व्याख्या १.—इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पदार्थों के अन्तर्गत है कोई विधि जो इस संविधान के प्रारम्भ में पूर्व भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य मध्यम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित हुई हो तथा पारित हो निर्मित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किसी विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवृत्त में न हो।

व्याख्या २.—भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या अन्य मध्यम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का, जिस का इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रात्मीय प्रभाव तथा भारत राज्य-क्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त विन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रात्मीय प्रभाव बना रहेगा।

व्याख्या ३.—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उस की समाप्ति के लिये नियत तारीख में, अथवा उस तारीख में, जिसको कि यदि वह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता तो वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखनी है।

व्याख्या ४.—किसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन अधिनियम, १९३५ की धारा २८ के अधीन प्रस्थापित तथा इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थायी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही पारित न वे लिये गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुच्छेद ३८२ के खंड (१) के अधीन अनुकूलनों को उस राज्य की विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन में छः मन्दाह की समाप्ति पर प्रवृत्त-हीन होगा तथा इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त कालावधि में आगे प्रवृत्त बनाये रखनी है।

३७२क. (१) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ में तुरन्त पूर्व भारत में या उसके किसी भाग में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों को उस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस संविधान के उपबन्धों से संशोधित करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति की शक्ति के ऐसे अनुकूलन और रूपभेद चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा कर सकेंगे जैसे कि आवश्यक या इष्टकर हो तथा उपबन्ध कर सकेंगे कि वह विधि ऐसी तारीख में लेकर, जैसी कि आदेश में उल्लिखित हो, ऐसे किये गये अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रहकर ही प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

^१संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा १२ द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर रखा गया।

^२संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २३ द्वारा अन्तःस्थापित।

Part XXI.—Temporary and Transitional Provisions.—Arts. 372A-374.

(2) Nothing in clause (1) shall be deemed to prevent a competent legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause.]

Power of President to make order in respect of persons under preventive detention in certain cases.

¹373. Until provision is made by Parliament under clause (7) of article 22, or until the expiration of one year from the commencement of this Constitution, whichever is earlier, the said article shall have effect as if for any reference to Parliament in clauses (4) and (7) thereof there were substituted a reference to the President and for any reference to any law made by Parliament in those clauses there were substituted a reference to an order made by the President.

Provisions as to Judges of the Federal Court and proceedings pending in the Federal Court before His Majesty in Council.

²374. (1) The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court.

(2) All suits, appeals and proceedings, civil or criminal pending in the Federal Court at the commencement of this Constitution shall stand removed to the Supreme Court, and the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine the same, and the judgments and orders of the Federal Court delivered or made before the commencement of this Constitution shall have the same force and effect as if they had been delivered or made by the Supreme Court.

(3) Nothing in this Constitution shall operate to invalidate the exercise of jurisdiction by His Majesty in Council to dispose of appeals and petitions from, or in respect of, any judgment, decree or order of any court within the territory of India in so far as the exercise of such jurisdiction is authorised by law, and any order of His Majesty in Council made on any such appeal or petition after the commencement of this Constitution shall for all purposes have effect as if it were an order or decree made by the Supreme Court in the exercise of the jurisdiction conferred on such Court by this Constitution.

(4) On and from the commencement of this Constitution the jurisdiction of the authority functioning as the Privy Council in a State specified in Part B of the First Schedule to entertain and dispose of appeals and petitions from or in respect of any judgment, decree or order of any court within that State shall cease, and all appeals and other proceedings pending before the said authority at such commencement shall be transferred to, and disposed of by, the Supreme Court.

¹Art. 373 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir in art. 374.—

(i) cls. (1), (2), (3) and (5) shall be omitted;

(ii) in cl. (4), the reference to the authority functioning as the Privy Council of a State shall be construed as a reference to the Advisory Board constituted under the Jammu and Kashmir Constitution Act, 1956, and references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, i.e. the 14th May, 1954.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७२क-३७४

(२) खंड (१) की कोई बात किसी मक्षम विधान-मंडल या अन्य मक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गयी किसी विधि को निरमित या संशोधित करने में रोकने वाली न समझी जाएगी।]

३७३. जब तक अनुच्छेद २२ के खंड ७ के अधीन संसद् उपबन्ध न करे, अथवा जब तक इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष समाप्त न हो, जो भी इनमें से पहिले हो, तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि उसके खंड (४) और (७) में संसद् के प्रति किसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश, तथा उन उपखंडों में संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का निर्देश, रख दिया गया हो।

निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कछु अर्थवाच्यों में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति

३७४. (१) इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले फेडरल न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे बतनों और भत्तों तथा अनु-पस्थिति छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद १२५ के अधीन उपबन्धित है।

फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के तथा फेडरल न्यायालय में अथवा सपरिषद् सम्राट के समक्ष संबन्धित कार्यवाहियों के बारे में उपबन्ध

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरल न्यायालय में लम्बित सभी व्यव-हार-वाद, अपीलें और कार्यवाहियां, चाहे व्यवहार सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतम-न्यायालय को चली गई रहेंगी, तथा उच्चतम न्यायालय को उनके सुनने तथा निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा तथा फेडरल न्यायालय के इस संविधान के प्रारम्भ में पहिले मुनाये या दिये गये, निर्णयों और आदेशों का ऐसा बल और प्रभाव होगा मानो कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा मुनाये या दिये गये हों।

(३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञाति या आदेश की, या के विषय में, अपीलों या याचिकाओं को निबटाने के लिये सपरिषद् सम्राट के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को वहां तक असम्य न करेगी जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् दिया गया सपरिषद् सम्राट का कोई आदेश सब प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतम-न्यायालय द्वारा उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञाति हो।

(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अन्तःपरिषद् के रूप में कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञाति या आदेश की अपील या याचिका को ग्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेंगा तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर लम्बित सब अपीलों और अन्य कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को भेज दी जायेंगी और उस के द्वारा निबटायी जायेंगी।

अनुच्छेद ३७३ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ३७४ में—

- (१) खंड (१), (२), (३) और (५) लुप्त कर दिये जाएंगे;
- (२) खंड (४) में किसी राज्य की अन्तः परिषद् के रूप में कृत्यकारी प्राधिकारी के प्रति निर्देश का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि वह जम्मू और कश्मीर संविधान अधिनियम, १९६६ के अधीन गठित मंत्रणादाता मंडली के प्रति निर्देश है, और संविधान के प्रारम्भ के प्रति निर्देशों का ऐसे अर्थ किया जाएगा मानो कि वे संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश १९५४ के प्रारम्भ अर्थात् १४ मई, १९५४ के प्रति निर्देश हैं।

*Part XXI.—Temporary and Transitional
Provisions.—Arts. 374-377.*

(5) Further provision may be made by Parliament by law to give effect to the provisions of this article.

Courts, authorities and officers to continue to function subject to the provisions of the Constitution.

375. All courts of civil, criminal and revenue jurisdiction, all authorities and all officers, judicial, executive and ministerial, throughout the territory of India, shall continue to exercise their respective functions subject to the provisions of this Constitution.

Provisions as to Judges of High Courts.

376. (1) Notwithstanding anything in clause (2) of article 217, the Judges of a High Court in any Province holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the corresponding State, and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 221 in respect of the Judges of such High Court.

[Any such Judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.]

(2) The Judges of a High Court in any Indian State corresponding to any State specified in Part B of the First Schedule holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the Judges of the High Court in the State so specified and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 217 but subject to the proviso to clause (1) of that article, continue to hold office until the expiration of such period as the President may by order determine.

(3) In this article, the expression "Judge" does not include an acting Judge or an additional Judge.

Provisions as to Comptroller and Auditor-General of India.

377. The Auditor-General of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless he has elected otherwise, become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India and shall thereupon be entitled to such salaries and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under clause (3) of article 148 in respect of the Comptroller and Auditor-General of India and be entitled to continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions which were applicable to him immediately before such commencement.

¹Art. 376 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

²Added by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 13.

³Art. 377 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—अनु० ३७४—३७७

(२) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये संसद् विधि द्वारा और उपबन्ध बना सकती।

३७५. भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपालक और अनुसूचिवादी प्राधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कृत्यों को करते रहेंगे।

संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना

३७६ (१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के होने हुए भी उस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपूर्वस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध

[कोई ऐसा न्यायाधीश, इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में या किसी अन्य उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।]

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वैसे उल्लिखित राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा अनुच्छेद २१७ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (१) के परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी तत्पश्चात् तक पदस्थ बने रहेंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(३) इस अनुच्छेद में "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अगर न्यायाधीश नहीं है।

३७७. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पदस्थ भारत का महालेखा-परीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक हो जायेंगा तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों तथा अनुपूर्वस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगा जैसे भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड (३) के अधीन उपबन्धित हैं, तथा अपनी उस पदाधिकारी की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन निर्धारित हो। समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक्क रखेंगा।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबन्ध

^१ अनुच्छेद ३७६ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

^२ संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा १३ द्वारा जोड़ दिया गया।

^३ अनुच्छेद ३७७ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

Part XXI.—Temporary and Transitional Provisions.—Arts. 378-392.

Provisions as to Public Service Commissions.

¹**378.** (1) The members of the Public Service Commission for the Dominion of India holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the Union and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso the clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

(2) The members of a Public Service Commission of a Province or of a Public Service Commission serving the needs of a group of Provinces holding office immediately before the commencement of this Constitution shall, unless they have elected otherwise, become on such commencement the members of the Public Service Commission for the corresponding State or the members of the Joint State Public Service Commission serving the needs of the corresponding States, as the case may be, and shall, notwithstanding anything in clauses (1) and (2) of article 316 but subject to the proviso to clause (2) of that article, continue to hold office until the expiration of their term of office as determined under the rules which were applicable immediately before such commencement to such members.

Special provision as to duration of Andhra Pradesh Legislative Assembly.

²**378A.** Notwithstanding anything contained in article 172, the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh as constituted under the provisions of sections 28 and 29 of the States Reorganisation Act, 1956, shall, unless sooner dissolved, continue for a period of five years from the date referred to in the said section 29 and no longer and the expiration of the said period shall operate as a dissolution of that Legislative Assembly.}

379—391. *Rep. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.*

Power of the President to remove difficulties.

³**392.** (1) The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of this Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the first meeting of Parliament duly constituted under Chapter II of Part V.

(2) Every order made under clause (1) shall be laid before Parliament.

(3) The powers conferred on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the Governor-General of the Dominion of India.

¹Art. 378 shall not apply to the state of Jammu and Kashmir.

²Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 24.

³Art. 392 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध—

अनु० ३७८-३९२

३७८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमिनियन के लोकमेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकमेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्त तक पदस्थ बने रहेंगे।

लोक-मेवा आयोग के बारे में उपबन्ध

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त के लोकमेवा-आयोग के अथवा प्रान्तों के समूह की आवश्यकता के लिये मंचा करने वाले किसी लोकमेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथा-स्थिति तत्स्थानी राज्य के लोकमेवा-आयोग के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिये मंचा करने वाले संयुक्त राज्य लोकमेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होने हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्त तक पदस्थ बने रहेंगे।

३७८क. अनुच्छेद १७२ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने हुए भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा २८ और २९ के उपबन्धों के अधीन यथावधि अन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो उक्त धारा २९ में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की कालावधि, न कि उसमें अधिक के लिये चालू रहेगी तथा उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम उस विधान-सभा का विघटन होगा।

अन्ध्र प्रदेश विधान-सभा की अस्तित्वावधि के बारे में विशेष उपबन्ध

३७९-३९१. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा निरसित।

३९२. (१) राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को विशेषतः भारत-सामान्य अधिनियम, १९३५ के उपबन्धों में इस संविधान के उपबन्धों में संश्लेषण के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में उल्लिखित कालावधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूपभेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर, जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होगा :

कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

परन्तु भाग ५ के अध्याय ३ के अधीन सम्पूक् रूप में गठित संसद् के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् ऐसा कोई आदेश न निकाला जायेगा।

(२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद् के समक्ष रखा जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड (३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।

अनुच्छेद ३७८ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २४ द्वारा अन्तःस्थापित

अनुच्छेद ३९२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगा।

PART XXII

SHORT TITLE COMMENCEMENT, AND REPEALS

- Short title.** **393.** This Constitution may be called the Constitution of India.
- Commencement.** **394.** This article and articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, and 393 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Constitution shall come into force on the twenty sixth day of January, 1950, which day is referred to in this Constitution as the commencement of this Constitution.
- Repeals.** **395.** The Indian Independence Act, 1947, and the Government of India Act, 1935, together with all enactments amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949, are hereby repealed.

¹Arts. 394 and 395 shall not apply to the State of Jammu and Kashmir.

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

३६३. यह संविधान भारत का संविधान के नाम से जाना हो सकेगा।

संक्षिप्त नाम

¹३६४. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ९, १०, ३२४, ३२६, ३६७, ३७६, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, और ३९३ तुरन्त प्रवृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

प्रारम्भ

¹३६५. भारत स्वाधीनता-अधिनियम, १९४७ और भारत-शान्त-अधिनियम, १९३५ पश्चाद्गत अधिनियम के प्रिवी काउन्सिल श्रेयाधिकार उत्सादन अधिनियम, १९४६ को छोड़ कर संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमिनियों के साथ एतद्द्वारा निरमित किये जाते हैं।

निरसन

¹अनुच्छेद ३६४ और ३६५ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

FIRST SCHEDULE

[Articles 1 and 4]

1. THE STATES

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
1. Andhra Pradesh	The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Andhra State Act, 1953 and the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the States Reorganisation Act, 1956.
2. Assam	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the Province of Assam, the Khasi States and the Assam Tribal Areas, but excluding the territories specified in the Schedule to the Assam (Alteration of Boundaries) Act, 1951.
3. Bihar	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Bihar or were being administered as if they formed part of that Province, but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956.
4. Bombay	The territories specified in sub-section (1) of section 8 of the States Reorganisation Act, 1956.
5. Kerala	The territories specified in sub-section (1) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956.
6. Madhya Pradesh	The territories specified in sub-section (1) of section 9 of the States Reorganisation Act, 1956.
7. Madras	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Madras or were being administered as if they formed part of that Province and the territories specified in section 4 of the States Reorganisation Act, 1956, but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 and sub-section (1) of section 4 of the Andhra State Act, 1953 and the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 5, section 6 and clause (d) of sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956.
8. Mysore	The territories specified in sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956.

¹The First Schedule was subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 2.

प्रथम अनुसूची
(अनुच्छेद १ और ४)

१. राज्य

नाम	राज्य-क्षेत्र
१. आन्ध्र प्रदेश	वे राज्य-क्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा (३) की उपधारा (१) में उल्लिखित है तथा वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
२. आसाम	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले आसाम प्रांत, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे किन्तु वे राज्य-क्षेत्र जो आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, १९५१ की अनुसूची में उल्लिखित हैं उसमें अपर्याजित हैं।
३. बिहार	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले या तो बिहार प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रस्तावित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों किन्तु वे राज्य-क्षेत्र जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं, इसमें अपर्याजित हैं।
४. गुजरात	वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
५. केरला	वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
६. मध्य प्रदेश	वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ६ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
७. मद्रास	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रस्तावित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४ में उल्लिखित हैं किन्तु वे राज्य-क्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा ३ की उपधारा (१) में और धारा ८ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं तथा वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) में और धारा ६ में और धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में उल्लिखित हैं, इसमें अपर्याजित हैं।
८. मैसूर	वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ७ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।

१ प्रथम अनुसूची संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
9. Orissa . . .	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Orissa or were being administered as if they formed part of that Province.
10. Punjab . . .	The territories specified in section 11 of the States Reorganisation Act, 1956.
11. Rajasthan	The territories specified in section 10 of the States Reorganisation Act, 1956.
12. Uttar Pradesh	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province known as the United Provinces or were being administered as if they formed part of that Province.
13. West Bengal	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of West Bengal or were being administered as if they formed part of that Province and the territory of Chandernagore as defined in clause (c) of section 2 of the Chandernagore (Merger) Act, 1954 and also the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956.
14. Jammu and Kashmir	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Indian State of Jammu and Kashmir.

II. THE UNION TERRITORIES

<i>Name</i>	<i>Extent.</i>
Delhi	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of Delhi.
2. Himachal Pradesh	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were being administered as if they were Chief Commissioner's Provinces under the names of Himachal Pradesh and Bilaspur.
Manipur	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Manipur.
4. Tripura	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Tripura.
5. The Andaman and Nicobar Islands.	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of the Andaman and Nicobar Islands
6. The Laccadive, Minicoy and Amindiv Islands.	The territory specified in section 6 of the States Reorganisation Act, 1956.

नाम	राज्य-क्षेत्र
६. उड़ीसा	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो उड़ीसा प्रांत में समाविष्ट थे या इन प्रकार प्रस्तावित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों।
१०. पंजाब	वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११ में उल्लिखित हैं।
११. राजस्थान	वे राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १० में उल्लिखित हैं।
१२. उत्तर प्रदेश	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो संयुक्त प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट थे या इन प्रकार प्रस्तावित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों।
१३. पश्चिमी बंगाल	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले या तो पश्चिमी बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे या इन प्रकार प्रस्तावित थे मानो कि वे उन प्रांत के भाग रहे हों तथा चन्द्र नगर का राज्य-क्षेत्र जैसा कि वह चन्द्र नगर (विलयन) अधिनियम, १९५४ की धारा (२) को खंड (ग) में परिभाषित है और वे राज्य-क्षेत्र भद्र जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
१४. जम्मू तथा कश्मीर	वह राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जम्मू तथा कश्मीर के देशों राज्य में समाविष्ट थे।
	२. संघ राज्य क्षेत्र
	विस्तार
१. दिल्ली	वह राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले मुख्यायुक्त के दिल्ली प्रांत में समाविष्ट था।
२. हिमाचल प्रदेश	वे राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रस्तावित थे मानो कि वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नामों से मुख्यायुक्त के प्रांत रहे हों।
३. मणिपुर	वह राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रस्तावित था मानो कि वह मणिपुर के नाम से मुख्यायुक्त का प्रांत रहा हो।
४. त्रिपुरा	वह राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रस्तावित था मानो कि वह त्रिपुरा के नाम से मुख्यायुक्त का प्रांत रहा हो।
५. अरुणमाचल और निकोबार द्वीप	वह राज्य-क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले अरुणमाचल और निकोबार द्वीप के मुख्यायुक्त के प्रांत में समाविष्ट था।
६. लक्षद्वीप द्वीप, मिनिक्कोय द्वीप, और अमीनदीवी द्वीप	वह राज्य-क्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ६ में उल्लिखित हैं।

SECOND SCHEDULE

[Articles 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 and 221]

PART A

PROVISIONS AS TO THE PRESIDENT AND THE GOVERNORS OF STATES^{1* * *}

1. There shall be paid to the President and to the Governors of the States^{1* * *} the following emoluments per mensem, that is to say :—

The President	10,000 rupees.
The Governor of a State	5,500 rupees.

2. There shall also be paid to the President and to the Governors of the States^{2* * *} such allowances as were payable respectively to the Governor-General of the Dominion of India and to the Governors of the corresponding Provinces immediately before the commencement of this Constitution.

3. The President and the Governors of³[the States] throughout their respective terms of office shall be entitled to the same privileges to which the Governor-General and the Governors of the corresponding Provinces were respectively entitled immediately before the commencement of this Constitution.

4. While the Vice-President or any other person is discharging the functions of, or is acting as, President, or any person is discharging the functions of the Governor, he shall be entitled to the same emoluments, allowances and privileges as the President or the Governor whose functions he discharges or for whom he acts, as the case may be.

4* * * * *

PART C

PROVISIONS AS TO THE SPEAKER AND THE DEPUTY SPEAKER OF THE HOUSE OF THE PEOPLE AND THE CHAIRMAN AND THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF STATES AND THE SPEAKER AND THE DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY^{5* * *} AND THE CHAIRMAN AND THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE LEGISLATIVE COUNCIL OF⁶[A STATE].

7. There shall be paid to the Speaker of the House of the People and the Chairman of the Council of States such salaries and allowances as were payable to the Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of this Constitution, and there shall be paid to the Deputy Speaker of the House of the People and to the Deputy Chairman of the Council of States such salaries and allowances as were payable to the Deputy Speaker of the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before such commencement.

¹The words and letters "specified in Part A of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²The words "so specified" omitted, *ibid.*

³Subs., *ibid.*, for "such States".

⁴Part B omitted, *ibid.*

⁵The words and letters "of a State in Part A of the First Schedule" omitted *ibid.*

⁶Subs., *ibid.*, for "any such State".

द्वितीय अनुसूची

अनुच्छेद ५ (३), ६५ (३), ७५ (६), ६७, १२५, १४८ (३), १५८ (३), १६४ (५), १८६ और २२१

भाग क

राष्ट्रपति तथा * * * राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध

१. राष्ट्रपति तथा * * * राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियां प्रतिमाग दी जायेंगी अर्थात्—

राष्ट्रपति को	१०,००० रुपया
राज्य के राज्यपाल को	५,५०० रुपया

२. राष्ट्रपति तथा * * * राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानीय प्रान्तों के गवर्नरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दिये थे।

३. राष्ट्रपति तथा * [राज्यों] के राज्यपालों को अपनी अपनी सम्पूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक होगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः गवर्नर जनरल तथा तत्स्थानीय प्रान्तों के गवर्नरों को था।

४. जब कि उपराष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अथवा उम के रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उसको वही उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक होगा जैसा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को है जिस के कृत्यों का वह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति जिस के रूप में वह कार्य करता है।

४*

भाग ग

लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति के तथा * * * राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा "[राज्य] की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध.

७. लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-सभा के सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमिनियन की संविधान-सभा के अध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दिये थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्य-सभा के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमिनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दिये थे।

१ "प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।

२ " इस प्रकार उल्लिखित " शब्द उपरोक्त क ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

३ उपरोक्त के ही द्वारा "ऐसे राज्यों" के स्थान पर रखा गया।

४ भाग (ख) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिया गया।

५ "प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के शब्द" और अक्षर उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

६ उपरोक्त के ही द्वारा "ऐसे किसी राज्य" के स्थान पर रखा गया।

Second Schedule

8. There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly * * * and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of ²[a State] such salaries and allowances as were payable respectively to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the President and the Deputy President of the Legislative Council of the corresponding Province immediately before the commencement of this Constitution and, where the corresponding Province had no Legislative Council immediately before such commencement, there shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of the State such salaries and allowances as the Governor of the State may determine.

PART D

PROVISIONS AS TO THE JUDGES OF THE SUPREME COURT AND OF THE HIGH COURTS * * *

9. (1) There shall be paid to the Judges of the Supreme² Court, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say :—

The Chief Justice	5,000 rupees.
Any other Judge	4,000 rupees.

Provided that if a Judge of the Supreme Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the Supreme Court⁴ shall be reduced—

- (a) by the amount of that pension, and
- (b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

¹The words and letters "in States in Part A of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²Subs., *ibid.*, for "such State".

³Paragraph 2 of the Constitution (Removal of Difficulties) Order No. IX provides that for the period of eight years from the 7th day of November, 1951, the Second Schedule to the Constitution of India shall have effect subject to the following adaptation, namely :—

⁴For sub-paragraph (3) of paragraph 9, the following sub-paragraph shall be substituted namely:—

(3) Nothing in sub-paragraph (2) of this paragraph shall apply to a Judge who, immediately before the commencement of this Constitution, was holding office as a Judge of the Federal Court and has on such commencement become a Judge of the Supreme Court under clause (1) of article 374, during the period he holds office as a Judge other than the Chief Justice of that Court and every such Judge shall, in respect of time spent on actual service as a Judge other than the Chief Justice, or if appointed to be, or to act as, Chief Justice, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph, as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary payable to him as a Judge of the Federal Court immediately before the commencement of this Constitution."

⁵Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25, for "shall be reduced by the amount of that pension".

द्वितीय अनुसूची

द. 1 * * * राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ²[राज्य] की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे, तथा जहाँ तत्स्थानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान-परिषद् न थी वहाँ उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे ।

भाग घ

उच्चतमन्यायालय तथा * * * उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध

१६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में वित्तिये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात्—

मुख्य न्यायाधिपति	५,००० रुपया
कोई अन्य न्यायाधीश	४,००० रुपया

परन्तु यदि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उस की पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार को अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी को पहिले की गई सेवा के बारे में (निर्णीयता या क्षति-पक्षान में अनिश्चित) कोई निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतमन्यायालय में सेवा के बारे में उस के वेतन में से

१(क) निवृत्ति-वेतन की राशि, और

(ख) यदि उगने ऐसी निवृत्ति ने पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय निवृत्ति-वेतन के एक प्रभाग के बदले में उसका सम्बन्धित मूल्य प्राप्त किया है तो निवृत्ति-वेतन के उग प्रभाग की राशि, और

- 1 "प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा नष्ट कर दिये गये ।
- 2 उपरोक्त के ही द्वारा "ऐसे राज्य" के स्थान पर रखा गया ।
- 3 "प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के" शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २५ द्वारा नष्ट कर दिये गये ।
- 4 संविधान (कठिनाइयों दूर करना) अधिनियम, १९५१ में धारा ६ की कठिनाई २ उपबन्ध करनी है कि उनमेंबर १९५१ में आठ वष की कालावधि तक संविधान के संविधान की द्वितीय अनुसूची निम्नलिखित अनुकूलन के अधीन रहकर प्रभावी होगी, अर्थात्—

"कठिनाई ६ की उपकठिनाई (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपकठिनाई (ख) रख दी जाएगी, अर्थात्—

(३) इस कठिनाई की उपकठिनाई (२) में की कोठ बात ऐसे न्यायाधीश की, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय के न्यायाध्याय के रूप में पद धारण कर रहा था और ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश हो गया है उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि वह उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति में भिन्न न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू न होगी; और प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिपति में भिन्न न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा पर वित्तिये समय के सम्बन्ध में, या यदि वह मुख्य न्यायाधिपति होने के लिये या उस रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त हो तो ऐसे मुख्य न्यायाधिपति के रूप में वास्तविक सेवा पर वित्तिये समय के सम्बन्ध में उसे कठिनाई की उपकठिनाई (१) में उल्लिखित वेतन के अनिश्चित इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसको देय वेतन और इस प्रकार उल्लिखित वेतन के बीच के अन्तर की समतुल्य राशि विशेष वेतन के रूप में पाने का हक्कदार होगा ।

4 संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २५ द्वारा "निवृत्ति-वेतन की राशि घटा दी जाएगी" के स्थान पर रख गये ।

Second Schedule

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.]

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be entitled without payment of rent to the use of an official residence.

(3) Nothing in sub-paragraph (2) of this paragraph shall apply to a Judge who, immediately before the commencement of this Constitution,—

(a) was holding office as the Chief Justice of the Federal Court and has become on such commencement the Chief Justice of the Supreme Court under clause (1) of article 374, or

(b) was holding office as any other Judge of the Federal Court and has on such commencement become a Judge (other than the Chief Justice) of the Supreme Court under the said clause,

during the period he holds office as such Chief Justice or other Judge, and every Judge who so becomes the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court shall, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement.

(4) Every Judge of the Supreme Court shall receive such reasonable allowance to reimburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as the President may from time to time prescribe.

(5) The rights in respect of leave of absence (including leave allowances) and pension of the Judges of the Supreme Court shall be governed by the provisions which, immediately before the commencement of this Constitution were applicable to the Judges of the Federal Court.

10. ¹[(1) There shall be paid to the Judges of High Courts, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say,—

The Chief Justice	4,000 rupees.
Any other Judge	3,500 rupees.

Provided that if a Judge of a High Court at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service in the High Court shall be reduced—

(a) by the amount of that pension, and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25 for the original sub-paragraph (1).

द्वितीय अनुसूची

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान का समतुल्य निवृत्ति वेतन,

भटा दिया जाएगा।]

(२) उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, विना किराया दिये, पदावास के उपयोग का हक्क होगा।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) में की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले—

(क) फेडरलन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है, अथवा

(ख) फेडरलन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतमन्यायालय का (मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है,

उस कालावधि में, जिस में कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश हो जाता है, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताने समय के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में गैसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(४) उच्चतमन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे यत्नियक्त भत्ते पावेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधाएँ दी जायँगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।

(५) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-दृष्टी (जिस के अन्तर्गत दृष्टी सम्बन्धी भत्ते भी हैं) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से प्राप्त होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों का लागू थे।

१०. 1[(१) उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताने समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रतिमास वेतन दिया जाएगा, अर्थात्—

मुख्य न्यायाधिपति	४,००० रुपये
कोई अन्य न्यायाधीश	३,५०० रुपये

परन्तु यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गयी सेवा के बारे में (नियोग्यता या क्षान पेशन के अतिरिक्त) कोई निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चन्यायालय में सेवा के बारे में उसके वेतन में से —

(क) निवृत्ति-वेतन की राशि, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में अपने को देय निवृत्ति-वेतन के एक प्रभाग के बदले में उसका संशोधित मूल्य प्राप्त किया है तो निवृत्ति-वेतन के उस प्रभाग की राशि, और

¹ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २५ द्वारा मूल उपकंडिका (१) के स्थान पर रखी गयी।

Second Schedule

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity.]

(2) Every person who immediately before the commencement of this Constitution—

(a) was holding office as the Chief Justice of a High Court in any Province and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court in the corresponding State under clause (1) of article 376, or

(b) was holding office as any other Judge of a High Court in any Province and has on such commencement become a Judge (other than the Chief Justice) of the High Court in the corresponding State under the said clause.

¹Shall, if he was immediately before such commencement drawing a salary at a rate higher than that specified in sub-paragraph (1) of this paragraph, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, in addition to the salary specified in the said sub-paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement.

²[(3) Any person who, immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, was holding office as the Chief Justice of the High Court of a State specified in Part B of the First Schedule and has on such commencement become the Chief Justice of the High Court of a State specified in the said Schedule as amended by the said Act, shall, if he was immediately before such commencement drawing any amount as allowance in addition to his salary, be entitled to receive in respect of time spent on actual service as such Chief Justice, the same amount as allowance in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph.]

11. In this Part, unless the context otherwise requires,

(a) the expression "Chief Justice" includes an acting Chief Justice, and a "Judge" includes an *ad hoc* Judge ;

(b) "actual service" includes—

(i) time spent by a Judge on duty as a Judge or in the performance of such other functions as he may at the request of the President undertake to discharge ;

¹Paragraph 2 of the Constitution (Removal of Difficulties) Order No. IV provides that as from 25th January, 1950, the Second Schedule to the Constitution of India shall have effect subject to the following adaptation, namely:—

(2) In sub-paragraph (2) of paragraph 10 for all words after cl. (b), the following shall be substituted:—

"shall, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph as special pay the amount, if any, by which that salary falls short of the salary payable to the Chief Justice, or, as the case may be, any other Judge, of the High Court in the Province immediately before such commencement".

²Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 25, for the original sub-paragraph (3) and (4).

द्वितीय अनुसूची

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान का समनुव्य निवृत्ति-वेतन, धरा दिया जाएगा।]

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले —

(क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद २७६ के खंड (१) के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है, अथवा

(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का (मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है,

उसका, यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में उक्त उपकंडिका में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

[(३) कोई व्यक्ति जो संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद धारण कर रहा था और ऐसे प्रारम्भ पर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई राशि ले रहा था तो वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति के रूप में वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में वही राशि पाने का हकदार होगा।]

११. इस भाग में, जब तक प्रयोग में अन्यथा अशेषित न हो—

(क) "मुख्य न्यायाधिपति" पदार्थानि के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति है तथा "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत तदर्थ न्यायाधीश है।

(ख) "वास्तविक सेवा" के अन्तर्गत है —

(१) न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य करने हुए अथवा ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिन का कि अनुसूची की आर्कडिका पर उस से निरूपित करने का भार किया है, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत समय;

संविधान (कठिनाइयों दूर करना) आदेश संख्या ४ की कंडिका २ उपबन्ध करनी है कि २६ जनवरी, १९५० से भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची निम्नलिखित अनुक्रम में अधीन रहकर प्रभावी होगी, अर्थात्—

* * * * *

(२) कंडिका १० की उपकंडिका (२) में खंड (ख) के पश्चात् समस्त शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"उसको यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में उस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में उतनी राशि, यदि कुछ हो, पाने का हक होगा जितनी से कि वह वेतन ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रान्त में के उच्चन्यायालय के यथास्थिति मुख्य न्यायाधिपति या किसी अन्य न्यायाधीश को देय वेतन से कम पड़ता है।"

२ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २५ द्वारा मूल उपकंडिका (३) पर (४) के स्थान पर रखी गयी।

Second Schedule

- (ii) vacations, excluding any time during which the Judge is absent on leave; and
- (iii) joining time on transfer from a High Court to the Supreme Court or from one High Court to another.

PART E

PROVISIONS AS TO THE COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA

12. (1) There shall be paid to the Comptroller and Auditor-General of India a salary at the rate of four thousand rupees per mensem.

(2) The person who was holding office immediately before the commencement of this Constitution as Auditor-General of India and has become on such commencement the Comptroller and Auditor-General of India under article 377 shall in addition to the salary specified in sub-paragraph (1) of this paragraph be entitled to receive as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing as Auditor-General of India immediately before such commencement.

(3) The rights in respect of leave of absence and pension and the other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General of India shall be governed or shall continue to be governed, as the case may be, by the provisions which were applicable to the Auditor-General of India immediately before the commencement of this Constitution and all references in those provisions to the Governor-General shall be construed as references to the President.

द्वितीय अनुसूची

- (२) उस समय को न गिन कर जिस में कि वह न्यायाधीश छूट्टी ले कर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश; तथा
- (३) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्चन्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल।

भाग ड

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंध में उपबंध

१२. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्र रुपये प्रतिमास की दर में वेतन दिया जायेगा।

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७७ के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है उसको इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अनिश्चित विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(३) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छूट्टी और निर्वाचन-वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में अधिकार उन उपबंधों में यथास्थिति शामिल होंगे या शामिल होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक को लागू थे तथा उन उपबंधों में सर्वत्र उल्लेख के प्रति सब निदर्शों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानो कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं।

THIRD SCHEDULE¹

[Articles 75(4), 99, 124(6), 148(2), 154(3), 188 and 219]

Forms of Oaths or Affirmations

I

Form of oath of office for a Minister for the Union :—

“I, A.B., do swear in the name of God _____ that I will bear true
solemnly affirm _____

faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill-will.”

II

Form of oath of secrecy for a Minister for the Union :—

“I, A.B., do swear in the name of God _____ that I will not
solemnly affirm _____

directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.”

III

Form of oath or affirmation to be made by a member of Parliament :—

“I, A.B., having been elected (or nominated) a member of the Council of States (or the House of the People) do swear in the name of God _____ that I will bear
solemnly affirm _____

true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”

IV

Form of oath or affirmation to be made by the Judges of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor-General of India :—

“I, A.B., having been appointed Chief Justice (or a Judge) of the Supreme Court of India (or Comptroller and Auditor-General of India) do _____
swear in the name of God _____
solemnly affirm _____

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.”

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, Forms V, VI, VII and VIII shall be omitted.

तृतीय अनुसूची

[अनुच्छेद ७५ (४), ६६, १२४ (६), १४८ (२), १६४ (३), १८८ और २१६]

शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र

१

संघ के मंत्रों के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, ... अमुक, ... ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूँ

विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संघ के मंत्रों के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और अङ्ग अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपान, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

२

संघ के मंत्रों के लिये गौणता-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, ... अमुक, ... ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ-मंत्रों सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूँ

के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायगा अथवा मझे जान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि मंत्रों के रूप में अपने कर्तव्यों के अन्तिम निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

३

संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं, ... अमुक, ... जो राज्य-सभा (अथवा लोक-सभा) का सदस्य निर्वा-

चित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूँ

भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

४

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं, ... अमुक, ... जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश)

(या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपान, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूंगा।"

१ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में प्रपत्र ५, ६, ७ और ८ लुप्त कर दिये जायेंगे।

Third Schedule

V

Form of oath of office for a Minister for a State :—

"I, A.B., do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will."

VI

Form of oath of secrecy for a Minister for a State :—

"I, A.B., do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister."

VII

Form of oath or affirmation to be made by a member of the Legislature of a State :—

"I, A.B., having been elected (or nominated) a member of the Legislative Assembly (or Legislative Council), do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

VIII

Form of oath or affirmation to be made by the Judges of a High Court :—

"I, A.B., having been appointed Chief Justice (or a Judge) of the High Court at (or of).... do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws."

तृतीय अनुसूची

राज्य के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :—

“मैं, . . . अमुक, . . . ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा . . . मैं . . . राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।”

६

राज्य के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :—

“मैं, . . . अमुक, . . . ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।”

७

राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

“मैं, . . . अमुक, . . . जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्) के लिये

सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उस के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।”

८

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

“मैं, . . . अमुक, . . . जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश)

ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूंगा।”

FOURTH SCHEDULE

[Articles 4(1) and 80(2)]

Allocation of seats in the Council of States

To each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be.

TABLE

1. Andhra Pradesh	18
2. Assam	
3. Bihar	
4. Bombay	27
5. Kerala	
6. Madhya Pradesh	18
7. Madras	
8. Mysore	
9. Orissa	10
10. Punjab	11
11. Rajasthan	10
12. Uttar Pradesh	34
13. West Bengal	16
14. Jammu and Kashmir	4
15. Delhi	3
16. Himachal Pradesh	2
17. Manipur	1
18. Tripura	1
TOTAL	220

[चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद ४ (१) और ८० (२)]

राज्य-सभा में के स्थानों का बटवारा

निम्न सारणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र को यथास्थिति उतने-स्थान घांटे में दिये जायेंगे जितने कि उसके दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या उस संघ राज्य-क्षेत्र के सामने उल्लिखित हैं :

सारणी

१. आन्ध्र प्रदेश	१८
२. आसाम	७
३. बिहार	२२
४. गुजरात	२७
५. केरल	६
६. मध्य प्रदेश	१६
७. मद्रास	१७
८. मैसूर	१२
९. उड़ीसा	१०
१०. पंजाब	११
११. राजस्थान	१०
१२. उत्तर प्रदेश	३४
१३. पश्चिमी बंगाल	१६
१४. जम्मू तथा कश्मीर	४
१५. दिल्ली	३
१६. हिमाचल प्रदेश	२
१७. मणिपुर	१
१८. त्रिपुरा	१

कुल २२०]

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ द्वारा ३ नवम्बर १९५६ को संशोधित।

FIFTH SCHEDULE¹

[Article 244(1)]

Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

PART A

GENERAL

1 Interpretation.—In this Schedule, unless the context otherwise requires, the expression “State”² * * * does not include the State of Assam.

2. Executive power of a State in Scheduled Areas.—Subject to the provisions of this Schedule, the executive power of a State extends to the Scheduled Areas therein.

3. Report by the Governor³ * * * to the President regarding the administration of Scheduled Areas.—The Governor³ * * * of each State having Scheduled Areas therein shall annually, or whenever so required by the President, make a report to the President regarding the administration of the Scheduled Areas in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.

PART B

ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

4. Tribes Advisory Council.—(1) There shall be established in each State having Scheduled Areas therein and, if the President so directs, also in any State having Scheduled Tribes but not Scheduled Areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom, as nearly as may be, three-fourths shall be the representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State :

Provided that if the number of representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.

(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the Scheduled Tribes in the State as may be referred to them by the Governor⁴ * * * .

(3) The Governor³ * * * may make rules prescribing or regulating, as the case may be,—

(a) the number of members of the Council, the mode of their appointment and the appointment of the Chairman of the Council and of the officers and servants thereof ;

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

²The words and letters “ means a State specified in Part A or Part B of the First Schedule but” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

³The words “or Rajpramukh” omitted, *ibid.*

⁴The words “or Rajpramukh, as the case may be” omitted, *ibid.*

पंचम अनुसूची

[अनुच्छेद २४४ (१)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध

भाग क

साधारण

२१. निवर्तन.—इस अनुसूची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो "राज्य" पद के अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं है।

२. अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति—इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहने वाले किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस में के अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा।

३. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को राज्यपाल * * * द्वारा प्रतिवेदन—प्रत्येक राज्य का राज्यपाल * * * * * जिस में अनुसूचित क्षेत्र हैं, जिन पर, या जिन पर राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में निदेश देने तक विस्तृत होगी।

भाग ख

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

४. आदिम जाति-मंत्रणा-परिषद्—(१) प्रत्येक राज्य में, जिन में अनुसूचित क्षेत्र हैं, तथा यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो किसी ऐसे राज्य में भी, जिन में अनुसूचित आदिमजातियाँ हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जायेगी जिसके अंश में अधिक सदस्य न होंगे जिन में कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उक्त राज्य की विधान-सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे :

परन्तु यदि उक्त राज्य की विधान-सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन आदिमजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे।

(२) आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य में की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से संबद्ध ऐसे विषयों पर मंत्रणा दे जो उन को ^१[राज्यपाल] द्वारा सौंपे जायें।

(३) राज्यपाल * * * * *

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या, उन की नियुक्ति की तथा परिषद् के समाप्ति तथा उस के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति के ;

१ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी।

२ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा मूल कंडिका के स्थान पर रखी गयी।

३ "या राजप्रमुख" शब्द उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दिये गये।

४ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा "यथास्थितियाँ राज्यपाल या राजप्रमुख" के स्थान पर रखा गया।

Fifth Schedule

- (b) the conduct of its meetings and its procedure in general ; and
 (c) all other incidental matters.

5. Law applicable to Scheduled Areas.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor ¹* * *, may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State or shall apply to a Scheduled Area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification and any direction given under this sub-paragraph may be given so as to have retrospective effect.

(2) The Governor ¹* * *, may make regulations for the peace and good government of any area in a State which is for the time being a Scheduled Area

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

- (a) prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the Scheduled Tribes in such area ;
 (b) regulate the allotment of land to members of the Scheduled Tribes in such area ;
 (c) regulate the carrying on of business as moneylender by persons who lend money to members of the Scheduled Tribes in such area.

(3) In making any such regulation as is referred to in sub-paragraph (2) of this paragraph, the Governor ²* * * may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to the area in question.

(4) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

(5) No regulation shall be made under this paragraph unless the Governor ³* * * making the regulation has, in the case where there is a Tribes Advisory Council for the State, consulted such Council.

PART C

SCHEDULED AREAS

6. Scheduled Areas.—(1) In this Constitution, the expression "Scheduled Areas" means such areas as the President may by order declare to be Scheduled Areas.

¹The words "or Rajpramukh as the case may be" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

²The words "or Rajpramukh" omitted, *ibid.*

³The words "or the Rajpramukh" omitted, *ibid.*

⁴See (1) the Scheduled Areas (Part A States) Order, 1950, published with the Ministry of Law Order, No. C. O. 9, dated the 26th January, 1950, Gazette of India, Extraordinary, p. 670.

(2) the Scheduled Areas (Part B States) Order, 1950, published with the Ministry of Law Notification No. C. O. 26 dated the 7th December, 1950, Gazette of India, Extraordinary, Pt. II, Sec. 3, p. 975.

पंचम अनुसूची

- (ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा उसकी साधारण प्रक्रिया के , तथा
(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों के ।

यथास्थिति विहित करने या विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगा ।

(१) ५. अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि.—¹इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी ¹[राज्य-पाल] लोक-अधिमूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू न होगा अथवा राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसा कि वह अधिमूचना में उल्लिखित करे और इस उपकंडिका के अधीन दिया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूलक्षी प्रभाव हो ।

(२) ¹[राज्यपाल] राज्य में के किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और मुशासन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है ।

विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ऐसे विनियम—

- (क) ऐसे क्षेत्र में की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों द्वारा या में भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे ;
(ख) ऐसे क्षेत्र में की आदिमजातियों के सदस्यों को भूमि बांटने का विनियमन कर सकेंगे ;
(ग) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा , जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं , साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे ।

(३) ऐसे किसी विनियम को बनाने में, जैसा कि इस कंडिका की उपकंडिका (२) में निर्दिष्ट है राज्यपाल * * * संसद् के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान विधि को, जो प्रश्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसित या संशोधित कर सकेगा ।

(४) इस कंडिका के अधीन बनाये गये सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति को प्रेषित किये जायेंगे और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे तब तक उनका कोई प्रभाव न होगा ।

(५) इस कंडिका के अधीन कोई विनियम तब तक न बनाया जायेगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल * * * ने उस राज्य के लिये आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् होने की अवस्था में ऐसी परिषद् से परामर्श न कर लिया हो ।

भाग ग

अनुसूचित क्षेत्र

६. अनुसूचित क्षेत्र.—(१) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्रों" पदावलि से अभिप्रेत हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे ।

¹ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २८ और अनुसूची द्वारा "यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख" के स्थान पर रखे गये ।

² "या राज प्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

³ "या राजप्रमुख" शब्द उपरोक्त के ही मुक्त कर दिये गये ।

⁴ देखिये (१) विधि मंत्रालय आदेश संख्या सी० ओ० ९ तारीख २६ जनवरी, १९५० भारत सरकार का असाधारण गजट पृष्ठ ६७० के साथ प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र [भाग (क) राज्य] आदेश १९५०.

(२) विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या सी० ओ० २६ तारीख ७ दिसम्बर, १९५० भारत का असाधारण गजट भाग २ अनुभाग ३, पृष्ठ ९७५ के साथ प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र [भाग (ख) राज्य] आदेश १९५० ।

Fifth Schedule

- (2) The President may at any time by order—
- (a) direct that the whole or any specified part of a Scheduled Area shall cease to be a Scheduled Area or a part of such an area ;
 - (b) alter, but only by way of rectification of boundaries, any Scheduled Area ;
 - (c) on any alteration of the boundaries of a State or on the admission into the Union or the establishment of a new State, declare any territory not previously included in any State to be, or to form part of, a Scheduled Area ;

and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper, but save as aforesaid the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.

PART D

AMENDMENT OF THE SCHEDULE

7. Amendment of the Schedule—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

पंचम अनुसूची

(२) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा—

- (क) निर्देश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस का कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा ;
- (ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा, किन्तु केवल सीमाओं का शोधन कर के ही बदल सकेगा ;
- (ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर अथवा संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा जो पहिले से किसी राज्य में समाविष्ट नहीं है ;

तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुवंशिक उपबन्ध हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु उपर्युक्त रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन निबन्धित गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

भाग घ

अनुसूची का संशोधन

७. अनुसूची का संशोधन.—(१) संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा जोड़, फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेंगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित हो जाये तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति है ।

(२) ऐसी कोई विधि, जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में वर्णित है, इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी ।

SIXTH SCHEDULE¹

[Articles 244(2) and 275(1)]

Provisions as to the Administration of Tribal Areas in Assam

1. Autonomous districts and autonomous regions.—(1) Subject to the provisions of this paragraph, the tribal areas in each item of Part A of the table appended to paragraph 20 of this Schedule shall be an autonomous district.

(2) If there are different Scheduled Tribes in an autonomous district, the Governor may, by public notification, divide the area or areas inhabited by them into autonomous regions.

(3) The Governor may, by public notification,—

- (a) include any area in Part A of the said table,
- (b) exclude any area from Part A of the said table,
- (c) create a new autonomous district,
- (d) increase the area of any autonomous district,
- (e) diminish the area of any autonomous district,
- (f) unite two or more autonomous districts or parts thereof so as to form one autonomous district,
- (g) define the boundaries of any autonomous district :

Provided that no order shall be made by the Governor under clauses (c), (d), (e) and (f) of this sub-paragraph except after consideration of the report of a Commission appointed under sub-paragraph (1) of paragraph 14 of this Schedule.

2. Constitution of District Councils and Regional Councils.—(1) There shall be a District Council for each autonomous district consisting of not more than twenty-four members, of whom not less than three-fourths shall be elected on the basis of adult suffrage.

(2) There shall be a separate Regional Council for each area constituted an autonomous region under sub-paragraph (2) of paragraph 1 of this Schedule.

(3) Each District Council and each Regional Council shall be a body corporate by the name respectively of “the District Council of (*name of district*)” and “the Regional Council of (*name of region*)”, shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(4) Subject to the provisions of this Schedule, the administration of an autonomous district shall, in so far as it is not vested under this Schedule in any Regional Council within such district, be vested in the District Council for such district and the administration of an autonomous region shall be vested in the Regional Council for such region.

(5) In an autonomous district with Regional Councils, the District Council shall have only such powers with respect to the areas under the authority of the Regional Council as may be delegated to it by the Regional Council in addition to the powers conferred on it by this Schedule with respect to such areas.

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

षष्ठ अनुसूची

[अनुच्छेद २४४ (२) और २७५ (१)]

आसाम में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध

१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी क्षेत्र.—(१) इस कंडिका के उपबन्धों के अधीन रहते हुये इन अनुसूची की कंडिका (२०) में संलग्न सारणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति-क्षेत्रों का एक स्वायत्तशासी जिला होगा।

(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिमजातियां हैं तो राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा, इन से बने हुये क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा।

(३) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा—

(क) उक्त सारणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को डाल सकेगा,

(ख) उक्त सारणी के भाग (क) में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा,

(ग) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा ;

(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा,

(ङ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा,

(च) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उन के भागों को मिला कर एक स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा,

(छ) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमायें परिभाषित कर सकेगा,

परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही निकालेगा।

२. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये चौबीस से अनधिक सदस्यों की एक जिला-परिषद् होगी जिन में से तीन चौथाई से अन्वून सदस्य वयस्क मतदाधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे।

(२) इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (२) के अधीन स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पृथक् प्रादेशिक परिषद् होगी।

(३) प्रत्येक जिला-परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः "(जिला का नाम) की जिला-परिषद्" और "(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्" के नाम से निगम-निकाय होगी, उस का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से वह व्यवहार-वाद चलायेगी अथवा उस पर व्यवहार-वाद चलाया जायेगा।

(४) इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुये स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन ऐसे जिले की जिला-परिषद् में वहाँ तक निहित होगा जहां तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिषद् में इस अनुसूची के अधीन निहित नहीं है, तथा स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा।

(५) प्रादेशिक परिषद् वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के बारे में जिला-परिषद् की इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के बारे में दी गई शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां और होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद् प्रत्यायोजित करे।

^१जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी।

Sixth Schedule

(6) The Governor shall make rules for the first constitution of District Councils and Regional Councils in consultation with the existing tribal Councils or other representative tribal organisations within the autonomous districts or regions concerned and such rules shall provide for —

- (a) the composition of the District Councils and Regional Councils and the allocation of seats therein ;
- (b) the delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to those Councils ;
- (c) the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral rolls therefor ;
- (d) the qualifications for being elected at such elections as members of such Councils ;
- (e) the term of office of members of such Councils ;
- (f) any other matter relating to or connected with elections or nominations to such Councils ;
- (g) the procedure and the conduct of business in the District and Regional Councils ;
- (h) the appointment of officers and staff of the District and Regional Councils.

(7) The District or the Regional Council may after its first constitution make rules with regard to the matters specified in sub-paragraph (6) of this paragraph and may also make rules regulating—

- (a) the formation of subordinate local Councils or Boards and their procedure and the conduct of their business ; and
- (b) generally all matters relating to the transaction of business pertaining to the administration of the district or region, as the case may be :

Provided that until rules are made by the District or the Regional Council under this sub-paragraph the rules made by the Governor under sub-paragraph (6) of this paragraph shall have effect in respect of elections to, the officers and staff of, and the procedure and the conduct of business in, each such Council :

Provided further that the Deputy Commissioner or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, of the North Cachar and Mikir Hills shall be the Chairman *ex-officio* of the District Council in respect of the territories included in items 5 and 6 respectively of Part A of the table appended to paragraph 20 of this Schedule and shall have power for a period of six years after the first constitution of the District Council subject to the control of the Governor, to annual or modify any resolution or decision of the District Council or to issue such instructions to the District Council, as he may consider appropriate, and the District Council shall comply with every such instruction issued.

3. Powers of the District Councils and Regional Councils to make laws.

—(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas within the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district shall have power to make laws with respect to—

- (a) the allotment, occupation or use, or the setting apart, of land, other than any land which is a reserved forest, for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town :

षष्ठ अनुसूची

(६) राज्यपाल संबद्ध स्वायत्तशासी जिलों या प्रदेशों के अन्तर्गत वर्तमान आदिमजाति-परिषदों अथवा प्रतिनिधान रखने वाले अन्य आदिमजाति संघटनों में परामर्श कर के जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिये नियम बनायेगा तथा ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये उपबन्ध होंगे—

- (क) जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना तथा उन में स्थानों का बंटवारा ;
- (ख) उन परिषदों के लिये निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिभाषन ;
- (ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिये अर्हताएं तथा उन के लिये निर्वाचक नामावलिषों का तैयार कराना ;
- (घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसे परिषदों के सदस्य चुने जाने के लिये अर्हताएं ;
- (ङ) ऐसी परिषदों के सदस्यों की पदावधि ;
- (च) ऐसी परिषदों के लिये निर्वाचन या नामनिर्देशन में सम्बद्ध या संसक्त कोई अन्य विषय ;
- (छ) जिला और प्रादेशिक परिषदों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन ;
- (ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के पदाधिकारियों और कर्मचारी-बृन्द की नियुक्ति ।

(७) अपने प्रथम गठन के पश्चात् जिला या प्रादेशिक परिषद् इस कंडिका की उपकंडिका (६) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी, तथा—

- (क) निचली स्थानीय परिषदों या मंडलियों की रचना तथा उनकी प्रक्रिया और उनके कार्य-संचालन का, तथा
- (ख) यथास्थिति जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य-सम्पादन में सम्बद्ध समस्त साधारण विषयों का,

विनियमन करने वाले नियम भी बना सकेगी ।

परन्तु जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस उपकंडिका के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद् के लिये निर्वाचनों के, उसके पदाधिकारियों और कर्मचारी-बृन्द के तथा प्रक्रिया और कार्य-संचालन के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (६) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे ;

परन्तु यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका (२०) में संलग्न सारणी के भाग (क) में के क्रमशः पद ५ और ६ में के अन्तर्गत क्षेत्रों के बारे में उत्तर कच्छार और शिकर पहाड़ियों का यथास्थिति मंडलायुक्त या उपविभागीय पदाधिकारी पदेन जिला-परिषद् का सभापति होना, तथा जिला-परिषद् के प्रथम गठन के पश्चात् छत्रपति की कालावधि तक राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे, जिला-परिषद् के किसी संकल्प या निर्णय को रद्द या रूपभेद करने की अथवा जिला-परिषद् को, जैसा वह उचित समझे, वैसी हिदायतें देने की शक्ति होगी तथा जिला-परिषद् ऐसी ही हुई प्रत्येक हिदायत का अनुवर्तन करेगी ।

३. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के भीतर के सब क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर उस जिले के भीतर के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित विषयों के लिये विधियां बनाने की शक्ति होगी—

- (क) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि का, कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये अथवा निवास या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये, जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की उन्नति सम्भावनीय हो, बंटन, दखल या उपयोग अथवा अलग रखना ;

Sixth Schedule

Provided that nothing in such laws shall prevent the compulsory acquisition of any land, whether occupied or unoccupied, for public purposes by the Government of Assam in accordance with the law for the time being in force authorising such acquisition ;

- (b) the management of any forest not being a reserved forest ;
- (c) the use of any canal or water-course for the purpose of agriculture ;
- (d) the regulation of the practice of *jhum* or other forms of shifting cultivation ;
- (e) the establishment of village or town committees or councils and their powers ;
- (f) any other matter relating to village or town administration, including village or town police and public health and sanitation ;
- (g) the appointment or succession of Chiefs or Headmen ;
- (h) the inheritance of property ;
- (i) marriage ;
- (j) social customs.

(2) In this paragraph, a "reserved forest" means any area which is a reserved forest under the Assam Forest Regulation, 1891, or under any other law for the time being in force in the area in question.

(3) All laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.

4. Administration of justice in autonomous districts and autonomous regions.—(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of areas within the district other than those which are under the authority of the Regional Councils, if any, within the district may constitute village councils or courts for the trial of suits and cases between the parties all of whom belong to Scheduled Tribes within such areas, other than suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply, to the exclusion of any court in the State and may appoint suitable persons to be members of such village councils or presiding officers of such courts, and may also appoint such officers as may be necessary for the administration of the laws made under paragraph 3 of this Schedule.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the Regional Council for an autonomous region or any court constituted in that behalf by the Regional Council or, if in respect of any area within an autonomous district there is no Regional Council, the District Council for such district, or any court constituted in that behalf by the District Council, shall exercise the powers of a court of appeal in respect of all suits and cases triable by a village council or court constituted under sub-paragraph (1) of this paragraph within such region or area, as the case may be, other than those to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply, and no other court except the High Court and the Supreme Court shall have jurisdiction over such suits or cases.

(3) The High Court of Assam shall have and exercise such jurisdiction over the suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph apply as the Governor may from time to time by order specify.

(4) A Regional Council or District Council, as the case may be, may with the previous approval of the Governor make rules regulating—

- (a) the constitution of village councils and courts and the powers to be exercised by them under this paragraph ;

षष्ठ अनुसूची

परन्तु ऐसी विधियों की किसी बात से अनिवार्य अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार आसाम राज्य को, किसी भूमि के, चाहे वह दखल में हो या न हो, लोक-प्रयोजनाथ अनिवार्य अर्जन पर रूकावट न होगी,

- (ख) रक्षित वन न होने वाले किसी वन का प्रबन्ध ;
- (ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलधारा का उपयोग ;
- (घ) दूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों की स्थानान्तरणशील कृषि की प्रथा का विनियमन ;
- (ङ) ग्राम अथवा नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियाँ ;
- (च) ग्राम या नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिन के अन्तर्गत ग्राम या नगर आरक्षी और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी है ;
- (छ) प्रमूखों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार ;
- (ज) सम्पत्ति का दायभाग ;
- (झ) विवाह ;
- (ञ) सामाजिक रूढ़ियाँ ।

(२) इस कंडिका में "रक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो आसाम-वन-विनियम १=६१ के अधीन, अथवा प्रस्तास्पद क्षेत्र में किसी दूसरी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, रक्षित वन है ।

(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विधियाँ तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे प्रभावी न होगी ।

४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन.—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के बारे में, ऐसे व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण के लिये, जिन के सभी पक्ष ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित आदिमजातियों के ही हों तथा जो उन व्यवहार-वादों से भिन्न हैं जिन्हें इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध लागू होते हैं, उस राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जन कर के ग्राम-परिषद् या न्यायालय गठित कर सकेंगी तथा उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगी, तथा ऐसे पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेंगी, जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधीन बनाई हुई विधियों के प्रशासन के लिये आवश्यक हों ।

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् अथवा उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद न हो तो ऐसे जिले की जिला-परिषद् अथवा उस जिला-परिषद् द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों और मामलों को लागू होते हैं उनको छोड़ कर, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन यथास्थिति ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम-परिषद् अथवा न्यायालय द्वारा परीक्षणिय समस्त व्यवहार-वादों और मामलों में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ प्रयोग में लायेगा तथा उच्चन्यायालय और उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे व्यवहार-वादों अथवा मामलों में क्षेत्राधिकार न होगा ।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों और मामलों को लागू होते हैं उन पर आसाम का उच्चन्यायालय ऐसा क्षेत्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा जैसा कि समय समय पर राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे ।

(४) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से—

- (क) ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन प्रयोक्तव्य उनकी शक्तियों के ;

Sixth Schedule

- (b) the procedure to be followed by village councils or courts in the trial of suits and cases under sub-paragraph (1) of this paragraph ;
- (c) the procedure to be followed by the Regional or District Council or any court constituted by such Council in appeals and other proceedings under sub-paragraph (2) of this paragraph ;
- (d) the enforcement of decisions and orders of such Councils and courts ;
- (e) all other ancillary matters for the carrying out of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph.

5. Conferment of powers under the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898, on the Regional and District Councils and on certain courts and officers for the trial of certain suits, cases and offences.—(1) The Governor may, for the trial of suits or cases arising out of any law in force in any autonomous district or region being a law specified in that behalf by the Governor, or for the trial of offences punishable with death, transportation for life, or imprisonment for a term of not less than five years under the Indian Penal Code or under any other law for the time being applicable to such district or region, confer on the District Council or the Regional Council having authority over such district or region or on courts constituted by such District Council or on any officer appointed in that behalf by the Governor, such powers under the Code of Civil Procedure, 1908, or, as the case may be, the Code of Criminal Procedure, 1898, as he deems appropriate, and thereupon the said Council, court or officer shall try the suits, cases or offences in exercise of the powers so conferred.

(2) The Governor may withdraw or modify any of the powers conferred on a District Council, Regional Council, court or officer under sub-paragraph (1) of this paragraph.

(3) Save as expressly provided in this paragraph, the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898, shall not apply to the trial of any suits, cases or offences in an autonomous district or in any autonomous region to which the provisions of this paragraph apply.

6. Powers of the District Council to establish primary schools, etc.—

The District Council for an autonomous district may establish, construct, or manage primary schools, dispensaries, markets, cattle pounds, ferries, fisheries, roads and waterways in the district and, in particular, may prescribe the language and the manner in which primary education shall be imparted in the primary schools in the district.

7. District and Regional Funds.—(1) There shall be constituted for each autonomous district, a District Fund and for each autonomous region, a Regional Fund to which shall be credited all moneys received respectively by the District Council for that district and the Regional Council for that region in the course of the administration of such District or region as the case may be, in accordance with the provisions of this Constitution.

(2) Subject to the approval of the Governor, rules may be made by the District Council and by the Regional Council for the management of the District Fund or, as the case may be, the Regional Fund, and the rules so made may prescribe the procedure to be followed in respect of payment of money into the said Fund, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of moneys therein and any other matter connected with or ancillary to the matters aforesaid.

षष्ठ अनुसूची

- (क) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ,
- (ग) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ,
- (घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनियमों और आदेशों के परिपालन के ,
- (ङ) इस कंडिका की उपकंडिका (१) और (२) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के,

विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

५. कुछ वादों, मामलों और अपराधों के परीक्षण के लिये प्रादेशिक और जिला-परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और पदाधिकारियों को व्यवहार-प्रक्रिया संहिता १९०८ तथा दंड-प्रक्रिया संहिता १८६८ के अधीन शक्तियों का प्रदान—(१) राज्यपाल किसी स्वायत्तशासी जिले या प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि में, जिसका उल्लेख राज्यपाल ने उक्त लिये किया है, पदा हुए व्यवहार-वादों या मामलों के परीक्षण के लिये, अथवा भारतीय दंड-संहिता के अधीन अथवा ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कारागारों या पांच वर्ष से अत्यन्त अल्पकाल के लिये कारावास से दंडनीय अपराधों के परीक्षण के लिये ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का अथवा ऐसी जिला-परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा उस लिये नियुक्त किसी पदाधिकारी को यथास्थिति व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ के, या दंड-प्रक्रिया-संहिता १८६८ के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जैसा कि वह समूचित समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्, न्यायालय या पदाधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों का परीक्षण करेगा।

(२) राज्यपाल किसी जिला-परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या पदाधिकारी को इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी को वापस ले सकेगा या रूपभेद कर सकेगा।

(३) इस कंडिका में स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित दशा के अतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ और दंड-प्रक्रिया-संहिता १८६८ किसी स्वायत्तशासी जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में, जिसका इस कंडिका के उपबन्ध लागू होते हैं, किन्हीं व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों के परीक्षण में लागू न होगी।

६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद् की शक्ति—स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औपधालयों, बाजारों, कांजोहोस, नौघाट, मीन-क्षेत्र, सड़कों और जल-पथों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध कर सकेगी तथा विशेषतया जिले में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में और जिस रीति से दी जाये, इसका निर्धारण कर सकेगी।

७. जिला और प्रादेशिक निधियां—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-निधि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक निधि गठित की जायेगी जिसमें क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद् द्वारा तथा उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने में प्राप्त सब धनों को जमा किया जायेगा।

(२) यथास्थिति जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबन्ध के लिये जिला-परिषद् और प्रादेशिक परिषद् राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बना सकेगी तथा इस प्रकार बने हुए नियम, उक्त निधि में धन के डालने के, उसमें से धन को निकालने के, उस में धन की अभिरक्षा के, तथा उपरोक्त विषयों से संबन्धित या इनके सहायक किसी अन्य विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

*Sixth Schedule***8. Powers to assess and collect land revenue and to impose taxes.—**

(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all lands within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all lands within the district except those which are in the areas under the authority of Regional Councils, if any, within the district, shall have the power to assess and collect revenue in respect of such lands in accordance with the principles for the time being followed by the Government of Assam in assessing lands for the purpose of land revenue in the State of Assam generally.

(2) The Regional Council for an autonomous region in respect of areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas in the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district, shall have power to levy and collect taxes on lands and buildings, and tolls on persons resident within such areas.

(3) The District Council for an autonomous district shall have the power to levy and collect all or any of the following taxes within such district, that is to say—

- (a) taxes on professions, trades, callings and employments ;
- (b) taxes on animals, vehicles and boats ;
- (c) taxes on the entry of goods into a market for sale therein, and tolls on passengers and goods carried in ferries ; and
- (d) taxes for the maintenance of schools, dispensaries or roads.

(4) A Regional Council or District Council, as the case may be, may make regulations to provide for the levy and collection of any of the taxes specified in subparagraphs (2) and (3) of this paragraph.

9. Licences or leases for the purpose of prospecting for, or extraction of, minerals.—(1) Such share of the royalties accruing each year from licences or leases for the purpose of prospecting for, or the extraction of, minerals granted by the Government of Assam in respect of any area within an autonomous district as may be agreed upon between the Government of Assam and the District Councils of such district shall be made over to that District Council.

(2) If any dispute arises as to the share of such royalties to be made over to a District Council, it shall be referred to the Governor for determination and the amount determined by the Governor in his discretion shall be deemed to be the amount payable under sub-paragraph (1) of this paragraph to the District Council and the decision of the Governor shall be final.

10. Power of District Council to make regulations for the control of money-lending and trading by non-tribals.—(1) The District Council of an autonomous district may make regulations for the regulation and control of money-lending or trading within the district by persons other than Scheduled Tribes resident in the district.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

- (a) prescribe that no one except the holder of a licence issued in that behalf shall carry on the business of money-lending ;
- (b) prescribe the maximum rate of interest which may be charged or be recovered by a money-lender ;
- (c) provide for the maintenance of accounts by money-lenders and for the inspection of such accounts by officers appointed in that behalf by the District Council ;

षष्ठ अनुसूची

८. भू-राजस्व निर्धारित करने तथा संग्रह करने और कर-आरोपण की शक्ति.—(१) स्वायत्त-शासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत सब भूमियों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उसके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब भूमियों के बारे में, स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसी भूमियों के बारे में, उन मिद्धांतों के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण करने और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजनार्थ भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण किये जाते हैं।

(२) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को, ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलों में के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को, भूमि और इमारतों पर करों को, तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर पथ-कर को, उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी।

(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्न करों में से सबको या किसी को उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी, अर्थात्—

- (क) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर ;
- (ख) पशुओं, यानों और नावों पर कर ;
- (ग) किसी बाजार में दस्त दिवने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा नावों में जान वाले व्यक्तियों और वस्तुओं पर पथ-कर ;
- (घ) पाठशालाओं, औपधान्त्यों या सड़कों के बनावे रखने के लिये कर।

(४) इस कंडिका की उपकंडिका (२) और (३) में उल्लिखित करों में से किसी के उद्ग्रहण और संग्रह को उपबन्धित करने के लिये यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् विनियम बना सकती।

९. खनिजों के खोजने या निकालने के लिये अनुज्ञप्तियां या पट्टे.—(१) किसी स्वायत्तशासी जिला-स्तरीय प्रदेश के बारे में आसाम सरकार द्वारा खनिजों के खोजने या निकालने के लिये दी गई अनु-ज्ञप्तियों या पट्टों में प्रति धर्म प्रोत्सहन होने वाले स्थानों पर एक अथवा उन जिला-परिषद् को दे दिया जायेगा जैसा कि आसाम सरकार द्वारा ऐसे जिले की जिला-परिषद् के बीच करार पाये।

(२) जिला-परिषद् को दिये जाने वाले ऐसे स्वामिस्य के अर्थ के बारे में यदि कोई विवाद पैदा हो तो वह राज्यपाठ को निर्धारण के लिये सौंपा जायेगा तथा स्वधिक से राज्यपाठ द्वारा निर्धारित राशि इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन जिला-परिषद् को देय राशि समझी जायेगी तथा राज्यपाठ का विनिश्चय अन्तिम होगा।

१०. आदिमजातियों से भिन्न लोगों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिये जिला-परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति.—(१) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उसमें निवास करने वाली आदिम जातियों से भिन्न हैं, साहूकारी और व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिये विनियम बना सकती।

(२) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ऐसे विनि-यम—

- (क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति रखने वाले के अतिरिक्त और कोई साहू-कारी का काराबार न करेगा ;
- (ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या वसूल की जाने वाली ब्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे ;
- (ग) साहूकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिषदों द्वारा उस लिये नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखाओं के निरीक्षण का उपबन्ध कर सकेंगे ;

Sixth Schedule

- (d) prescribe that no person who is not a member of the Scheduled Tribes resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any commodity except under a licence issued in that behalf by the District Council :

Provided that no regulations may be made under this paragraph unless they are passed by a majority of not less than three-fourths of the total membership of the District Council :

Provided further that it shall not be competent under any such regulations to refuse the grant of a licence to a money-lender or a trader who has been carrying on business within the district since before the time of the making of such regulations.

- (3) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.

11. Publication of laws, rules and regulations made under the Schedule.—All laws, rules and regulations made under this Schedule by a District Council or a Regional Council shall be published forthwith in the Official Gazette of the State and shall on such publication have the force of law.

12. Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State to autonomous districts and autonomous regions.—(1) Notwithstanding anything in this Constitution—

- (a) no Act of the Legislature of the State in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the Legislature of the State prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to any autonomous district or autonomous region unless in either case the District Council for such district or having jurisdiction over such region by public notification so directs, and the District Council in giving such direction with respect to any Act may direct that the Act shall in its application to such district or region or any part thereof have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit ;

- (b) the Governor may, by public notification, direct that any Act of Parliament or of the Legislature of the State to which the provisions of clause (a) of this sub-paragraph do not apply shall not apply to an autonomous district or an autonomous region, or shall apply to such district or region or any part thereof subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification.

(2) Any direction given under sub-paragraph (1) of this paragraph may be given so as to have retrospective effect.

13. Estimated receipts and expenditure pertaining to autonomous districts to be shown separately in the annual financial statement.—The estimated receipts and expenditure pertaining to an autonomous district which are to be credited to, or is to be made from, the Consolidated Fund of the State of Assam shall be first placed before the District Council for discussion and then after such discussion be shown separately in the annual financial statement of the State to be laid before the Legislature of the State under article 202.

षष्ठ अनुसूची

(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास करने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का नहीं है, जिला-परिषद् द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति के बिना किसी वस्तु में धोक या फुटकर कारबार न करेगा।

परन्तु इस कंडिका के अधीन ऐसे विनियम तब तक न बन सकेंगे जब तक कि वे जिला-परिषद् की समस्त सदस्य संख्या के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत से पारित न किये जायें :

परन्तु यह और भी कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन वह क्षमता न होगी कि जो साहूकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उनको अनुज्ञप्ति देना अस्वीकृत कर दिया जाये।

(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उनको अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।

११. इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रकाशन.—जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई हुई सब विधिया, नियम और विनियम राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में तुरन्त प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधियम प्रभावी होंगे।

१२. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद् और राज्य के विधानमंडल के अधिनियमों का लागू होना.—(१) इस संविधान में किमी बात के होते हुए भी—

(क) राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे स्थितियों के बारे में है जिनको इस अनुसूची की कंडिका ३ में ऐसा विषय होना उल्लिखित किया गया है जिन के बारे में जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधि बना सकेंगी तथा राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनामृत मद्यनास्तिक पान के आयोग का प्रतिषेध या निबंधन करता है, किमी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश की तब तक लागू न होगा जब तक कि दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ऐसे जिले की, अथवा ऐसे प्रदेश पर अध्याधिकार रखने वाली, जिला-परिषद् लोक-अधिसूचना द्वारा उस प्रकार निदेश न दे तथा जिला-परिषद् किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने में यह निदेश भी दे सकेंगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उस के किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझे,

(ख) राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का अथवा राज्य के विधानमंडल का अधिनियम जिसे इस उपकंडिका के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होते किसी स्वायत्तशासी जिले या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश का लागू न होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश अथवा उस के किसी भाग को ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसे कि वह उस अधिसूचना में उल्लिखित करे।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि इसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो।

१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक-वित्त-विवरण में पथक दिखाया जाना.—स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय, जो आसाम राज्य की संवित्त निधि में जमा होनी, या से की जानी हैं, पहिले जिला-परिषद् के सामने चर्चा के लिये रखी जायेंगी तथा ऐसी चर्चा के पश्चात् इस संविधान के अनुच्छेद २०२ के अधीन राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक-वित्त-विवरण में पथक दिखाई जायेंगी।

Sixth Schedule

14. Appointment of Commission to inquire into and report on the administration of autonomous districts and autonomous regions.—(1) The Governor may at any time appoint a Commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts and autonomous regions in the State, including matters specified in clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-paragraph (3) of paragraph 1 of this Schedule, or may appoint a Commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the State generally and in particular on—

- (a) the provision of educational and medical facilities and communications in such districts and regions ;
- (b) the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions ; and
- (c) the administration of the laws, rules and regulations made by the District and Regional Councils ;

and define the procedure to be followed by such Commission.

(2) The report of every such Commission with the recommendations of the Governor with respect thereto shall be laid before the Legislature of the State by the Minister concerned together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon by the Government of Assam.

(3) In allocating the business of the Government of the State among his Ministers the Governor may place one of his Ministers specially in charge of the welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the State.

15. Annulment or suspension of acts and resolutions of District and Regional Councils.—(1) If at any time the Governor is satisfied that an act or resolution of a District or a Regional Council is likely to endanger the safety of India, he may annul or suspend such act or resolution and take such steps as he may consider necessary (including the suspension of the Council and the assumption to himself of all or any of the powers vested in or exercisable by the Council) to prevent the commission or continuance of such act, or the giving of effect to such resolution.

(2) Any order made by the Governor under sub-paragraph (1) of this paragraph together with the reasons therefore shall be laid before the Legislature of the State as soon as possible and the order shall, unless revoked by the Legislature of the State, continue in force for a period of twelve months from the date on which it was so made :

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such order is passed by the Legislature of the State, the order shall unless cancelled by the Governor continue in force for a further period of twelve months from the date on which under this paragraph it would otherwise have ceased to operate.

16. Dissolution of a District or a Regional Council.—The Governor may on the recommendation of a Commission appointed under paragraph 14 of this Schedule by public notification order the dissolution of a District or a Regional Council and—

- (a) direct that a fresh general election shall be held immediately for the re-constitution of the Council, or

षष्ठ अनुसूची

१४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति.—(१) राज्यपाल राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन से सम्बद्ध उसके द्वारा उल्लिखित किसी विषय की, जिसके अन्तर्गत इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (३) के खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित विषय भी हैं, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशेषतया—

- (क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं और संचार के उपबन्धों की,
- (ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के बारे में किसी नये या विशेष विधान की आवश्यकता की, तथा
- (ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रशासन की,

समय समय पर जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा तथा आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेगा।

(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्विषयक सिफारिशों के साथ सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक जापन के साथ राज्य के विधानमंडल के सामने रखेगा।

(३) शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांटते समय आसाम का राज्यपाल अपने मंत्रियों में से विशेषतया एक को राज्य के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के कल्याण का भार-साधक बना सकेगा।

१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का रद्द या निलम्बन करना—(१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के किसी काम या संकल्प से भारत के क्षेत्र का संकट में पड़ना संभाव्य है तो वह ऐसे काम या संकल्प को रद्द या निलम्बन कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत परिषद् का निलम्बन और परिषद् में निर्दिष्ट या उक्त में प्रयोज्य शक्तियों में से सब या किन्हीं को अपने हाथ में लेना भी है) कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से या चालू रखे जाने से अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावित किये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासम्भव शीघ्र रखा जायेगा तथा, यदि आदेश विधानमंडल द्वारा प्रतिसंहत न कर दिया गया हो तो वह उस प्रकार दिये जाने की तारीख से बारह मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु यदि, और जितनी बार, राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसे आदेश के चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारित होता है तो आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा प्रतिसंहत न कर दिया गया हो तो, उस तारीख से बारह मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवृत्त शून्य होता।

१६. जिला या प्रादेशिक परिषद् का विघटन.—इस अनुसूची की कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा किसी प्रादेशिक या जिला-परिषद् का विघटन कर सकेगा, तथा—

- (क) परिषद् के पुनर्गठन के लिये तुरन्त ही नया साधारण निर्वाचन करने के लिये निर्देश दे सकेगा, अथवा

Sixth Schedule

- (b) subject to the previous approval of the Legislature of the State assume the administration of the area under the authority of such Council himself or place the administration of such area under the Commission appointed under the said paragraph or any other body considered suitable by him for a period not exceeding twelve months :

Provided that when an order under clause (a) of this paragraph has been made, the Governor may take the action referred to in clause (b) of this paragraph with regard to the administration of the area in question pending the reconstitution of the Council on fresh general election :

Provided further that no action shall be taken under clause (b) of this paragraph without giving the District or the Regional Council, as the case may be, an opportunity of placing its views before the Legislature of the State.

17. Exclusion of areas from autonomous districts in forming constituencies in such districts.—For the purposes of elections to the Legislative Assembly of Assam, the Governor may by order declare that any area within an autonomous district shall not form part of any constituency to fill a seat or seats in the Assembly reserved for any such district but shall form part of a constituency to fill a seat or seats in the Assembly not so reserved to be specified in the order.

18. Application of the provisions of this Schedule to areas specified in Part B of the table appended to paragraph 20.—(1) The Governor may—

- (a) subject to the previous approval of the President, by public notification, apply all or any of the foregoing provisions of this Schedule to any tribal area specified in Part B of the table appended to paragraph 20 of this Schedule or any part of such area and thereupon such area or part shall be administered in accordance with such provisions, and

- (b) with like approval, by public notification, exclude from the said table any tribal area specified in Part B of that table or any part of such area.

(2) Until a notification is issued under sub-paragraph (1) of this paragraph in respect of any tribal area specified in Part B of the said table or any part of such area, the administration of such area or part thereof as the case may be, shall be carried on by the President through the Governor of Assam as his agent and the provisions of ¹[article 240] shall apply thereto as if such area or part thereof were a ²[Union territory specified in that article].

(3) In the discharge of his functions under sub-paragraph (2) of this paragraph as the agent of the President the Governor shall act in his discretion.

19. Transitional provisions—(1) As soon as possible after the commencement of this Constitution the Governor shall take steps for the constitution of a District Council for each autonomous district in the State under this Schedule and, until a District Council is so constituted for an autonomous district, the administration of such district shall be vested in the Governor and the following provisions shall apply to the administration of the areas within such district instead of the foregoing provisions of this Schedule, namely:—

- (a) no Act of Parliament or of the Legislature of the State shall apply to any such area unless the Governor by public notification so directs; and the Governor in giving such a direction with respect to any Act may direct that the Act shall, in its application to the area or to any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit;

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29, and Sch.

²Subs., *ibid.*, "for territory specified in part D of the First Schedule".

खण्ड अनुसूची

(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को राज्यपाल अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के ऐसे आयोग के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह समुपयुक्त समझता है हाथ में बारह से अधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा :

परन्तु जब इस कंडिका के खंड (क) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो तब राज्यपाल प्रशास्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में साधारण निर्वाचन होने पर परिषद् के पुनर्गठन के प्रश्न के सम्बन्धित रहने तक इस कंडिका के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यथास्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद् को, राज्य के विधानमंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर दिये बिना इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी ।

१७. स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने के हेतु ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन.—
आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या स्थानों के भरने के लिये किसी निर्वाचन क्षेत्र का भाग न होगा, किन्तु इस प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्थान या स्थानों के भरने के लिये आदेश में उल्लिखित निर्वाचनक्षेत्र का भाग होगा ।

१८. कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों पर इस अनुसूची के उप-बंधों का लागू होना.—(१) राज्यपाल—

(क) राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची के पूर्वगामी मंत्र अथवा किन्हीं उपबन्धों को कंडिका २० से संलग्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र को, अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को, लागू कर सकेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र का या भाग का प्रशासन ऐसे उपबन्धों के अनुसार होगा, तथा

(ख) ऐसे ही अनुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा, उक्त सारणी से उस सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को अपवर्जित कर सकेगा ।

(२) उक्त सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक यथास्थिति ऐसे क्षेत्र अथवा उसके भाग का प्रशासन राष्ट्रपति, आसाम के राज्यपाल द्वारा, जो उसके अभिकर्ता के रूप में होगा, करेगा तथा इस संविधान के [अनुच्छेद २४०] के उपबन्ध उसमें इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा क्षेत्र या उसका भाग [उस अनुच्छेद में उल्लिखित संघ राज्य-क्षेत्र है ।]

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करेगा ।

१९. अन्तर्कालीन उपबन्ध—(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र इस अनुसूची के अधीन राज्यपाल राज्य में के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद् के गठन के लिये अग्रसर होगा तथा जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद् इस प्रकार गठित न हो तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा तथा ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस अनुसूची में दिये पूर्वगामी उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) संसद का अथवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे, तथा किसी अधिनियम के बारे में राज्यपाल ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उसके किसी उल्लिखित भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों सहित लागू होगा जिनको वह उचित समझे;

^१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

^२ उपरोक्त के ही द्वारा "प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्यक्षेत्र है" के स्थान पर रखे गये ।

Sixth Schedule

(b) the Governor may make regulations for the peace and good government of any such area and any regulations so made may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to such area.

(2) Any direction given by the Governor under clause (a) of sub-paragraph 1) of this paragraph may be given so as to have retrospective effect.

(3) All regulations made under clause (b) of sub-paragraph (1) of this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

20. Tribal areas.—(1) The areas specified in Parts A and B of the table below shall be the tribal areas within the State of Assam.

(2) The United Khasi-Jaintia Hills District shall comprise the territories which before the commencement of this Constitution were known as the Khasi States and the Khasi and Jaintia Hills District, excluding any areas for the time being comprised within the cantonment and municipality of Shillong, but including so much of the area comprised within the municipality of Shillong, as formed part of the Khasi State of Mylliem :

Provided that for the purposes of clauses (e) and (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6, sub-paragraph (2), clauses (a), (b) and (d) of sub-paragraph (3) and sub-paragraph (4) of paragraph 8, and clause (d) of sub-paragraph (2) of paragraph 10 of this Schedule, no part of the area comprised within the municipality of Shillong shall be deemed to be within the District.

¹[(2A) The Mizo District shall comprise the area which at the commencement of this Constitution was known as the Lushai Hills District.]

²[(2B) The Naga Hills-Tuensang Area shall comprise the areas which at the commencement of this Constitution were known as the Naga Hills District and the Naga Tribal Area.]

(3) Any reference in the table below to any district (other than the United Khasi-Jaintia Hills District ¹ and the Mizo District) or administrative area ²[(other than the Naga Hills-Tuensang Area)] shall be construed as a reference to that district or area at the commencement of this Constitution :

Provided that the tribal areas specified in Part B of the table below shall not include any such areas in the plains as may, with the previous approval of the President, be notified by the Governor of Assam in that behalf.

TABLE

PART A

1. The United Khasi-Jaintia Hills District.
2. The Garo Hills District.
3. ³[The Mizo District.]
4. * * * * *
5. The North Cachar Hills.
6. The Mikir Hills.

¹Ins. by the Lushai Hills District (Change of Name) Act, 1954 (18 of 1954), s. 3.

²Ins. by the Naga Hills-Tuensang Area Act, 1957, Sec. 3.

³Subs., *ibid.*

* Omitted by the Naga Hills-Tuensang Area Act, 1957, Sec 3.

षष्ठ अनुसूची

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और मुशासन के लिये राज्यपाल विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विनियम ऐसे क्षेत्र में तत्समय लागू होने वाले संसद् के, अथवा उस राज्य के विधानमंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वर्तमान विधि को निरस्त या संशोधित कर सकेंगे ।

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (क) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिया हुआ कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकता है कि उस का भूतलक्षी प्रभाव भी हो ।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (ख) के अधीन निमित्त सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे ।

२०. आदिमजाति-क्षेत्र.—(१) निम्न सारणी के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति-क्षेत्र होंगे ।

(२) शिलोंग, कटक और नगर-क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट निम्नी क्षेत्रों को अपवर्जित कर के किन्तु शिलोंग के नगर-क्षेत्र के अन्दर समाविष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, सम्मिलित कर के खासी राज्य तथा खासी और जयंतिया पहाड़ी जिले के नाम से इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी जिला बनेगा :

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका (१) के खंड (ड) और (घ), कंडिका ४, कंडिका ५, कंडिका ६, कंडिका ८ की उपकंडिका (२), उपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ) और उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये शिलोंग के नगर-क्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षेत्र उस जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे ।

¹[(२क) मीजो जिले में वह क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ पर लुसाई पहाड़ी जिला के नाम से ज्ञात था ।]

²[(२ख) नागा पहाड़ी ल्युनसांग क्षेत्र में वे क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ पर नागा पहाड़ी जिला और नागा आदिमजाति क्षेत्र के नाम से ज्ञात थे]

(३) निम्न सारणी में (संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी जिले से अन्य) किसी जिले के या ²[(नागा पहाड़ी ल्युनसांग क्षेत्र से भिन्न)] प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा :

परन्तु निम्न सारणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति-क्षेत्रों के अन्तर्गत, संदानों में के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे ।

सारणी

भाग (क)

१. संयुक्त खासी-जयंतिया पहाड़ी जिला ।
२. गारो पहाड़ी जिला ।
३. ³[मीजो जिला]
४. * * * * *
५. उत्तरी कछार पहाड़ियां ।
६. मिकिर पहाड़ियां ।

¹लुसाई पहाड़ी जिले (नाम परिवर्तन) अधिनियम, १९५४, (१९५४ का १८) धारा ३ द्वारा अन्तः-स्थापित ।

नागा पहाड़ी ल्युनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७, धारा ३ द्वारा अन्तःस्थापित ।

³उपरोक्त के ही द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁴नागापहाड़ी ल्युनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७, धारा ३ द्वारा लप्त कर दिया गया ।

Sixth Schedule

PART B

1. North East Frontier Tract including Balipara Frontier Tract, Tirap Frontier Tract, Abor Hills District and Misimi Hills District.

2. The ¹[Naga Hills-Tuensang Area].

21. Amendment of the Schedule.—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.

¹Subs by the Naga Hills-Tuensang Area Act, 1957, Sec. 3, for "Naga Tribal Areas".

षष्ठ अनुसूची

भाग (ख)

१. उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिसके अन्तर्गत बालिपारा सीमान्त इलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला भी हैं।

२. ¹[नागा पहाड़ी त्युनसांग क्षेत्र]

२१. अनुसूची का संशोधन.—(१) संसद् समय समय पर विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन, या निरसन करके इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(२) कोई ऐसी विधि, जो इस कंडिका की उपकंडिका (१) में वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

¹नागा पहाड़ी त्युनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७ द्वारा ३ द्वारा "नागा प्रादिमजाति-क्षेत्र" के स्थान में रखे गये।

EVENTH SCHEDULE

[Article 246]

List I—Union List

1. Defence of India and every part thereof including preparation for defence and all such acts as may be conducive in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilisation.

2. Naval, military and air forces; any other armed forces of the Union.

3. Delimitation of cantonment areas, local self-government in such areas, the constitution and powers within such areas of cantonment authorities and the regulation of house accommodation (including the control of rents) in such areas.

4. Naval, military and air force works.

5. Arms, firearms, ammunition and explosives.

6. Atomic energy and mineral resources necessary for its production.

7. Industries declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defence or for the prosecution of war.

8. Central Bureau of Intelligence and Investigation.

9. Preventive detention for reasons connected with Defence, Foreign Affairs, or the security of India; persons subjected to such detention.

10. Foreign Affairs; all matters which bring the Union into relation with any foreign country.

11. Diplomatic, consular and trade representation.

12. United Nations Organisation.

13. Participation in international conferences, associations and other bodies and implementing of decisions made thereat.

14. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries.

15. War and peace.

16. Foreign jurisdiction.

17. Citizenship, naturalisation and aliens.

18. Extradition.

19. Admission into, and emigration and expulsion from, India; passports and visas.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, the following shall be substituted for entry 3—

“3. Administration of cantonments.”

²These items are not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २४६)

सूची १.—संघ-सूची

१. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सफलता पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों।

२. नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।

३. कटक-क्षेत्रों का पारसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किंगडोम का नियन्त्रण भी है)।

४. नौ, स्थल और विमान-बल की कर्मशालायें।

५. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपकरण और विस्फोटक।

६. अणुशक्ति तथा उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्।

७. संसद-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चलाने के लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग।

८. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।

९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कार्रवायों से निवारक निर्वाह; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।

१०. विदेशी कार्य; सब विषय जिनके द्वारा संघ का विन्नी विदेश से सम्बन्ध होता है।

११. राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।

१२. संयुक्त राष्ट्र-संघटन।

१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उनमें किये गये विनिश्चयों की अभिपूति।

१४. विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूति।

१५. युद्ध और शान्ति।

१६. विदेशीय क्षेत्राधिकार।

१७. नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय।

१८. प्रत्यर्पण।

१९. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन और निर्वाहन; पार-पत्र और दृष्टांक।

१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में प्रविष्टि ३ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्—

“३ कटकों का प्रशासन।”

२. ये मर्दे जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगी।

Seventh Schedule

20. Pilgrimages to places outside India.

21. Piracies and crimes committed on the high seas or in the air; offences against the law of nations committed on land or the high seas or in the air.

22. Railways.

23. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

24. Shipping and navigation on inland waterways, declared by Parliament by law to be national waterways, as regards mechanically propelled vessels; the rule of the road on such waterways.

25. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters; provision of education and training for the mercantile marine and regulation of such education and training provided by States and other agencies.

26. Lighthouses, including lightships, beacons and other provision for the safety of shipping and aircraft.

27. Ports declared by or under law made by Parliament or existing law to be major ports, including their delimitation, and the constitution and powers of port authorities therein.

28. Port quarantine, including hospitals connected therewith; seamen's and marine hospitals.

29. Airways; aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes; provision for aeronautical education and training and regulation of such education and training provided by States and other agencies.

30. Carriage of passengers and goods by railway, sea or air, or by national waterways in mechanically propelled vessels.

31. Posts and telegraphs; telephones, wireless, broadcasting and other like forms of communication.

32. Property of the Union and the revenue therefrom, but as regards property situated in a State ^{1*} * * * subject to legislation by the State, save in so far as Parliament by law otherwise provides.

2* * * * *

³34. Courts of wards for the estates of Rulers of Indian States.

35. Public debt of the Union.

36. Currency, coinage and legal tender; foreign exchange.

¹The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

*Entry 33 omitted by s. 26, *ibid.*

*Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

सप्तम अनुसूची

२०. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं ।

२१. महासमुद्र या वायु में की गई जलदस्युता और अपराध ; स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध ।

२२. रेल ।

२३. राज-पथ जिन्हें संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ घोषित किया गया है ।

२४. यंत्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल-पथों में नौ-वहन और नौ-परिवहन जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किये गये हैं; तथा ऐसे जल-पथों के पथ-नियम ।

२५. समुद्र-नौवहन और नौ-परिवहन जिसके अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन और नौ-परिवहन भी हैं; वणिक्-भौतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

२६. प्रकाशस्तम्भ, जिन के अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा नौवहन और विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी हैं ।

२७. वे पत्तन जिन को संसद्-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उनका परिमीमन तथा उनमें पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं ।

२८. पत्तन-निरोधा, जिसके अन्तर्गत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं; नाविक और नमूद्रीय चिकित्सालय ।

२९. वायु-पथ; विमान और विमान-परिवहन, विमान-क्षेत्रों का उपबन्ध; विमान-यात्रायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संघटन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

३०. रेल-पथ, समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय जल-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन ।

३१. डाक और तार; दूरभाष, वेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार ।

३२. संघ की सम्पत्ति और उससे उत्थित राजस्व किन्तु * * * किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए ।

३४. देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण ।

३५. संघ का लोक-ऋण ।

३६. चलार्थ, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनियम ।

१. 'प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित' शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये ।

२. प्रविष्टि ३३ उपरोक्त के ही द्वारा लुप्त कर दी गयी ।

. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

Seventh Schedule

37. Foreign loans.
38. Reserve Bank of India.
39. Post Office Savings Bank.
40. Lotteries organised by the Government of India or the Government of a State.
41. Trade and commerce with foreign countries; import and export across customs frontiers; definition of customs frontiers.
42. Inter-State trade and commerce.
43. Incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporations but not including co-operative societies.
44. Incorporation, regulation and winding up of corporations, whether trading or not, with objects not confined to one State, but not including universities.
45. Banking.
46. Bills of exchange, cheques, promissory notes and other like instruments.
47. Insurance.
48. Stock exchanges and futures markets.
49. Patents, inventions and designs; copyright; trade-marks and merchandise marks.
50. Establishment of standards of weight and measure.
51. Establishment of standards of quality for goods to be exported out of India or transported from one State to another.
52. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.
53. Regulation and development of oilfields and mineral-oil resources; petroleum and petroleum products; other liquids and substances declared by Parliament by law to be dangerously inflammable.
54. Regulation of mines and mineral development to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.
55. Regulation of labour and safety in mines and oilfields.
56. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, the words "trading corporations, including" in item 43 shall be omitted.

²Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

सप्तम अनुसूची

३७. विदेशी ऋण ।

३८. भारत का रक्षित बैंक ।

३९. डाकघर बचत बैंक ।

४०. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संप्रदित जाटगी ।

४१. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क सीमान्तों को पार करने वाले आयात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा ।

४२. अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

४३. व्यापारिक निगमों का, जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएँ नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन ।

४४. विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं, जिन के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन ।

४५. महाजनी ।

४६. विनियम-पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य विषयों ।

४७. बीमा ।

४८. श्रेष्ठ-चत्वर और वादा बाजार ।

४९. एकस्व; आविष्कार और रूपांकन; प्रतिनिध्याधिकार; व्यापार-चिन्ह और पण्य चिन्ह ।

५०. बाटों और मापों का मान स्थापन ।

५१. भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान स्थापन ।

५२. वे उद्योग जिनके लिये संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित के लिये उनपर संघ का नियन्त्रण इष्टकर है ।

५३. तेल-क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत्त का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; संसद् से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालामुखी घोषित अन्य तरल और द्रव्य ।

५४. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोकहित के लिये इष्टकर घोषित करे ।

५५. श्रम का विनियमन तथा खानों और तेल-क्षेत्रों में सुरक्षितता ।

५६. उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-तटों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोकहित के लिये इष्टकर घोषित करे ।

१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में प्रविष्टि ४३ के स्थान को निम्नलिखित प्रविष्टि रख दो जायेगी, अर्थात्—

“४३. महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगमों का निगमन, विनियमन और समापन किन्तु इनके अन्तर्गत सहकारी संस्थाएँ नहीं हैं।”

२. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

Seventh Schedule

57. Fishing and fisheries beyond territorial waters.

58. Manufacture, supply and distribution of salt by Union agencies; regulation and control of manufacture, supply and distribution of salt by other agencies.

59. Cultivation, manufacture, and sale for export, of opium.

60. Sanctioning of cinematograph films for exhibition.

61. Industrial disputes concerning Union employees.

62. The institutions known at the commencement of this Constitution as the National Library, the Indian Museum, the Imperial War Museum, the Victoria Memorial and the Indian War Memorial, and any other like institution financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

63. The institutions known at the commencement of this Constitution as the Benares Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University, and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

64. Institutions for scientific or technical education financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.

65. Union agencies and institutions for—

(a) professional, vocational or technical training, including the training of police officers; or

(b) the promotion of special studies or research; or

(c) scientific or technical assistance in the investigation or detection of crime.

66. Co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions.

67. Ancient and historical monuments and records, and archaeological sites and remains, [declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.

68. The Survey of India, the Geological, Botanical, Zoological and Anthropological Surveys of India; Meteorological organisations.

69. Census.

70. Union public services; all-India services; Union Public Service Commission.

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir, for entry 67, the following shall be substituted—

“67. Ancient and historical monuments, and archaeological sites and remains, declared by Parliament by law to be of national importance.”

³ Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for “declared by Parliament by law”.

सप्तम अनुसूची

५७. जलप्रापण से परे मच्छली पकड़ना और मीन-क्षेत्र ।

५८. संघ अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, भण्डारण और वितरण, अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, भण्डारण और वितरण का विनियमन और नियंत्रण ।

५९. अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय ।

६०. प्रदर्शन के लिये चल-चित्रों की संजूरी ।

६१. संघ के नाकरो से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद ।

६२. इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय मंत्रालय, साम्प्रदायिक बुद्ध-मठालय, विश्वविद्यालय-स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों से जान सम्बन्धित तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संघद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित ऐसी कोई अन्य तद्रूप संस्था ।

६३. इस संविधान के प्रारम्भ पर छापील शिल्प कियौ-कलाकर्म, अमीनाह मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से जान सम्बन्धित तथा संघद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था ।

६४. भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संघद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक वा जिनियक विज्ञान-संस्थान ।

६५. संघ-अभिकरण और संस्थाएँ जो—

- (क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिक्षण-प्रतिष्ठान, जिनके अन्तर्गत आरक्षित पदाधिकारियों का प्रतिष्ठान भी है, के लिये हैं; अथवा
- (ख) विशेष अर्थवस्तुओं की संवेचना की उत्पत्ति के लिये हैं; अथवा
- (ग) आरक्षण के अन्तर्धान या पदाधिकारियों में वैज्ञानिक या शिल्पिक महारता के लिये हैं ।

६६. उच्चतर शिक्षा या संवेचना की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं में एक-सूत्रता आना और सार्वतः वद निर्धारण ।

६७. [संघद् द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत या अफीम राष्ट्रीय महत्व के घोषित] प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्त्वों के स्थान और अवशेष ।

६८. भारतीय भूतन्त्रिया, भूतन्त्रीय, वास्तविक, तन्त्र-विद, प्राचीन परिभाष; अन्तरिक्ष-शास्त्रीय संस्थाएँ ।

६९. जनगणना ।

७०. संघ-वोतसंगण, अश्विन भारतीय मेधाएँ, संघ-वोतक निरा-प्रापण ।

१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

२. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में प्रस्ताव ६७ के अन्तर्गत पर विन्तर्निमित्त रख दी जायेगी अर्थात्—

“६७. संघद् द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्त्वों के स्थान, और अवशेष ।”

३. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २७ द्वारा “संघद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित” शब्दों के स्थान पर रखे गये ।

Seventh Schedule

71. Union pensions, that is to say, pensions payable by the Government of India or out of the Consolidated Fund of India.

72. Elections to Parliament, to the Legislatures of States and to the offices of President and Vice-President; the Election Commission.

73. Salaries and allowances of members of Parliament, the Chairman and Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People.

74. Powers, privileges and immunities of each House of Parliament and of the members and the committees of each House; enforcement of attendance of persons for giving evidence or producing documents before committees of Parliament or commissions appointed by Parliament.

75. Emoluments, allowances, privileges, and rights in respect of leave of absence, of the President and Governors; salaries and allowances of the Ministers for the Union; the salaries, allowances, and rights in respect of leave of absence and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General.

76. Audit of the accounts of the Union and of the States.

77. Constitution, organisation, jurisdiction and powers of the Supreme Court (including contempt of such Court), and the fees taken therein; persons entitled to practise before the Supreme Court.

78. Constitution and organisation of the High Courts except provisions as to officers and servants of High Courts; persons entitled to practise before the High Courts.

79. Extension of the jurisdiction of a High Court to, and exclusion of the jurisdiction of a High Court from, any Union territory.]

80. Extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to any area outside that State, but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated; extension of the powers and jurisdiction of members of a police force belonging to any State to railway areas outside that State.

81. Inter-State migration; inter-State quarantine.

82. Taxes on income other than agricultural income.

83. Duties of customs including export duties.

84. Duties of excise on tobacco and other goods manufactured or produced in India except—

(a) alcoholic liquors for human consumption;

¹In its application to the State of Jammu and Kashmir, reference to States shall not be construed as reference to that State.

²Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

³Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

⁴In its application to the State of Jammu and Kashmir, in item 81, the words "inter-State quarantine" shall be omitted.

सप्तम अनुसूची

७१. संघ-निवृत्ति-वेतन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन ।

७२. संसद् और राज्यों के विधान मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन; निर्वाचन-आयोग ।

७३. संसद् के सदस्यों, राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ।

७४. संसद् के प्रत्येक सदस्य की तथा प्रत्येक सदस्य के सदस्यों और समितियों की शक्तिय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, संसद् की समितियों अथवा संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना ।

७५. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार, संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा शर्तें ।

७६. संघ के और राज्यों के लेखाग्रों की लेखापरीक्षा ।

७७. उच्चतमन्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ (जिम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का अन्वय भी है) तथा उसमें ली जाने वाली फीसों; उच्चतमन्यायालय के मामले विधि-व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्ति ।

७८. उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवकों के बारे के उपबन्धों को छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन; उच्चन्यायालयों के मामले विधि-व्यवसाय करने का हक रखने वाले व्यक्ति ।

७९. [किसी संघ राज्य-क्षेत्र में या से किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार अथवा किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन ।]

८०. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्रमें बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के, जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसी राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार ।

८१. अन्तर्राज्यीय प्रव्रजन; अन्तर्राज्यीय निरोधा ।

८२. कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर ।

८३. सीमा-शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात-शुल्क भी है ।

८४. भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा—

(क) मानक उपभोग के मद्यभारिक पानों,

१. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में राज्यों के प्रति निर्देश का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह उस राज्य के प्रति निर्देश है ।

२. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

३. संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

४. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में मद ८१ में "अन्तर्राज्यीय निरोधा" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे ।

Seventh Schedule

(b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics, but including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.

85. Corporation tax.

86. Taxes on the capital value of the assets, exclusive of agricultural land, of individuals and companies ; taxes on the capital of companies.

87. Estate duty in respect of property other than agricultural land.

88. Duties in respect of succession to property other than agricultural land.

89. Terminal taxes on goods or passengers, carried by railway, sea or air ; taxes on railway fares and freights.

90. Taxes other than stamp duties on transactions in stock exchanges and futures markets.

91. Rates of stamp duty in respect of bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credit, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts.

92. Taxes on the sale or purchase of newspapers and on advertisements published therein.

¹[92A. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.]

93. Offences against laws with respect to any of the matters in this List.

94. Inquiries, surveys and statistics for the purpose of any of the matters in this List.

95. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List, admiralty jurisdiction.

96. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

²97. Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those Lists.

List II—State List

1. Public order (but not including the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power).

2. Police including railway and village police.

3. Administration of justice ; constitution and organisation of all courts except the Supreme Court and the High Court ; officers and servants of the High Court ; procedure in rent and revenue courts ; fees taken in all courts except the Supreme Court.

4. Prisons, reformatories, Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein ; arrangements with other States for the use of prisons and other institutions.

¹Ins. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 2.

²Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

सप्तम अनुसूची

(ख) अफीम, भांग और अन्य पित्तक लाने वाली श्रौषधियों तथा स्वापकों,

को छोड़ कर, किन्तु ऐसी श्रौषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत करके, जिनमें कि मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क ।

८५. निगम-कर ।

८६. व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उसके मूलधन-मूल्य पर कर, समवायों के मूल-धन पर कर ।

८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क ।

८८. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क ।

८९. रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जनभाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर ।

९०. मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों पर कर ।

९१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रथय-पत्रों, बीमा-पत्रों, श्रंशों के हस्तांतरण, ऋण-पत्रों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के संबंध में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की पर ।

९२. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर ।

[१९२क. समाचारपत्रों में भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस मूल्य में कर जिसमें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्जायिक व्यापार या वाणिज्य की चर्चा में हो,]

९३. इस सूची के विषयों में से सम्बद्ध विधियों के विकट्ट अपराध ।

९४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, परिभाषा और सांख्यिकी ।

९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के संबंध में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ, नावधिकरण-क्षेत्राधिकार ।

९६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीस ।

^२ ९७. सूची (२) या (३) में से किसी में अवर्णित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय ।

सूची २—राज्यसूची

१. सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु अमैत्रिक शक्ति की सहायता के लिये संघ के नी, स्थल या विमान बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करने हुए) ।

२. आरक्षी, जिसके अन्तर्गत रेल या और ग्राम आरक्षी भी हैं ।

३. न्याय-प्रशासन, उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का गठन और संघठन, उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक, भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया, उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें ।

४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और नद्रूप अन्य संस्थायें और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध ।

१. संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा अन्तस्थापित ।

२. जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

Seventh Schedule

5. Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration.
6. Public health and sanitation; hospitals and dispensaries.
7. Pilgrimages, other than pilgrimages to places outside India.
8. Intoxicating liquors, that is to say, the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors.
9. Relief of the disabled and unemployable.
10. Burials and burial grounds; cremations and cremation grounds.
11. Education including universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III.
12. Libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the State; ancient and historical monuments and records other than those [declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.
13. Communications, that is to say, roads, bridges, ferries, and other means of communication not specified in List I; municipal tramways, ropeways; inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III with regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled vehicles.
14. Agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases.
15. Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice.
16. Pounds and the prevention of cattle trespass.
17. Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I.
18. Land, that is to say, rights in or over land, land tenures including the relation of landlord and tenant, and the collection of rents; transfer and alienation of agricultural land; land improvement and agricultural loans; colonization.
19. Forests.
20. Protection of wild animals and birds.
21. Fisheries.
22. Courts of wards subject to the provisions of entry 34 of List I; encumbered and attached estates.
23. Regulation of mines and mineral development subject to the provisions of List I with respect to regulation and development under the control of the Union.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by parliament by law".

सप्तम अनुसूची

५. स्थानीय शासन अर्थात् नगर-नियम, सुधार-प्रन्थाम, जिला-मंडलों, खनिज-वसात प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ ।

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय और औषधालय ।

७. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएँ ।

८. मादक पानों अर्थात् मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय ।

९. अंगहिनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों का महायत्न ।

१०. शव गाड़ना और कब्रस्थान; शव दाह और दमशान ।

११. सूची १ की प्रविष्टियों ६२, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि-२५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं ।

१२. राज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थानों [संसद् द्वारा निमित्त विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित] में भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख ।

१३. संचार अर्थात् सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित संचार के अन्य साधन, ट्राम-पथ, रज्जुपथ, अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर यातायात, जैसों जल-पथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संचालित यानों को छोड़ कर अन्य यान ।

१४. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों में रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारण भी है ।

१५. पशु के नस्ल का परिष्करण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण, शाखिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय ।

१६. पश्वरोध और पशुओं के अतिचार का निवारण ।

१७. सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल, अर्थात् जल सम्भरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध, जल-संग्रह और जल-शक्ति ।

१८. भूमि, अर्थात्, भूमि में या पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भूस्वामी और किमानों का संबंध भी है, तथा भाटक का संग्रहण कृषि भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रमण, भूमि-सुधार और कृषि संबंधी उधार, उपनिवेशण ।

१९. वन ।

२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा ।

२१. मीन-क्षेत्र ।

२२. सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रति पालक अधिकारण, भार-प्रस्त और कुकें सम्पदायें ।

२३. संघ के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खानों का विनियमन और खनिजों का विकास ।

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २७ द्वारा "संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित" के स्थान पर रखे गये ।

Seventh Schedule

24. Industries subject to the provisions of ¹[entries 7 and 52] of List I.
25. Gas and gas-works.
26. Trade and commerce within the State subject to the provisions of entry 33 of List III.
27. Production, supply and distribution of goods subject to the provisions of entry 33 of List III.
28. Markets and fairs.
29. Weights and measures except establishment of standards.
30. Money-lending and money-lenders ; relief of agricultural indebtedness.
31. Inns and inn-keepers.
32. Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and universities, unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies.
33. Theatres and dramatic performances; cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I, sports, entertainments and amusements.
34. Betting and gambling.
35. Works, lands and buildings vested in or in the possession of the State.
- 2* * * * * * *
37. Elections to the Legislature of the State subject to the provisions of any law made by Parliament.
38. Salaries and allowances of members of the Legislature of the State, of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, if there is a Legislative Council, of the Chairman and Deputy Chairman thereof.
39. Powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof, and, if there is a Legislative Council, of that Council and of the members and the committees thereof ; enforcement of attendance of persons for giving, evidence or producing documents before committees of the Legislature of the State.
40. Salaries and allowances of Ministers for the State.
41. State public services ; State Public Service Commission.
42. State pensions, that is to say, pensions payable by the State or out of the Consolidated Fund of the State.
43. Public debt of the State.
44. Treasure trove.
45. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights, and alienation of revenues.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 28, for "entry 52".

*Entry 36 omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 26.

सप्तम अनुसूची

२४. सूची १ की ^१[प्रविष्टि ७ और ५२] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग ।
२५. गैस, गैस-कर्मशालायें ।
२६. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य ।
२७. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन, संभरण और वितरण ।
२८. बाजार और मेले ।
२९. मान स्थापन को छोड़ कर बाट और माप ।
३०. साहूकारी और साहूकार; कृषिकृषिणा का उद्धार ।
३१. पान्थशाला और पान्थशालापाल ।
३२. सूची १ में उल्लिखित निगमों में भिन्न निगमों का और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य अनिर्गमित समाजों और संस्थायें; सहाकारी समाजें ।
३३. नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्र, क्रीडा, आसवाद और विनोद ।
३४. पण लगाना और जूआ ।
३५. राज्य में निहित या उसके स्ववश में की कर्मशालाएं, भूमि और भवन ।
३७. रांगद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल के लिये निर्वाचित ।
३८. राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद् है तो, उस के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।
३९. विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान-परिषद् हो तो उस परिषद्, और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उपाक्तियां, राज्य के विधानमंडल की समितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना ।
४०. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते ।
४१. राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवा-आयोग ।
४२. राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की मंचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन ।
४३. राज्य का लोक-ऋण ।
४४. निखात निधि ।
४५. भूराजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों के लिये परिमाण और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है ।

^१.संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २८ द्वारा "प्रविष्टि ५२" के स्थान पर रखे गये ।

^२.प्रविष्टि ३६ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २६ द्वारा लुप्त कर दी गयी ।

Seventh Schedule

46. Taxes on agricultural income.
47. Duties in respect of succession to agricultural land.
48. Estate duty in respect of agricultural land.
49. Taxes on lands and buildings.
50. Taxes on mineral rights subject to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development.
51. Duties of excise on the following goods manufactured or produced in the State and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India :—
- (a) alcoholic liquors for human consumption ;
- (b) opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics ;
- but not including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance included in sub-paragraph (b) of this entry.
52. Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.
53. Taxes on the consumption or sale of electricity.
- ¹[54. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, subject to the provisions of entry 92A of list I.]
55. Taxes on advertisements other than advertisements published in the newspapers.
56. Taxes on goods and passengers carried by road or on inland waterways.
57. Taxes on vehicles, whether mechanically propelled or not, suitable for use on roads, including tramcars subject to the provisions of entry 35 of List III.
58. Taxes on animals and boats.
59. Tolls.
60. Taxes on professions, trades, callings and employments.
61. Capitation taxes.
62. Taxes on luxuries, including taxes on entertainments, amusements, betting and gambling.
63. Rates of stamp duty in respect of documents other than those specified in the provisions of List I with regard to rates of stamp duty.
64. Offences against laws with respect to any of the matters in this list.
65. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.
66. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

¹Subs. by the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956, s. 2, for the original entry 54.

सप्तम अनुसूची

४६. कृषि-प्राय पर कर ।

४७. कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क ।

४८. कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क ।

४९. भूमि और भवनों पर कर ।

५०. संसद् में, विधि द्वारा, खनिज-विक्रम के संबंध में लगाई गई परिमीमात्रों के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर ।

५१. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से प्रतिशुल्क—

(क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान ;

(ख) अफीम, भांग और अन्य पितक लाने वाली औषधियाँ और स्वापक किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिनमें मद्यसार अथवा इस प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो ।

५२. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर ।

५३. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर ।

१. [५४. सूची १ की प्रविष्टि ६२क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर ।]

५५. समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर ।

५६. मड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर ।

५७. मड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों या न हों तथा जिन के सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रासगाडियाँ भी अन्तर्गत हैं, कर ।

५८. पशुओं और नौकाओं पर कर ।

५९. पथ-कर ।

६०. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर ।

६१. प्रतिव्यक्ति-कर ।

६२. विलास वस्तुओं पर कर, जिन के अन्तर्गत आमोद, किनोद, पण लगाने और जुआ खेलेने पर भी कर हैं ।

६३. मुद्रांक-शुल्क की दरों के संबंध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर ।

६४. इस सूची में के विषयों में से किसी से संबद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध ।

६५. इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ ।

६६. किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीस ।

१.संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २ द्वारा मूल प्रविष्टि ५४ के स्थान पर रखी गयी ।

*Seventh Schedule***List III—Concurrent List¹**

1. Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power.

2. Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of this Constitution.

3. Preventive detention for reasons connected, with the security of a State the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention.

4. Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention for reasons specified in entry 3 of this List.

5. Marriage and Divorce; infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceedings were immediately before the commencement of this Constitution subject to their personal law.

6. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.

7. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage, and other special forms of contracts, but not including contracts relating to agricultural land.

8. Actionable wrongs.

9. Bankruptcy and insolvency.

10. Trust and Trustees.

11. Administrators-general and official trustees.

12. Evidence and oaths; recognition of laws, public acts and records, and judicial proceedings.

13. Civil procedure, including all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of this Constitution, limitation and arbitration.

14. Contempt of court, but not including contempt of the Supreme Court.

15. Vagrancy, nomadic and migratory tribes.

16. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient.

17. Prevention of cruelty to animals.

18. Adulteration of foodstuffs and other goods.

19. Drugs and poisons, subject to the provisions of entry 59 of List I with respect to opium.

20. Economic and social planning.

21. Commercial and industrial monopolies, combines and trusts.

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

सप्तम अनुसूची

सूची ३.—समवर्ती सूची^१

१. दंड-विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड-संहिता के अन्तर्गत रहे किन्तु सूची १ या सूची ७ में उल्लिखित विषयों में या किसी में सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा अमेरिक शक्ति की सहायताार्थ नौ, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर ।

२. दंड-प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं ।

३. राज्य की सुरक्षा से, भावजनिक व्यवस्था बनाये रखने में अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने में संसदा कार्यों के लिये निवारक निरोध ; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति ।

४. कैदियों, अभिसक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य की हटाया जाना ।

५. विवाह और विवाह-विच्छेद ; विधवा और शब्यसक ; दत्तक-ग्रहण ; इच्छापत्र, इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार ; अभिव्रत कटुम्ब और विभाजन ; वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में स्थानिक कार्य-वाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले अपनी स्वयं विधि के अधीन थे ।

६. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तांतरण ; निरोधों और दस्तावेजों का पंजीयन ।

७. न्यायाद जिनके अन्तर्गत भागिनत, अभिकरण, परिशुद्ध-पर्यवेक्षण और अन्य विषय प्रकार की न्यायादें भी हैं किन्तु कृषि-भूमि संबंधी न्यायादें नहीं हैं ।

८. अभियोज्य ढोप ।

९. दिवाला और प्राधाधमता ।

१०. न्यास और न्यामी ।

११. महाप्रयामक और राजन्यायी ।

१२. नाक्षय और अपथे ; विधियों, मातृजनित्तु कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान ।

१३. व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत रहे, परिसीमा और मध्यस्थ-विधि ।

१४. न्यायालय-संयमान, किन्तु जिनके अन्तर्गत उत्तराध्यापन याद का अन्तर्गत नहीं है ।

१५. आहिण्डत, अस्थिरकारी और प्रजाजी आदिमजायित ।

१६. उन्माद और मनोवैकल्य जिसके अन्तर्गत उन्मादों और मनोवैकल्यों के रखने या उद्धार के स्थान भी हैं ।

१७. पदार्थों के प्रति निर्दोषता का निवारण ।

१८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपभ्रंश ।

१९. अन्तीम विपयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए अंतर्गत और विधि ।

२०. आर्थिक और सामाजिक योजना ।

२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गूट्ट और न्यास ।

^१ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

*Seventh Schedule***List III—Concurrent List¹**

1. Criminal law, including all matters included in the Indian Penal Code at the commencement of this Constitution but excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I or List II and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power.
2. Criminal procedure, including all matters included in the Code of Criminal Procedure at the commencement of this Constitution.
3. Preventive detention for reasons connected, with the security of a State the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the community; persons subjected to such detention.
4. Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention for reasons specified in entry 3 of this List.
5. Marriage and Divorce; infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family and partition; all matters in respect of which parties in judicial proceeding were immediately before the commencement of this Constitution subject to their personal law.
6. Transfer of property other than agricultural land; registration of deeds and documents.
7. Contracts, including partnership, agency, contracts of carriage, and other special forms of contracts, but not including contracts relating to agricultural land.
8. Actionable wrongs.
9. Bankruptcy and insolvency.
10. Trust and Trustees.
11. Administrators-general and official trustees.
12. Evidence and oaths; recognition of laws, public acts and records, and judicial proceedings.
13. Civil procedure, including all matters included in the Code of Civil Procedure at the commencement of this Constitution, limitation and arbitration.
14. Contempt of court, but not including contempt of the Supreme Court.
15. Vagrancy, nomadic and migratory tribes.
16. Lunacy and mental deficiency, including places for the reception or treatment of lunatics and mental deficient.
17. Prevention of cruelty to animals.
18. Adulteration of foodstuffs and other goods.
19. Drugs and poisons, subject to the provisions of entry 59 of List I with respect to opium.
20. Economic and social planning.
21. Commercial and industrial monopolies, combines and trusts.

¹Not applicable to the State of Jammu and Kashmir.

सप्तम अनुसूची

सूची ३.—समवर्ती सूची^१

१. वंड-विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय वंड-संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विच्छेद अपराधों को छोड़ कर तथा अमेरिकी शक्ति की सहायतायें नौ, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर ।

२. वंड-प्रक्रिया जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर वंड प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं ।

३. राज्य की सुरक्षा में, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में अथवा समुदाय के किये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने में संसदन कारणों के लिये निवारक निर्देश ; ऐसे निश्चल व्यक्ति ।

४. कर्दियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ।

५. विवाह और विवाह-विच्छेद ; विदा और अवयस्क ; दण्ड-ग्रहण ; इच्छापत्र, इच्छापत्रहीनत्व और उत्तगधिवार ; अभिवृत्त कटुम्भ और विभाजन ; वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्य-वाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से एक पक्षिक अर्पनी स्थाय विधि के अधीन थे ।

६. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण ; निवास और सम्पत्तियों का पंजीयन ।

७. संविदा जिन के अन्तर्गत भागिना, अभिवरण, परिष्कार-नीति और अन्य विधाय प्रकार की संविदायें भी हैं किन्तु कृषि-भूमि संबंधी संविदायें नहीं हैं ।

८. अभियोज्य दण्ड ।

९. विधाना और अध्यात्मता ।

१०. न्यास और न्यायी ।

११. महाप्रधामक और राजन्वामी ।

१२. माध्य और अपथे ; विधियों, नावजनिक कर्तव्य और अभियेयों और न्यायिक कार्यवाहियों का अभिजात ।

१३. व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिशीलन और सम्बन्ध विषय ।

१४. न्यायालय-अवसान, किन्तु जिनके अन्तर्गत इच्छापत्र-अवसान का आचार नहीं है ।

१५. आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रवासी आदिमजातियाँ ।

१६. उन्माद और मनोविकल्प जिसके अन्तर्गत उन्मत्तों और मनोविकल्पों को रखने या उखाड़ने के स्थान भी हैं ।

१७. परतुओं के प्रति निर्दयता का निवारण ।

१८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अर्पणिक्रम ।

१९. अग्रिम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५३ में के उपसर्गों के अर्पण रखने हुए अंगण और विष ।

२०. आर्थिक और सामाजिक योजना ।

२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकत्व, गुट्ट और न्याय ।

^१ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होगी ।

Seventh Schedule

22. Trade Unions; industrial and labour disputes.
23. Social security and social insurance; employment and unemployment.
24. Welfare of labour including conditions of work, provident funds, employers' liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions and maternity benefits.
25. Vocational and technical training of labour.
26. Legal, medical and other professions.
27. Relief and rehabilitations of persons displaced from their original place of residence by reason of the setting up of the Dominions of India and Pakistan.
28. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowment and religious institutions.
29. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants.
30. Vital statistics including registration of births and deaths.
31. Ports other than those declared by or under law made by Parliament or existing law to be major ports.
- * 32. Shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels, and the rule of the road on such waterways, and the carriage of passengers and goods on inland waterways subject to the provisions of List I with respect to national waterways.
- ¹[33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—
 - (a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products ;
 - (b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils ;
 - (c) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates ;
 - (d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed ; and
 - (e) raw jute.]
34. Price control.
35. Mechanically propelled vehicles including the principles on which taxes on such vehicles are to be levied.
36. Factories.
37. Boilers.
38. Electricity.
39. Newspapers, books and printing presses.

¹Subs. by the Constitution (Third Amendment) Act, 1954

सप्तम अनुसूची

२२. व्यापार-संध ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद ।

२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ; नौकरी और बेकारी ।

२४. श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निधि, नियोजक-दायित्व, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति-वेतन और प्रसूति-सुविधायें भी हैं ।

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण ।

२६. विधि-वृत्तियां, वैद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां ।

२७. भारत और पाकिस्तान की होमीनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास ।

२८. पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिक संस्थाएं ।

२९. मानवों, पशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रमिक और सांसारिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण ।

३०. जीवन संबंधी सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी है ।

३१. संसद्-निमित्त विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित पत्तनों में भिन्न पत्तन ।

३२. राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यंत्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन और नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा अन्तर्देशीय जल-पथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन ।

१. [३३. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का मंजूर द्वारा नियंत्रण लोक हित में इष्टकर घोषित किया गया है वहां उस उद्योग में के उत्पादों में, और उसी प्रकार के आयात किये गये मालों का ऐसे उत्पादों के रूप में,

(ख) खाद्य पदार्थों का, जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी हैं,

(ग) ढोरों के चारे का, जिनके अन्तर्गत खली और अन्य शारकृत चारे हैं,

(घ) कच्ची रुई का, चाहे धुनी हुई हो या बिना धुनी हुई हो और बिनौले का, और

(ङ) कच्चे पटसन का,

व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, संभरण और वितरण ।]

३४. मूल्य-नियंत्रण ।

३५. यंत्र-चालित यान जिनके अन्तर्गत वे सिद्धांत भी हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है ।

३६. कारखाने ।

३७. वाष्पयंत्र ।

३८. विद्युत ।

३९. समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय ।

१. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा प्रतिस्थापित ।

Seventh Schedule

40. Archaeological sites and remains other than those ¹[declared by or under law made by Parliament] to be of national importance.
41. Custody, management and disposal of property (including agricultural land) declared by law to be evacuee property.
- ²[42. Acquisition and requisitioning of property.]
43. Recovery in a State of claims in respect of taxes and other public demands, including arrears of land-revenue and sums recoverable as such arrears arising outside that State.
44. Stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps, but not including rates of stamp duty.
45. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters specified in List II or List III.
46. Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List.
47. Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court.

¹Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 27, for "declared by Parliament by law".

²Subs. for the original entry 42 by s. 26, *ibid.*

सप्तम अनुसूची

४०. ^१. [संसद् द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित] से भिन्न पुरातत्व संबंधी स्थान और अवशेष ।

४१. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन ।

^२[४२. सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण ।]

४३. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभि-याचनाओं की, जिस के अन्तर्गत भूराजस्व की बकाया और इस प्रकार वमूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली ।

४४. न्यायिक मुद्राओं द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य मुद्रांक शुल्क, किन्तु इस के अन्तर्गत मुद्रांक-शुल्क की दरें नहीं हैं ।

४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्य की।

४६. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां ।

४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसों किन्तु इन के अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों नहीं हैं ।

^१ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २७ द्वारा "संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित" के स्थान पर रखे गये ।

^२ उपरोक्त की ही धारा २६ द्वारा मूल प्रविष्टि ४२ के स्थान पर रखी गयी ।

EIGHTH SCHEDULE

[Articles 344 (1) and 351]

Languages

1. Assamese.
2. Bengali.
3. Gujarati.
4. Hindi.
5. Kannada.
6. Kashmiri.
7. Malayalam.
8. Marathi.
9. Oriya
10. Punjabi.
11. Sanskrit.
12. Tami .
13. Telugu.
14. Urdu.

अष्टम अनुसूची

[अनुच्छेद ३४४ (१) और ३५१]

भाषाएं

१. असमिया
२. उड़िया
३. उर्दू
४. कन्नड़
५. कश्मीरी
६. गुजराती
७. तामिल
८. तेलुगु
९. पंजाबी
१०. बंगला
११. मराठी
१२. मलयालम
१३. संस्कृत
१४. हिन्दी

NINTH SCHEDULE

[Article 31 B]

1. The Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950).
2. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 (Bombay Act LXVII of 1948).
3. The Bombay Maleki Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXI of 1949).
4. The Bombay Taluqdari Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXII of 1949).
5. The Panch Mahajs Mehwassi Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXIII of 1949).
6. The Bombay Khoti Abolition Act, 1950 (Bombay Act VI of 1950).
7. The Bombay Paragana and Kulkarni Watan Abolition Act, 1950 (Bombay Act LX of 1950).
8. The Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights (Estates, Mahals, Alienated Lands) Act, 1950 (Madhya Pradesh Act I of 1951).
9. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1948 (Madras Act XXVI of 1948).
10. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari Amendment Act, 1950 (Madras Act I of 1950).
11. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act I of 1951).
12. The Hyderabad (Abolition of Jagirs) Regulation, 1358 F. (No. LXIX of 1358, Fasli).
13. The Hyderabad Jagirs (Commutation) Regulation, 1359 F. (No. XXV of 1359 Fasli).²
- ³[14. The Bihar Displaced Persons Rehabilitation (Acquisition of Land) Act, 1950 (Bihar Act XXXVIII of 1950).

¹Added by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 14.

²In its application to the State of Jammu and Kashmir the following entries shall be added:—

“14. The Jammu and Kashmir Big Landed Estates Abolition Act (No. XVII of 2007).

15. The Jammu and Kashmir Restitution of Mortgaged Properties Act (No. XVI of 2006).

16. The Jammu and Kashmir Tenancy Act (No. II of 1980).

17. The Jammu and Kashmir Distressed Debtors Relief Act (No. XVII of 2006).

18. The Jammu and Kashmir Alienation of Land Act (No. V of 1995).

19. Order No. 6-H of 1951, dated 10th March, 1951 regarding Resumption of Jagirs and other assignments of Land Revenue, etc.

20. The Jammu and Kashmir State Kuth Act (No. I of 1978).”

³Added by the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, s. 5.

नवम् अनुसूची

[अनुच्छेद ३१ ख]

१. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० (१९५० का बिहार अधिनियम ३०) ।
२. मुम्बई आयोग और कृषिक. भूमि अधिनियम, १९४८ (१९४८ का मुम्बई अधिनियम ६७) ।
३. मुम्बई मालिकी धृति उत्पादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६१) ।
४. मुम्बई तालुकदारी धृति उत्पादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६२) ।
५. पंच महाल मेहवासी धृति उत्पादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६३) ।
६. मुम्बई खोति उत्पादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६) ।
७. मुम्बई परगना और कुलकर्णी बतन उत्पादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६०) ।
८. मध्य प्रदेश स्वामित्वाधिकारों (मालिकाना हकों) (इलाकों, महालों, दुमाला भूमियों) के अन्त करने का अधिनियम, १९५० (१९५१ का मध्य प्रदेश अधिनियम १) ।
९. मद्रास सम्पदा (उत्पादन और रय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का मद्रास अधिनियम २६) ।
१०. मद्रास सम्पदा (उत्पादन और रय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, १९५० (१९५० का मद्रास अधिनियम १) ।
११. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (१९५१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम १) ।
१२. हैदराबाद (जागीरों का उत्पादन) विनियम, १३५८ च (फसली १३५८ का नं० ६९) ।
१३. हैदराबाद जागीर (लघुकरण) विनियम, १३५९ च (फसली १३५९ का नं० २५)^३ ।
३१४. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि का अर्जन) अधिनियम, १९५० (१९५० का बिहार अधिनियम ३८) ।

^१संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१, धारा १४ द्वारा जोड़ी गयी ।

^२जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी अर्थात्—

- “१४. जम्मू और कश्मीर वृहद् भू सम्पदा उत्पादन अधिनियम (२००७ का नं० १७) ।
१५. जम्मू और कश्मीर बन्धक सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन अधिनियम (२००६ का नं० १६) ।
१६. जम्मू और कश्मीर आयोग अधिनियम (१९८० का नं० २) ।
१७. जम्मू और कश्मीर आपद्ग्रस्त ऋणी सहायता अधिनियम (२००६ का नं० १७) ।
१८. जम्मू और कश्मीर भूमि अन्य संक्रामण अधिनियम (१९९५ का नं० ५) ।
१९. जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशियों आदि के पुनर्गृहण के बारे में १९५१ का आदेश नं० ६ एच, ता १० मार्च १९५१ ।
२०. जम्मू और कश्मीर राज्य कूठ अधिनियम (१९७८ का नं० १)” ।

^३ संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५, धारा ५ द्वारा जोड़े गये ।

15. The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948 (U. P. Act XXVI of 1948).
16. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (Act LX of 1948).
17. Sections 52A to 52G of the Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938) as inserted by section 42 of the Insurance (Amendment) Act, 1950 (Act XLVII of 1950).
18. The Railway Companies (Emergency Provisions) Act, 1951 (Act LI of 1951).
19. Chapter III-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (Act LXV of 1951), as inserted by section 13 of the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1953 (Act XXVI of 1953).
20. The West Bengal Land Development and Planning Act, 1948 (West Bengal Act XXI of 1948), as amended by West Bengal Act XXIX of 1951.

१५. संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का संयुक्त प्रान्त ऐक्ट २६) ।
१६. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का अधिनियम ६०) ।
१७. वीमा (संशोधन) अधिनियम, १९५० (१९५० का अधिनियम ४७) की धारा ४२ द्वारा यथा अन्तःस्थापित, वीमा अधिनियम, १९३८ (१९३८ का अधिनियम ४) की ५२ क से लेकर ५२ छ तक की धाराएं ।
१८. रेल समवाय (आपात उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम ५१) ।
१९. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का अधिनियम २६) की धारा १३ द्वारा यथा अन्तःस्थापित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम ६५) का अध्याय ३ क ।
२०. १९५१ का पश्चिमी बंगाल अधिनियम २९ द्वारा यथा संशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और आयोजन अधिनियम, १९४८ (१९४८ का पश्चिमी बंगाल अधिनियम २१) ।

APPENDIX
THE CONSTITUTION (FIRST AMENDMENT)
ACT, 1951

An Act to amend the Constitution of India

[18th June, 1951.]

Be it enacted by Parliament as follows :—

- Short title. 1. This Act may be called the Constitution (First Amendment) Act, 1951.
- Amendment of article 15. 2. To article 15 of the Constitution, the following clause shall be added :—
- “(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.”
- Amendment of article 19 and validation of certain laws. 3. (1) In article 19 of the Constitution,—
- (a) for clause (2), the following clause shall be substituted and the said clause shall be deemed always to have been enacted in the following form, namely :—
- “(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.”
- (b) in clause (6), for the words beginning with the words “nothing in the said sub-clause” and ending with the words “occupation, trade or business”, the following shall be substituted, namely :—
- “nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,—
- (i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
- (ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.”
- (2) No law in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution which is consistent with the provisions of article 19 of the Constitution as amended by sub-section (1) of this section shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground only that, being a law which takes away or abridges the right conferred by sub-clause (a) of clause (1) of the said article, its operation was not saved by clause (2) of that article as originally enacted.

परिशिष्ट

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१

भारत के संविधान को संशोधित करने के लिये अधिनियम

(१८ जून, १९५१)

संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो—

१. यह अधिनियम संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१ के नाम से ज्ञात हो सकेगा ।

२ संविधान के अनुच्छेद १५ में निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जायेगा—

“(४) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद २९ के खंड (२) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि में पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी ।”

३. (१) संविधान के अनुच्छेद १६ में—

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उक्त खंड मदा ही निम्नलिखित रूप में अधिनियमित रहा है, अर्थात्—

“(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर राज्य की मृत्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण, सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या मदाचार के हितों या न्यायालय अबमान, मानहानि या अपराध उद्घाटन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्वन्धन जहाँ तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्वन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये कोई रुकावट, न डालेगी ।”

(ख) खंड (९) में “उक्त उपखंड की कोई बात” शब्दों से आरम्भ होने वाले और “राज्य के लिये रुकावट न डालेगी” शब्दों से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“उक्त उपखंड की कोई बात—

(i) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिथिलक अहंताओं से, या

(ii) राज्य के द्वारा अथवा राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन वाले निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या आंशिक अपवर्जन करके या अन्यथा चलाने से,

जहाँ तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी ।”

(२) संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त जो विधि संविधान की इस धारा की उपधारा (१) द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद १९ के उपवर्धों से संगत है उसकी बाबत केवल इस कारण कि वह उक्त अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीन लेने या न्यूनन करने वाली विधि है और उसके प्रवर्तन की व्यावृत्ति यथामूलरूपेण अधिनियमित उस अनुच्छेद के खंड (२) द्वारा नहीं की गयी थी, यह न समझा जायेगा कि वह शून्य है या कभी शून्य थी ।

संक्षिप्त नाम

अनुच्छेद १५ का संशोधन]

अनुच्छेद १६ का संशोधन और कुछ विधियों का मान्यकरण

Explanation.—In this sub-section, the expression “law in force” has the same meaning as in clause (1) of article 13 of the Constitution.

Insertion of new article 31 A.

4. After article 31 of the Constitution, the following article shall be inserted, and shall be deemed always to have been inserted, namely :—

“31A. *Saving of laws providing for acquisition of estates, etc.*—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, no law providing for the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or for the extinguishment or modification of any such rights shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part :

Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

(2) In this article,—

- (a) the expression “estate” shall, in relation to any local area, have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area, and shall also include any *jagir, inam or muafi* or other similar grant;
- (b) the expression “rights”, in relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under proprietor, tenure-holder or other intermediary and any rights or privileges in respect of land revenue.”

Insertion of new article 31 B.

5. After article 31A of the Constitution as inserted by section 4, the following article shall be inserted, namely :—

“31B. *Validation of certain Acts and Regulations.*—Without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void, on the ground that such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said Acts and Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or amend it, continue in force.”

Amendment of article 85.

6. For article 85 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely :—

“85. *Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.*—(1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

व्याख्या—इस उपधारा में “प्रवृत्त विधि” अभिव्यक्ति से वही अभिप्रेत है जो कि संविधान के अनुच्छेद १३ के खंड (१) में अभिप्रेत है।

४. संविधान के अनुच्छेद ३१ के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा और उसकी बाबत समझा जायेगा कि वह सदा ही ऐसे अन्तःस्थापित रहा है, अर्थात्—

नये अनुच्छेद ३१क का अन्तःस्थापन

“३१क. (१) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सम्पदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या रूपभेद के लिये उपबन्ध करने वाली कोई विधि केवल इस कारण कि वह इस भाग के किन्हीं उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसको छीनती या न्यून करती है, शून्य नहीं समझी जायेगी;

सम्पदाओं प्रादि के अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों की व्याप्ति

परन्तु जहां कि ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि है वहां जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो गई हो इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस विधि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

(२) इस अनुच्छेद में—

(क) “सम्पदा” पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में वही अर्थ है जो कि उस या उसकी स्थानीय समतुल्य अभिव्यक्ति का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों से सम्बद्ध विद्यमान विधि में है और उसके अन्तर्गत कोई जागीर, इनाम या मुआफ़ी अथवा अन्य समान प्रकार का अनुदान भी होगा,

(ख) “अधिकार” पद के अन्तर्गत किसी सम्पदा के सम्बन्ध में, किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अगर स्वत्वधारी, भूधर्तधारी या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भूराजस्व के बारे में कोई अधिकार या विशेषाधिकार भी होंगे।”

५. धारा ४ द्वारा यथा अन्तःस्थापित संविधान के अनुच्छेद ३१क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

नये अनुच्छेद ३१ख का अन्तःस्थापना

“३१ख अनुच्छेद ३१क में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना न तो नवम् अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और विनियमों में से और न उनके उपबन्धों में से किसी का बाबत इस कारण कि ऐसा अधिनियम, विनियम या उपबन्ध इस भाग के किन्हीं उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसको छीन लेता है या न्यून करता है यह न समझा जायेगा कि वह शून्य है या कभी शून्य हो गया था और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, आज्ञापित या आदेश के होने हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरस्त या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान-मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, निरन्तर प्रवृत्त रहेगा।”

कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण

६. संविधान के अनुच्छेद ८५ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात्—

अनुच्छेद ८५ का संशोधन

“८५. (१) राष्ट्रपति समय समय पर संसद् के प्रत्येक सदन को, ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्त की अन्तिम बैठक और आगामी सत्त की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा।

संसद् के सत्त, सत्तवसान और विधेदन

- (2) The President may from time to time—
 (a) prorogue the Houses or either House ;
 (b) dissolve the House of the People.”

Amendment of article 87. **7.** In article 87 of the Constitution,—
 (1) in clause (1), for the words “every session” the words “the first session after each general election to the House of the People and at the commencement of the first session of each year” shall be substituted ;

(2) in clause (2), the words “and for the precedence of such discussion over other business of the House” shall be omitted.

Amendment article 174. **8.** For article 174 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely :—

“174. *Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution*—

(1) The Governor shall from time to time summon the House of each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

- (2) The Governor may from time to time—
 (a) prorogue the House or either House ;
 (b) dissolve the Legislative Assembly.”

Amendment of article 176. **9.** In article 176 of the Constitution,—
 (1) in clause (1), for the words “every session” the words “the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year” shall be substituted ;

(2) in clause (2), the words “and for the precedence of such discussion over other business of the House” shall be omitted.

Amendment of article 341. **10.** In clause (1) of article 341 of the Constitution, for the words “may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State,” the words “may with respect to any State, and where it is a State specified in Part A or Part B of the First Schedule, after consultation with the Governor or Rajpramukh thereof;” shall be substituted

Amendment of article 342. **11.** In clause (1) of article 342 of the Constitution, for the words “may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State,” the words “may with respect to any State, and where it is a State specified in Part A or Part B of the First Schedule, after consultation with the Governor or Rajpramukh thereof,” shall be substituted.

Amendment of article 372. **12.** In sub-clause (a) of clause (3) of article 372 of the Constitution, for the words “two years” the words “three years” shall be substituted.

Amendment of article 376. **13.** At the end of clause (1) of article 376 of the Constitution, the following shall be added, namely :—

“Any such judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court, or as Chief Justice or other Judge of any other High Court.”

(२) राष्ट्रपति समय समय पर—

- (क) सदनों या किसी सदन का सत्तावसान कर सकेगा,
(ख) लोक-सभा का विघटन कर सकेगा ।”

७. संविधान के अनुच्छेद ८७ में—

(१) खंड (१) में “प्रत्येक सत्त के आरम्भ में” शब्दों के स्थान पर “लोक-सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्त के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्त के आरम्भ में” शब्द रख दिये जायेंगे ।

(२) खंड (२) में “तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये” शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे ।

८. संविधान के अनुच्छेद १७४ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्—

“१७४. (१) राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा कि वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्त की अन्तिम बैठक और आगामी सत्त की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा ।

(२) राज्यपाल समय समय पर—

- (क) सदन या किसी सदन का सत्तावसान कर सकेगा,
(ख) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा ।”

९. संविधान के अनुच्छेद १७६ में—

(१) खंड (१) में “प्रत्येक सत्त के आरम्भ में” शब्दों के स्थान पर “विधान-सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्त के आरम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्त के आरम्भ में” शब्द रख दिये जायेंगे ;

(२) खंड (२) में “तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये” शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे ।

१०. संविधान के अनुच्छेद ३४१ के खंड (१) में “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “किसी राज्य के सम्बन्ध में, और जहाँ वह प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में उल्लिखित कोई राज्य है उसके राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्द रख दिये जायेंगे ।

११. संविधान के अनुच्छेद ३४२ के खंड (१) में “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “किसी राज्य के सम्बन्ध में, और जहाँ वह प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में उल्लिखित कोई राज्य है उसके राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्द रख दिये जायेंगे ।

१२. संविधान के अनुच्छेद ३७२ के खंड (३) के उपखंड (क) में “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द रख दिये जायेंगे ।

१३. संविधान के अनुच्छेद ३७६ के खंड (१) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

“कोई ऐसा न्यायाधीश, इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में या किसी अन्य उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।”

अनुच्छेद ८७ का संशोधन

अनुच्छेद १७४ का संशोधन

राज्य के विधान-मंडल के सत्त, सत्तावसान और विघटन

अनुच्छेद १७६ का संशोधन

अनुच्छेद ३४१ का संशोधन

अनुच्छेद ३४२ का संशोधन

अनुच्छेद ३७२ का संशोधन

अनुच्छेद ३७६ का संशोधन

Addition of Ninth
Schedule.

14. After the Eighth Schedule to the Constitution, the following Schedule shall be added, namely:—

“NINTH SCHEDULE

[Article 31 B]

1. The Bihar Land Reforms Act, 1950 (Bihar Act XXX of 1950).
2. The Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948 (Bombay Act LXVII of 1948).
3. The Bombay Maleki Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXI of 1949).
4. The Bombay Taluqdari Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXII of 1949).
5. The Panch Mahals Mehwasi Tenure Abolition Act, 1949 (Bombay Act LXIII of 1949).
6. The Bombay Khoui Abolition Act, 1950 (Bombay Act VI of 1950).
7. The Bombay Paragana and Kulkarni Watan Abolition Act, 1950 (Bombay Act LX of 1950).
8. The Madhya Pradesh Abolition of Proprietary Rights (Estates, Mahals, Alienated Lands) Act, 1950 (Madhya Pradesh Act I of 1951).
9. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Act, 1948 (Madras Act XXVI of 1948).
10. The Madras Estates (Abolition and Conversion into Ryotwari) Amendment Act, 1950 (Madras Act I of 1950).
11. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Uttar Pradesh Act I of 1951).
12. The Hyderabad (Abolition of Jagirs) Regulation, 1358F. (No. LXIX of 1358, Fasli).
13. The Hyderabad Jagirs (Commutation) Regulation, 1359F. (No. XXV of 1359, Fasli).”

१४. संविधान की अष्टम् अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ दी जायेगी, अर्थात्—

नवम् अनुसूची का जोड़ना

नवम् अनुसूची

(अनुच्छेद ३१९)

१. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० (१९५० का बिहार अधिनियम ३०) ।
२. मुम्बई आभोग और कृषिक भूमि अधिनियम, १९४८ (१९४८ का मुम्बई अधिनियम ६७) ।
३. मुम्बई मालिकी धृति उत्पादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६१) ।
४. मुम्बई तालुकदारी धृति उत्पादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६२) ।
५. पंच महाल मेहवासी धृति उत्पादन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का मुम्बई अधिनियम ६३) ।
६. मुम्बई खोनी उत्पादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६) ।
७. मुम्बई परगना और कुलकर्णी बतन उत्पादन अधिनियम, १९५० (१९५० का मुम्बई अधिनियम ६०) ।
८. मध्य प्रदेश स्वामित्वाधिकारों (मालिकाना हकों) (इलाकों, महालों, दुमाला भूमियों) के अंत करने का अधिनियम, १९५० (१९५१ का मध्य प्रदेश अधिनियम १) ।
९. मद्रास सम्पदा (उत्सादन और रय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का मद्रास अधिनियम २६) ।
१०. मद्रास सम्पदा (उत्सादन और रय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, १९५० (१९५० का मद्रास अधिनियम १) ।
११. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (१९५१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम १) ।
१२. हैदराबाद (जागीरों का उत्पादन) विनियम, १३५८ च (फसली १३५८ का नं० ६९) ।
१३. हैदराबाद जागीर (लघुकरण) विनियम, १३५९ च (फसली १३५९ का नं० २५) ।

APPENDIX

THE CONSTITUTION (SECOND AMENDMENT) ACT, 1952

An Act further to amend the Constitution of India

[1st May, 1953.]

BE it enacted by Parliament as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Constitution (Second Amendment) Act, 1952.

Amendment of
article 81.

2. In sub-clause (b) of clause (1) of article 81 of the Constitution, the words and figures “not less than one member for every 750,000 of the population and” shall be omitted.

परिशिष्ट

संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२

भारत के संविधान के अन्तर्गत संशोधन के लिये अधिनियम

(१ मई, १९५३)

संसद द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो—

१. यह अधिनियम संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२ के नाम से जाना जा सकेगा। संक्षिप्त नाम

२. संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (ख) में अनुच्छेद ८१ का संशोधन
“प्रति ७५०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा” शब्द और अंक
उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

APPENDIX

THE CONSTITUTION (THIRD AMENDMENT) ACT, 1954

An Act further to amend the Constitution of India

[22nd February, 1955.]

BE it enacted by Parliament in the Fifth Year of the Republic of India as follows :—

- Short title. **1.** This Act may be called the Constitution (Third Amendment) Act, 1954.
- Amendment of the Seventh Schedule. **2.** In the Seventh Schedule to the Constitution, for entry 33 of List III, the following entry shall be substituted, namely :—
- “33. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of,—
- (a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products ;
 - (b) foodstuffs, including edible oilseeds and oils ;
 - (c) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates ;
 - (d) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton seed ; and
 - (e) raw jute.”

परिशिष्ट

संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५४

भारत के संविधान के अपर संशोधन के लिये अधिनियम

(२२ फरवरी, १९५५)

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित
है :-

१. यह अधिनियम संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९५४ के नाम संक्षिप्त नाम
से ज्ञात हो सकेगा ।

२. संविधान की सप्तम अनुसूची में सूची ३ में की प्रविष्टि ३३ के स्थान पर सप्तम अनुसूची का
निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्--- संशोधन

“३३ (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण
लोक हित में इष्टकर धोषित किया गया है वहां उस उद्योग में के उत्पादों में, और
उसी प्रकार के आयात की गई वस्तुओं का ऐसे उत्पादों के रूप में,

(ख) खद्य पदार्थों का, जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं.

(ग) ढोरो के चारों का, जिनके अन्तर्गत खली और अन्य सागकृत चारों हैं.

(घ) कच्ची रुई का, चाहे ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो और वितौल
का, और

(ङ) कच्चे पटसन का

व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, सम्भरण और वितरण ।”

APPENDIX

THE CONSTITUTION (FOURTH AMENDMENT) ACT, 1955

An Act further to amend the Constitution of India

[27th April, 1955.]

BE it enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title. **1.** This Act may be called the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955.

Amendment of article 31. **2.** In article 31 of the Constitution, for clause (2), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given ; and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate.

(2A) Where a law does not provide for the transfer of the ownership or right to possession of any property to the State or to a corporation owned or controlled by the State, it shall not be deemed to provide for the compulsory acquisition or requisitioning of property, notwithstanding that it deprives any person of his property.”

Amendment of article 31A. **3.** In article 31A of the Constitution, —
(a) for clause (1), the following clause shall be, and shall be deemed always to have been substituted, namely :—

“(1) Notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for—

(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or

(b) the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or

(c) the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations, or

(d) the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or

परिशिष्ट

संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५

भारत के संविधान के अन्तर्गत संशोधन के लिये अधिनियम

(२७ अप्रैल, १९५५)

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो ---

१. यह अधिनियम संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५ के नाम से ज्ञात हो सकेगा ।

संक्षिप्त नाम

२. संविधान के अनुच्छेद ३१ में खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

अनुच्छेद ३१ का संशोधन

“(२) कोई सम्पत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के सिवाय, और ऐसी किसी विधि के, जो इस प्रकार अर्जित या अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर के लिये उपबन्ध करती है और या तो प्रतिकर की राशि को नियत करती है या उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख करती है जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है, प्राधिकार के सिवाय अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत न की जायेगी; और किसी ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उस विधि द्वारा उपबन्धित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है ।

(२क) जहां किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के या कब्जा रखने के अधिकार का हस्तांतरण राज्य या ऐसे किसी निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, करने के लिये उपबन्ध विधि नहीं करती है वहां इस बात के होते हुए भी कि वह किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित करती है उसकी बाबत यह न समझा जायेगा कि वह सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिये उपबन्ध करती है ।”

३. संविधान के अनुच्छेद ३१क में—

अनुच्छेद ३१क का

(क) खंड (१) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि वह सदा ही ऐसे रखा हुआ था, अर्थात्—

“(१) अनुच्छेद १३ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी सम्पदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या रूपभेदन के लिए, या

(ख) किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध या तो लोक हित में या उस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा मर्यादित कालावधि के लिए ले लिये जाने के लिए, या

(ग) दो या अधिक निगमों को या तो लोक हित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से समाभिलित करने के लिए, या

(घ) निगमों के प्रबन्ध अधिकारियों, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों, निदेशकों या प्रबन्धकों के किन्हीं अधिकारों के या अंशधारियों के किन्हीं मतदान अधिकारों के निर्वापन या रूपभेदन के लिये, या

- (e) the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence,

shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14, article 19 or article 31 :

Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.”; and

(b) in clause (2),—

(i) in sub-clause (a) after the word “grant”, the words “and in the States of Madras and Travancore-Cochin, any *janmam* right” shall be, and shall be deemed always to have been, inserted; and

(ii) in sub-clause (b), after the word “tenure holder”, the words “*raiyat, under-raiyat*” shall be and shall be deemed always to have been, inserted.

Substitution of new article for article 305.

4. For article 305 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely :—

Saving laws existing and laws providing for State monopolies.

“305. Nothing in articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct; and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955, in so far as it relates to or prevent Parliament or the Legislature of a State from making any law relating to, any such matter as is referred to in sub-clause (ii) of clause (6) of article 19.”

Amendment of the Ninth Schedule.

5. In the Ninth Schedule to the Constitution, after entry 13, the following entries shall be added, namely :—

- “14. The Bihar Displaced Persons Rehabilitation (Acquisition of Land) Act, 1950 (Bihar Act XXXVIII of 1950).
15. The United Provinces Land Acquisition (Rehabilitation of Refugees) Act, 1948 (U.P. Act XXVI of 1948).
16. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (Act LX of 1948).
17. Sections 52A to 52G of the Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938), as inserted by section 42 of the Insurance (Amendment) Act, 1950 (Act XLVII of 1950).

(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोजने या लब्ध करने के प्रयोजन के लिये किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के बल पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या रूपभेदन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पूर्व पर्यवस्त करने या प्रतिमंहुत करने के लिए।

उपबन्ध करने वाली विधि की बाबत इस कारण कि वह अनुच्छेद १४, अनुच्छेद १६ या अनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से अमंगत है या उसको छीनती या न्यून करती है यह न समझा जायेगा कि वह शून्य है;

परन्तु जहां कि ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि है वहां जब तक कि ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो गई हो, इस अनुच्छेद के उपबन्ध उक्त विधि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे," और

(ख) खंड (२) में,

(i) उपखंड (क) में "अनुदान" शब्द के पश्चात् "और मद्रास और तिरुवांकुर, कोचीन राज्यों में कोई जनसम् अधिकार" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे और मदा ही अन्तःस्थापित समझे जायेंगे, और

(ii) उपखंड (ख) में "भू धर्तिधारी" शब्द के पश्चात् "रय्यत, अवर रय्यत" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे और मदा ही अन्तःस्थापित समझे जायेंगे।

४. संविधान के अनुच्छेद ३०४ के स्थान पर निम्नलिखित: अनुच्छेद २७७ दिया जायेगा, अर्थात्—

अनुच्छेद ३०४ के स्थान पर नया अनुच्छेद रखना

"३०४. अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, वहां तक के सिवाय जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे, कोई प्रभाव न डालेगी; और अनुच्छेद ३०१ की कोई बात संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, १९५५ के प्रारम्भ से पूर्व निर्मित किसी विधि के प्रवर्तन पर वहां तक, जहां तक कि वह विधि किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध है जैसा कि अनुच्छेद १६ के खंड (६) के उपखंड (ii) में निदिष्ट है, कोई प्रभाव न डालेगी या ऐसे किसी विषय से सम्बद्ध, जैसा कि अनुच्छेद १६ के खंड (६) के उपखंड (ii) में निदिष्ट है, कोई विधि बनाने से मंसू या किसी राज्य के विधान-मंडल को न रोकेंगी।"

वर्तमान विधियों और राज्य एकाधिकारों के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों की व्याप्ति

५. संविधान की नवम् अनुसूची में प्रविष्टि १३ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्—

नवम् अनुसूची का संशोधन

"१४. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वासि (भूमि का अर्जन) अधिनियम, १९५० (१९५० का बिहार अधिनियम ३८)।

१५. संयुक्त प्रान्त के (शरणार्थियों को बसाने के लिये) भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का संयुक्त प्रान्त ऐक्ट २६)।

१६. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वासि (भूमि अर्जन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का अधिनियम ६०)।

१७. बीमा (संशोधन) अधिनियम, १९५० (१९५० का अधिनियम ४७) की धारा ४२ द्वारा यथा अन्तःस्थापित, बीमा अधिनियम, १९३८ (१९३८ का अधिनियम ४) की ५२ क से लेकर ५२छ तक की धाराएं।

18. The Railway Companies (Emergency Provisions) Act, 1951 (Act LI of 1951).
19. Chapter III-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (Act LXV of 1951), as inserted by section 13 of the Industries (Development and Regulation) Amendment Act, 1953 (Act XXVI of 1953).
20. The West Bengal Land Development and Planning Act, 1948 (West Bengal Act XXI of 1948), as amended by West Bengal Act XXIX of 1951."

१८. रेल ममवाय (आपात उपबन्ध) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम ५१) ।

१९. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का अधिनियम २६) की धारा १३ द्वारा यथा अन्तःस्थापित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का अधिनियम ६५) का अध्याय ३क ।

२०. १९५१ का पश्चिमी बंगाल अधिनियम, २९ द्वारा यथासंशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और आयोजन अधिनियम, १९४८ (१९४८ का पश्चिमी बंगाल अधिनियम २१) ।

APPENDIX

THE CONSTITUTION (FIFTH AMENDMENT) ACT, 1955

An Act further to amend the Constitution of India

[24th December, 1955.]

BE it enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955.

Amendment of
article 3.

2. In article 3 of the Constitution, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States specified in Part A or Part B of the First Schedule, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired.”

परिशिष्ट

विधान (पंचम संशोधन) अधिनियम, १९५५

भारत के संविधान के अन्तर्गत संशोधन के लिये अधिनियम

(२४ दिसम्बर, १९५५)

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो—

१. यह अधिनियम संविधान (पंचम संशोधन) अधिनियम, १९५५ के नाम संक्षिप्त नाम से ज्ञात हो सकेगा।

२. संविधान के अनुच्छेद ३ में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद ३ का संशोधन

“परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की मिपारिश बिना, तथा जहाँ विधेयक में अन्नविष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता हो वहाँ जब तक कि उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी कालावधि के अन्दर, जैसी कि निर्देश में उल्लिखित की जाए या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अन्दर, जैसी कि राष्ट्रपति समनुज्ञात करे, प्रकट किये जानें के लिये राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित न कर दिया गया हो और उस प्रकार उल्लिखित या समनुज्ञात कालावधि समाप्त न हो गयी हो संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायेगा।”

APPENDIX

THE CONSTITUTION (SIXTH AMENDMENT) ACT, 1956

An Act further to amend the Constitution of India

[11th September, 1956.]

BE it enacted by Parliament in the Seventh Year of the Republic of India as follows :—

- Short title 1. This Act may be called the Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956.
- Amendment of the Seventh Schedule. 2. In the Seventh Schedule to the Constitution,—
- (a) in the Union List, after entry 92, the following entry shall be inserted, namely :—
- “92A. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.”; and
- (b) in the State List, for entry 54, the following entry shall be substituted, namely :—
- “54. Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, subject to the provisions of entry 92A of List I.”
- Amendment of article 269. 3. In article 269 of the Constitution,—
- (a) in clause (1), after sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely :—
- “(g) taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.”; and
- (b) after clause (2), the following clause shall be inserted namely :—
- “(3) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in the course of inter-State trade or commerce.”
- Amendment of article 286. 4. In article 286 of the Constitution,—
- (a) in clause (1), the *Explanation* shall be omitted; and
- (b) for clauses (2) and (3), the following clauses shall be substituted, namely :—
- “(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause (1).

परिशिष्ट

संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६

भारत के संविधान का अर्पर संशोधन करने के लिए अधिनियम

(११ सितम्बर, १९५६)

भारत गणराज्य के भातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो—

१. यह अधिनियम संविधान (षष्ठ संशोधन) अधिनियम, १९५६ के नाम से जाना हो सकेगा।

संक्षिप्त नाम

२. संविधान की सप्तम अनुसूची में—

सप्तम अनुसूची का संशोधन

(क) संघ सूची में प्रविष्टि ६२ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“६२क. समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस मूलत में कर जिममें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्चा में हो.” और

(ख) राज्य सूची में प्रविष्टि ५४ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्—

“५४. सूची १ की प्रविष्टि ६२क के उपबन्धों के अधीन रहत हुए, समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर।”

३. संविधान के अनुच्छेद २६६ में—

अनुच्छेद २६६ का संशोधन

(क) खंड (१) में उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(छ) समाचारपत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर उस मूलत में कर जिममें कि ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक की चर्चा में हो।” और

(ख) खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(३) यह अवधारित करने के लिये कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य की चर्चा में वस्तुओं का क्रय या विक्रय कब होता है संसद् विधि द्वारा सिद्धत सूत्रित कर सकेगी।”

४. संविधान के अनुच्छेद २६६ में—

अनुच्छेद २६६ का संशोधन

(क) खंड (१) में व्याख्या लुप्त कर दी जाएगी, और

(ख) खंड (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(२) यह अवधारित करने के लिये कि खंड (१) में वर्णित प्रकारों में से किसी में की वस्तुओं का क्रय या विक्रय कब होता है संसद् विधि द्वारा सिद्धत सूत्रित कर सकेगी।”

(3) any law of a State shall, in so far as it imposes, or authorises the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify."

- “(३) जहां तक कि किसी राज्य की कोई विधि अन्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में ऐसी वस्तुओं के, जो कि संसद् द्वारा विधि द्वारा विशेष महत्व की घोषित की गई हैं, क्रय या विक्रय पर किसी कर का आरोपण करती है या आरोपण प्राधिकृत करती है, वहां तक वह विधि उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगतियों के सम्बन्ध में ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी जैसे कि संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे।”

APPENDIX

THE CONSTITUTION (SEVENTH AMENDMENT) ACT, 1956

An Act further to amend the Constitution of India

[19th October, 1956.]

BE it enacted by Parliament in the Seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.

(2) It shall come into force on the 1st day of November, 1956.

Amendment of article 1 and First Schedule

2. (1) In article 1 of the Constitution,—

(a) for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:—

“(2) The States and the territories thereof shall be as specified in the First Schedule.”; and

(b) in clause (3), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(b) the Union territories specified in the First Schedule; and”.

(2) For the First Schedule to the Constitution as amended by the States Reorganisation Act, 1956, and the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956, the following Schedule shall be substituted, namely:—

FIRST SCHEDULE

[Articles 1 and 4]

I. THE STATES

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
1. Andhra Pradesh.	The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Andhra State Act, 1953, and the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the States Reorganisation Act, 1956.
2. Assam.	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the Province of Assam, the Khasi States and the Assam Tribal Areas, but excluding the territories specified in the Schedule to the Assam (Alteration of Boundaries) Act, 1951.

परिशिष्ट

संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६

भारत के संविधान के अपर संशोधन के लिए अधिनियम

(१६ अक्तूबर, १९५६)

भारत गणराज्य के सानवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित हो:—

१. (१) यह अधिनियम संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६ के नाम से जाना जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(२) यह १९५६ की नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

२. (१) संविधान के अनुच्छेद १ में

अनुच्छेद १ और प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) खंड (२) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, यथात्—

“(२) वे राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं,” और

(ख) खंड (३) में उपखंड (ख) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड रख दिया जायगा, यथात्—

“(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित संघ राज्य-क्षेत्र, था”।

(२) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ और बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्र हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा यथा संशोधित, संविधान की प्रथम अनुसूची के स्थान में निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, यथात्—

प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १ और ४)

१. राज्य

नाम	राज्यक्षेत्र
१. आन्ध्र प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा (३) की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं तथा वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
२. आसाम	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले आसाम प्रान्त, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो आसाम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम १९५१ की अनुसूची में उल्लिखित, इससे अपवर्जित हैं।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
3. Bihar .	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Bihar or were being administered as if they formed part of that Province, but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956.
4. Bombay .	The territories specified in sub-section (1) of section 8 of the States Reorganisation Act, 1956.
5. Kerala .	The territories specified in sub-section (1) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956.
6. Madhya Pradesh.	The territories specified in sub-section (1) of section 9 of the States Reorganisation Act, 1956.
7. Madras	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Madras or were being administered as if they formed part of that Province and the territories specified in section 4 of the States Reorganisation Act, 1956, but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 and sub-section (1) of section 4 of the Andhra State Act, 1953 and the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 5, section 6 and clause (d) of sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956.
8. Mysore	The territories specified in sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956.
9. Orissa	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Orissa or were being administered as if they formed part of that Province.
10. Punjab	The territories specified in section 11 of the States Reorganisation Act, 1956.
11. Rajasthan	The territories specified in section 10 of the States Reorganisation Act, 1956.

परिशिष्ट

नाम	राज्यक्षेत्र
३. बिहार	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो बिहार प्रान्त में समाविष्ट थे, या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों, किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्ता-न्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं, इससे अपवर्जित हैं।
४. मध्य प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
५. केरल	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
६. मध्यप्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ९ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
७. मद्रास	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४ में उल्लिखित हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा ३ की उपधारा (१) में और धारा ४ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं तथा वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) में और धारा ६ में और धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में उल्लिखित हैं इससे अपवर्जित हैं।
८. मिसूर	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ७ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
९. उड़ीसा	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों।
१०. पंजाब	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५३ की धारा ११ में उल्लिखित हैं।
११. राजस्थान	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १० में उल्लिखित हैं।

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
12. Uttar Pradesh	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province known as the United Provinces or were being administered as if they formed part of that Province.
13. West Bengal	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of West Bengal or were being administered as if they formed the part of that Province and the territory of Chandernagore as defined in clause (c) of section 2 of the Chandernagore (Merger) Act, 1954, and also the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956.
14. Jammu and Kashmir	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Indian State of Jammu and Kashmir.

II. THE UNION TERRITORIES

<i>Name</i>	<i>Extent</i>
1. Delhi	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of Delhi.
Himachal Pradesh	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were being administered as if they were Chief Commissioner's Provinces under the names of Himachal Pradesh and Bilaspur.
3. Manipur	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Manipur.
4. Tripura	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Tripura.
The Andaman and Nicobar Islands.	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of the Andaman and Nicobar Islands.

परिशिष्ट

नाम	राज्यक्षेत्र
१२. उत्तर प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो संयुक्त प्रान्त नाम से जान प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों।
१३. पश्चिमी बंगाल	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो पश्चिमी बंगाल प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों तथा चन्द्र नगर का राज्य-क्षेत्र जैसा कि वह चन्द्र नगर (विलयन) अधिनियम, १९५४, की धारा (२) के खंड (ग) में परिभाषित है और वे राज्यक्षेत्र भी, जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
१४. जम्मू तथा कश्मीर	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले जम्मू तथा कश्मीर के देशी राज्य में समाविष्ट था।

२. संघ राज्य क्षेत्र

नाम	राज्यक्षेत्र
१. दिल्ली	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले मुख्यायुक्त के दिल्ली प्रान्त में समाविष्ट थे।
२. हिमाचल प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे हिमाचल प्रदेश और विलामपुर के नामों से मुख्यायुक्त के प्रान्त रहे हों।
३. मणिपुर	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो कि वह मणिपुर के नाम से मुख्यायुक्त का प्रान्त रहा हो।
४. त्रिपुरा	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो कि वह त्रिपुरा के नाम से मुख्यायुक्त का प्रान्त रहा हो।
५. अण्डमान और निकोबार द्वीप	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले अण्डमान और निकोबार द्वीप के मुख्यायुक्त के प्रान्त में समाविष्ट था।

Amendmen
of
article 80 and
Fourth Schedule.

- | <i>Name</i> | <i>Extent</i> |
|---|--|
| 6. The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands. | The territory specified in section 6 of the States Reorganisation Act, 1956. |

3. (1) In article 80 of the Constitution,—

- (a) in sub-clause (b) of clause (1) after the word "States", the words "and of the Union territories" shall be added;
- (b) in clause (2), after the words "of the States", the words "and of the Union territories" shall be inserted;
- (c) in clause (4), the words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" shall be omitted; and
- (d) in clause (5) for the words and letters "States specified in Part C of the First Schedule", the words "Union territories" shall be substituted.

(2) For the Fourth Schedule to the Constitution as amended by the States Reorganisation Act, 1956, and the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956, the following Schedule shall be substituted, namely:—

FOURTH SCHEDULE

[Articles 4(1) and 80(2)]

ALLOCATION OF SEATS IN THE COUNCIL OF STATES

To each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be.

TABLE

1. Andhra Pradesh	18
2. Assam	7
3. Bihar	22
4. Bombay	27
5. Kerala	9
6. Madhya Pradesh	16
7. Madras	17
8. Mysore	12
9. Orissa	10
10. Punjab	11
11. Rajasthan	10
12. Uttar Pradesh	34
13. West Bengal	16
14. Jammu and Kashmir	4
15. Delhi	3
16. Himachal Pradesh	2
17. Manipur	1
Tripura	1

Total

220

नाम राज्यक्षेत्र
 ६. लवकादीव, मिनिकाय और
 अमीनदीची द्वीप . . . वह राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम,
 १९५६ की धारा ६ में उल्लिखित है।

३. (१) संविधान के अनुच्छेद ८० में---

- (क) खंड (१) के उपखंड (ख) में "राज्यों के" शब्दों के पश्चात् "और संघ राज्यक्षेत्रों के" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे,
 (ख) खंड (२) में "राज्यों के" शब्दों के पश्चात् "और संघ राज्यक्षेत्रों के" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे,
 (ग) खंड (४) में "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे, और
 (घ) खंड (५) में "प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्रों" शब्द रख दिये जायेंगे।

अनुच्छेद ८० और
 अनुर्थ अनुसूची का
 संशोधन

(२) संविधान की चतुर्थ अनुसूची के स्थान में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ और बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा यथा संशोधित निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् --

चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद ४ (१) और ८० (२)]

राज्य-सभा में के स्थानों का बटवारा

निम्न सारणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को यथास्थिति उतने स्थान बांट में दिये जायेंगे जितने कि उसके दूमरे स्तम्भ में उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने उल्लिखित है।

सारणी

१. आन्ध्र प्रदेश	१८
२. आसाम	७
३. बिहार	२२
४. गुजरात	२७
५. केरल	६
६. मध्य प्रदेश	१६
७. मद्रास	१७
८. मैसूर	१२
९. उड़ीसा	१०
१०. पंजाब	११
११. राजस्थान	१०
१२. उत्तर प्रदेश	३४
१३. पश्चिमी बंगाल	१६
१४. जम्मू तथा कश्मीर	४
१५. दिल्ली	३
१६. हिमाचल प्रदेश	२
१७. मनिपुर	१
१८. त्रिपुरा	१

कुल

२२०

- Substitution of new articles for articles 81 and 82. 4. For articles 81 and 82 of the Constitution, the following articles shall be substituted, namely:—
- Composition of the House of the People. “81. (1) Subject to the provisions of article 331, the House of the People shall consist of—
- (a) not more than five hundred members chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and
 - (b) not more than twenty members to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.
- (2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1),—
- (a) there shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States; and
 - (b) each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is, so far as practicable, the same throughout the State.
- (3) In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.
- Readjustment after each census. 82. Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:
- Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House.”
- Amendment of article 131. 5. In article 131 of the Constitution, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
- “Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this Constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute.”
- Amendment of article 153. 6. To article 153 of the Constitution, the following proviso shall be added, namely:—
- “Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.”
- Amendment of article 158. 7. In article 158 of the Constitution, after clause (3), the following clause shall be inserted, namely:—
- “(3A) Where the same person is appointed as Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to the Governor shall be allocated among the States in such proportion as the President may by order determine.”

४. संविधान के अनुच्छेद ८१ और ८२ के स्थानों में निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिये जाएंगे, अर्थात्—

अनुच्छेद ८१ और ८२ के स्थानों में नये अनुच्छेद रखना लोक सभा की रचना

- “८१. (१) अनुच्छेद ३३१ के उपबन्धों के अर्थात् रहते हुए लोक सभा—
- (क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक सदस्यों, और
- (ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये ऐसी रीति में, जैसी कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, चुने हुए सौ से अनधिक सदस्यों

में मिल कर बनेगी।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिये—

- (क) प्रत्येक राज्य के लिये लोक सभा में स्थानों की संख्या की बात ऐसी रीति में होगी कि उस संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिये यथासाध्य एक ही होगा, और
- (ख) प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसकी आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा।

(३) इस अनुच्छेद में “जनसंख्या” शब्द में ऐसी अन्तिम पूर्वगण जनगणना में, जिसके तदनन्तरवीं आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चय की गई जनसंख्या अभिप्रेत है।

८२. प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे ;

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये।”

५. संविधान के अनुच्छेद १२१ में परन्तुक के स्थान में निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद १२१ का संशोधन

“परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जो किसी ऐसी सधि, करार, प्रसविदा, बचनबंध, सन्ध या अन्य तत्सम लिखत से, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गयी या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है, या जो उपबन्ध करनी है कि वैसे क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर न होगा, पैदा हुआ है।”

६. संविधान के अनुच्छेद १५३ में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्

अनुच्छेद १५३ का संशोधन

“परन्तु इस अनुच्छेद में की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त करने से नहीं रोकेंगी।”

७. संविधान के अनुच्छेद १५८ के खंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद १५८ का संशोधन

“(३क) जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किये जाएंगे जसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।”

Amendment
of article
168.

मुसूरी
MUSSOORIE

अर्वाप्त सं०

Acc. No.....

कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस कर दें।

Substitue
of the
article of
article 17.

Please return this book on or before the date last stamped below.

Composite
of the
Legislati
Assemb

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.

L. B. S. No.

1261

Amendment
article 1'

Amendment
article 2'

Amendment of
article 217.

12. In article 217 of the Constitution, in clause (t) for the words "shall hold office until he attains the age of sixty years", the following words and figures shall be substituted, namely:—

"shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of sixty years".

Substitution of
new article
for article
220.

13. For article 220 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely:—

Restriction on
practice after
being a perm-
anent Judge.

"220. No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.

८. (१) संविधान के अनुच्छेद १६८ के खंड (१) में उपखंड (क) में "मद्रास" शब्द के पश्चात् "मैसूर" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद १६८ का संशोधन

(२) उक्त उपखंड में ऐसी तारीख से, जैसी कि राष्ट्रपति लोक अधिमूचना द्वारा नियत करे, "सुम्बई" शब्द के पश्चात् "मैसूर" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे।

९. संविधान के अनुच्छेद १७० का अर्थ --

"१७०. (१) अनु राज्य की विधान सभा निर्वाचन द्वारा चुने हुए प मिलकर बनेगी :

(२) खंड (१) निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य में यथासाध्य ए

व्याख्या—इस गणना में, जिसके तत् संबंधी अभिप्रेत है।

(३) प्रत्येक सभा में स्थानों की संख्या में विभाज किया जा

पा तक कोई विघटन

१०. सं स्थान में "एक

११. सं

१२. सं जब तक कि व शब्द और अंक

"अप उ कि

१३. सं दिया जायेगा अ

सय के स या अन्य किसी प्रा

H 342.54

भारत

वर्ग सं. Class No. भारत सरकार । विधि

लेखक Author मंत्रालय

शीर्षक Title भारत का संविधान

आवृत्ति सं० 21361

ACC. No. पुस्तक सं. Book No.

निर्गम दिनांक Date of Issue	उधारकर्ता की सं. Borrower's No.	हस्ताक्षर Signature

७० के र नया खना का की

H 342.54 भास्

LIBRARY

LAL BAHADUR SHASTRI

National Academy of Administration MUSSOORIE

खंड १७१ का अधिन

खंड २१६ का अधिन

खंड २१७ का अधिन

Accession No. _____

- Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
- An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
- Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.

4. GL H 342.54 BHA reference books may be consulted only

5. [Barcode] 126184 LBSNAA injured in any way recalled or its double is borrower.

खंड २२० के न पर नया खंड रखना है म्यादाधोका के पश्चात् आवृत्ति पर धन

Help us keep our books clean & moving